दशम माला, खण्ड 34, अंक 19

शुक्रवार, 19 अगस्त, 1994
28 श्रावण, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

ग्यारहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 53
Date 15.12.95

सत्यमेव जयते

(खंड 34 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

19 अगस्त, 1994 के लोकसभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
145	10	4662	3662
205	नीचे से 5	ने	को
207	1	बात रहे थे	बात कर रहे थे।
212	13	(अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा)	अध्यक्ष द्वारा घोषणा

विषय-सूची

दशम माला, खंड 34, ग्यारहवां सत्र, 1994/1916 (शक)

अंक 19, शुक्रवार 19 अगस्त, 1994, 28 श्रावण 1916 (शक)

विषय			पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :			
***तारांकित प्रश्न संख्या :**	361, 362, 364 और 367		1-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर :			
***तारांकित प्रश्न संख्या :**	363, 365, 366 और 368-380		20-35
अतारांकित प्रश्न संख्या :	3509 से 3555, 3557 से 3621 और 3623 से 3716		35-191
सभा पटल पर रख गए पत्र			200-201
वित्तीय समितिां (1993-94)—एक समीक्षा-सभा पटल पर रखी गई			201
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति			201-202
ग्यारहवां प्रतिवेदन—सभापटल पर रखा गया।			
सभा का कार्य			202-204
राष्ट्रीय आवास नीति के अनुमोदन के बारे में संकल्प—स्वीकृत			204-211, 212-222
श्री दाऊ दयाल जोशी		204-208	
श्री सुधीर गिरि		208-211	
कुमारी सुशीला तिरिया		211, 212-214	
श्री संतोष कुमार गंगवार		214-217	
श्रीमती शीला कौल		218	
गणपूर्ति के अभाव में सभा की बैठक 2.40 म॰ प॰ तक के लिए स्थगित किए जाने के बारे में घोषणा			212
अध्यक्ष द्वारा घोषणा			212
सदस्यों द्वारा विधायी समितियों से दिए गए त्यागपत्रों का स्वीकार न किया जाना			212

किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न का उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
मोटर यान (संशोधन) विधेयक	212
राज्य सभा द्वारा यथापारित विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव	
श्री जगदीश टाईटलर	222-224
श्री चेतन पी॰ एस॰ चौहान	224
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	225
पैंतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कृत्यों के विस्तार के बारे में संकल्प	
श्री राम विलास पासवान	225-235
श्री गंगाराम कोली	235
श्री चित्त बसु	235-241
डा॰ एस॰ पी॰ यादव	241-245
श्री दिलीप सिंह भूरिया	245-248
श्री रामेश्वर पाटीदार	248-251
श्री एम॰ कृष्ण स्वामी	251-254
श्री कमला मधुकर मिश्र	254-257
श्री पी॰ सी॰ चाक्को	257-262

लोक सभा

शुक्रवार 19 अगस्त, 1994 28 श्रावण, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

वेतन आयोग

***361. श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे और चौथे वेतन आयोगों की कुछ सिफारिशें क्रियान्वयन हेतु अभी तक सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पांचवे वेतन आयोग के गठन के बाद ऐसी सभी लंबित सिफारिशों के निपटारे के संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन्हें कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (च) तीसरे वेतन आयोग की कोई भी सिफारिश विचार के लिए लंबित नहीं है। तथापि, चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की दो सिफारिशें, अर्थात् पैरा 10.263 (आंशिक) जो सभी केन्द्रीय पुलिस संगठनों में विभिन्न ट्रेडों के कार्मिकों की विशेष वेतन मंजूर करने में समानता लाने के संबंध में है तथा पैरा 19.8 जो सभी वैज्ञानिक विभागों में वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों की अधिवार्षिता की आयु के बारे में है, विचाराधीन हैं।

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : क्या सैद्धांतिक रूप से कोई सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं ? क्या ऐसी भी सिफारिशें हैं जिन्हें विवाचन के लिए भेजा गया है लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया है ? मैं यह जानना चाहती हूं कि पांचवे वेतन आयोग के निदेश पद क्या हैं और क्या वे सभी कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए पर्याप्त होंगे ?

श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति : चौथे वेतन आयोग की 168 सिफारिशों में से 31 सिफारिशों पर कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे केवल टिप्पणियां मात्र थी, 20 सिफारिशें व्यावहारिक नहीं पाई गई थीं और 116 सिफारिशों को लागू किया गया है। मैं यह उत्तर पहले ही दे चुका हूं कि चौथे वेतन आयोग की केवल दो सिफारिशें विचाराधीन हैं।

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : समय के साथ-साथ सरकारी कार्य करने के लिए नई योजनाएं, नये क्षेत्र, तथा नये तरीके आ गए हैं। सभी क्षेत्रों में इनका विकास हुआ। इनमें आसमान की ऊंचाईयों, रसातल और समुद्र की गहराइयों जितना विकास हुआ। अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र ने अंतरिक्ष में उपग्रह भेजे, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने जल के नीचे तेल की खोज की और जल सर्वेक्षण विभाग ने भूमि के अंदर जल की खोज का कार्य किया। इस प्रकार सरकारी कार्य में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने भारी उद्योग से लेकर सुगम संगीत के क्षेत्र में कार्य किया है। इसने वाणिज्य, व्यापार, सभी सामाजिक, चिकित्सकीय तथा शैक्षणिक कार्य किये हैं। इसलिए मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार वेतन आयोग के अंतर्गत उप-समितियां बनाने पर विचार करेगी ताकि कार्य का मूल्यांकन करने के लिए इन गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं की जांच की जा सके और उसके अनुसार वेतन वृद्धि दी जा सके। इस प्रकार क्या इन उप-समितियों को वेतन अथवा वेतन वृद्धि निर्धारण के समय प्रशासनिक प्राधिकार, शक्तियों, कृत्यों, दायित्वों तथा पद के उत्तरदायित्वों की जांच करने तथा प्रणाली में कमियों को दूर करने के लिए मार्गोपायों का सुझाव देने के लिए कहा जाएगा ताकि विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार तथा उसकी संभावनाओं को कम किया जा सके और सरकारी तंत्र में गति, कुशलता तथा समन्वय लाया जा सके और अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके और प्रशासन को साफ-सुथरा बनाया जा सके ?

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : वेतन आयोग एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय है और मेरा यह निवेदन है कि कोई उप-समिति गठित करने के लिए आयोग के निदेश पद बिल्कुल स्पष्ट हैं और अंतरिक्ष तथा अन्य संगठनों के कार्मिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आयोग जो उचित समझे कर सकता है। यह निकाय गठित करने के लिए आयोग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि यह मुद्दा वेतन आयोग के निर्णय पर छोड़ देना चाहिए।

डा॰ आर॰ मल्लू : उत्तर के अनुसार केन्द्रीय पुलिस संगठन और वैज्ञानिक तथा तकनीकी संगठन से संबंधित चौथे वेतन आयोग की दो मांगें लंबित पड़ी हैं। जैसा कि मैं जानता हूं कि केन्द्रीय पुलिस संगठन और वैज्ञानिक तथा तकनीकी संगठन अत्यंत संवेदनशील विभाग हैं और अन्य संगठनों की तुलना में उन्हें अपने कार्य पर अधिक ध्यान देना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इन दोनों संगठनों की लंबित मांगों को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति : जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि केन्द्रीय पुलिस संगठन के विभिन्न ट्रेडों में लागू विशेष वेतन से संबंधित एक सिफारिश गृह मंत्रालय के पास लंबित पड़ी है और दूसरी सिफारिश, जो वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों के संवर्ग में अधिवार्षिता की आयु में समानता लाने के संबंध में है, वह विज्ञान

और प्रौद्योगिकी विभाग विधि मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग के पास लंबित पड़ी है। वे मामले पर चर्चा कर रहे हैं। सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : क्या पांचवे वेतन आयोग में भारतीय सेना के जवानों और अधिकारियों का विशेष ध्यान रखा जायेगा, क्योंकि जो अधिकारी सियाचिन ग्लेशियर में पदस्थ होते हैं उनको 200-250 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त भत्ता मिलता है, भविष्य में सेनाबलों का मनोबल न गिरे, इसके लिए शासन क्या कदम उठा रहा है ?

[अनुवाद]

श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति : चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद जो प्रतिवेदन लंबित हैं यह उनमें से एक है।

श्री लोकनाथ चौधरी : उत्तर देते समय माननीय मंत्री ने कहा था कि कतिपय सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई थीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये सिफारिशें कौन-कौन सी हैं और इसका क्या कारण है कि सरकार इस निष्कर्ष पर कब पहुंची कि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती है ? यह मुद्दा काफी समय से लंबित पड़ा है। सरकार इसके लिए कोई समय-सीमा कब निर्धारित करेगी और सरकार पांचवे वेतन आयोग का कब गठन करेगी ? क्या सरकार ने इस बारे में सोच लिया है कि जब वह वेतन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करेगी तो क्या वे उन नए क्षेत्रों में ध्यान देगें जो कार्य की गुणवत्ता से संबंधित होंगे ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वेतन आयोग में ऐसे व्यक्ति शामिल करने पर विचार करेगी ताकि आयोग भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों पर पूर्ण विचार कर सके।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, जैसा कि मैंने कहा है कि वेतन आयोग एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय है। माननीय सदस्य ने जिन समस्याओं का उल्लेख किया है उसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक विशेषज्ञ सेवा के लिए एक सदस्य होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वेतन आयोग अपने वर्तमान सदस्यों के साथ अपना दायित्व निभा सकेगा। इसके सदस्यों में उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री तथा प्रशासक हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि वेतन आयोग जैसा चाहता है वैसा एक परामर्शदात्री दल गठित कर सकता है। इसलिए मैं नहीं समझता कि प्रत्येक सेवा की विनिर्दिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते उसके सदस्य आयोग में हों। यह एक व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं है।

श्री लोकनाथ चौधरी : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का क्या हुआ ? मेरे प्रश्न के तीन भाग हैं।

श्री मनमोहन सिंह : उन दो सिफारिशों के बारे में कुछ स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : केवल दो सिफारिशें ही नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि कतिपय ऐसी सिफारिशें भी थी जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया था।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, वेतन आयोग ने 1986 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था। उस पर 1987 में कार्यवाही की गई थी। जिन सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया था उनके बारे में पूर्ण जानकारी अभी मेरे पास नहीं है।

हम माननीय सदस्य के अपेक्षित जानकारी दे देंगे।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : अध्यक्ष महोदय, 31 सिफारिशों में यह पाया गया था कि कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है और बीस सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया है। महोदय, इस समय जो दो सिफारिशें विचाराधीन हैं वह काफी समय से लंबित पड़ी हैं। उस समय कुछ सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया था और कुछ सिफारिशों पर कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं थी। अत: महोदय मैं मंत्री महोदय से उन दो सिफारिशों के बारे में जानना चाहता हूं कि क्या इन दो सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया जाएगा अथवा उनपर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है अथवा इन पर कोई कार्यवाही की जाएगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया जाएगा;

श्री पी० सी० चाक्को : अथवा संशोधित प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया जाएगा।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : ये सिफारिशें काफी समय से लंबित पड़ी हैं।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं एक सिफारिश गृह मंत्रालय के समक्ष लंबित पड़ी है और दूसरी सिफारिश विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग विधि मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग के समक्ष लंबित पड़ी है। वे इस मुद्दे के विधिक पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

विमान किराये

*** 362. श्री मोहन + सिंह (देवरिया) :**

डा० बसंत पवार :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1991 से इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के विमान किरायों में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है और इसके परिणामस्वरूप कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है;

(ख) क्या विमान किरायों में इस वृद्धि के परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया की उड़ानों में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इंडियन एयरलाइन्स की घरेलू उड़ानों के लिए रुपयों में संदेय किराये में हाल में की गई वृद्धि के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

[अनुवाद]

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के मामले में अक्तूबर, 1991 से किरायों में हुई प्रतिशत-वृद्धि का ब्यौरा निम्नवत है :-

इंडियन एयरलाइन्स		**एयर इंडिया (वृद्धियां भारत से सभी सैक्टरों के लिए लागू)**	
अक्तूबर, 1991	9%	अक्तूबर, 1991	10%
सितम्बर, 1993	15%	मई, 1992	15%
जुलाई, 1994	10-20%	जनवरी, 1993	8.5%
		जून, 1993	15%
		अप्रैल-जुलाई, 1994	6%

उपर्युक्त के अलावा कुछ सैक्टरों में एयर इंडिया के किरायों में (प्रोत्साहक एवं सामान्य, दोनों में) वृद्धियां हुई हैं।

इंडियन एयरलाइन्स के मामले में, अक्तूबर, 1991 में किराया वृद्धि के फलस्वरूप अनुमानत: 158.25 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ और सितम्बर, 1993 में हुई वृद्धि से अनुमानत: 215 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिला। जुलाई, 1994 में की गई वृद्धि से 190 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष प्राप्त होने का अनुमान है।

एयर इंडिया के मामले में, इन किराया वृद्धियों के कारण अर्जित राजस्व का परिणाम बताना संभव नहीं है क्योंकि राजस्व अर्जन पर नियोजित क्षमता, प्रतिद्वंदियों के क्रियाकलापों तथा अन्य सामाजिक-आर्थिक कारकों का असर पड़ता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, हर साल इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के किरायों में वृद्धि हुई है। जैसाकि एयर इंडिया के किरायों में वर्ष 1993 में दो बार वृद्धि हुई है। एक बार जनवरी में [illegible] प्रतिशत और दूसरी बार जून में 15 प्रतिशत। तो इस प्रकार वर्ष में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उसके बावजूद [illegible] ओर से तजवीज आयी है, उसके अनुसार एयर इंडिया की जो आमदनी दर थी, उसमें इस वर्ष कमी हुई [illegible] इंडियन एयरलाइन्स के घाटे में वृद्धि हुई है। इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से साफतौर पर जानना

चाहता हूं कि प्रश्न के "ख" अनुसार एयर इंडिया एयरलाईन्स में किराये वृद्धि के कारण यात्रा करने वाले यात्रियों में कमी हो रही है, फलस्वरूप आमदनी कम हो रही है या घाटा बढ़ रहा है तो क्या इस किराया वृद्धि का प्रभाव एयर इंडिया और इंडियन एयर लाईन्स में यात्रा कर रहे यात्रियों के ढोने की क्षमता पर पड़ रहा है या नहीं ?

श्री गुलाम नबी आज़ाद : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य ने बताया कि किराया वृद्धि के कारण यात्रियों की संख्या घट रही है और नुकसान हो रहा है तो मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि जहां तक एयर इंडिया का संबंध है, 1991-92 में 10 परसेंट किराया बढ़ाया गया था और उस वक्त तकरीबन डेढ़ लाख पैसेजर्स कम चढ़े थे लेकिन पैसेंजर्स कम चढ़ने का कारण किराया बढ़ाना नहीं था, उसका कारण यह था कि हमारे एक जम्बो-747 का एक्सीडैंट हो गया था, जिसे बिल्कुल राइट-ऑफ कर देना पड़ा, यहां दिल्ली एयरपोर्ट पर उसमें आग लग गयी थी। एक तरफ तो हमारा जम्बो-747 फ्लीट में कम हुआ दूसरे हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन्स भी खराब हुये और इसी की वजह से नुकसान हुआ .....**(व्यवधान)**..... मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरे साल, जबकि हमने 25 परसेंट किराये बढ़ाये फिर भी 50 हजार यात्रियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई जिसका मतलब है .....**(व्यवधान)**..... मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि हमने जब 10 परसेंट किराया बढ़ाया तो उसके कारण डेढ़ लाख पैसेंजर्स की संख्या में कमी हो गयी जबकि दूसरे साल हमने 25 परसेंट किराये बढ़ाये फिर भी पिछले डेढ़ लाख पैसेंजर्स की कमी तो पूरी हुई, 50 हजार यात्री और बढ़ गये, जिसका मतलब है कि .....**(व्यवधान)**..... मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं कि ये दोनों रिलेटिड नहीं हैं क्योंकि दूसरी दफा पैसंजर्स भी बढ़े जबकि हमने 25 परसेंट किराया बढ़ाया था, 50 हजार ज्यादा पैसेंजर्स ने हमारे जहाजों से यात्रा की। लिहाजा ये दोनों बातें रिलेटिड नहीं हैं।

दूसरा प्रश्न आपने एयर इंडिया के बारे में पूछा है कि उसकी आमदनी पिछले साल के मुताबिक कम हुई है। वर्ष 1992-93 में उसे 333 करोड़ रुपये का तथा वर्ष 1993-94 में 146 करोड़ रुपये का, एक्जैक्ट फीगर्स मेरे पास नहीं है, मुनाफा हुआ। यदि इन 333 करोड़ और 146 करोड़ रुपये के मुनाफे के गैप को आप देखें तो यह नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इस बीच में, जैसा आपको मालूम है, हमने चार नये जहाज 400-447 खरीदे जिस पर हम ब्याज दे रहे हैं और यह गैप सिर्फ ब्याज की वजह से है, एअर इंडिया नुकसान में नहीं है बल्कि पिछले साल से कुछ हद तक प्रौफिट में बढ़ती जा रही है।

श्री मनमोहन सिंह (देवरिया) : मान्यवर, ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी पूरी तस्वीर रखना नहीं चाहते हैं क्योंकि जिस अनुपात में यात्रियों की संख्या बढ़ी है उसी अनुपात में आपके कैरियर से आने वाले यात्री बढ़े हैं या नहीं, यह विवाद का विषय है। मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब भी सरकार की निन्द्रा खुलती है, वह उसी समय किराया वृद्धि कर देती है, इसका आधार क्या है, कसौटी क्या है और किन परिस्थितियों में आप किराया वृद्धि का निर्णय लेते हैं। हमने देखा है कि कभी 6 महीने में, कभी 3 महीने में कभी 5 महीने में किराये बढ़ा दिये जाते हैं, उसका आधार क्या है ? यदि प्रतिवर्ष या वित्तीय वर्ष के खत्म होने पर किराया बढ़ाया जाये तो समझ में आता है लेकिन कभी अप्रैल से, कभी जनवरी में और कभी जुलाई में किराये बढ़ा दिये जाते

हैं यानी कोई निश्चित नीति इनकी नहीं है बल्कि तदर्थ आधार पर, जब सरकार की निन्द्रा खुली, किराये बढ़ा दिये। मैं जानना चाहता हूं कि किराये बढ़ाने का आधार क्या है, जब पैट्रोल की कीमत बढ़ती है . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य आधार जानना चाहते हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं आपके प्रश्न का पूरा उत्तर दूंगा, मैं समझ गया।

श्री मनमोहन सिंह (देवरिया) : क्योंकि इसकी वजह से निरंतर हड़ताल होती रहती है। मैं जानना चाहता हूं कि किराया बढ़ाने का आधार क्या है, क्या कसौटी है और किन परिस्थितियों में आप किराया बढ़ाने का निर्णय लेते हैं या तदर्थ आधार पर किराये बढ़ा देते हैं कि जब सरकार की निन्द्रा खुली, उसी वक्त किराया बढ़ा दिये।

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं आधार के बारे में माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जितने हमने खर्चे किये हैं, वे हमें वापस मिल जायें, जो पूंजी लगाई है, उस पर उचित लाभ प्राप्त हो जाये। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ फिक्सेशन ऑफ फेयर है, मैं ट्रासलेशन करके बता रहा हूं, यह है कि जिसे मार्किट और यात्री बर्दाश्त कर सके, या दोनों में से एक या दोनों को मिक्स करके। जैसा मैंने पहले जवाब दिया, हमारा जो खर्चा आया है उसे पूरा या कम वापस लिया जाये। क्योंकि आपने 1991 से आगे के बारे में सवाल पूछा है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि 1990 से आज तक जितना भी खर्चा आया है, जो हमारी बढ़ी कॉस्ट आ रही है, एयरक्राफ्ट मेन्टेनैंस एण्ड आउटसाइड रिपेयर, यहां उसके लिये हम जिम्मेदार हैं, विदेशों में अधिकतर जो हिन्दुस्तान में हुआ और अब तो कई इंडियन एयरलाइंस की सेवायें बाहर के देशों में भी जाती हैं, वह 66 करोड़ हुआ।

डैप्रीसिएशन एंड इंश्योरेंस, नये जहाज 12 आए हैं इस बीच में, उनका इंश्योरेस 250 करोड़ रुपए, इंटरैस्ट आन एयरक्राफ्ट लोन 103 करोड़ रुपए, स्टाफ कास्ट 156 करोड़ रुपये, फूड सर्विसेस, ग्राउंड सपोर्ट एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेस 94 करोड़, इस प्रकार से यह 4-5 साल के अरसे में 866 करोड़ इनपुट बढ़ा है। अगर आप चाहें, तो मैं आपको इस परसेंटेज के हिसाब से बताना चाहता हूं कि मटीरियल कंजम्पशन आउट साइड रिपेयर्स पर 120% एयरक्राफ्ट इंश्योरेंस पर 650% जो हमें बाहर देना पड़ता है। एयरक्राफ्ट लैंडिंग, हाउसिंग एंड पार्किंग चार्जेज 65% नैवीगेशनल चार्जेज 117% और डैप्रीसिएशन तथा फायनैंस चार्जेज 172% स्टाफ कास्ट 80% इस प्रकार से कुल मिलाकर इतने वर्षों 866 करोड़ की इनपुट इसमें बढ़ी है और जैसा कि मैंने अर्ज किया है इनपुट जितनी है उसको कहीं से वापस भी लाना है। उसको वापस लाने के लिए हमने क्या रास्ता निकाला है वह बताता हूं। 162 करोड़ रुपया जो हमारी इंडियन एयरलाइन्स विदेश में जाती है, उससे निकाला। उस हैड में यह रकम डाल दी। उसके बाद पूरा इनपुट टोटली डौमैस्टिक सैक्टर में 705 करोड़ बचा। जब 1991 में तेल की कीमत बढ़ी तो 9% किराया इंडियन एयर लाइंस को बढ़ाना पड़ा जिससे 156 करोड़ रुपए मिले। फिर दूसरा इनक्रीज तेल की वजह से करना पड़ा 15% 1993 में जिससे 215 करोड़ रुपए मिले।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : इसका अनुमान लगाया गया है, न कि यह वास्तविक है।

श्री गुलाम नबी आजाद : नहीं, नहीं, यह वास्तविक है। मैं भविष्य के लिये अनुमान लगाने के लिए कह रहा था।

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी आजाद : और अभी जो हमने बढ़ाया है 15 से 20% उससे 190 करोड़ और बढ़ेगा। इस प्रकार से जो हमारा नैट गैप रहेगा वह 85 करोड़ रहेगा 866 करोड़ में से अब हम अगले साल एस्टीमेंट कर रहे हैं कि यह 85 करोड़ रहेगा।

[अनुवाद]

श्री उमराव सिंह : क्या एअर इंडिया का चार्टड उड़ानें आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो क्या उसका किराया वही होगा अथवा उन्हें कम किया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी गई है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, सादगी एक सद्गुण है। लेकिन जवाब जिम्मेवारी के साथ दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप यह पूछ सकते हैं कि हम भारत में हवाई किरायों की तुलना अन्य देशों के हवाई-किरायों से कैसे कर सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं इसे जवाब में जानने की कोशिश कर रहा हूं। पहले दिए गए आंकड़े भी अनुमानित आंकड़े हैं। आपको इस बारे में क्षमाप्रार्थी होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राजस्व में कुल वृद्धि अनेक कारणों से हो सकती है। एक अनुमान लगाना होगा कि किराए बढ़ने के कारण कितनी वृद्धि हुई है।

श्री जसवंत सिंह : यहाँ डॉलर की समानता है। .....**(व्यवधान)**.....

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह, एक बात है। लेकिन, इसके साथ ही, दूसरे पैराग्राफ में दिए गए जवाब के बारे में मैंने कहा था कि यह सादगी है न कि एक जिम्मेवार जवाब है। एयर इण्डिया के मामले में किराए में वृद्धि के कारण अर्जित राजस्व की गणना करना सम्भव नहीं है। ऐसा क्यों है दिया गया यह एक गैर-जिम्मेदाराना जवाब है। यह बहुत सीधा जवाब है। यदि उनको इन आंकड़ों की आवश्यकता थी तो वे इस सूचना के लिए वित्त मंत्री से परामर्श कर सकते हैं। यह प्रश्न का एक भाग है और मैं इसका उत्तर चाहता हूं। एक अन्य बात, जिस पर कि मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह यह है कि बाजार मनोविज्ञान इतना अधिक प्रबल है, यहां तक कि इस विभाग में भी किरायों में वृद्धि करते हुए, चालू वर्ष के लिए 10 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि का उल्लेख किया गया है। यह सब बाजार पर नियंत्रण रखने वाली शक्तियों के कारण है। वह यह है कि चार मैट्रो केन्द्रों में यह वृद्धि 10 प्रतिशत है और उन क्षेत्रों में, जिनको हम मुख्य लाइन के साथ जोड़ना चाहते हैं, उनमें अधिकतर क्षेत्रों में, यह किराया वृद्धि कभी 15 प्रतिशत होती है तो कभी 20 प्रतिशत तक अब अण्डमान, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र को मैट्रो केन्द्रों अर्थात् चार महानगरों से जोड़ने के लिए 10 प्रतिशत वृद्धि की गई है। यह ऐसा दृष्टिकोण है जो कि देश की एकता के लिए स्वीकार्य नहीं है।

क्या मंत्री महोदय अण्डमान, मिजोरम, नागालैंड तथा लद्दाख आदि के लिए किराये में की जाने वाली वृद्धि पर पुर्नविचार करेंगे और इसे महानगरों के लिए की जाने वाली वृद्धि से भी कम रखेंगे ? क्या आप इस

बात से सहमत होंगे कि किरायों में 16 प्रतिशत की बजाए 10 प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए ताकि अधिक यात्री इनमें जा सकें ?

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, पहले मुझे माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न के भाग (क) का उत्तर देने दीजिए कि किरायों में वृद्धि के बाद यदि हम इण्डियन एयर लाइन्स में अर्जित राजस्व की गणना कर सकते हैं तो एअर इण्डिया में अर्जित राजस्व की गणना क्यों नहीं कर सकते हैं। कारण बहुत सीधा है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कारण बताए जा चुके हैं, यह बहुत सीधा है। यह स्वीकार्य नहीं है।

श्री गुलाम नबी आजाद : इसका उल्लेख नहीं किया गया है। मैं भी उतना ही जानता था, जितना कि आप इण्डियन एयर लाइन्स के मामले में यात्रियों को उस तारीख से नए किराए अदा करने पड़ रहे हैं जिस तारीख से उन्हें लागू किया गया है। मान लीजिए कि उन्हें 1 अप्रैल से लागू किया गया है और यदि आप के पास जनवरी के महीने में खरीदा गया टिकट है फिर भी आपको 1 अप्रैल से अतिरिक्त किराया अदा करना पड़ेगा। जबकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में, नै केवल एअर-इंडिया में बल्कि अन्य सभी एअर-लाइन्स में भी यदि आप के पास एक साल पहले खरीदा हुआ अधिकृत टिकट है तो आप पिछले वर्ष का ही किराया अदा करेंगे न कि नया किराया। इसलिए यह बहुत कठिन है। अन्तर्राष्ट्रीय एअर लाइन्स में लोग सीधे काउन्टर से जाकर टिकट नहीं खरीदते हैं बल्कि लोग छः महीने, पांच महीने पहले टिकट खरीद लेते हैं। हम कुछ इस तरह से आंकड़े नहीं देना चाहते हैं।

महोदय, जहां तक कि प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, मैं यह कहूंगा कि इण्डियन एयर-लाइन्स द्वारा आन्तरिक अध्ययन किया गया था। जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय जानते हैं वह स्वयं भी एक सकल नागर-विमानन मंत्री रहे हैं–जहां तक कि लम्बी दूरी का संबंध है, लम्बी दूरी में ईंधन की खपत बहुत कम होती है। 33 घटकों पर कुल निवेश में सबसे अधिक निवेश ईंधन पर होता है। कम दूरी में, शीघ्र अवतरण और उड़ान भरने के कारण ईंधन की खपत अधिक होती है। इसलिए, इस आधार पर, दो रिपोर्टें हैं। इनमें से एक है केलकर रिपोर्ट, जो कि 1989 में योजना आयोग द्वारा तैयार की गई थी।

श्री जसवन्त सिंह : मैं हस्तक्षेप के लिए क्षमा चाहता हूं। लम्बी दूरी के लिए प्रति व्यक्ति लागत कम पड़ती है। आप लम्बी दूरी के लिए कड़ाई से इसका पालन क्यों नहीं करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, एक आन्तरिक अध्ययन किया गया था, और उस अध्ययन के आधार पर निवेश को ध्यान में रखते हुए कम दूरी के किरायों में 45 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। मध्यम दूरी के लिए किरायों में 35 प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए। लम्बी दूरी के लिए किरायों में 15 से 16 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। जबकि कम और मध्यम दूरी की निवेश लागत 45 प्रतिशत और 35 प्रतिशत तक बढ़ गई है, हमने किरायों में केवल 20 प्रतिशत की वृद्धि की है जो कि लगभग आधी है। जहां तक कि लम्बी दूरी का संबंध है, किराए 15 से 16 प्रतिशत तक बढ़ने चाहिए लेकिन हमने 10 प्रतिशत तक की वृद्धि की है। मैं यह दोहराऊंगा कि हमने इन सब बातों का ध्यान रखा है और इस तथ्य के बावजूद कि कम और मध्यम दूरी के लिए किरायों में 45 प्रतिशत

और 35 प्रतिशत की वृद्धि होनी थी हमने केवल 20 प्रतिशत वृद्धि की है। अब, प्रश्न उत्तर-पूर्व राज्यों जैसे अण्डमान तथा निकोबार और लद्दाख के संबंध में उठाया गया था। हमने इनका भी ध्यान रखा है। राष्ट्रीय एकता के पहलू को ध्यान में रखते हुए, लेह, पोर्टब्लेयर और उत्तर-पूर्व जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों में किये गये 20 प्रतिशत किराया वृद्धि की अपेक्षा केवल 16 प्रतिशत किराया वृद्धि की गई है ?

श्री शरद दिघे : अध्यक्ष महोदय समय-समय पर किराये में वृद्धि के कारण बताते हुए माननीय मंत्री ने पिछले चार-पांच वर्षों में एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स दोनों के ही किराये में वृद्धि के आम कारणों का भी उल्लेख किया है। मैं विशेष रूप से 10 महीने की छोटी सी समयावधि अर्थात् सितम्बर, 1993 से जुलाई, 1994 के बीच इंडियन एयरलाइन्स द्वारा घरेलू उड़ानों के किराये में 10 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि के कारणों को जानना चाहूंगा। इस विशिष्ट अवधि के दौरान ऐसे कौन से कारण उत्पन्न हो गये थे जिन्होंने सरकार को इन घरेलू उड़ानों के किराये में वृद्धि करने के लिए बाध्य कर दिया ?

अध्यक्ष महोदय : दीघे जी, उन्होंने सभी कारण बताते हुए इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से दे दिया है।

श्री शरद दिघे : जी नहीं, महोदय। उन्होंने इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया दोनों के नाम कारणों का उल्लेख किया है और वह भी पिछले पांच वर्ष की अवधि तक मैं इंडियन एयरलाइन्स की घरेलू उड़ानों और विशेष रूप से दस महीने की इस छोटी सी अवधि के दौरान हुई किराया-वृद्धि के कारण जानना चाहता हू।

दूसरे, सरकार की इच्छा इस सुविधा को केवल कार्याधिकारियों, जो अपनी कंपनियों के माध्यम से भुगतान करते हैं तथा उन सरकारी अधिकारियों जो सरकारी राजकोष के माध्यम से भुगतान करते हैं, के लिए ही आरक्षित करना नहीं बल्कि आम नागरिकों को भी यह सुविधा प्रदान करना है। क्या यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकांर की यातायात की सुविधा आम आदमी को भी उपलब्ध कराई जाये।

श्री गुलाब नबी आजाद : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि निवेश की लागत 866 करोड़ रुपये तक बढ़ गई है। अब इस नुकसान की भरपांई एक ही बार किराए में वृद्धि करके करना संभव नहीं है। इसे धीरे-धीरे ही पूरा करना होगा। इसी कारण 1991 में किरायों में वृद्धि की गई थी और पुनः, 1993 में भी वृद्धि की गई थी। दो बार वृद्धि किये जाने के बावजूद भी कुल अन्तर 275 करोड़ रुपये का था। इस अन्तर को पूरा करने के लिए हमें एक बार और वृद्धि करनी पड़ी और इस वृद्धि के साथ ही यह अन्तर कम होकर केवल 85 करोड़ रुपये रह गया।

श्री इन्द्र जीत : अध्यक्ष महोदय, खुला आकाश नीति से हवाई-यात्रियों को और बेहतर सुविधायें मिलने की उम्मीद थी। मुझे खुशी है कि इसने कम से कम एक उद्देश्य तो प्राप्त कर लिया। अधिकांश उड़ानें अब समय पर चलती हैं। हवाई-सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। अब इंडियन एयरलाइन्स में भी सुधार हो गया है।

लेकिन, महोदय, दूसरी बात जिसकी हमें उम्मीद थी वह यह थी कि इस प्रतियोगिता से हमें हवाई-भाड़े में कमी करने में मदद मिलेगी। किस सीमा तक हमारी यह आशा उचित थी ? क्या इस प्रतिस्पर्धा से हमें किराये कम होने का कोई फायदा होने वाला है ?

श्री गुलाम नबी आजाद : जैसा कि पहले कहा जा चुका है, निवेश घटकों की लागत बहुत तेजी से अर्थात् 650 प्रतिशत, 121 प्रतिशत, 200 प्रतिशत, 300 प्रतिशत और इसी प्रकार तेजी से बढ़ रही है। सारे विश्व में निवेश का सामान बहुत महंगा है। जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है, केवल हमारे देश में ही किरायों में वृद्धि नहीं की गई है। वस्तुत: जहां तक भारत का संबंध है, हमारे किराये विश्व में सबसे कम हैं। मैं अपने देश के किरायों की तुलना पाकिस्तान, मलेशिया तथा इंडोनेशिया इत्यादि देशों के किराये से करता हूं। कराची और लाहौर के बीच की दूरी 1013 किलोमीटर है और किराया 4391 रुपये है अर्थात् 4,400 के लगभग है।

श्री जसवन्त सिंह : यह डालर में है या रुपये में ?

श्री गुलाम नबी आजाद : यह डालर को रुपये में परिवर्तित करके है।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष जी, मुझे खेद है, मैं सिर्फ दो प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। अगला प्रश्न आपके द्वारा किया जा सकता है।

श्री गुलाम नबी आजाद : अत: 1013 किलोमीटर की दूरी के लिए किराया लगभग 4,400 रुपये है। जबकि भारत में मुम्बई तथा कोयम्बत्तूर के बीच इतनी ही दूरी है बल्कि इससे भी 3-4 किलोमीटर की अधिक है, जो 1018 किलोमीटर है, परन्तु 2,600 रुपये किराया है।

अब मैं इंडोनेशिया की बात करूंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : विदेशी एयरलाइनों की ?

श्री गुलाम नबी आजाद : जी नहीं, जी नहीं, यह घरेलू उड़ानों के बारे में है। अब मैं शायद सही नाम न पढ़ सकूंगा, यह बालिक पपन तथा सेमारंग है। इन दो शहरों के बीच की दूरी 960 किलोमीटर है। अगर हम मुम्बई और कालीकट के बीच की दूरी, जो संयोग से उतनी ही अर्थात् 960 किलोमीटर ही है, वहां किराया 3,100 रुपये है और यहां यह 2,700 रुपये है।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रश्न बहुत संक्षेप में रखूंगा। इसके दो पहलू हैं। इसमें दो बातें हैं। मंत्री महोदय ने किराये में वृद्धि के बारे में जो स्पष्टीकरण दिया है, उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कम दूरी के लिए 45 प्रतिशत से कम और लम्बी दूरी के लिए 7 प्रतिशत किया जाना चाहिये लेकिन उन्होंने उसे पूर्ण विभाजित अंकों में ही कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि कम दूरी की उड़ानों से लम्बी दूरी की उड़ानों से सहायता की जा रही है। अगर आप त्रिवेन्द्रम से कलकत्ता की हवाई यात्रा करें तो यह देश की लम्बी उड़ानों में से सबसे अधिक लम्बी दूरी की उड़ान है। जैसाकि माननीय मंत्री ने बताया है यह केवल संवेदनशील क्षेत्रों का ही प्रश्न नहीं है बल्कि यह प्रति किलोमीटर लागत के सिद्धान्त का प्रश्न है। अगर प्रति किलोमीटर लागत में 33 आदान हों तो लम्बी दूरी की उड़ानों में इन आदानों की संख्या उतनी ही रखने पर ईंधन पर आने वाली लागत काफी कम हो जाती है। मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि सरकार लम्बी दूरी की हवाई उड़ानों पर छोटी दूरी की उड़ानों को सहायता देने के लिए यह कदम क्यों उठा रही है।

महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न किराये में वृद्धि के कारणों में से एक कारण डॉलर से समतुल्यता से संबंधित है। और अगर यह समतुल्यता ही है, तब इस कीमत वृद्धि से कितना अवमूल्यन हुआ है ?

श्री गुलाम नबी आजाद : उसे मैं एक उदाहरण के तौर पर पेश कर रहा था। हमारे देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में किराये बहुत अधिक हैं। यह तो मात्र तुलना थी। यह उत्तर का कोई भाग नहीं है। मैं केवल तुलना ही कर रहा था।

एक अन्य बात, जो आपने कही है, उस सम्बन्ध में बांयी ओर तथा दांयी मेरे ओर बैठे हुए मित्रों में विरोध है। ऐसा प्रतीत होता है। वे चाहते हैं कि कम दूरी के लिए और अधिक सहायता होनी चाहिये और आप इसके बिल्कुल विपरीत कह रहे हैं कि कोई सहायता नहीं दी जानी चाहिये। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एक क्षेत्र के लिए प्रदान की गई सहायता को दूसरे क्षेत्र के लिए नहीं दिया जाना चाहिये। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति और राष्ट्रीय अखण्डता के महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्रास-सब्सिडी की नीति का पालन किया जाता है। अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों अथवा लद्दाख अथवा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के किराये में 45 प्रतिशत की वृद्धि करें तो इससे इन दूर-दराज के क्षेत्रों में लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। हम ऐसा नहीं करना चाहते। अतः, मेरे विचार में, देश की एकता और अखण्डता को ध्यान में रखते हुए अगर हम थोड़ा सा बलिदान भी करें तो माननीय सदस्यगण इसकी प्रशंसा करेंगे।

श्री सन्त राम सिंगला : महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या एयर इंडिया द्वारा हवाई किराये में वृद्धि के कारण होने वाली अतिरिक्त अनुमानित आय का इंडियन एयरलाइन्स की तुलना में कोई लेखा-जोखा नहीं रखा जाता। इसके क्या कारण हैं और एयर इंडिया की आय बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया। शायद मंत्री महोदय भी नहीं समझ पाए होंगे। क्या आप इसे दोहराएंगे ?

श्री सन्त राम सिंगला : अध्यक्ष महोदय, हवाई किरायों में वृद्धि होने के कारण एयर इंडिया ने इंडियन एयर लाइन्स की तुलना में अतिरिक्त अनुमानित आय का कोई लेखा जोखा नहीं लगाया। क्या कारण हैं तथा एयर इंडिया द्वारा आय की वृद्धि के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं इस प्रश्न का जवाब पहले ही दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स दोनों अलग-अलग हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय माननीय सदस्य कह रहे हैं कि किराये में वृद्धि के बाद से हमें अत्यधिक आय हो रही है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि एयरइंडिया के मामले में किसी व्यक्ति को एक वर्ष या छह महीने पहले ही टिकटें खरीदनी पड़ती हैं। अतः, उस, उस प्रश्न का जवाब पहले ही दिया जा चुका है।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के 'ख' भाग के उत्तर में कहा गया है कि इंडियन एयरलाइन्स के किराए में वृद्धि हुई है, इसके फलस्वरूप उड़ानों में यात्रा करने वालों की संख्या में कमी नहीं आई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं, वायुदूत को क्या इंडियन एयरलाइन्स में मर्ज कर दिया है ? अगर कर दिया है। तो जूनागढ़ में एक ही एयरपोर्ट है और वह भी कितने समय से बन्द कर दिया गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न अस्वीकार करने वाला हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : मैं यह जानना चाहती हूं, वायुदूत में किराया बढ़ाने से बन्द हुआ है या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री पी॰ सी॰ चाक्को : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने घरेलू विमान किराये में वृद्धि के पीछे औचित्य को स्पष्ट किया है। मुझे यह देखकर बेहद प्रसन्नता हो रही है कि लम्बी दूरी की यात्रा के क्षेत्र में सरकार ने किराये में दस प्रतिशत वृद्धि की है। हम दिल्ली से त्रिवेन्द्रम यात्रा करते हैं जोकि लम्बी दूरी के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। मंत्री महोदय ने काफी सन्तोषजनक उत्तर दिया है लेकिन इसके साथ साथ इससे इस बात का भी पता चलता है कि किराये वृद्धि में विसंगति है। दिल्ली में त्रिवेन्द्रम का किराया 22 प्रतिशत बढ़ाया गया है। मेरे विचार से सरकार का ऐसा इरादा नहीं था। क्या सरकार लम्बी दूरी क्षेत्र में विमान किराये में की गई वृद्धि की जांच करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इन्होंने पहले भी इस प्रश्न का उत्तर दिया है।

श्री पी॰ सी॰ चाक्को : जी नहीं, महोदय। मंत्री महोदय ने कहा है कि लम्बी यात्रा के क्षेत्र में किराये में 10 प्रतिशत वृद्धि की गई है। दिल्ली से त्रिवेन्द्रम का किराया 5000/- रुपया हुआ करता था और अब इसे बढ़ाकर 6000/- रुपये कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप देश को एकजुट भी तो रखना चाहते हैं।

.....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री पी॰ सी॰ चाक्को : महोदय, लम्बी दूरी की यात्रा के क्षेत्र में विमान किराये में की गई वृद्धि में विसंगति है। लम्बी दूरी की यात्रा के क्षेत्र में 20 प्रतिशत वृद्धि की गई है।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं उसका उत्तर देता हूं। दुर्भाग्यवश, दिल्ली से त्रिवेन्द्रम यात्रा करते समय हम लम्बी दूरी की यात्रा के क्षेत्र में नहीं आते। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक टैक्सी पहले मुम्बई अथवा कोचीन जाती है और उसके बाद त्रिवेन्द्रम जाती है। अत: यह थोड़ी दूरी की यात्रा का क्षेत्र बन जाता है। यदि हम दिल्ली से त्रिवेन्द्रम सीधी उड़ान भरते हैं तो इसे लम्बी दूरी की यात्रा का क्षेत्र समझा जाता है।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि

***364. श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विचार उनके कब्जे में अप्रयुक्त पड़ी भूमि का वाणिज्यिक उपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्राधिकरणों की भूमि का कुल कितना क्षेत्र अप्रयुक्त पड़ा है; और

(घ) भूमि के कितने क्षेत्र को इस योजना के अंतर्गत उपयोग में लाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (घ) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण दोनों ने अपनी कुछ भूमि का, जिसका अब तक उपयोग नहीं किया जा रहा है, विमानन और पर्यटन से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए उपयोग करने का सिद्धान्त रूप से निर्णय लिया है। तथापि, अभी तक किसी भी प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिए जाने के बाद ही ऐसी भूमि के ठीक-ठीक क्षेत्रफल का पता चलेगा।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने वर्षों के बाद भी जबकि अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को एक करने के बाद भी हम यह तय नहीं कर पाए हैं कि हमारी अनुपयुक्त जमीन दस एकड़ है, सौ एकड़ है या एक हजार एकड़ है। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही ऐसी भूमि के ठीक-ठीक क्षेत्रफल का पता लगेगा। वास्तव में स्थिति यह है कि आप किसी भी हवाई अड्डे पर चले जाइए, तो वहां पर अनधिकृत कब्जे हैं और यह समस्या निरन्तर सामने आ रही है। यह समस्या चाहे महानगर में हो या कहीं और, लेकिन उसके बाद भी हम तय नहीं कर पाए हैं कि...

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री संतोष कुमार गंगवार : मेरा प्रश्न यह है, जैसा कि मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि ऐसी भूमि के ठीक-ठीक क्षेत्रफल का पता लगेगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, निश्चित अवधि के अन्दर मंत्रालय यह सुनिश्चित करें कि उसके पास कितनी भूमि है और कितनी भूमि पर निर्माण कार्य हुआ है और कितनी भूमि अनुपयुक्त है ?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपके पास इसके बारे में जानकारी है कि कितने उपयोग में हैं, कितने नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, जितनी जल्दी हो सकेगा, हम कोशिश करेंगे।

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदय, मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है कि बहुत जल्दी हवाई अड्डों को निजीकरण क्षेत्र में दिए जाने की बात है तो इस संबंध में सरकार ने क्या फैसला लिया है ? क्योंकि सरकार ने दो बातें कहीं हैं, सरकार ने सिद्धांत रूप में तय कर लिया है कि इस भूमि का वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए उपयोग लिया जाएगा, तो वाणिज्यिक गतिविधियां किस रूप में होगी ? क्या वहां पर आप आवास बनाएंगे, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे या किसी को लीज पर देंगे ? आप जब प्राइवेट करने जा रहे हैं तो उस अनुपयुक्त भूमि को किस प्रकार से प्राइवेटाजेशन करने के बाद लोगों के हाथ में देंगे या अपने पास में रखेंगे ? इसका किस हिसाब से अंतिम निस्तारण करेंगे ? इसके साथ ही यह भी बताएं कि जो एनक्रोचड भूमि है उसको हटाने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री गुलाम नबी आजाद : अध्यक्ष महोदय, हमने, सरकार ने एयरपोर्टस प्राइवेट, यह कभी नहीं कहा है। अभी तक तो नहीं कहा है। **.....(व्यवधान).....**

[अनुवाद]

ऐसा नहीं किया जा रहा। वे मौजूदा एयरपोर्टस के बारे में बात कर रहे हैं। जहां तक मौजूदा एयरपोर्टस का संबंध है . . . . . .

श्री संतोष कुमार गंगवार : इसमें लिखा है कि सरकार एयरपोर्टस के निजीकरण पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी आजाद : अभी तक जो हमारे पास एयरपोर्टस हैं, नेशनल एयरपोर्ट अथोरिटी या इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथोरिटी के जितने भी एयरपोर्टस हैं इनमें सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है कि किसी भी एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज कर लिया जाएगा। अलबत्ता हमने यह नीति बनाई है कि नये एयरपोर्ट के लिए उस जगह नहीं वहां से बिल्कुल हट कर, अगर कोई दूसरा एयरपोर्ट बनाएं जैसे अभी कोचीन और बंगलौर में बनाया जा रहा है उसके लिए सरकार ने अनुमति दी है कि वे बना लें।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप मौजूदा एयरपोर्टस को बंद करना चाहते हैं। **.....(व्यवधान)....**

[हिन्दी]

श्री सन्तोष कुमार गंगवार : महोदय, जो भूमि एनक्रोचड है उसके बारे में आपने जवाब नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने जवाब दे दिया है। आपको लिख कर भेज देंगे।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज डी॰ चव्हाण : देश में जो नागर विमानपत्तन हैं, वे विमानपतन प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन

हैं। लेकिन विमानपत्तन प्राधिकरण इन सभी विमानपत्तनों को पूरी तरह से विकसित करने की स्थिति में नहीं है। महोदय, जैसाकि आप जानते हैं, विमानपत्तनों का विकास इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास से काफी निकट से जुड़ा है। बहुत सी राज्य सरकारों ने मंत्रालय को लिखा है कि मूलरूप से राज्य सरकारों द्वारा जिस भूमि का अधिग्रहण किया गया था और जिसे विमानपत्तनों का विकास करने के लिए केन्द्र सरकार को दिया गया था, उसे वापस कर दिया जाये लेकिन केन्द्रीय सरकार मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं कर पायी है। क्या केन्द्र सरकार विमानपत्तनों के लिये अधिगृहित की गई भूमि को राज्य सरकारों को वापस करने पर विचार करेगी, यदि ऐसा करने के लिए इससे अनुरोध किया जाए।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान महाराष्ट्र में कोल्हापुर विमानपत्तन के विशिष्ट मामले की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसके बारे में राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को भूमि वापस करने के बारे में लिखा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस पर केन्द्र सरकार की नीति क्या है।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, यह तो उलट बात है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को लिखा है कि इन विमानपत्तनों को वापिस लिया जाये क्योंकि हम इनका प्रबन्धन नहीं कर सकते और हमें महाराष्ट्र राज्य को विमानपत्तन लौटाने में प्रसन्नता होगी।

श्री अमल दत्त : विश्व के अन्य भागों में जहां पर भूमि शायद इतनी ज्यादा नहीं है, विमानपत्तन की भूमि का काफी लाभप्रद वाणिज्यिक प्रयोग किया जाता है। यदि विदेश में जाकर किसी विमानपत्तन को देखा जाये तो वह प्रथम दृष्टि में तो वहां कि बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट स्येर लगता है इनकी तुलना में भारतीय विमानपत्तनों की अन्तर्राष्ट्रीय शाखाएं, वास्तव में बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। मैं नहीं जानता कि अभी तक इन्हें विकसित क्यों नहीं किया गया। अत: मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या इस वाणिज्यिक विकास से पर्यटन को भी आकर्षित किया जा सकेगा और इन दोनों को मिलाने से ऐसा हो सकेगा। क्या, कम से कम, अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों को विकसित करने की कोई योजनाएं हैं–यहां तक कि राष्ट्रीय विमानपत्तनों को भी इसी तरह विकसित किया जा सकता है–और इस बारे में सरकार की क्या योजनाएं हैं ? यह तो भाग (क) हुआ।

दूसरी बात यह है कि मंत्री महोदय ने उत्तर में यह कहा है भूमि आदि के सही मूल्य का केवल तभी पता चलेगा जबकि भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। हुआ यह है कि जहां तक कलकत्ता विमानपत्तन का संबंध है, अभी तक प्रयोग में न लायी गई काफी अधिक भूमि के विकास के लिये एक योजना मंत्रालय को काफी समय पहले प्रस्तुत की गई है और मंत्रालय द्वारा इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।

इससे नये टर्मिनल भवन, जोकि कुछ ही माह में शुरू हो सकता है, के उद्घाटन का कार्य बाधित हो जाएगा। यदि मंत्रालय भूमि के उचित आवंटन, यहां तक कि बस टर्मिनल आदि के संबंध में कोई निर्णय नहीं लेता तो इससे नये टर्निल का उद्घाटन का कार्य अवरुद्ध हो जायेगा जोकि विगतचार वर्षों से निर्माणधीन है। मंत्री महोदय को इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहिये।

श्री गुलाम नबी आजाद : जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के प्रथम भाग का संबंध है, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं कि दुनिया के अन्य भागों में विमानपत्तन के समीप अप्रयुक्त भूमि को पूर्णतया उपयोग में लाया गया है। जहां तक हमारे देश का संबंध है, दुर्भाग्यवश हम अभी तक ऐसा नहीं कर पाये हैं। हम ऐसा करने की सोच रहे हैं। इसलिये मैंने कहा है कि होटलों और मोटलों के निर्माण के लिये अनेक स्थानों पर भूमि पहले से ही आवंटित की जा चुकी है।

जहां तक दिल्ली में गोल्फ कोर्स शुरू करने का संबंध है, तेल कम्पनियों के लिये भूमि का प्रावधान करना, शांपिग प्लाजा, मनोरंजन केन्द्र कार पार्किंग तथा अन्य यात्री सुविधाओं जिनमें विभिन्न स्थानों पर किराये की कारों का उपलब्ध होना आदि बातों का संबंध है, हम ऐसा करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ऐसे स्थानों का पता लगा रहे हैं और विभिन्न राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखने, उनसे मुलाकात करने और उनसे बात करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से दो बार भेंट की है, एक बार दिल्ली में और दूसरी बार मुम्बई में और उनसे कहा है कि झुग्गियों को हटा दिया जाये और इन लोगों को भूमि आवंटित की जाये। **.....(व्यवधान).....**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप बातचीत करने के लिये कलकत्ता क्यों नहीं आते ? वह तो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है।

श्री गुलाम नबी आजाद : यदि राज्य सरकार आगे आती है और हमें सहायता प्रदान करती है तो हमें बेहद प्रसन्नता होगी। अत: इसके पीछे प्रयोजन यही है कि विभिन्न विमानपत्तनों पर ये सभी सुविधाएं, जिनका मैंने उल्लेख किया है, स्थापित की जायें। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण इन बातों पर विचार कर रहा है। सरकार भी इन सभी बातों को करने पर अत्यधिक उत्सुक है।

जहां तक कलकत्ता का संबंध है, मैं माननीय सदस्य को पत्र लिखूंगा।

कर्मचारियों की संख्या

***367. श्री राज नारायण :** +

श्री थोटा सुब्बा राव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न प्रशासनिक पदों की संख्या में 10 प्रतिशत की कटौती करने के निर्णय का सख्ती से पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की घोषणा के बाद से अब तक इसके अन्तर्गत कितने पद समाप्त किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा अपने सभी मंत्रालयों/विभागों में इस निर्णय का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : (क) से (ग) दिसम्बर, 1991 में राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री

द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में, सभी मंत्रालयों/विभागों को इस आशय के अनुदेश जारी किए गए थे कि वे 10% पद समाप्त करने की दृष्टि से अपने कर्मचारियों की संख्या की समीक्षा करें। इसके अलावा, अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारी संख्या में कमी करने को ध्यान में रखते हुए चुनिन्दा मंत्रालयों/विभागों के कार्यकलापों का विश्लेषण भी किया गया जिससे कि उन कार्य क्षेत्रों का पता चल सके जो सरकारी नीतियों आदि में आए उदारीकरण/परिवर्तनों के कारण अप्रचलित/अनावश्यक हो गए हैं। इसके परिणामस्वरूप लगभग 18000 पदों को समाप्त किया जा चुका है। अन्य 3500 पदों को समाप्त करने के लिए उनकी शिनाख्त कर ली गई है। समाप्त किए जाने हेतु अन्य पदों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।

[हिन्दी]

श्री राज नारायण : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में 2 तरह की जानकारी दी है। एक तो मंत्री महोदय ने कहा कि सभी मंत्रालयों को आदेश दिया गया है, फिर आगे कहा कि चुनिंदा मंत्रालयों में 10 प्रतिशत कटौती की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि ये कौंन से मंत्रालय हैं, जिनमें कटौती की गई है और जिन 18000 पदों की कटौती की गई है, उनमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या तथा अनुपात क्या है तथा इनमें क्रमशः अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के श्रेणीवार कितने कर्मचारी हैं। इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जो कटौती की गई है, उसमें क्या आरक्षण का ध्यान रखा गया है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, 1992 में सरकारी कार्यालयों में सचिव के 125 पद थे जिनमें से 17 पदों को समाप्त किया जाना था।

अपर सचिव के 99 पद थे और इनमें से 6 पदों को समाप्त किया जाना था। संयुक्त सचिव के 373 पद थे जिनमें से 52 पदों को समाप्त किया जाना था है। इस तरह से कुल 75 पदों को समाप्त किया जाना था। यह भारत सरकार के विंभिन्न मंत्रालयों और विभागों में संयुक्त सचिव और उससे उच्च स्तर के कुल पदों का आठ प्रतिशत है।

संयुक्त सचिव से निचले पदों के संबंध में कुल 15,800 पदों को समाप्त किया गया है और इसके अतिरिक्त 2,500 पदों को उनके रिक्त होने पर समाप्त करने को विचार है। लेकिन मेरे पास मंत्रालयवार ब्यौरे नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री राजनारायण : 3500 पदों को समाप्त करने के लिए उनकी शिनाख्त कर ली गई है और अन्य पदों को हटाने की जांच हो रही है, तो इसमें से कौन-कौन से ऐसे विभाग हैं जिनमें 3500 पदों की शिनाख्त की गई है ?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : मेरे पास इस संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। हम यह जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध करवा देंगे।

[हिन्दी]

श्री भेरू लाल मीणा : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा कि हम कुछ पदों को समाप्त कर रहे हैं और कुछ की छंटनी कर रहे हैं तथा कुछ पदों को हटाने के लिए जांच हो रही है। एक तरफ तो हम नई औद्योगिक नीति और रोजगार गारन्टी योजना के तहत रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ लोगों को रोजगार से हटा रहे हैं। क्या इससे देश में अन्य जगहों पर असर नहीं पड़ेगा ?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : हम इस माननीय सभा से आग्रह करते हैं कि इस तरह से देश में रोजगार के अवसर पैदा करना वेतन पर होने वाले सरकारी व्यय को बढ़ाना नहीं है। वास्तव में हम उसी राशि से निजी क्षेत्र में रोजगार के बहुत अधिक अवसर पैदा कर सकते हैं। एक व्यक्ति को सरकारी सेवा में नियोजित करने की लागत रोजगार का एक अवसर पैदा करने की लागत से बहुत अधिक है। अत: सरकारी रोजगार को उस सीमा तक कम कर दिया गया है जो कि सरकार कार्य दक्षता से चलाने के लिए आवश्यक हैं। यदि इसके परिणामस्वरूप होने वाली को रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अन्यत्र लगाया जाता है तो वह देश अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

[हिन्दी]

श्री राम निहोर राय : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कुछ पदों को समाप्त करने की बात कही। लेकिन राजनारायण जी ने जो प्रश्न किया था कि इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के कितने पदों को समाप्त किया गया है, इसका उत्तर नहीं दिया। पूरे देश में अनुसूचित जाति और जनजाति का कोटा पूरा नहीं भरा गया है, क्या मंत्री महोदय इस कोटे को पूरा करने पर विचार करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पदों के आरक्षण के संबंध में किए गए वायदे को पूरा करना है। समाप्त किये गये पद उचित हैं। कार्यात्मक आवश्यकता की दृष्टि से मानदण्ड यह नहीं है कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति पद पर है या नहीं। वास्तविक मानदण्ड यह है कि क्या पद कार्यात्मक आवश्यकता के लिए औचित्यपूर्ण है या नहीं।

अत: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति के साथ भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम निहोर राय : अनुसूचित जाति और जनजाति का कोटा पूरा नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है ?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है।

[हिन्दी]

श्री कालकादास : जिन विभागों में आपने छंटनी की है, क्या वहां पर यह अंदाजा लगाया गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति का कोटा पूरा हुआ है या नहीं हुआ है ? वहां उनको पदों से न निकाला जाये। पहंले ही कोटा पूरा नहीं हुआ है और अगर निकालने की बात आयी तो अनुसूचित जाति के लोग ही आयेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि सरकार की जो नीति बनी है कि बैकलाग पूरा करना है, उसके विरुद्ध होगा। जैसा कि दोनों माननीय सदस्यों ने पूछा है कि जहां 18 हजार लोगों की छटनी की गयी है, उन विभागों में देखा गया है और इसलिये यह कहा गया है कि वहां पर बैकलाग पूरा किया जाये और अनूसूचित जाति या क्लास के लोगों को न निकाला जाये।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि जब किसी पद को समाप्त किया जाता है, उस समय मूल्यांकन करने का वास्तविक मानदण्ड यह है कि क्या उस पद को बनाए रखने का औचित्य है या नहीं। यदि अनुसूचित जाति का व्यक्ति पद पर है–यह छंटनी करने की नीति नहीं है–तो उसे पुन: तैनात किया जाएगा, उसे किसी और विभाग में नौकरी दी जाएगी। अत: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों के साथ भेदभाव करने के लिए इस नीति को उपयोग में लाए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी का कहना है कि पद को समाप्त किया जाएगा और अनुसूचित जाति के अधिकारी की छंटनी नहीं की जाएगी।

अब श्री बसुदेव आचार्य जी बोलेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, वैगनों की अत्यधिक कमी है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रश्न पर बात कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह शून्य काल है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी "प्रश्न काल समाप्त हुआ" नहीं कहा है।

अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रबड़ बागान

***363. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पारम्परिक क्षेत्रों और अपारम्परिक क्षेत्रों में रबड़ बागान लगाने की कोई परियोजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विशेषकर उड़ीसा में, रबड़ की खेती के विकास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) रबड़ बोर्ड देश के परम्परागत क्षेत्रों और गैर परम्परागत क्षेत्रों दोनों में ही रबड़ की खेती के विकास और विस्तार के लिए रबड़ विकास स्कीम को कार्यान्वित करता रहा है। इस परियोजना की प्रमुख बातों में निम्नलिखित तथ्य शामिल हैं :–

(1) रबड़ उपजकर्त्ताओं को तकनीकी, मैटिरियल और वित्तीय सहायता देना;

(2) केरल और तमिलनाडु के परम्परागत क्षेत्रों के विद्यमान पुराने, अलाभकारी बागानों के आधुनिकीकरण के लिए रबड़ उपजकर्त्ताओं को सहायता में अधिक उपज वाले पौधे लगाना शामिल है। साथ ही नये पौधे लगाकर क्षेत्र विस्तार के लिए भी सहायता दी जाती है।

(3) गैर परम्परागत क्षेत्रों में नये बागान लगाने के लिए सहायता। उड़ीसा सहित देश के अन्य भागों में रबड़ की खेती के विकास के लिए सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह शामिल है :–

(क) रुपया 8000/- प्रति हैक्टेयर की दर से पौध रोपण अनुदान– यह अनुदान 7 वार्षिक किश्तों में दिया जाता है तथा परम्परागत क्षेत्रों में 2 हैक्टेयर तक और गैर परम्परागत क्षेत्रों में 5 हैक्टेयर तक सीमित है।

(ख) इसके अलावा सामान्य वर्ग के उपजकर्त्ताओं को पौली-बैग पौधे लगाने के लिए रु० 3000/- प्रति हैक्टेयर का अतिरिक्त प्रोत्साहन और अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उपजकर्त्ताओं को रु० 4000/- प्रति हैक्टेयर की दर से अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है।

(ग) गैर परम्परागत क्षेत्रों में रबड़ उपजकर्त्ताओं को अतिरिक्त सहायता दी जाती है जो 5 हैक्टेयर तक सीमित है। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं :–

(1) सामान्य वर्ग के तथा अ० जा०/अजजा० वर्गों के उपजकर्त्ताओं को अपेक्षित पौली-बैग और पौधे रियायती/राज सहायता प्राप्त दरों पर सप्लाई करना;

(2) नये रबड़ पौधों के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए सामान्य वर्गों के उपजकर्त्ताओं को रु० 1,000/- से रु० 1,500/- प्रति हैक्टेयर की दर से तथा अ० जा०/अ० ज० जा० वर्ग के उपजकर्त्ताओं को रु० 2,200/- से रु० 4,000/- प्रति हैक्टेयर की दर से वित्तीय सहायता-यह सहायता हैक्टेयर क्षेत्र पर निर्भर करती है।

(3) लैटैक्स के प्रसंस्कार के लिए रोलर खरीदने हेतु रु० 1,000/- की राज सहायता और स्मोक हाऊस बनाने के लिए रु० 3,000/- की राजसहायता।

इसके अलावा, रबड़ बोर्ड 1993-94 से परम्परागत और गैर परम्परागत दोनों ही क्षेत्रों में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एक रबड़ परियोजना भी कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना की मुख्य बातों में यह तथ्य शामिल है :– (1) परम्परागत क्षेत्रों में 40,000 हैक्टेयर में पुराने और अलाभकारी रबड़ पौधों के स्थान पर नये पौधे लगाना; (2) परम्परागत और गैर-परम्परागत दोनों ही क्षेत्रों में 30,000 हैक्टेयर में नये पौधे लगाना तथा (3) परम्परागत क्षेत्रों में छोटी जोत वाले परिपक्व क्षेत्रों में 60,000 हैक्टेयर में उत्पादकता बढ़ाना।

उड़ीसा में 1986 में रबड़ बागानों के विकास के लिए एक "पूर्वी भारत रबड़ विकास परियोजना" शुरू की गई थी। इस समय उड़ीसा में रबड़ बोर्ड के 3 कार्यालय भुवनेश्वर, बाहरीपद तथा बिरहामपुर स्थानों में काम कर रहे हैं। अब तक उड़ीसा में कुल 282.21 हैक्टेयर जमीन पर रबड़ की खेती शुरू की गई है। चालू वर्ष में उड़ीसा में 25 हैक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र में रबड़ के पौधे लगाने का विचार है।

कॉफी बीज

***365. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान काफी के हल्की किस्म के बीजों का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और वर्ष 1994-95 के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि काफी के हल्की किस्म के बीजों के निर्यात के कारण घरेलू बाजार पर इसका अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के निर्यात के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) वर्ष 1993-94 में, घटिया क्वालिटी के कुल 16,675.577 टन कॉफी बीज निर्यात किए गए थे। वर्ष 1994-95 के लिए घटिया क्वालिटी के कॉफी बीजों के निर्यात का कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया है।

घरेलू बाजार में कॉफी की कीमत (जिसमें घटिया ग्रेड की कीमत भी शामिल है), अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण प्रभावित हुई है। घरेलू बाजार में घटिया ग्रेडों की कॉफी की मांग में नर्मी के कारण ही कुछ वर्ष पहले यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे ग्रेडों की कॉफी के निर्यात की अनुमति दी जाए। परन्तु घरेलू बाजार में कॉफी की कीमत में भारी वृद्धि को देखते हुए "सी" ग्रेड, बीबीबी तथा पीबेरी किस्मों की कॉफी का निर्यात अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है ताकि घरेलू बाजार में उनकी उपलब्धता बढ़ सके।

विदेशी विमान कम्पनियों के किराये

***366. डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशक ने भारत में कार्यरत विदेशी विमान कम्पनियों को किराया निर्धारित करने के मामले में वायुयान नियम, 1937 के प्रावधानों का पालन करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी विमान कम्पनियों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को इस निर्देश के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) वायुमान नियम, 1937 के प्रावधानों के अनुसार, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा यथा अनुमोदित, किरायों में परिवर्तन करने के लिए अधिकांश विदेशी एयरलाइनें सहमत हो गई हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) उपर्युक्त निदेश के विरुद्ध निम्नलिखित से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं :–

(1) दिल्ली एक्सपोर्टस एसोसिएशन

(2) कॉमन कॉज़

(3) पी॰ एच॰ पारिख एण्ड कम्पनी एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट क माध्यम से विंग कमांडर वी॰ के॰ कक्कड़ (सेवानिवृत्त)

(ङ) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा क्या अनुमोदित किराया दरें वसूल करना वायुयान नियमों के अन्तर्गत एक अनिवार्य आवश्यकता है। अत: किसी उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जा सकती।

बैंक शाखायें

***368. श्री राम कापसे :**

श्री हरिभाई पटेल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान, बैंक-वार, राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाओं क्रो बंद/विलय किया गया ;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त बैंक शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 31.3.94 को समाप्त छमाही के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की बन्द की गई/विलय की गई शाखाओं की बैंकवार संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) शाखाओं को बन्द/उनका विलय इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें अर्धक्षम बनाने के सभी प्रयास असफल हो गए और उनसे परिणाम प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है।

(ग) इन शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों को आंतरिक लेखा परीक्षा और वसूली कार्य जैसे अन्य उत्पादक कार्यों में लगाया जा रहा है।

विवरण

क्रम सं॰	बैंक का नाम	बंद की गई/विलय की गई शाखाओं की संख्या
1.	आंध्रा बैंक	1
2.	बैंक आफ इंडिया	9
3.	बैंक आफ महाराष्ट्र	11
4.	इंडियन ओवरसीज बैंक	2
5.	सिंडिकेट बैंक	8
6.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	2
		33

टिप्पणी : भूतपूर्व न्यू बैंक आफ इंडिया का विलय 4.9.93 को पंजाब नैशनल बैंक में कर दिया गया था। न्यू बैंक आफ इंडिया के विलय के परिणामस्वरूप, पंजाब नैशनल बैंक के अनुसार पिछले छः महीनों के दौरान 46 शाखाओं का विलय अन्य शाखाओं में किया गया था। इनमें से 45 शाखाएं भूतपूर्व न्यू बैंक आफ इंडिया की थी जिनका विलय पंजाब नैशनल बैंक के साथ किया गया था और एक शाखा पंजाब नैशनल बैंक की थी जिसका विलय भूतपूर्व न्यू बैंक आफ इंडिया शाखा से किया गया था।

चाय का निर्यात

***369. श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान चाय के निर्यात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक चाय का कुल कितना निर्यात किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा चाय के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) वर्ष 1994-95 में चाय के निर्यात का लक्ष्य 210 मिलियन किग्रा॰ रखा गया है जिसका मूल्य 1300 करोड़ रुपया होगा।

(ग) अप्रैल-जून, 1994 की अवधि में चाय का निर्यात 25.31 मिलियन किग्रा॰ होने का अनुमान है जिसका मूल्य 147.88 करोड़ रुपया होगा।

(घ) भारतीय चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए जो उपाय किए गए हैं उनमें चाय बोर्ड के विदेश स्थित कार्यालयों के जरिए एक-राष्ट्रीय सम्बर्धन अभियान शामिल है। इस अभियान में होने वाली कार्रवाई इस प्रकार है :-(1) व्यापार मेलों/प्रदशनियों में भाग लेना, (2) भारतीय चाय की विभिन्न अनोखी विशेषताओं के प्रति उपभोक्ताओं

में जागरूकता बढ़ाने के लिए समाचार पत्रों/संचार माध्यमों आदि में अभियान, (3) चाय बोर्ड के मार्केटिंग सिम्बल के जरिए भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाने के लिए संचार माध्यमों से अभियान तथा (4) ऐसे विभिन्न विदेशी ब्रांडों को समर्थन जिनमें भारतीय चाय रहती हो। इसके अलावा चाय बोर्ड ने युनाइटेड किंगडम में दार्जिलिंग और असम लोगो अभियान भी स्वतंत्र रूप से शुरू किया है।

समय-समय पर, चाय बोर्ड आयातकर्त्ता देशों को व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी भेजता है जिनका उद्देश्य होता है मूलभूत समस्याओं को सुलझाने और निर्यात को बढ़ाना।

[हिन्दी]

वस्त्रों का निर्यात

***370 श्री राम टहल चौधरी :** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अन्य देशों को सर्वोत्तम किस्म के वस्त्रों का निर्यात करने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन सा राज्य पैटर्न वस्त्रों की सूची में पहले स्थान पर है;

(ग) रेशमी वस्त्रों के क्षेत्र में किन-किन राज्यों को विशेषज्ञता प्राप्त है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य-वार कुल कितनी मात्रा और मूल्य के रेशम और रेशमी वस्त्रों का निर्यात किया गया ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) स्तर के परिधानों का निर्यात करने के लिए सरकार सभी राज्यों के निर्यातकों को प्रोत्साहन देती है। तथापि, इन प्रयासों का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करना नहीं है।

चूंकि वस्त्र उत्पादों का निर्यात अनिवार्य रूप से उन्हीं राज्यों से नहीं किया जाता है जिनमें उनका निर्माण किया जाता है, इसलिए निर्यात के राज्यवार आंकड़े रखना व्यवहार्य नहीं है।

(घ) अपशिष्ट रेशम सहित रेशमी उत्पादों के निर्यात का कुल मूल्य वर्ष 1991-92 में 675.57 करोड़ रू॰, वर्ष 1992-93 में 734.22 करोड़ रुपए तथा वर्ष 1993-94 में 789.26 करोड़ रू॰ था।

[अनुवाद]

आयकर आधार

***371. श्री दत्तात्रेय बंडारू :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खुदरा व्यापारियों को उनके द्वारा आयकर में योगदान किए जाने के एक सरलीकृत तरीके की पेशकश करके आयकर के आधार को व्यापक बनाने की नीति का कोई आकलन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस नीति में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) छोटे व्यापारियों के लिए पूर्वानुमानित कर-भुगतान की सरलीकृत स्कीम वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा आरंभ की गई थी।

यह स्कीम जो प्रारंभ में दो वर्षों के लिए आरंभ की गई थी, छोटे व्यापारियों की प्रतिक्रिया और इसके संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए वित्त अधिनियम, 1994 द्वारा व्यापक बनाई गई है। यद्यपि स्कीम की पुनरीक्षा की गई है परन्तु यह कितनी कारगर है यह इतनी जल्दी नहीं बताया जा सकता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंक

*372. **श्री एस॰ एम॰ लालजान बाशा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक विदेशी गैर-सरकारी बैंकों की चुनौती का सामना करने और अपनी कार्यकरण में सुधार करने के लिए प्रयासरत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कर्मचारी संघों से भी सहयोग मांगा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) विदेशी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कारण उत्पन्न प्रति-स्पर्धा का प्रभावी रूप से मुकाबला करने के लिए, राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपनी उत्पादकता, दक्षता और लाभप्रदता में सुधार करने के लिए कदम उठाए हैं। इस संबंध में की जा रही कार्रवाई के भाग के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादकता में सुधार करने और चयनित क्षेत्रों को यंत्रीकरण करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ कार्यनिष्पादन करार भी किए हैं। इसके अलावा कम्प्यूटरीकरण के प्रश्न पर भारतीय बैंक संघ और कर्मचारी यूनियनों के बीच समझौता हुआ है। समझौते के अनुसार बैंक, 750 या इससे अधिक वाउचर के दैनिक कार्यभार वाली या विशेषज्ञ शहरी/महानगरीय शाखाओं को पूर्णत: या आंशिक रूप से कम्प्यूटरीकृत कर सकेंगे।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को सहायता

*373. **श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति :**

श्री संदीपान भगवान थोरात :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक देश के कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों को वित्त प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि दी जाएगी और उसकी क्या शर्तें हैं;

(ग) क्या उदार शर्तों पर ऋण की कार्यविधि पर विचार-विमर्श करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए विश्व बैंक के विशेषज्ञों का एक दल भारत का दौरा करने के लिए सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन राष्ट्रीयकृत बैंकों को यह सहायता दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) वित्तीय क्षेत्र में विकास के लिए एक ऋण संबंधी प्रस्ताव विश्व बैंक के पास विचाराधीन है, जिसके लिए एक मूल्यांकन मिशन इस समय भारत में है। प्रदान किए जाने वाले ऋण की राशि के ब्यौरे उससे संबंधित शर्तें और जिन राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य संस्थाओं को प्रस्तावित सहायता प्रदान की जाएगी, उनके नाम विचार-विमर्शों/वार्त्ताओं के पूरा होने पर ही पता लग पाएंगे।

मसालों का निर्यात

***374. श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान प्रमुख मसालों के निर्यात संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मसालों के लिए नए बाजारों का पता लगाने हेतु कोई विशेष प्रयास किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) भूतपूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद, मसाला बोर्ड ने मसालों के लिए नई बाजारों का पता लगाने के लिए विशेष प्रयास किए थे। इसके फलस्वरूप, 1993-94 में 540.12 करोड़ रुपये मूल्य के 175532 टन मसालों का रिकार्ड निर्यात किया था। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका को मिर्च के निर्यात में भी भारी वृद्धि हुई थी और यह निर्यात 1992-93 के 39.79 करोड़ रुपये मूल्य के 12371 टन से बढ़कर 1993-94 में 82.75 करोड़ रु॰ मूल्य का 22118 टन हो गया।

दक्षिण अफ्रीका के साथ अक्टूबर, 1993 में व्यापार संबंध शुरू करने के बाद उस देश को भारी संभावनाओं वाले देश के रूप में अभिज्ञात किया गया है और हाल ही में मसालों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान भी हुआ है।

विवरण

वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान प्रमुख मसालों के निर्यात का विवरण

वस्तु	1992-93 (अ०)		1993-94 (अनु०)	
	मात्रा मी० टन में		मूल्य लाख रुपये में	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
काली मिर्च	23752	7831.31	46650	17966.95
इलायची (छोटी)	190	750.57	342	1386.35
इलायची (बड़ी)	1264	863.44	1745	1157.32
मिर्च	16886	6768.11	33450	7559.15
अदरक	9517	1655.24	17150	2158.57
हल्दी	19665	4835.83	25250	5200.00
धनिया	13644	2082.92	12750	1947.03
जीरा	2308	1344.59	3150	1537.60
अजमोदा	3138	466.98	3525	581.28
सौंफ	2936	700.73	2625	605.60
मेथी	5246	566.94	4675	681.22
अन्य बीज	1299	261.32	1885	351.32
लहसुन	7483	707.37	2610	316.65
अन्य मसाले	14133	2146.68	13650	2165.25
करी पाउडर	2834	1033.03	3650	1314.80
मिन्ट ऑयल	1263	2270.36	1155	2162.27
मसाला ओलियोरेजिन और अन्य तेल	1261	6663.05	1270	6921.08
कुल योग	**126820**	**40948.47**	**175532**	**54012.44**

(अ०) अनन्तिम (अनु०) अनुमानित

स्रोत : मसाला बोर्ड, कोचीन

[हिन्दी]

रुग्ण उद्योग

*375. **श्री नीतीश कुमार :**

श्री नवल किशोर राय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने रुग्ण उद्योगों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऋण के लिए आवेदन दिये हैं ताकि वे अर्थक्षम बन सकें;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार उपरोक्त में से कितने रुग्ण उद्योगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किये गये हैं;

(ग) उक्त अवधि में ऋण की कितनी राशि दी गई; और

(घ) रुग्ण उद्योगों को अर्थक्षम बनाने के लिये उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों से सुगमता से और समय पर ऋण दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 30.9.1992 (नवीनतम उपलब्ध) तक रुग्ण लघु औद्योगिक एककों और रुग्ण गैर-लघु औद्योगिक एककों की संख्या तथा उन पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों को बकाया ऋण निम्नलिखित था :–

	एककों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रुपए)
रुग्ण लघु उद्योग	2,28,447	3192.60
रुग्ण गैर लघु उद्योग	*2,101	6622.72

*बहुविधि बैंक वित्त के ऋणों को देखते हुए दर्शाई गई एककों की संख्या से वास्तविक स्थिति प्रकट नहीं होती है।

(घ) सम्भावित रूप से अर्थक्षम माने गए रुग्ण एककों के संबंध में पुनर्वास पैकेज तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किये हैं। पुनर्वास पैकेजों में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की विद्यमान देय राशियों का निधिकरण करना और साथ ही चरणबद्ध रूप से उसकी वापसी अदायगी की अवधि को बढ़ाना, ब्याज रियायत, नया सावधि ऋण और साथ ही नयी कार्यशील पूंजी देना शामिल है।

जहां तक गैर-लघु उद्योग रुग्ण एककों का संबंध है, रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों को रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत उपचारी और अन्य उपायों का निर्धारण करने के लिए

बाइफर को संदर्भित करना पड़ता है जो ऐसी कम्पनियों के लिए आवश्यक होता है। जहां बाइफर द्वारा किसी कम्पनी के लिए पुनर्वास योजना मंजूर कर दी जाती है, सरकारी क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्थाएं मंजूर योजना की शर्तों पर सुविधाएं प्रदान करते हैं।

निर्यातोन्मुखी एककों/निर्यात प्रसंस्करण जोनों को सुविधाएं

***376. श्री गुमान मल लोढा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा निर्यात प्रसंस्करण जोनों और निर्यातोन्मुखी एककों को निर्यात के प्रोत्साहन हेतु दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन सुविधाओं के उपयोग से वार्षिक निर्यात दर में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) यदि बहुत कम वृद्धि हुई है तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन एककों के निर्यात हेतु कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितना निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) निर्यात संसाधन जोनों और निर्यात अभिमुख यूनिटों को सरकार द्वारा उपलब्ध सुविधाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुविधाएं शामिल हैं—पूंजीगत सामान और कच्चे माल का शुल्क मुक्त आयात, देश में ही खरीदे गए पूंजीगत सामान और निवेश सामग्री के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट, केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति, पांच वर्ष के लिए कर अवकाश, अनुमोदन की क्रियाविधि और सीमाशुल्क की औपचारिकताएं सरल होना, ई ई एफ सी खाते में निर्यात से अर्जित धनराशि का अधिक भाग अर्थात् 50% की रखने की सुविधा तथा ई पी जेड यूनिटों के मामले में औद्योगिक प्लाटों और शैडों के लिए रियायती लीज किराया।

(ख), (घ) और (ङ) ई पी जेड यूनिटों के मामले में निश्चित निर्यात लक्ष्य और उनके वास्तविक निर्यात तथा निर्यात अभिमुख यूबिटों के निर्यात का पिछले तीन वर्ष का ब्यौरा नीचे दिया गया है। निर्यात अभिमुख यूनिटों के लिए लक्ष्य निश्चित नहीं किए जाते।

	ई पी जेड यूनिट		निर्यात अभिमुख यूनिट		(करोड़ रुपये में)
वर्ष	निर्यात लक्ष्य	निर्यात	ई ओ यू द्वारा निर्यात	कुल निर्यात	वृद्धि का प्रतिशत
1991-92	1108	1177.14	1045.96	2223.10	32.31
1992-93	1330	1376.31	1946.32	3322.63	49.46
1993-94	2050	1959.91	2863.37	4823.28	45.66

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास लंबित मामले

***377. श्री अर्जुन सिंह यादव :**

श्री छेदी पासवान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास स्वीकृति हेतु राज्य-वार कितने मामले लंबित हैं;

(ख) इनमें से पृथक-पृथक कितने मामले सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र से संबंधित हैं;

(ग) उक्त मामले कब से लंबित हैं; और

(घ) इन मामलों को शीघ्रता से निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि 31.7.1994 की स्थिति के अनुसार रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के 242* मामलों की जांच की जा रही थी। इन मामलों की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई और वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

वर्ष के दौरान दर्ज मामले	मामलों की संख्या
1989	5
1990	6
1991	18
1992	52
1993	60
1994	101
जोड़	242

(घ) बाइफर ने सूचित किया है कि दर्ज किए गए मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए वह निरंतर प्रयास कर रहा है। मामलों को निपटाने में लिए गए समय में निरंतर कमी आ रही है। जबकि 1987, 1988, और 1989 में दर्ज किए गए मामलों को निपटाने में 730 दिन का औसत समय लिया गया था, 1990, 1991 और 1992 में यह औसत समय 585 दिन था। वर्ष 1993 में निपटाए गए मामलों का औसत समय 165 दिन था।

---

*इसमें उपान्तिम अवस्था के 68 मामले (अर्थात् जहां मसौदा योजनायें परिचालित की गई हैं या बंद करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए है) और वे 27 मामले शामिल नहीं हैं जिनमें अदालतों द्वारा कार्यवाही स्थगित कर दी गई है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उन मामलों की सूची जिनकी बाइफर द्वारा जांच की जा रही है (31.7.94 की स्थिति)

राज्य	गैर-सरकारी क्षेत्र	सरकारी	योग
आन्ध्र प्रदेश	23	4	27
असम	0	1	1
बिहार	4	6	10
दिल्ली	2	1	3
गुजरात	15	2	17
हरियाणा	2	0	2
हिमाचल प्रदेश	4	0	4
जम्मू एवं कश्मीर	2	0	2
केरल	2	4	6
कर्नाटक	11	5	16
मध्य प्रदेश	19	2	21
महाराष्ट्र	28	6	34
उड़ीसा	3	2	5
पांडिचेरी	1	0	1
पंजाब	8	1	9
राजस्थान	9	1	10
तमिलनाडु	11	3	14
उत्तर प्रदेश	32	13	45
पश्चिम बंगाल	5	10	15
योग	**181**	**61**	**242**

[अनुवाद]

विश्व व्यापार में हिस्सा

*378. **श्री एस॰ बी॰ सिदैनाल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल विश्व निर्यात व्यापार में इस समय भारत का कितना हिस्सा है;

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान और आज तक किन-किन मदों के आयात और निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोई निर्यात-लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन निर्धारित निर्यात-लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) विश्व व्यापार के 1992 के आंकड़े उपलब्ध हैं और उपलब्ध सूचना के अनुसार इसमें भारत का भाग 0.52% होने का अनुमान है।

(ख) वर्ष 1993-94 में तथा 1994-95 की अप्रैल-मई अवधि में सं॰ रा॰ अमरीकी डालर के हिसाब से जिन मुख्य वस्तुओं/वस्तु वर्गों के निर्यात में वृद्धि हुई वे हैं; बागान, प्रसंस्कृत खाद्य, नट और बीज, समुद्री उत्पाद, अयस्क और खनिज, चमड़ा और उससे बने सामान, रसायन और समवर्गी उत्पाद, रत्न और आभूषण, खेल के सामान इलैक्ट्रानिक सामान, इंजीनियरी सामान, वस्त्र, हस्तशिल्प और कालीन। उपर्युक्त अवधियों में जिन प्रमुख वस्तुओं के आयात में वृद्धि हुई वह इस प्रकार हैं : संशिलष्ट और पुनर्निर्मित रेशे, दालें, वस्त्रों का सूत और कपड़े आदि, चमड़ा, बिजली की मशीनें छोड़कर अन्य मशीनें, धातु के निर्माण, अलौह धातुएं, अखबारी कागज, पेपर बोर्ड तथा उसके सामान, परियोजना सामान और कच्चा शिल्क।

(ग) और (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में यह व्यवस्था है कि योजना अवधि में मात्रा की दृष्टि से 13.6% प्रति वर्ष की वृद्धि होगी। योजना के अन्तिम वर्ष (1996-97) के अन्त में, 1991-92 की कीमतों के आधार पर, निर्यात सं॰ रा॰ अमरीकी डालर 33.548 बिलियन (83869 करोड़ रुपए) रहने का अनुमान है।

(ङ) और (च) निर्यात संवर्धन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। व्यापार क्षेत्रों, उद्योगपतियों और निर्यात संवर्धन संगठनों से परामर्श करके निर्यात बढ़ाने के लिए उपाय किए जाते हैं। यह केन्द्र और राज्यों के बीच एक सहयोगी प्रक्रिया भी है। निर्यात बढ़ाने के मामले में राज्यों से अधिकाधिक सहयोग लिया जा रहा है। तद्नुसार सरकार ने इस कार्य के लिए एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम "निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ई पी आई पी) योजना" है।

वर्ष 1994-95 की जिस नवीनतम अवधि के लिए व्यापार के आंकड़े उपलब्ध हैं वह अप्रैल-जून अवधि है और इसमें निर्यात सं॰ रा॰ अमरीकी डालर के हिसाब से 5614 मिलियन (17610 करोड़ रुपए) रहा। इससे 1993-94 की उसी अवधि की तुलना में डालर के हिसाब से 9.5% की वृद्धि और रुपए के किसाब से 9.6% की वृद्धि रही है।

बीमा क्षेत्र में सुधार

***379. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :**

श्री तारा सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा क्षेत्र में सुधारों संबंधी समिति की रिपोर्ट पर हाल ही में विभिन्न ग्रुपों के साथ कोई विचार-विमर्श किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर कोई दृष्टिकोण अपनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी हां। एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर श्री आर॰ एन॰ मल्होत्रा की अध्यक्षता में सरकार द्वारा नियुक्त की गयी बीमा क्षेत्र में सुधारों संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट 7 जनवरी, 1994 को प्रस्तुत कर दी थी। इसके अनुसरण में, सरकार ने इस क्षेत्र में सुधारों की मात्रा और भविष्यात्मक निदेशनों के बारे में एक व्यापक राष्ट्रीय सामंजस्य तैयार करने का अपना आशय व्यक्त किया था। बीमा उद्योग के प्रबंधकों और यूनियनों के साथ और उपभोक्ता हित के समूहों, वाणिज्य तथा उद्योग मंडल तथा शिक्षाविदों के साथ ही विचार-विमर्श किया गया। मोटे तौर पर इन विचार-विमर्शों में यूनियनों ने बीमा क्षेत्र में प्राइवेट क्षेत्र के प्रवेश, विद्यमान बीमा उद्योगों में सरकार द्वारा विनिवेश और उनके पुनर्गठन से संबंधित सिफारिशों का समर्थन नहीं किया। प्रबंधक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होने के लिए एक संक्रमण अवधि चाहते थे और उपभोक्ता हित के समूहों, वाणिज्य मंडलों तथा शिक्षाविदों ने सामान्यत: मल्होत्रा समिति की सिफारिशों का समर्थन किया था।

नागर विमानन का विकास

***380. श्री अंकुशराव टोपे :**

श्री अनंतराव देशमुख :

क्या **नागर विमानन** और **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में नागर विमानन के विकास में तेजी लाने के लिए किए गए महत्वपूर्ण नीतिगत प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन उपायों का अब तक क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार का विचार विमानन क्षेत्र के द्रुत विकास और बेहतर कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति तय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) नागर विमानन के विकास की गति तेज करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल प्रमुख नीति विषयक पहल की गयी हैं जो नीचे दिये अनुसार हैं :–

(1) वायु निगम अधिनियम, 1953 का निराकरण।

(2) 5700 किलोग्राम से अनाधिक समूचे वजन वाले सभी सिविल विमानों के विनिर्माण को अनुपालन मुक्त करना।

(3) भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विलय।

(4) इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया का सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों के रूप में पुनर्गठन।

(5) नये कानून बनाना जिससे अपहरण और नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध अन्य गैर-कानूनी कार्यकलापों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

(6) हवाई अड्डा आधार संरचनात्मक सुविधाओं का आधुनिकीकरण और उन्नयन।

(7) विमान क्षेत्रों के निर्माण के लिए निंजी निवेश को प्रोत्साहन देना।

(ख) (1) अनुसूचित अंतर्देशीय हवाई परिवहन संचालनों में सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार खत्म हो गया है।

(2) निजी प्रचालक अब अनुसूचित हवाई परिवहन प्रचालक बन सकते हैं।

(ग) और (घ) विमानन क्षेत्र की व्यवस्थित तथा सुरक्षित ढंग से अपेक्षाकृत तेज संवृद्धि को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार पहले ही एक नीति कार्यान्वित कर रही है।

ई॰ एस॰ आई॰ के आवासीय फ्लैट

3509. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बंगलौर में 250 से भी अधिक आवासीय फ्लैट खरीदे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पर कितनी लागत आई है और इन फ्लैटों का कब्जा कब लिया गया था;

(ग) क्या सभी फ्लैटों का कर्मचारियों को आबंटन कब्जा लेने के बाद दिया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अब तक आबंटित नहीं किए गए फ्लैटों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन खाली पड़े फ्लैटों को बेचने का है;

(च) यदि नहीं, तो इनके उपयोग हेतु अन्य योजनाएं क्या हैं;

(छ) इन पर कितना अनुपयोगी व्यय हुआ और इसके फलस्वरूप ई० एस० आई० सी०/ सरकार की कितनी हानि हुई; और

(ज) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ज) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 2.82 करोड़ रुपये की लागत से बंगलौर विकास प्राधिकरण से विभिन्न श्रेणियों के 253 फ्लैट खरीदे थे। केवल एक फ्लैट को छोड़कर निगम को 1990-93 के दौरान सभी फ्लैटों का कब्जा मिल गया था और तब से कर्मचारियों को 177 फ्लैट आबंटित कर दिये गये हैं। शेष 75 निम्न आय वर्गीय फ्लैटों में से 60 फ्लैटों में रद्दोबदल किया जा रहा है/मध्य आय वर्गीय फ्लैटों में परिवर्तित किया जा रहा है। रद्दोबदल परिवर्तन कार्य के पश्चात् सभी फ्लैट पात्र कर्मचारियों द्वारा अधिग्रहित किये जाने की संभावना है। अतैव इस कार्य पर किया गया संपूर्ण व्यय पूर्ण रूप से उपयोग में लाये जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय परीक्षण केन्द्र

3510. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु कुछ और स्थानों पर राष्ट्रीय परीक्षण केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान राष्ट्रीय परीक्षण केन्द्रों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय परीक्षण शाला का एक केन्द्र फरवरी, 1994 में जयपुर में खोला गया है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग और रसायन शाखाओं में परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय परीक्षण शाला के गुवाहाटी, हैदराबाद, कोचीन, अहमदाबाद, बंगलौर, गुडगांव और रांची में और केन्द्रों की स्थापना करने की एक दीर्घकालीन योजना है। गुवाहाटी में एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला खोलने के लिए व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन कार्य पूरे कर लिए गए हैं। अन्य प्रस्तावित केन्द्रों के लिए व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन कार्य राष्ट्रीय परीक्षण शाला में प्रगति पर है।

(ग) (1) राष्ट्रीय परीक्षण शाला, पूर्वी क्षेत्र, कलकत्ता में तकनीकी और प्रशासनिक कार्यकलापों का पहले ही कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है तथा अन्य विद्यमान परीक्षणशालाओं में इसे लागू किया जा रहा है।

(2) विद्यमान परीक्षण शालाओं में आधुनिक कार्यालय उपस्कर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

(3) विद्यमान परीक्षण शालाओं के पुराने उपस्करों के स्थान पर आधुनिक और परिष्कृत उपस्कर प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं।

(4) प्रदूषण नियंत्रण, अंशाकन, धातुकर्मीय सेवाओं, एकाउस्टिक परीक्षण आदि के क्षेत्रों में नई सुविधाएं सृजित की जा रही हैं। हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण शाला, गाजियाबाद में उच्च बोल्टता परीक्षण सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है।

(5) अनुसंधान एवं विकास (आर० एंड डी०) तथा प्रशिक्षण स्कंध स्थापित किए गए हैं।

(6) राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कलकत्ता की वर्तमान सुविधाओं की एक एनेक्सी के रूप में साल्ट लेक, कलकत्ता में आधुनिक प्रयोगशाला काम्पलैक्स बनाया जा रहा है।

[अनुवाद]

बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की रिक्तियां

3511. डा० पी० वल्लल पेरूमान :

श्री छीतूभाई गामीत :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों और केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं में प्रत्येक ग्रेड में कितने व्यक्तियों की भर्ती हुई और उनमें से कितने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में सीधी भर्ती और प्रोन्नतियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध कितने पद रिक्त हुए; आरक्षित किए गए भरे गए; और अनारक्षित किए गए;

(ग) 31 मार्च, 1994 को पिछले बकाया आरक्षित रिक्त पदों की स्थिति क्या थी; और

(घ) उपरोक्त बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कहने पर 1993 में किए गए विशेष भर्ती कार्यक्रम के अन्त में, 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न संवर्गों की सीधी भर्ती में आरक्षित रिक्तियों की स्थिति निम्नलिखित है :–

	अ० जा०	अ० ज० जा०
अधिकारी	37	105
लिपिक	524	535
सब स्टाफ	238	439

(घ) अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों के भरने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों ने कई कदम उठाए हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :–

(i) सीधी भर्ती में आरक्षित बकाया रिक्तियों को भरने के लिए 1989 में चार विशेष भर्ती कार्यक्रम चलाए गए हैं। पिछली बार ऐसा कार्यक्रम 31 मार्च, 1994 को पूरा किया गया जिसके परिणामस्वरूप आरक्षित बकाया रिक्तियों के एक बड़े भाग को पूरा किया गया।

(ii) चालू आरक्षणों के साथ-साथ अ॰ जा॰ और अ॰ ज॰ जा॰ के आरक्षणों में पिछले बकाये पर ध्यान देने के लिए बैंकों को तैयार किये गये फोफार्मा में बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों/रोजगार कार्यालयों के पास मांग पत्र भेजने के लिये कहा गया है।

(iii) अ॰ जा॰ और अ॰ ज॰ ज़ा॰ के लिये भर्ती पूर्व और पदोन्नतिपूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ताकि अर्हता परीक्षाओं में प्रतिस्पर्द्धा करने के अपने अवसरों को सुधारने में वे सक्षम हो सकें।

(iv) अ॰ जा॰/अ॰ ज॰ जा॰ उम्मीदवारों का विनिर्णय लिखित जांच परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में ही शिथिल मानकों के आधार पर किया जाता है।

(v) लिपिकीय संवर्ग में सीधी भर्ती संबंधी शैक्षणिक योग्यताओं के मानकों में अ॰ जा॰ और अ॰ ज॰ जा॰ के मामले में ढील दी गई है।

(vi) वर्ष 1989 से ही बैंकों के लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारी संवर्गों में सीधी भर्ती में रिक्तियों के आरक्षण को समाप्त करने (डी रिजर्वेशन) की अनुमति नहीं दी जाती है और रिक्तियों को चालू पिछले शेष के रूप में आगे ले जाना पड़ता है। अधिकारियों के मामले में भी भर्ती में डिरिजर्वेशन की बहुत कम अनुमति प्रदान की जाती है।

(vii) बैंकों द्वारा आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की सम्बद्ध बैंकों के बोर्डों द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार पुनरीक्षा की जाती है।

म्यूचुअल फण्ड स्कीम

3512. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में म्यूचुअल फण्ड स्कीम चलाने के लिए अपने नियमों में ढील दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अभी तक जिन विदेशी फर्म संस्थाओं को देश में इस तरह की म्यूचुअल फण्ड स्कीमें चलाने की अनुमति दी गई है, उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट और भारतीय साधारण बीमा निगम के वर्तमान कारोबार पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) जनता को धोखाधड़ी से बचाने के लिए इन म्यूचुअल फण्ड स्कीमों के संचालन पर उपयुक्त नियंत्रण और निरीक्षण रखने के लिए और क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 मार्च, 1994 को समस्त बैंकों को सलाह दी थी कि उनके द्वारा प्रायोजित म्यूचुअल फण्डों को अलग-अलग योजनाओं को चलाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते कि भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड की इस संबंध में पूर्व स्वीकृति ले ली गई हो। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक प्रायोजित म्यूचुअल फण्डों के लिए जारी अपने मार्गदर्शी सिद्धान्तों को भी 21 मई, 1994 को वापस ले लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाया गया यह कदम "सेबी" अधिनियम के अन्तर्गत "सेबी" द्वारा 20 जनवरी, 1993 को अधिसूचित म्यूचुअल फण्ड विनियम के अनुसार है जो अपने स्वरूप से सांविधिक है और सभी म्यूचुअल फण्डों के लिए लागू है।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान म्यूचुअल फण्ड योजनाओं को चलाने के लिए परिसम्पति प्रबन्ध कंपनियों की स्थापना संयुक्त उद्यम के रूप में करने वाले विदेशी फर्मों/संस्थाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

संयुक्त उद्यम में विदेशी संस्था का नाम	म्यूचुअल फण्ड का नाम
मोरगन स्टानले इन्क	मोरगन स्टानले म्यूचुअल फण्ड
पाइनियर ऐसेट मेनेजमेंट कंपनी	कोठारी पाइनर म्यूचुअल फण्ड
केम्पर कोरपोरेशन	20वीं सेन्चुरी म्यूचुअल फण्ड
लेजार्ड ब्रदर्स	तौरस म्यूचुअल फण्ड
जे॰ पी॰ मोरगन	आई॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰ म्यूचुअल फंड
देवो सिक्युरिटीज़	सी॰ आर॰ बी॰ म्यूचुअल फण्ड
सोरोस फण्ड मैनेजमेंट कंपनी	जी॰ आई॰ सी॰ म्यूचुअल फण्ड

(घ) और (ङ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि नए म्यूचुअल फण्डों के प्रवेश से इसके कारोबार पर विपरीत असर नहीं पड़ा है। वर्ष 1993-94 के दौरान, भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने 80 लाख से अधिक आवेदकों से यूनिटों की बिक्री से 10,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि एकत्र की। जीवन बीमा निगम से सम्बद्ध सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(च) "सेबी" अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत अधिसूचित म्यूचुअल फण्ड विनियम, "सेबी" को म्यूचुअल फण्डों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने तथा निरीक्षण करने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, ये विनियम निवेशकों पर निवेश प्रतिबंधों तथा बाध्यताओं को भी लगाते हैं।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की भूमि को बंधक रखना

3513. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया सैद्धान्तिक रूप से बंधक सौदे के अनुसार रुग्ण राष्ट्रीय वस्त्र निगम

की अतिरिक्त भूमि के कुल मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि जो लगभग 200 करोड़ रुपये है ऋण के रूप में शीघ्र देने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय संस्था तथा वस्त्र निगम के बीच सांपर्श्विक प्रतिभूति के संबंध में हुई बातचीत का परिणाम क्या रहा;

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा बंधक रखे जाने वाली अतिरिक्त भूमि किस जगह पर स्थित है; और

(घ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की बिगड़ती आर्थिक स्थिति, उसके निरंतर बढ़ते रहने वाले घाटे तथा इसके बकाया ऋण, जिसके लिए निगम ने वस्त्र मंत्रालय को संकटकालीन अविलम्ब सहायता के लिए अनुरोध किया है, इसका क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू॰ टी॰ आई॰) ने सूचित किया है कि उसने कपड़ा मंत्रालय के प्रस्ताव के जबाव में, भारत के विभिन्न शहरों में राष्ट्रीय कपड़ा निगम (एन॰ टी॰ सी॰) के स्वामित्व में अधिशेष भूमि को खरीदने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमति दे दी है। अब तक ब्यौरे तैयार नहीं किए गए हैं।

(ग) अधिशेष भूमि अहमदाबाद, बंगलौर, बंबई, कलकत्ता, कोयम्बटूर, दिल्ली, इन्दौर और कानपुर में उपलब्ध है।

(घ) कपड़ा मंत्रालय ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम अन्य बातों के साथ-साथ अविकसित मशीनरी, पर्याप्त आधुनिकीकरण के अभाव, कम क्षमता-उपयोग, उच्च मानव मशीन अनुपात, अधिशेष मानव-शक्ति, ऊंची विनिर्माण लागत, कम उत्पादकता आदि के कारण घाटे उठा रहा है। राष्ट्रीय कपड़ा निगम कार्यकर पूंजी की अत्यधिक कमी का सामना भी कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप कच्चे माल की कमी तथा उत्पादन में गिरावट हो गई है।

[हिन्दी]

हवाई अड्डों पर विमानों को पार्क करना

3514. श्री विश्वनाथ शास्त्री :

श्री दत्ता मेघे :

क्या **नागर विमानन** और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर अनेक विमानों को लम्बे समय से पार्क किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों से हवाई अड्डा-वार कितने विमान पार्क किए गए हैं;

(ग) ये विमान किन-किन कम्पनियों/ऑपरेटरों के हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय विमानपत्तन

प्राधिकरण और अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डों पर पिछले दो वर्षों के दौरान पार्क किये गये विमानों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

हवाई अड्डे का नाम	विमानों की संख्या	उस कम्पनी/प्रचालक का नाम जिसका विमान है
इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली	5	(1) इंडस्ट्रीयल केबल इंडिया, लि॰ (2) जे॰ के॰ सिंथेटिक्स (रैमण्ड्स) (3) वायुदूत
कलकत्ता	3	इंडियन एयरलाइन्स
भोपाल	1	कान्टीनेंटल एविएशन प्रा॰ लि॰

(घ) हवाई अड्डा प्राधिकारी, हवाई अड्डों पर हवाई कम्पनियों को आवंटित हैंगरों और अन्य स्थान के लिए अवतरण, पार्किंग और हाउसिंग प्रभार और लाइसेंस शुल्क वसूल करते हैं। भुगतान के चूक करने के मामले में बकाया राशियों की उगाही के लिए नियमों के अधीन अनुमत्य आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

गारमेंट्स निर्यात संवर्द्धन परिषद का कार्यालय

3515. श्री एन॰ जे॰ राठवा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गारमेंट्स निर्यात संवर्द्धन परिषद का एक कार्यालय गुजरात में खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) जी, नहीं। गुजरात में अप्रैल निर्यात संवर्धन परिषद का कार्यालय खोलने संबंधी कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित नहीं है।

एन॰ टी॰ सी॰ कर्मचारी भविष्य निधि

3516. श्री प्रेमोथेस मुखर्जी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन॰ टी॰ सी॰ (डब्ल्यू॰ बी॰ ए॰ बी॰ ओ॰) लिमिटेड, कलकत्ता के पास क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के यहां जमा कराने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि के संचित देयों की बड़ी धनराशि है;

(ख) क्या सरकार ने इन संचित बकाया राशियों के लिये धन देने का निर्णय लिया है;

(ग) क्या उन्होंने धन देने के मुद्दे पर वित्त मंत्री के साथ बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विमान की खरीद

3517. श्री परसराम भारद्वाज : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक श्रेणी के कितने-कितने विमान खरीदे गये अथवा खरीदने का निर्णय लिया गया;

(ख) उन विदेशी पार्टियों/कम्पनियों के नाम तथा ब्यौरा क्या है जिनसे ये विमान खरीदे जा रहे हैं;

(ग) इन विमानों की खरीद पर कुल कितनी लागत आएगी;

(घ) क्या ऐसे कुछ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार

3518. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और दक्षिण कोरिया ने भारत द्वारा उदार-आर्थिक नीतियां अपनाने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में सुधार लाने के लिए गहरी रुचि दर्शायी है;

(ख) यदि हां, तो 1992 की तुलना में 1993 के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार में कितना सुधार हुआ; और

(ग) इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1992-93 में 515 मिलियन डालर के व्यापार कारोबार के मुकाबले वर्ष 1993-94 में व्यापार कारोबार बढ़कर 749 मिलियन डालर का हो गया।

(ग) एक दूसरे के देशों के मेलों एवं प्रदर्शनियों से भागीदारी और व्यापार शिष्टमंडलों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया जाता है तथा व्यापार से संबंधित सभी संगत सूचना व्यापार एवं उद्योग को दी जाती है। मंत्री स्तर की संयुक्त व्यापार समिति की अगली बैठक भी निकट भविष्य में होने की उम्मीद है।

[हिन्दी]

हीरे, रत्न और जवाहरात का निर्यात

3519. प्रो॰ रासा सिंह रावत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में राजस्थानी रत्नों और विभिन्न किस्मों के आभूषणों की भारी मांग है;

(ख) इस व्यापार में कितने लोग कार्यरत हैं और उसमें कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(ग) राजस्थान से गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष निर्यात किए गए हीरों और जवाहरातों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(घ) सरकार द्वारा राजस्थान से हीरे, रत्न और विभिन्न प्रकार के आभूषणों के निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश कारपोरेशन लिमि० द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार राजस्थान में रत्न और आभूषण उद्योग में लगभग 80,000 व्यक्ति कार्यरत हैं। तथापि, इस व्यापार में किए गए निवेश के बारे में कोई आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) रत्न और आभूषण (रत्नों सहित) के निर्यातों के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान जयपुर पत्तन से हीरों तथा आभूषणों (रत्नों को छोड़कर) के निर्यात निम्नानुसार थे :

(लाख रु० में)

	1991-92	1992-93	1993-94
हीरे	153	142	208
स्वर्ण से इतर आभूषण	177	217	415
स्वर्ण आभूषण	50	148	112

(घ) निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जैसे–सादे स्वर्ण आभूषणों के लिए आवश्यक न्यूनतम मूल्यवृद्धि का समायोजन, निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए संवधि में वृद्धि, प्रतिपूर्ति का युक्तिकरण आदि। इन उपायों से राजस्थान के निर्यातकों के सहित रत्न और आभूषणों के सभी निर्यातकों को लाभ मिलेगा।

[अनुवाद]

सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

3520. श्री पी० कुमारासामी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1994 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना था;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की एक और किस्त देय हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है; और

(घ) बढ़े हुए मंहगाई भत्ते के शीघ्र भुगतान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखरमूर्ति) : (क) औद्योगिक कामगारों (सामान्य) (आधार 1960 = 100) के लिए 30 जून, 1994 को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1366 था।

(ख) से (घ) चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त की गणना, औद्योगिक कामगारों (सामान्य) (1960 = 100) के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत में 608 के आधार सूचकांक, जिसमें मौजूदा वेतनमान जो कि 1.1.1986 से प्रभावी है, संबद्ध है, से अधिक की प्रतिशत वृद्धि के आधार पर की जाती है। प्रत्येक वर्ष पहली जुलाई को देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त सामान्यता सितम्बर महीने के वेतन के साथ भुगतान योग्य होती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में बैंक ऋण

3521. श्री राम निहोर राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंको में कितनी धनराशि जमा की गई और इन बैंकों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं हेतु छोटे/मंझोले उद्योगपतियों और बेरोजगार युवकों को वितरित किए गए ऋणों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन बैंकों ने चालू वर्ष के दौरान महिलाओं और युवा उद्यमियों के लिए कुछ योजनाएं तैयार कर ली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन बैंकों के पास खादी ग्रामोद्योग की बड़ी संख्या में योजनाएं गत आठ महीनों से लम्बित हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिये क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

चाय बागान श्रमिक

3522. श्री प्रवीन डेका : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बागान श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा देने हेतु कोई सुविधा उपलब्ध करायी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कम्पनी वार इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस पर कम्पनी-वार कितना व्यय किया गया ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार

3523. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना में इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ग) क्या भारत-आस्ट्रेलिया संयुक्त आयोग की बैठक हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या इस संबंध में अब तक कोई उपलब्धि प्राप्त हुई है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार में वृद्धि करने की प्रक्रिया सतत् रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। यद्यपि आठवीं योजना के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं, किन्तु व्यापार को बढ़ाने के लिए विगत में अनेक उपाय दिए गए हैं।

(ग) से (च) भारत-आस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रालयीय आयोग की तीसरी बैठक फरवरी, 1994 में सिडनी में हुई थी। इस बैठक में परस्पर सहयोग के अनेक पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया तथा दोनों देशों के बीच दुतरफा व्यापार का विस्तार करने संबंधी उपायों पर बल दिया गया।

आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए जा रहे हैं, ये उपाय हैं :-

परामर्शदात्री मंचों जैसे-संयुक्त मंत्रालयीय आयोग की बैठकों में परस्पर विचार-विनिमय, व्यापार शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान, व्यापार तथा उद्योग के साथ विचार-विमर्श करना, प्रदर्शनियों में भाग लेना आदि।

बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

3524. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, छुड़ाये गये बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केन्द्र ने कितनी धनराशि आबंटित की है;

(ख) वर्ष-वार तथा राज्य-वार वास्तव में पृथक-पृथक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) छुड़ाये गये बंधुओं मजदूरों के लिए कितना संशोधित अनुदान मंजूर किया गया है;

(घ) क्या देश में बंधुआ मजदूरों की स्थिति का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतगर्त पुनर्वास अनुदान की दर 1.2.86 से बढ़ाकर 6,250/- रुपये प्रति

मुक्त बंधित श्रमिक कर दी गयी थी। जिसका आधा केन्द्रीय भाग के रूप में दिया गया है। इनके अतिरिक्त, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों जैसे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना आदि के अंतर्गत उपलब्ध धन का भी बंधित श्रमिकों के पुनर्वास के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत राज्य सरकारें कार्यान्वयन प्राधिकरण हैं। श्रम मंत्रालय राज्य सरकारों को अपनी विद्यमान एजेंसियों के माध्यम से बंधित श्रमिकों की पहचान हेतु आवधिक सर्वेक्षण करने का सुझाव देता रहा है। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 31.3.93 की स्थिति के अनुसार पहचान किये गया और मुक्त कराये गया बन्धित श्रमिकों की कुल संख्या 2,51,424 है।

विवरण

बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय प्रोयाजित योजना के अंतर्गत आबंटन: (संशोधित अनुमान लाखों में)			योजना के अंतर्गत व्यय राज्य-वार		(लाखों में)	
1991-92	1992-93	1993-94		1991-92	1992-93	1993-94
300	190	320	आन्ध्र प्रदेश	–	26.60	101.41
			बिहार	3.28	11.12	6.18
			कर्नाटक	–	–	171.50
			उड़ीसा	–	–	5.75
			केरल	–	–	6.03
			राजस्थान	–	5.67	1.69
			तमिलनाडु	–	–	1.59
				3.28	43.39	294.15

इंजीनियरी सामान का निर्यात

3525. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना में इंजीनियरी सामान का निर्यात करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष निर्यात किए गए इंजीनियरी सामान और इससे अर्जित विदेशी मुद्रा का देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इंजीनियरी सामान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) आठवीं योजना में आठवीं योजना अवधि के दौरान इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात के लिए 1991-92 की कीमतों पर 39611 करोड़ रु० के निर्यातों का पूर्वानुमान है।

(ख) निर्यात की गई इंजीनियरी वस्तुओं में ये शामिल हैं-फैरो अलॉय, उत्पादों को छोड़कर एल्यूमीनियम,

अलौह धातु, धातुओं से बना समान, मशीनी औजार, मशीनरी और उपकरण, परिवहन उपस्टर, अवशिष्ट इंजीनियरी मदें, लोहे और इस्पात की छड़/राड़ आदि, तथा प्राथमिक और अर्द्ध-निर्मित लोहा और इस्पात। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख देशों को किए गए निर्यातों के मूल्य को दशनि वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रही है कि निर्यात बढ़े। निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं :-शुल्क छूट योजना सहित निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रोत्साहन, निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना, विशेष आयात लाइसेंस आदि, ड्यूटी ड्रा बैंक स्कीम, आयकर अधिनियम की धारा 80 एच० एच० सी० के अतंर्गत छूट, बाजार विकास निधि से सहायता तथा निर्यातों को सुविधाजनक बनाने के लिए आस्थगित ऋण उपलब्ध कराना। इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यातकों को इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद के विभिन्न क्रियाकलापों के अंतर्गत संवर्धानात्मक सहायता मिलती है।

विवरण

वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान प्रमुख निर्यातक देशों को इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात का मूल्य :

(मूल्य करोड़ रु० में)

(अनंतिम)

देश का नाम	1991-92	1992-93	1993-94
1. संयुक्त राज्य अमरीका	505.22	712.20	929.72
2. चीन जनवादी गणराज्य	7.00	194.91	518.45
3. संयुक्त अरब अमीरात	225.26	346.32	543.68
4. इंग्लैंड	247.50	323.07	421.53
5. सिंगापुर	202.43	387.69	393.68
6. जापान	281.17	263.22	366.10
7. श्रीलंका	153.36	263.69	360.11
8. जर्मनी	192.23	239.65	270.41
9. मलेशिया	148.47	156.65	245.28
10. चीनी ताइपेई	69.43	145.56	279.55
11. अन्य	2823.00	3443.21	4077.04
योग	4855.07	6476.17	8405.55

विमानों की प्राप्ति

3526. श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी विमान कम्पनियों द्वारा विमानों की प्राप्ति पर कोई प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) अतिरिक्त विमानों की प्राप्ति के लिए ग्यारह एयर टैक्सी प्रचालकों के आवेदन लम्बित पड़े हैं। हवाई परिवहन सेवाओं की सुव्यवस्थित संवृद्धि सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर गुण-दोषों के आधार पर आवेदनों पर विचार किया जाएगा :–

1. हवाई अड्डा आधार संरचनात्मक सुविधाओं संबंधी सीमाएं;
2. हवाई परिवहन नियंत्रण सुविधाओं संबंधी सीमाएं;
3. यातायात की संवृद्धि से निपटने की आवश्यकता; और
4. नए स्टेशनों को हवाई सेवा से जोड़ने की आवश्यकता।

स्रोत पर कर कटौती

3527. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असंतोष को देखते हुए हाल ही में शुरू की गई स्रोत पर कर कटौती योजना की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) हाल ही में शुरू की गई स्रोत पर कर की कटौती संबंधी स्कीम की पुनरीक्षा करने का तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने एसोसिएटिड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, बिहार एवं अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए धारा 194सी के उपबंधों के प्रभावित-क्षेत्रों की व्याख्या करते हुए दिनांक 8-3-1994 का एक परिपत्र संख्या 681 जारी किया है। इस परिपत्र के जारी होने को बाद इास परिपत्र की वैधता को आंशिक अथवा पूर्णरूप से चुनौती देते हुए विभिन्न उच्च नयायालयों में अनेक याचिकाएं दायर की गई हैं। विभिन्न याचिकाओं में उठाए गए अनेक मुद्दों के बारे में न्यायालयों ने पूर्ण और अंतिम रूप से अभी तक निर्णय नहीं दिया है और ऐसा समझा जाता है कि पुनरीक्षा करना अभी जल्दबाजी होगी।

कूच-बिहार हवाई अड्डा

3528. श्री अमर राय प्रधान : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूच-बिहार हवाई अड्डे की हवाई पट्टी बोइंग-737 विमान के उड़ान भरने एवं उतरने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उक्त हवाई अड्डे की हवाई पट्टी का विस्तार करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ग) वहां इस प्रकार की सुविधा कब तक प्रदान कर दी जाएगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एयरलाइन्स से मांग का कमी के कारण, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बोइंग प्रचालनों के लिए कूच-बिहार हवाई अड्डे के उन्नयन की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों का अंतरण

3529. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के अन्तरण में हुई अनियमितताओं के संबंध में सी॰बी॰आई॰ द्वारा कोई जांच कराई गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार ने कथित अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी पाए गये व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि भविष्य में कोई घाटा न हो ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इलाहाबाद बैंक और एस॰बी॰आई॰ पूंजी बाजारों द्वारा सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के शेयरों के अन्तरण में कथित रूप से बरती गई अनियमितताओं के मामले में दो आरंभिक जांच-पड़तालें की थी।

(ख) दोनों ही मामलों में जांच-कार्य पूरे हो चुके हैं और वे केन्द्रीय जांच ब्यूरो की कानूनी संवीक्षा के अधीन हैं।

(ग) और (घ) की जाने वाली कार्यवाही संबंधी निर्णय को केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अंतिम रूप दिया जाएगा।

(ङ) सरकार द्वारा आयोजित नीलामियों में बोलीकर्ताओं द्वारा खरीदे गए अलग-अलग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों

के शेयरों के अन्तरण की प्रक्रिया को इस समय प्रवृत्त स्टाक एक्सचेंज के विनियमों के अनुसार सुप्रवाही बनाया जा रहा है।

[अनुवाद]

मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना

3530. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना का उपयोग काले धन को सफेद धन में बदलने के लिये किया जा रहा है और सरकार को इस दुरुपयोग के कारण राजस्व की भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्व आसूचना निदेशालय ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिये क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) ऐसी आसूचना रिपोर्टों के आधार पर कि मूल्य-वर्धित अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम का गलत प्रयोग/दुरुपयोग किया जा रहा था जिसके परिणामस्वरूप राजस्व हानि भी हुई । आयकर विभाग तथा राजस्व आसूचना महा निदेशालय ने स्कीम के तहत कार्य कर रहे अनेक आयातकों तथा निर्यातकों के विरुद्ध कार्यवाही की है। आयकर विभाग द्वारा कर-निर्धारितियों के चार समूहों के संबंध में शुरू की गई कार्रवाई से अब तक कुल मिलाकर 5.31 करोड़ रुपये की आय के अपवंचन का पता चला है। राजस्व आसूचना महा निदेशालय द्वारा की गई छान-बीन के अधिकांश मामलों में, कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और मामले न्याय-निर्णयन हेतु विचारार्थ पड़े हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने भी कतिपय जांच-पड़ताल आरम्भ की है।

(घ) विदेश व्यापार महा निदेशालय ने मूल्य-आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम में खामियों, यदि कोई हों तथा गलत प्रयोग/दुरुपयोग के क्षेत्रों और इसकी सीमा का पता लगाने के लिए और उपचारात्मक उपाय सुझाने हेतु अन्तरमंत्रालयीय समिति का गठन किया था। खामियों को दूर करने के लिए समिति ने किसी नए निर्यातक/फर्म का उपयुक्त सत्यापन कर लेने के बाद ही 25 लाख रुपए से अधिक मूल्य के लाइसेंस जारी करने, इनपुट/आउट पुट मानदण्डों में सामान्य प्रविष्टियों को कड़ा करने तथा लाइसेंस प्रदान करते समय लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारियों द्वारा अधिक सावधानी और सर्तकता बरतने जैसे उपाय सुझाए हैं। सरकार द्वारा इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और इन्हें आयात-निर्यात नीति के संशोधित संस्करण और दि हैण्ड बुक ऑफ प्रोसिजरस् वालियम II में सम्मिलित कर लिया गया है।

राजस्व आसूचना महा निदेशालय ने क्षेत्रीय कार्यालयों को स्कीम के तहत दुरुपयोग तथा शुल्क अपवंचनों के प्रयासों के प्रति कड़ी चौकसी रखने के लिए सतर्क भी कर दिया गया है।

विशाखापत्तनम निर्यात संवर्धन क्षेत्र चरण-द्वितीय

3531. **श्री रामकृष्ण कोंताला :** क्या **वणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशाखापत्तनम निर्यात संवर्धन क्षेत्र, चरण-द्वितीय का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशाखापत्तनम निर्यात संवर्धन क्षेत्र चरण-द्वितीय के अंतर्गत भावी निर्यात व्यापार एककों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्षेत्र के बाहर निर्यातोन्मुखी एककों के अंतर्गत एककों और अन्य निर्यात एककों की तुलना में इस क्षेत्र में दिए गये प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) विशाखापत्तनम निर्यात संसाधन जोन के चरण-2 का विकास करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) निर्यातोन्मुख एककों और सभी निर्यात संसाधन क्षेत्रों में स्थित एककों के लिए दिए गये प्रोत्साहन समान हैं, जिनमें ये शामिल हैं–पूंजीगत माल एवं कच्चे माल का नि:शुल्क आयात, पूंजीगत माल एवं देश में प्राप्त निविष्टियों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट, केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति, 5 वर्ष का करावकाश, सरलीकृत अनुमोदन क्रिया-विधि एवं सीमाशुल्क औपचारिकताएं, विनिमय अर्जक विदेशी मुद्रा, (ई ई एफ सी) खाते में निर्यात आय का 50% अधिक रखना और ई पी जैड एककों के मामले में औद्योगिक प्लाट और शैडों पर रियायती पट्टा किराया।

पूंजी निवेश गारंटी समझौता

3532. **डा॰ कार्तिकेश्वर पात्र :**

श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमरीका और फ्रांस सहित अनेक देशों के साथ पूंजी निवेश गारंटी समझौता करने की पहल की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने फ्रांसीसी पूंजी-निवेश से संबंधित किसी समझौते पर भी हस्ताक्षर किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारत सरकार ने चालू वर्ष के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका और फ्रांस सहित नौ देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संरक्षण तथा सवंर्धन करार पर वार्ता करने का निर्णय लिया है। जहां एक ओर फ्रांस के साथ पहले दौर की बातचीत हो चुकी है, वहीं संयुक्त राज्य अमरीका के साथ अभी बातचीत प्रारम्भ की जानी है।

दोनों देशों के साथ कोई करार नहीं किया गया है और फ्रांस के साथ परस्पर रूप से स्वीकार्य करार पर हस्ताक्षर करने से पहले बातचीत के और दौर प्रारम्भ करना आवश्यक होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केंकड़ा-पालन

3533. प्रो॰ के॰ वी॰ थामस : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केंकड़े का कुल उत्पादन तर्था निर्यात कितना है;

(ख) क्या एशियाई बाजार में जीवित केंकड़ों के अंधाधुंध निर्यात के कारण तटीय क्षेत्रों के क्षेत्रीय बाजारों में केंकड़ों के मूल्य में काफी वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में केंकड़ों की मांग को पूरा करने के लिए केंकड़ा-पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में केंकड़ों का कुल उत्पादन और निर्यात निम्नलिखित रहा है :–

	मात्रा मी॰टन में	मूल्य करोड़ रुपए में
1993-94	725	5.19
1992-93	556	2.87
1991-92	591	1.90

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संभावना और व्यापक संसाधनों का देखते हुए केंकड़ों के पालन के लिए तकनीकी संभावना और आर्थिक क्षमता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयास किए गये हैं।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम

3534. श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव :

श्री एस॰ बी॰ सिदनाल :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी अध्यक्षता में बनाए गए मंत्री दल ने सरकारी क्षेत्र के कुछ रुग्ण उपक्रमों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणाम क्या निकले हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को पुन: चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के-उद्यमों, विशेष रूप से रुग्ण उद्यमों के कार्य-निष्पादन की आवधिक समीक्षा करने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है। मंत्रियों के समूह के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं :–औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) को संदर्भित सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों के मामलों के संबंध में विचार करना, बाइफर को प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्तावित राहत पैकेज और बाइफर के समक्ष भारत सरकार की ओर से निर्णय लेने या वचन देने के लिए मंत्रालयों को निर्देश और मार्गनिर्देश देना। यह समूह उन रुग्ण उद्यमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा भी करेगा, जो बाइफर के क्षेत्राधिकार के अन्दर नहीं आते और चयनात्मक रूप से अन्य सराकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन और संभावनाओं पर भी विचार करेगा। यह समूह सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों के मामलों को उसके पास संदर्भित किए जाने पर उस पर विचार करता है। ग्रुप की कार्रवाई को गुप्त वर्गीकृत किया गया है।

[हिन्दी]

एशिया विकास बैंक सहायता

3535. डा॰ महादीपक सिंह शाक्य :

श्री गुमानमल लोढा :

श्री शरद दिघे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जुलाई, 1994 के "स्टेट्समैन" में "ए॰डी॰बी॰ कंसर्न्ड एट एड अंडर यूटिलाइजेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एशियन डेवलपमैंट बैंक द्वारा विभिन्न विकास परियोजनाओं के निर्माण के लिए स्वीकृत की गई ऋण राशि का दिसम्बर 1993 तक समुचित रूप से उपयोग नहीं किया गया है;

(ग. यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान बैंक द्वारा किन-किन निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत किए गए हैं और इनके लिए कुल कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई और इसमें से कितनी राशि का उपयोग किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सहायता राशि के उपयोग का प्रश्न पिछले कुछ समय से पुनरीक्षाधीन रहा है और सरकार ने विदेशी सहायता के उपयोग में सुधार लाने के लिए कदम उठाए हैं। विदेशी सहायता के उपयोग की मानीटरिंग करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग में एक मानीटरिंग कक्ष भी स्थापित किया गया है। सहायता राशि के उपयोग में सामने आने वाली मुख्य समस्याएं हैं :-

(i) संविदाओं को अंतिम रूप देने और समान की वसूली में विलम्ब होना;

(ii) प्रतिपूरक निधियों की उपलब्धता; और

(iii) कतिपय परियोजनाओं के व्याप्त क्षेत्र में परिवर्तन।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

31.12.1993 की स्थिति के अनुसार एशियाई विकास बैंक (ए॰डी॰बी॰) से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(अमेरिकी डालर में)

क्रम सं॰	ऋण संख्या/परियोजना		ऋण की राशि	संचयी आहरण	अभ्युक्ति
1	2		3	4	5
1.	–	ए॰डी॰बी॰ पूंजी बाजार	125.000	–	ऋण सहायता के अनुरोध को वापिस ले लिया है।
2.	1212	ऊर्जा संरक्षण सुधार परियोजना	147.000	–	107.77 मिलियन डालर निरस्त करने का प्रस्ताव है।
3.		औद्योगिक परियोजना	–	–	
4.	798	उत्तरी मद्रास तापीय विद्युत परियोजना	150.000	94.115	12 मिलियन डालर निरस्त करने का प्रस्ताव है।
5.	842	पत्तन विकास परियोजना	52.667	52.667	
6.	857	रेलवे परियोजना	190.000	34.824	
7.	886	दूरसंचार परियोजना	135.000	47.316	20 मिलियन डालर रद्द कर दिए हैं।
8.	907	अनछाड़ तापीय विद्युत विस्तार परियोजना	160.000	–	
9.	918	सड़क सुधार परियोजना	198.000	60.326	24.57 मिलियन डालर रद्द करने का प्रस्ताव है।
10.	954	दूसरी दूरसंचार परियोजना	118.000	51.567	50 मिलियन डालर रद्द कर दिए हैं।
11.	988	रायल-सीमा तापीय विद्युत परियोजना	230.000	120.810	54 मिलियन डालर रद्द करने का प्रस्ताव है।
12.	1016	दूसरी पत्तन परियोजना	129.000	31.518	24.66 मिलियन डालर रद्द करने का प्रस्ताव है।

1		2	3	4	5
13.	1029	दूसरी उत्तरी मद्रास तापीय विद्युत परियोजना	200.000	57.962	44 मिलियन डालर रद्द करने का प्रस्ताव है।
14.	1041	दूसरी सड़क परियोजना	250.000	52.554	
15.	1148	हाइड्रोकार्बन क्षेत्र कार्यक्रम	250.000	125.117	
16.	1140	दूसरी रेलवे परियोजना	225.000	4.817	107.300 मिलियन डालर रद्द कर दिए हैं।
17.	1161	विद्युत कार्यकुशलता परियोजना	250.000	–	
18.	1208	वित्तीय क्षेत्र कार्यक्रम	300.000	150.000	150 मिलियन डालर दूसरी किस्त जो जून, 1994 में देय थी उसका संवितरण बैंक ने अभी तक नहीं किया है।
19.	1181	कोयला पत्तन परियोजना	285.000	–	
	गैर-सरकारी				
20.	975	आई॰ एफ॰ सी॰ आई॰	150.000	96.121	44.800 मिलियन डालर रद्द कर दिए है।
21.	1072	आई॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰	62.896	59.008	57.100 मिलियन डालर रद्द कर दिए हैं।
22.	1117	गांधार क्षेत्र विकास परियोजना	267.000	12.675	
		कुल जोड़	**1874.563**	**1051.397**	

प्रसूति अवकाश

3536. श्रीमती दीपिका एच॰ टोपीवाला :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रसूति अवकाश की अवधि बढ़ाकर छह माह करने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों में इस प्रकार के अवकाश की अवधि बढ़ाकर छह माह कर दिया गया है; और

(घ) इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिए जाने के क्या कारण हैं और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार को प्रसूति अवकाश की अवधि को छः महीने तक बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से अनुरोध प्राप्त हुए थे। प्रसूति अवकाश का उद्देश्य प्रसव के पश्चात जच्चा (मदर) को पुन: स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने में समर्थ बनाना है। अत: 12 सप्ताह के प्रसूति अवकाश को पर्याप्त समझा गया है। प्रसूति अवकाश की अवधि को छ: माह तक बढ़ाने के लिए किसी राज्य सरकार के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

तम्बाकू निरोधक कानून

3537. श्री आर॰ धनुषकोडी आदित्यन : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित तम्बाकू निरोधक कानून का बीड़ी श्रमिकों पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ख) इस कानून से तमिलनाडु में बीड़ी उद्योग किस हद तक प्रभावित होगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) से (ग) यह महसूस किया जाता है कि प्रस्तावित विधान से अल्प अवधि में कम से कम बीड़ी उद्योग की रोजगार स्थिति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ई॰ एस॰ आई॰ अस्पताल

3538. डा॰ खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विभिन्न स्थानों पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कितने अस्पताल/औषधालय हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उनमें से कुछ अस्पतालों/औषधालयों का दर्जा बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कितने अस्पताल/औषधालय किराए के निजी भवनों में कार्य कर रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) से (ग) इस समय गुजरात मे 9 क॰ रा॰ बी॰ अस्पताल और 118 औषधालय हैं। दिल्ली और नौएडा को छोड़कर क॰ रा॰ बी॰ योजना के अंतर्गत चिकित्सा देख-रेख के प्रशासन का दायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। गुजरात सरकार ने विद्यमान 225 बिस्तरों वाले

क॰ रा॰ बी॰ चैस्ट क्लिनिक, अहमदाबाद को अपग्रेड करके 300 बिस्तर वाला सामान्य अस्पताल बनाने का प्रस्ताव किया है।

(घ) क॰ रा॰ बी॰ का कोई भी अस्पताल किराये की इमारतों में कार्य नहीं कर रहा है। तथापि, क॰ रा॰ बीमा के 45 औषधालय किराये की इमारतों में कार्य कर रहे हैं।

वायु परिवहन नीति

3539. डा॰ विश्वनाथम कैनिथी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायु परिवहन नीति के उदारीकरण के परिणमस्वरूप देश को अभी तक कितना लाभ हुआ है; और

(ख) इंडियन एयरलाइन्स के संबंध में यह उदारीकरण किस सीमा तक लागू किए जाने की प्रक्रिया में है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) उदारीकरण से होने वाले लाभ का परिणाम ठीक-ठीक वित्तीय रूप में नहीं बताया जा सकता किन्तु अब यात्री जनता के लिए प्रतिदिन करीब 16,000 अतिरिक्त सीटें उपलब्ध हैं।

(ख) वायु निगम अधिनियम निरस्त हो चुका है और अब इंडियन एयरलाइन्स एक कम्पनी है जो अधिक लचीले ढंग से निर्णय ले सकती है।

महिला विमानचालक

3540. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में प्रत्येक वर्ष विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित महिला विमानचालकों की क्या संख्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित वाणिज्यिक महिला विमानचालकों की संख्या नीचे दिए अनुसार हैं :–

वर्ष	महिला विमानचालकों की संख्या
1991	11
1992	19
1993	13

[हिन्दी]

मुक्त-व्यापार क्षेत्र

3541. श्री बलराज पासी :

श्रीमती दीपिका एच॰ टोपीवाला :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्यों में मुक्त-व्यापार क्षेत्र की स्थापना हेतु राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ चुने गए स्थानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) कर्नाटक, मध्यप्रदेश, बिहार, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, गोआ, उत्तर प्रदेश, केरल और राजस्थान की राज्य सरकारों ने समय-समय पर निर्यात संसाधन क्षेत्र स्थापित करने का अनुरोध किया है। सरकारों द्वारा निर्यात संसाधन क्षेत्र स्थापित करने के लिए सुझाए गए कुछ निश्चित स्थान हैं :—बंगलौर, मंगलौर (कर्नाटक), धान्दरी कलां (पंजाब), गुड़गांव (हरियाणा), भुवनेश्वर (उड़ीसा), मारमागोआ (गोआ), जयपुर (राजस्थान) और कोझिकोड (केरल)।

वित्त की उपलब्धता एवं मौजूदा क्षेत्रों में इष्टतम बुनियादी सुविधाओं की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस समय देश में नए क्षेत्रों का विकास करना संभव नहीं होगा। तथापि, केन्द्र सरकार ने हाल ही में निजी क्षेत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्चात संसाधन क्षेत्र स्थापित करने की इजाजत दी है।

[अनुवाद]

विदेशों से पूंजी का आगमन

3542. श्री विजय एन॰ पाटील : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विदेशों से भारत में विश्व पूंजी के आगमन में हुई वृद्धि के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की टिप्पणियों की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सरकार को भारत में विश्व पूंजी के आगमन से होने वाले मौद्रिक विस्तार की जानकारी है जिसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी अपने पिछले महीने प्रकाशित 1994 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया है। इस पर नियंत्रण रखने के लिए, सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। 14 मई, 1994 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित ऋण नीति में मौद्रिक विस्तार के क्षेत्र नियंत्रित करने के लिए सी॰ आर॰ आर॰ नगदी प्रारक्षित अनुपात जुटाया गया था। अन्य उपाय जिन पर विचार किया गया वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुला बाजार प्रचालन और भारतीय रिजर्व बैंक से केन्द्र सरकार के उधार

पर रोक है। सरकार ने मौद्रिक विस्तार के मुद्रा स्फीतिकारी प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाये रखना भी सुनिश्चित किया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय स्टाक-एक्सचेंज

3543. डा॰ रमेश चन्द तोमर :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज ने बम्बई में अपना काम करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसका प्रयोजन तथा मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस स्टाक एक्सचेंज को स्थापित करने में कितनी राशि खर्च हुई है;

(घ) क्या इस तरह के स्टाक एक्सचेंज देश के अन्य भागों मे स्थापित करने का विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने 30 जून, 1994 को थोक ऋण बाजार खण्ड में अपने कार्य आरम्भ कर दिये हैं।

(ख) राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज प्रतिभूतियों में कारोबार के लिए देश में कार्यकुशल और स्पष्ट सुविधाएं देने के लिए स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज बिना कारोबार-पटल के स्क्रीन आधारित एक्सचेंज है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के एक मजबूत स्वचालित स्टॉक एक्सचेंज के रूप में कार्य करने की आशा है जिसमें देश भर से सदस्य-ब्रोकर आधुनिक दूर-संचार सुविधाओं के जरिए एक्सचेंज में अन्ततः कारोबार करेंगे।

(ग) मार्च, 1994 के अन्त तक पूंजी व्यय पर राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज द्वारा खर्च की गई राशि लगभग 65 करोड़ रुपए थी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नही उठता।

भारतीय रिजर्व बैंक में कम्प्यूटरीकरण

3544. श्री पंकज चौधरी :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा और यह योजना कब तक कार्यान्वित की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

सहकारी बैंक

3545. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के आर्थिक विकास में सहकारी बैंकों की क्या भूमिका है;

(ख) क्या सहकारी बैंकों पर अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक के निदेशों का उल्लघंन करते हुए पाया गया है, और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे बैंकों की कार्य शैली को सुनियोजित करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सहकारी बैंक देश में ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। वणिज्यिक बैंको (सी॰ बी॰) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर॰ आर॰ बी॰) की तुलना में सहकारी बैंकों द्वारा वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान बुनियादी स्तर ऋण को समग्र रूप में नीचे दर्शाया गया है :-

(करोड़ रुपए)

एजेंसी	1992-93	प्रतिशत शेयर	1993-94 *	प्रतिशत शेयर
सहकारी बैंक	6563	47	8500	56
सी॰ बी॰ और आर॰ आर॰ बी॰	7402	53	6600	44
योग	13937	100	15100	100

*अनन्तिम

(ख) और (ग) आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र के चल रहे सुधार अधिकतर वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर लागू हैं।

(घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जांच के दौरान नोटिस में आए सहकारी बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के उल्लंघनों को सुधार के लिए संबंधित बैंकों को भेजा जाता है।

(ङ) विशेष रूप से घाटे में चल रहे सहकारी बैंको की वित्तीय अर्थक्षमता, परिचालन दक्षता और प्रबन्धकीय योग्यता में सुधार करने के लिए, नाबार्ड ने कार्य योजना तैयार करने के लिए मार्गनिर्देश जारी किए हैं जिसका अनुपालन सहकारी बैंकों को करना है ताकि 2-3 वर्षों की अवधि में चालू परिचालनों में वे अर्थक्षमता प्राप्त कर सकें। सहकारी बैंकों की अन्य वित्तीय संस्थानों की तरह ही अपनी अनिष्पादित आस्तियों से बच कर, अपने लाभों को अधिकतम बनाकर और कारोबार के सिद्धांतों पर अन्य अभिकरणों के साथ मुकाबला कर अर्थक्षमता प्राप्त करनी होती है।

[हिन्दी]

पर्यटन मानचित्र

3546. श्री भीम सिंह पटेल : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिये कोई नवीनतम राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र प्रकाशित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त मानचित्र में देश में अब तक उपेक्षित किये गये ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों को दर्शाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इन पर्यटन स्थलों के नाम क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) पर्यटन विभाग ने देश में प्रमुख पर्यटक आकर्षणों/गन्तव्य स्थलों को दर्शाते हुए भारत का एक मानचित्र तैयार किया है। इस मानचित्र में पर्यटन से जुड़े ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल भी शामिल हैं।

औद्योगिक रुग्णता

3547. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में औद्योगिक रुग्णता और इस समस्या के परिणामों का विश्लेषण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विश्लेषण के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादों का निर्यात

3548. श्री पी० सी० थामस : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारीकरण के फलस्वरूव विश्व बाजार में हमारा व्यापार बढ़ा है ?

(ख) यदि हां, तो रबड़, काली मिर्च, इलायची और लौंग के क्षेत्र में क्या उपलब्धि रही है; और

(ग) सरकार द्वारा इन मदों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रवण मुखर्जी) : (क) भारत से कृषिजन्य वस्तुओं के निर्यात में निरन्तर सुधार हुआ है। रुई को छोड़कर, वर्ष 1991-92 से कृषि जन्य वस्तुओं के निर्यात का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

वर्ष	निर्यात (करोड़ रु० में)
1991-92	4392.93
1992-93	5678.83
1993-94	7524.25

(स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस, कलकत्ता)

(ख) वर्ष 1991-92 से छोटी इलायची एवं काली मिर्च का निर्यात निम्नानुसार रहा :

वस्तु	1991-92	1992-93	1993-94
		(करोड़ रु० में)	
काली मिर्च	74.32	78.31	179.69
इलायची (छोटी)	15.57	7.51	13.86

(स्रोत : स्पाइसेस बोर्ड, कोचीन)

भारत लौंग का आयात करता है क्योंकि इसका उत्पादन घरेलू मांग की पूर्ति करने के लिए अपर्याप्त है। इसी प्रकार, देश में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन भी घरेलू मांग के लिए कम पड़ता है और हम इस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक रबड़ का काफी मात्रा में निर्यात कर सकें।

(ग) सरकार/मसाला बोर्ड ने मसालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं :

(1) गुणवत्ता का मूल्यांकन एवं इसका अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर पर उन्नयन करना,

(2) कढी पावडर, स्पाइस ऑयल और ओलियोरेसिन्स, ब्रांड वाले उपभोक्ता पैकेटों में मसाले, डिहाइड्रेटेड ग्रीन पेपर इत्यादि के रूप में मूल्यवर्धित मसालों के निर्यात को बढ़ाना,

(3) मौजूदा बाजारों का आधार सुदृढ़ करना एवं नए बाजारों का पता लगाना,

(4) अलग-अलग निर्यातकों द्वारा विदेशी बाजारों में निश्चित ब्रांडों को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता प्रदान करना,

(5) उपभोक्ता पैकेटों में मसाले की भारतीयता एवं गुणवत्ता की पहचान के रूप में लोगों के निशान को लोकप्रिय बनाना,

(6) बिक्री-सह-अध्ययन शिष्टमंडल प्रायोजित करना, चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मैलों में भागीदारी और क्रेता-विक्रेताओं की बैठकों का आयोजन करना,

(7) प्रयोगशाला की स्थापना के लिए और आई एस ओ 9000 का प्राधिकार प्राप्ति करने हेतु अनुदान-सहायता देना,

(8) कढ़ी पावडर/पिसे हुए मसाले तैयार करने वाली इकाइयों की स्थापना करने के लिए परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट देना।

महाराष्ट्र में बैंक ऋण

3549. श्री बापू हरि चौरे :

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में महाराष्ट्र में सार्वजनिक क्षेत्र और अनुसूचित वणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों, बेरोजगार युवकों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को श्रेणीवार कितना-कितना ऋण प्रदान किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऋण आवेदन पत्र रद्द किए गए;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 1994-95 के दौरान उक्त वर्गों के व्यक्तियों की सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता/ऋण प्रदान करने और इस संबंध में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्या योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को अपना ऋण मंजूर कराने में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। किसानों, बेरोजगार युवकों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक समुदायों को बैंकों द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधाओं की प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में

शामिल किया जाता है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार सभी भारतीय बैंकों की अपने निवल बैंक ऋण का कम से कम 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देना अपेक्षित है। इस बारे में राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। 40% का निर्धारित लक्ष्य संबंधित बैंक को अखिल भारतीय आधार पर प्राप्त करना होता है। फिर भी सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण की योजना के तहत तैयार की गई वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जिले के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। महाराष्ट्र राज्य के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों के दस्तावेजों से उपलब्ध सूचना के अनुसार 1991-92, 1992-93, 1993-94 और 1994-95 की वार्षिक ऋण योजना के तहत महाराष्ट्र में सभी बैंकों के संबंध में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत रखे गए लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :-

(करोड़ रुपए)

	कृषि		एस एस आई		सेवायें		जोड़	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1991-92	1490.70	1247.35	242.76	262.31	256.17	271.46	1989.62	1781.13 (90)
1992-93	1323.17	1233.55	228.43	246.91	236.10	204.65	1787.70	1685.11 (94)
1993-94	1429.27	1620.48	305.17	283.47	212.54	239.07	1946.98	2143.02 (110)
1994-95	1648.24	-	362.00	-	255.24	-	2265.48	-

इस संबंध में बैंकों के कार्य निष्पादन पर ब्लाक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर रूप से मानीटरिंग की जाती है ताकि वार्षिक ऋण योजना में शामिल किए गए अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत रखे गए लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

आयकर निर्धारिती

3550. श्री सुधीर सावंत : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1994 के अन्त तक आयकर अधिनियम के अन्तर्गत राज्यवार कुल कितने निर्धारिती थे; और

(ख) 31 मार्च, 1994 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक राज्यवार आयकर की कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त थीं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 31-3-1994 की स्थिति के अनुसार कर-निर्धारितियों की राज्य/क्षेत्रवार कुल संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ख) वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य/क्षेत्रवार जांच की गई विवरणियों में निहित मुनाफे/घाटे से संबंधित सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

राज्य/क्षेत्रवार कर-निर्धारितियों की संख्या

31-3-1994 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों में कर-निर्धारितियों की संख्या निम्नलिखित है :

राज्य/क्षेत्र	31-3-1994 की स्थिति के अनुसार कर-निर्धारितियों की लगभग संख्या (लाखों में)
महाराष्ट्र	21.22
उत्तर प्रदेश	7.63
बिहार, उड़ीसा और उ०पू०क्षे०	
राज्य	7.66
पश्चिम बंगाल	11.99
दिल्ली	6.88
पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश	7.36
गुजरात	9.12
कनार्टक	5.25
मध्य प्रदेश	4.34
केरल	2.41
आन्ध्र प्रदेश	5.67
राजस्थान	4.12
तमिलनाडु	8.31
योग	101.96

विवरण-II

वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य/क्षेत्रवार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) (क) के अधीन जांच की गई/धारा 143(3) के अन्तर्गत कर-निर्धारित विवरणियों में निहित मुनाफा या घाटा।

(आंकड़े हजारों में)

राज्य/क्षेत्र	धारा 143(1) (क) के अन्तर्गत जांच की गई/धारा 143(3) के अन्तर्गत कर-निर्धारिति विवरणियां				
	श्रेणी "क"	श्रेणी "ख" उच्च आय	श्रेणी "ग" अन्य	श्रेणी "घ"	
1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	1651.97	15.03	50.95	16.42	5.44
उत्तर प्रदेश	607.69	2.38	5.86	2.40	0.94
बिहार	540.35	1.29	20.01	1.83	1.68
पश्चिम बंगाल	734.50	3.72	23.63	4.55	2.29
दिल्ली	516.99	5.74	23.91	5.41	1.68
पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश	648.25	1.68	15.98	2.35	1.88
गुजरात	881.16	4.09	20.62	3.06	3.11
कनार्टक	398.97	1.79	22.74	3.97	2.57
मध्य प्रदेश	326.84	0.88	4.03	0.72	0.57
केरल	132.54	1.09	5.95	1.08	1.56
आन्ध्र प्रदेश	389.52	7.66	19.70	2.50	2.94
राजस्थान	313.79	0.77	3.04	0.64	0.52
तमिलनाडु	499.78	3.35	10.36	5.86	3.67
केन्द्रीय प्रभार	12.06	1.27	2.69	1.98	1.42

टिप्पणी :

श्रेणी "क" 50,000/-रु० से कम मुनाफे या घाटे वाले कम्पनी मामले और 2 लाख रु० से कम मुनाफे या घाटे वाले गैर कम्पनी मामले।

श्रेणी "ख" (उच्च आय वर्ग) 50,000/-रु० से 5 लाख रु० तक के मुनाफे या घाटे वाले कम्पनी मामले तथा 2 लाख रु० से 5 लाख रु० तक के अन्य मामले।

श्रेणी "ख" (अन्य) 5 लाख रु० या इससे अधिक परन्तु 10 लाख रु० से कम के मुनाफे या घाटे वाले मामले (कम्पनी तथा गैर कम्पनी दोनों)

श्रेणी "ग" 10 लाख रु० और इससे अधिक के मुनाफे या घाटे वाले मामले (कम्पनी और गैर कम्पनी दोनों)

श्रेणी "घ" तलाशी एवं जब्ती संबंधी मामले।

सिले-सिलाये वस्त्रों का निर्यात

3551. श्री एम० कृष्ण स्वामी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु से गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने मूल्य के वस्त्रों का निर्यात किया गया तथा इनसे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई; और

(ख) तमिलनाडु के वस्त्र निर्यातकों को बेहतर सुविधायें प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) सिले-सिलाए परिधानों के राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) सरकार ने वस्त्रों के निर्यात, जिनमें तमिलनाडु से होने वाले परिधानों के निर्यात भी शमिल हैं, बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं जिनमें क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन देना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल का आयात करना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल का शुल्क मुक्त आयात करने के विशेष प्रबंध करना, निर्यात ऋण की बढ़ी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं।

तूतीकोर्न विमानपत्तन

3552. श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन :

श्री चित्त बसु :

श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्ष पूर्व चालू किया गया वगाइकुलम में तूतीकोर्न विमानपत्तन बंद हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विमानपत्तन के निर्माण तथा विकास पर कितना खर्च किया गया ; और

(घ) इसे चालू करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) वगईकुलम स्थित तूतीकोरिन हवाई अड्डे का निर्माण 3.66 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था और यह 3-4-1992 से चालू हो गया

था। वाणिज्यिक और प्रचालनात्मक कारणों से वायुदूत इस समय तूतीकारिन हवाई अड्डे के लिए/से अपनी सेवाएं पुन: आरंभ करने में सक्षम नहीं है। यह हवाई अड्डा प्रचालनों के लिए उपर्युक्त है और एयरलाइनें अपने वाणिज्यिक और प्रचालनात्मक विवेक के आधार पर इस हवाई अड्डे के लिए/से प्रचालन कर सकती है।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

3553. श्री अवतार सिंह भडाना :

श्री येल्लैया नंदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत 1993-94 के दौरान और चालू वर्ष में अभी तक कितने बेरोजगार युवकों ने ऋण के लिए आवेदन किया है और इनमें से राज्यवार कितने युवक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के हैं;

(ख) इनमें से श्रेणीवार कितने मामलों में स्वीकृति दे दी गई है और कितने अभी तक लम्बित हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान श्रेणीवार और राज्यवार कितनी धनराशि मंजूर की गई और कितनी राशि वास्तव में वितरित की गई; और

(घ) उक्त योजना के अन्तर्गत ऋणों को बिना विलम्ब के मंजूर करने और इस योजना को सभी राज्यों में उचित ढंग से लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पी एम आर वाई) के अंतर्गत, 1993-94 के दौरान 42040 हिताधिकारियों के लक्ष्य के मुकाबले जिला उद्योग केन्द्रों ने ऋण हेतु बैंकों को 85580 (अनन्तिम) आवेदन स्पांसर किए और बैंकों द्वारा 31558 (अनन्तिम) मामलों में ऋण मंजूर किए गए। चालू वर्ष (1994-95) के लिए, पी एम आर वाई के अंतर्गत 2.21 लाख हिताधिकारियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चालू वर्ष में, इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

1993-94 के दौरान, पी एम आर वाई के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (ओ बी सी) से संबंधित उन हिताधिकारियों की संख्या, जिन्हें ऋण मंजूर किए गए थे और स्वीकृत/संवितरित ऋण की राशि से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कहा है। इसके अलावा, पीएमआरवाई की प्रगति की निगरानी जिला स्तर पर जिला स्तंरीय परामर्शदात्री समिति तथा जिला पीएमआरवाई समिति द्वारा, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति और राज्य पीएमआरवाई समिति द्वारा तथा राष्ट्रीय स्तर पर लघु उद्योग विभाग द्वारा गठित पी एम आर वाई से संबंधित उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा की जाती है।

[अनुवाद]

जीवन बीमा निगम के पॉलिसी धारक

3554. श्री प्रेमचन्द राम : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारी तथा अन्य उच्च अधिकारी पॉलिसी धारकों को पूर्ण सहयोग देते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार को उक्त अधिकारियों के व्यवहार के विरुद्ध पालिसी धारकों से शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) जी हां। पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार ने पालिसी धारकों से दावों के निपटान में देरी और दावों की अस्वीकृति आदि से संबंधित केवल 639 शिकायतें प्राप्त की हैं जिनमें से अब तक 623 का जीवन बीमा निगम द्वारा निपटान कर दिया गया है। जीवन बीमा निगम जैसे विशाल संगठन में, जिसकी लगभग 2000 शाखाऐं पूरे देश में फैली हुई हैं, पालिसीधारकों और परिचालन अधिकारियों के बीच कभी-कभी गलतफहमी हो जाती है लेकिन कम्पनी द्वारा उन पर तुंरत ही ध्यान दिया जाता है और उनका निपटान किया जाता है। पालिसीधारकों की शिकायतों को ठीक करने और सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने को ध्यान में रखते हुए जीवन बीमा निगम द्वारा शाखा कार्यालय मंडलीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यलय और केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर समय-समय पर अस्वीकृत दावों के पुनरीक्षण हेतु दावा पुनरीक्षण समितियों का गठन किया गया है। जीवन बीमा निगम का निदेशक मंडल सफल ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने के लिए जन शिकायतों के मामलों को निपटाने और दावों के निपटाने के लिए लगातार पुनरीक्षण करता रहता है।

[हिन्दी]

बिहार को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता

3555. श्री लाल बाबू राय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई॰ डी॰ बी॰ आई॰) को बिहार से गत तीन वर्षों के दौरान कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) कितने आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये और कितने आवेदन पत्र अस्वीकृत किए गए; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने राज्य में उद्योगों के लिये सीधे कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बिहार से प्राप्त आवेदनों की संख्या और उसके द्वारा मंजूर और

नामंजूर किए गए आवेदनों की संख्या निम्नलिखित है :–

	1991-92	**1992-93**	**1993-94**
प्राप्त आवेदन	26	28	14
मंजूर आवेदन	18	18	11
नामंजूर/वापस लिए/ बन्द आवेदन	8	4	0

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान बिहार में उद्योगों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मंजूर और संवितरित प्रत्यक्ष सहायता निम्नलिखित है :–

(करोड़ रुपए)

	मंजूर	**संवितरित**
1991-92	279.5	100.2
1992-93	124.3	213.4
1993-94	60.9	50.8

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

3557. श्री राम कृपाल यादव :

श्री खेलन राम जांगडे :

प्रो॰ सवित्री लक्ष्मणन :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी पर वर्ष-वार कितना व्यय किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस अकादमी में वर्ष-वार कितने पायलटों को प्रशिक्षित किया गया;

(ग) इस अकादमी में प्रशिक्षणार्थियों के प्रवेश हेतु क्या नियम और मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार पायलटों की कमी को दूर करने हेतु प्रशिक्षणार्थियों को इस प्रशिक्षण में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी पर किया गया खर्च निम्न प्रकार है :

वर्ष	राशि (लाखों रुपयों में)
1991-92	293.91
1992-93	317.37
1993-94	278.36

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी द्वारा प्रशिक्षित किए गए विमानचालकों की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	विमानचालक
1991-92	51
1992-93	08
1993-94	43

(ग) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में वणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

(1) ऊपरी आयु सीमा 23 वर्ष।

(2) भौतिकी और गणित सहित 10 + 2 कक्षा उत्तीर्ण की हो।

(3) पूर्ववर्ती तीन वर्षों में 30 घंटे एकाकी उड़ान सहित 60 घंटे के अनुभव सहित वैध भारतीय निजी विमानचालक लाइसेंस धारक होना चाहिए।

(4) वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस स्तर पर चालू डाक्टरी आरोग्य प्रमाण पत्र।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

3558. श्री केशरी लाल : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान देश में अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर कितने यात्रियों का आवागमन हुआ;

(ख) गत वर्ष की इस अवधि की तुलना में इन विमानपत्तनों पर यात्री आवागमन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों के आवागमन में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर कुल 209.69 लाख यात्रियों का आवागमन हुआ।

(ख) यत्रियों की संख्या में 11.5% की वृद्धि हुई है।

(ग) विदेशों के 18 अन्तर्राष्ट्रीय विमान वाहकों को बढ़ी हुई आवृत्ति/सीट क्षमताओं एवं अतिरिक्त स्थलों के लिए प्रचालन के अधिकार के रूप में अतिरिक्त यातायात अधिकार प्रदान किए गए हैं। बदले में भारत के नामित वाहकों के लिए भी ऐसी ही अधिकार प्राप्त किए गए थे।

कपड़े की खपत

3559. श्री खेलन राम जांगडे : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्रति व्यक्ति कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी और इस समय प्रति व्यक्ति कितने मीटर कपड़ा उपलब्ध है;

(ख) इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा तैयार की गई कार्यवाही योजना का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक कपड़े की प्रति व्यक्ति आवश्यकता लगभग 33.58 वर्ग मीटर होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 1993-94 के दौरान कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 25.81 वर्ग मीटर होने का अनुमान था।

(ख) सरकार ने कपड़े की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

(1) केवल स्थानीय मार्गदर्शी सिद्धांतों के अध्यधीन क्षमता के सृजन तथा विस्तार पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना।

(2) ओ॰ जी॰ एल॰ के अन्तर्गत वस्त्र मशीनों के आयात की अनुमति देना तथा ऐसी मशीनों के आयात पर शुल्क में कटौती करना, और

(3) जब कभी भी आवश्यक हुआ तब नीति संबंधी हस्तक्षेप करने के माध्यम से उद्योग को कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय करना।

[अनुवाद]

रोजगार कार्यालय

3560. श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में रोजगार कार्यालयों को निकट भविष्य में पुनर्गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) और (ख) रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है तथा राष्ट्रीय रोजगार सेवा संबंधी कार्यदल की बैठक में सेवाओं में सुधार लाने एवं उन्हें गतिशील बनाने के प्रस्तावों पर विचार किया जाता है, तो वर्ष में सामान्यत: एक बार होती है। कार्यदल रोजगार चाहने वालों तथा नियोजकों दोनों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रक्रिया के सरलीकरण की सिफारिश करता है।

[हिन्दी]

सामूहिक बीमा योजना

3561. डा० परशुराम गंगवार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भूमिहीन कृषि श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत शामिल करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान राज्यवार कितनी-कितनी सहायता राशि दी गई; और

(ग) इस योजना को और अधिक कारगार बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, जीवन बीमा निगम 18-60 वर्ष की आयु वर्ग के सभी भूमिहीन कृषि मजदूरों को शामिल करते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से 15 अगस्त, 1987 से भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए एक समूह बीमा योजना कार्यान्वित करता रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत समस्त प्रीमियम का भार केन्द्र सरकार उठाती रही। समाज के कमजोर और असुरक्षित वर्गों के लिए चलाई गई समूह बीमा योजना के अन्तर्गत प्रीमियम के संबंध में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा 1988 में एक "सामाजिक सुरक्षा निधि" स्थापित की गयी इस निधि की स्थापना के पश्चात भूमिहीन कृषि मजदूरों पर आने वाले समस्त प्रीमियम की राशि को इस निधि से पूरा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, समूह बीमा स्कीमें समाज के ऐसे कमजोर वर्गों को शामिल करने के लिए आरम्भ की गई थी जो 23 अभिज्ञात पेशों में लगे हुए हैं। इन स्कीमों के संबंध में 50 प्रतिशत प्रीमियम की राशि को सामाजिक सुरक्षा निधि में से पूरा किया जाता है। इन 23 अभिज्ञात व्यवसायों में भूमिहीन कृषि मजदूर सामूहिक बीमा योजना और अन्य समूह बीमा योजनाओं के अन्तर्गत प्रीमियम संबंधी आर्थिक सहायता के रूप में दी गई सहायता राशि के ब्यौरे संग्रहीत करके सभापटल पर रख दिए जाएंगे।

(ग) स्कीम को व्यापक प्रचार देने के उद्देश्य से जीवन बीमा निगम पंचायतों, तहसीलों और मंडलों के कार्यालयों में पोस्टरों को मुद्रित करा कर उनका प्रदर्शन करता है, होर्डिंग्स लगाता है, पुस्तिकाओं और "नई आशा नई दिशा" जैसी स्क्रीन फिल्मों को वितरित करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो के माध्यम से वार्ताएं आयोजित करता है।

[अनुवाद]

धन का विदेशों में भेजा जाना

3562. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जुलाई, 1994 के कलकत्ता से प्रकाशित "अमृत बाजार पत्रिका" के उस समाचार शीर्षक की तरफ दिलाया गया है जिसमें थोमस डफ ग्रुप की कंपनियों के मालिक के द्वारा धन को विदेशों में भेजे जाने संबंधित समाचार छपा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मालिक द्वारा कितना धन स्वदेश भेजा गया;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई छानबीन की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

करेंसी प्रिंटिंग प्रेस

3563. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जुलाई, 1994 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "मिन्ट्स मार्डनाइजेशन प्लान वे आफ टार्ग्रेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आधुनिकीकरण कार्य को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1989 में सरकार द्वारा टकसालों के आधुनिकीकरण के लिए कार्रवाई शुरू की गई। बंबई, कलकत्ता और हैदराबाद में टकसालों के आधुनिकीकरण की शुरू की लागत 42.30 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा घटक सहित, 118.28 करोड़ रुपए तक प्राक्कलित की गई थी। फिर भी, संसाधन दबावों के रहते हुए परियोजना को शुरू नहीं किया जा सका। दिसम्बर, 1996 तक परियोजना को पूरा किए जाने के लिए शून्य सीमा शुल्क सहित 301.82 करोड़ रुपए की संशोधित प्राक्कलित लागत पर निर्णय लिया गया।

(ग) अधिकतर वसूली कार्रवाइयों को पूरा कर लिया गया है। इस आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संबंध में 301.82 करोड़ रुपए की संशोधित अनुमान की तुलना में अब तक 75.26 करोड़ रुपए की राशि पहले ही व्यय की गई है। सरकार ने परियोजना के गहीन अनुवीक्षण किए जाने के लिए समिति गठित की है जिससे निर्धारित समय सरंचना के अन्तर्गत आधुनिकीकरण कार्यक्रम को पूरा किया जा सके।

कर वसूली बोर्ड

3564. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जुलाई, 1994 के जनसत्ता में "लावारिस पड़े हैं राजस्व वसूली से जुड़े दोनों बोर्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) इन दोनों बोर्डों के कामकाज को सामान्य रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हाँ। परन्तु खबर तथ्यपूर्ण नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता सेवाएं

3565. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की उपभोक्ता सेवाएं निराशापूर्ण हैं;

(ख) क्या निर्यात क्षेत्र में भी यह सेवा संतोषजनक नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ग्राहक सेवा में सुधार सुनिश्चित करने के प्रति सरकार उत्सुक है। इस मसले की जांच करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष, श्री एम॰ एन॰ गोइपोरिया की अध्यक्षता में सितम्बर 1990 में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने व्यापक सिफारिशें की हैं। इस समिति की स्वीकार की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं।

चाय संवर्धन केन्द्र

3566. प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चार चाय संवर्धन केन्द्रों की उपलब्धियां क्या रही हैं;

(ख) क्या इन केन्द्रों द्वारा जनता को रियायती दरों पर चाय बेची जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय चाय को देश-विदेश में लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) चाय बोर्ड दिल्ली में संसद भवन, योजना भवन, उद्योग भवन तथा नार्थ ब्लाक में चार चाय बार/बफेट चलाता है। इन बार/बफेट के जरिए संसद सदस्यों तथा उपर्युक्त इमारतों में स्थित मंत्रालयों/कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों को अच्छी क्वालिटी की भारतीय चाय पेश की जाती है। उपर्युक्त बार/बफेट में चाय की बिक्री-कीमतों से चाय पत्ती तथा अन्य अवयवों की लागत तो पूरी हो जाती है, परन्तु इससे स्थापना तथा अन्य ऊपरी खर्चों की लागत नहीं मिलती है।

टी बोर्ड द्वारा नई दिल्ली में चलाए जा रहे इन चार केन्द्रों के अलावा, बोर्ड बम्बई, मद्रास और तिरुमलाई में तीन अतिरिक्त चाय केन्द्र चला रहा है।

(ग) चाय भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय और व्यापक खपत वाले पेयों में से एक है। देश में चाय जो घरेलू खपत पहले ही 15 मिलियन किग्रा॰ प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। चाय बोर्ड के बार/बफेट घरेलू उपभोक्ताओं के बीच विभिन्न प्रकार की चाय को लोकप्रिय बनाने के साधन हैं।

विदेशी बाजार में भारतीय चाय को बढ़ावा देने के लिए चाय बोर्ड द्वारा दिए गये उपायों में चाय बोर्ड के विदेश स्थित कार्यालयों के जरिए एकल राष्ट्रीय अभियान शामिल है। इसमें (1) व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना (2) उपभोक्ता के बीच भारतीय चाय के विभिन्न अद्वितीय गुणों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मीडिया अभियान (3) चाय बोर्ड विपणन प्रतीक के जरिए भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाने के लिए मीडिया अभियान और (4) भारतीय चाय वाले विभिन्न विदेशी ब्रान्डों को सहायता शामिल है। संवधर्नात्मक अभियानों के लिए आयातकों द्वारा किए गए खर्च का एक अंश चाय बोर्ड के बजट से पूरा किया जाता है। चाय बोर्ड ने ब्रिटेन में भी स्वतंत्र रूप से दार्जिलिंग और असम लोगो अभियान चलाया है।

हथकरघा एकक

3567. श्री फूलचंद वर्मा : क्या **वस्त्र** मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने हथकरघा एकक बंद पड़े हैं;

(ख) क्या इन एककों के संबंध में सरकार ने कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन्हें पुनः चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) देश में कितनी हथकरघा इकाइयां बन्द पड़ी हैं इसके आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध नहीं हो सकते क्योंकि यह उद्योग विकेन्द्रीकृत प्रकार का है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान

3568. श्री अशोक आनंदराव देशमुख : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान में कर्मचारी के अंश का भुगतान न किया जाने को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों के हिस्से सहित भविष्य निधि अंशदान, निधि में जमा करने की जिम्मेदारी नियोक्ता की है। कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14 क ख के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा अंशदान के भुगतान में चूक संबंधी कोई अपराध पहले से ही संज्ञेय अपराध है।

प्रोजेक्ट लार्ज

3569. श्री शरद दिघे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोजेक्ट लार्ज (लीगल) एडजेस्टमेंट्स फार गयोबलाइसिंग द इकानमी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) श्रीमान जी, अभी तक रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि उत्पादों का निर्यात

3570. प्रो॰ उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **वणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् के एक अध्ययन के अनुसार देश में कृषि उत्पादों के निर्यात की व्यापक संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो एन॰ सी॰ ए॰ ई॰ आर॰ द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने 17 चुनिन्दा कृषिजन्य वस्तुओं की निर्यात-प्रतिस्पर्धात्मकता के संबंध में एक अध्ययन किया है। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष यह हैं कि हमारे कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं :-

(1) सभी प्रकार के निर्यात नियंत्रण और सरणीयन जैसे विनियम, निर्यात कोटा और न्यूनतम निर्यात कीमतें समाप्त करना;

(2) प्रमुख रेल-केन्द्रों और बन्दरगाहों पर बल्क भंडारण तथा हैण्डलिंग सुविधाओं का अवस्थापना विकास;

(3) निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार हेतु अनुसंधान एवं विस्तार कार्यों में दीर्घावधि पूंजीनिवेश नियंत्रणों का सुव्यवस्थीकरण पिछले कुछ वर्षों में निर्यात व्यापार के उदारीकरण की एक प्रमुख विशेषता रही है और यह एक सतत प्रक्रिया है। इसी प्रकार, निर्यात हेतु अपेक्षित अवस्थापना सुविधाओं में सुधार और उसके विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है जिसमें गैर-सरकारी क्षेत्र के पूंजी निवेश को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने कृषि उत्पादों की उत्पादकता तथा क्वालिटी में सुधार लाने के लिए कार्यक्रम चलाए हैं। सरकार ने कार्बनिक उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाने के उद्देश्य से एक स्थायी एवं प्रत्यायन समिति का गठन किया है जो निरीक्षण तथा प्रमाणन एजेंसियां प्राधिकृत करने हेतु नीतियां एंव क्रियाविधियां तैयार करेगी।

वित्तीय ऋण योजना

3571. स्क्वैड्रन लीडर कमल चौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साबुन उद्योग में प्रयुक्त होने वाले गौण तेलों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क के लिए वित्तीय ऋण योजना के प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में वर्ष-वार कितने राजस्व का घाटा उठाना पड़ा; और

(ग) इस अवधि के दौरान इस योजना के लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है तथा उनको लाभ में कितनी राशि मिली ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वित्त मंत्रालय ने साबुन उद्योग में प्रयुक्त होने वाले गौण तेलों के उत्पादन की वृद्धि पर योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के बारे में कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है;

(ख) और (ग) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्य तेलों का निर्यात

3572. श्री छीतूभाई गामीत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य तेल का निर्यात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो मद-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस का निर्यात करने से पहले देश आन्तरिक उत्पादन से घरेलू मांग को पूरा करने की स्थिति में है;

(घ) यदि हां, तो इस समय खाद्य तेल की मदवार घरेलू मांग कितनी है;

(ङ) यदि हां, तो खाद्य तेलों का निर्यात करने के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार घरेलू मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (च) एक्सिम नीति 1992-97 के अनुसार, खाद्य तेलों के बल्क निर्यात की अनुमति नहीं दी जाती है। किन्तु, 5 किग्रा॰ से कम वजन की उपभोक्ता पैकों में खाद्य तेलों (मूंगफली के तेल को छोड़कर) के निर्यात की अनुमति इस दीर्घावधि उद्देश्य से दी जाती है कि अर्न्तार्ष्ट्रीय बाजार में हमारी मौजूदगी कायम रहे और क्योंकि इस निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा की सहायता से पामोलीन जैसे सस्ते तेलों का आयात किया जा सकता है जो कि घरेलू खपत के लिए जरूरी होता हो।

आर्थिक सर्वेक्षण 1993-94 के अनुसार वर्ष 1992-93 में खाद्य तेल (मूंगफली के तेल, रेपसीड तथा सरसों के तेल, तिल के तेल, निगरसीड तेल, सोयाबीन तेल तथा सूरजमुखी के तेल और वनस्पति घी के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले तेलों सहित) को प्रति व्यक्ति उपलब्धता अनन्तिम तौर पर 7.00 किग्रा॰ आंकी गई।

स्थानीय मांग के किसी भी कमी को ठीक से पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने पामोलीन के मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सरकार तिलहनों एवं दालों संबंधी तकनालॉजी मिशन के जरिए देश में विभिन्न तिलहनों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने हेतु निरन्तर प्रयासरत है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता वस्तुओं का आयात

3573. श्री बी॰ एल॰ शर्मा प्रेम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने भारत से देश में उपभोक्ता जिन्सों पर लगाये गये प्रतिबंध को हटाने के लिये कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पटसन समाहरण कोष

3574. डा॰ असीम बाला : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे पटसन की खरीद के लिये बनाये गये पटसन समाहरण कोष का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय पटसन निगम को 1994-95 के दौरान कच्चे पटसन की खरीद के लिये कोई धनराशि दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) इस प्रकार का कोई कोष नहीं है।

(ख) और (ग) बजट प्राक्कलन 1994-95 में 6 करोड़ रु॰ की राशि का प्रावधान था जोकि जे॰ सी॰ आई॰ को पहले ही रिलीज की जा चुकी है।

निर्यातोन्मुख एककों की स्थापना

3575. डा॰ के॰ वी॰ आर॰ चौधरी : क्या वणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्यवार स्थापित शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक कितने हैं; और

(ख) उन एककों की संख्या और ब्यौरा क्या है, विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश में, जिन्होंने उक्त अवधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष स्थापित किए जाने हेतु अनुमोदित 100% निर्यातोन्मुख एककों की संख्या

	1991-92	1992-93	1993-94
महाराष्ट्र	22	122	75
आन्ध्र प्रदेश	18	97	84
असम	1	1	2
गुजरात	30	64	35
हरियाणा	10	42	25
हिमाचल प्रदेश	2	2	5
कर्नाटक	25	55	54
केरल	1	18	14
मध्य प्रदेश	6	14	13
उड़ीसा	8	9	5
पंजाब	2	7	4
राजस्थान	16	48	40
तमिलनाडु	38	90	65
उत्तर प्रदेश	22	55	23
पश्चिम बंगाल	1	18	5
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1	2	1
दादर तथा नागर हवेली	–	3	1
दिल्ली	2	47	12
गोआ, दमन तथा दियु	4	10	6
मेघालय	–	–	1
पांडिचेरी	1	1	2
अन्य*	1	13	6
	211	718	478

* भारतीय अनन्य आर्थिक जोन में प्रचालन हेतु गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी एकक

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पर्यटन विकास

3576. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में सरकार द्वारा पर्यटन पर बल देने के बावजूद भी स्थिति संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो पर्यटन विकास के मार्ग में क्या-क्या बाधाएं हैं; और

(ग) इन बाधाओं को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) हाल के वर्षों में सरकार द्वारा बल दिए जाने के फलस्वरूप देश में पर्यटकों के आगमन में तथा साथ ही विदेशी मुद्रा आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

तथापि, देश में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन विकास का पूरी क्षमता तक विकास करने के मार्ग में बाधाएं हैं जैसे आधारभूत सुविधाएं पर्याप्त नहीं होना, परिवहन सेवाएं संतोषजनक नहीं होना, नागरिक सुख-सुविधाएं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की नहीं होना आदि।

विभाग ने इन मामलों को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों के साथ क्षेत्रीय पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलनों जैसे विभिन्न मंचों पर उठाया है जो अपनी संसाधन-सीमा में रहते हुए इन त्रुटियों की ओर ध्यान दे रहे हैं।

तस्करी

3577. श्री शिव शरण वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष दिल्ली के इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर तस्करी से लाया गया कितने मूल्य का चांदी और सोना पकड़ा गया;

(ख) तस्करी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सीमाशुल्क के कतिपय अधिकारी सम्बद्ध पाये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली पर पकड़े गये चांदी और सोने के मूल्य का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(मूल्य लाख रुपयों में)

	चांदी	सोना
1991-92	0.68	865.85
1992-93	16.80	560.67
1993-94	0.33	288.23

(ख) इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर तस्करी रोधी गतिविधियों को तेज कर दिया गया है। संवेदनशील हवाई अड्डों से आने वाली उड़ानों की पूरी तरह से जांच-पड़ताल की जाती है। तस्करी की रोकथाम के लिए किये गये उपायों में इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाना,आसूचना संग्रह करने के कार्य में तेजी लाना, असबाब एक्सरे मशीनों और धातु खोजियों जैसे अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता से संवेदनशील उड़ानों से आने वाले यात्रियों के असबाब की जांच-पड़ताल करना और तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम में लगी सभी एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाये रखना शामिल है।

(ग) इन मामलों में किसी भी सीमाशुल्क अधिकारी को शामिल नहीं पाया गया है।

(घ) ऊपर (ग) को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में पर्यटन परियोजना

3578. श्री शंकरसिंह वाघेला :

श्री छीतूभाई गामीत :

श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान गुजरात में पर्यटन विकास के लिये आरक्षित परियोजनाओं/योजनाओं का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं/योजनाओं में से किन-किन परियोजनाओं/योजनाओं को स्वीकृति दी गयी है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना/योजना हेतु कितनी-कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) वर्ष 1994-95 के दौरान गुजरात राज्य में मेलों और उत्सवों के आयोजन हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

भारतीय होटल निगम के होटल

3579. श्री मोहन रावले : क्या **नागर विमानन** और **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया की सहायक कम्पनी भारतीय होटल निगम द्वारा चलाए जा रहे होटलों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक होटल द्वारा प्रति वर्ष कितना लाभ अर्जित किया गया/उन्हें प्रतिवर्ष कितनी हानि हुई ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) भारतीय होटल निगम निम्नलिखित होटलों का संचालन करता है।

1. सेन्टॉर होटल बम्बई हवाई अड्डा।

2. सेन्टॉर होटल जुहू बीच।

3. सेन्टॉर होटल दिल्ली हवाई अड्डा।

4. सेन्टॉर लेक व्यू होटल, श्रीनगर।

5. सेन्टॉर होक्के होटल, राजगिर बिहार। (यह होटल जापान के होक्के क्लब के सहयोग से चलाया जा रहा है।)

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन होटलों का वित्तीय निष्पादन निम्नवत् है :

(करोड़ रुपयों में)

होटल का नाम	1991-92 लाभ/(हानि)	1992-93 लाभ/(हानि)	1993-94 लाभ/(हानि) (अनंतिम)
सेन्टॉर होटल बम्बई हवाई अड्डा	1.99	2.13	4.36
सेन्टॉर होटल जुहू बीच	(2.72)	(2.65)	0.37
सेन्टॉर होटल दिल्ली हवाई अड्डा	(2.17)	(1.47)	0.09
सेन्टॉर लेक व्यू होटल श्रीनगर	(4.44)	(5.68)	(5.44)
सेन्टॉर होक्के होटल, राजगिर बिहार	0.10	0.17	0.36

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम

3580. श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री प्रमोथेस मुखर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वित्त और पुर्ननिर्माण बोर्ड ने अनिवासी भारतीयों के कुछ प्रस्तावों सहित सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को पुनः चालू करने संबंधी योजनाओं में विलम्ब किया है;

(ख) क्या इन योजनाओं और प्रस्तावों का औद्योगिक वित्त और पुनर्निमाण बोर्ड के पास भेजने के फलस्वरूप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इनकी बाजार साख में गिरावट आई है;

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं ने भी उपरोक्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दी जाने वाली सहायता में आंशिक रूप से कमी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में किए गये उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एसआईसीए) की धारा 15 के तहत रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के लिए यह बाध्यकारी है कि वे औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) के पास मामला भेजें। एसआईसीए के उपबंधों के अनुसार किसी रुग्ण औद्योगिक कंपनी को बंद करने के बारे में लिए गए निर्णय को न्यायोचित और संगत मानने से पहले, बाइफर को उस कंपनी के पुनरुद्धार के लिए कई वैकल्पिक उपाय करने होते हैं। बाइफर को प्रशासनिक मंत्रालय और रुग्ण कंपनी सहित सभी संबधितों को सुननने का उचित अवसर भी देना होता है। बाइफर को समय बढ़ाने हेतु प्राप्त अनुरोध पर भी विचार करना होता है। इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के कुछ रुग्ण उपक्रमों के मामले में बाइफर ने अनुरोध किए जाने पर, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/कपंनी का समय की मंजूरी दी है ताकि वे अतिरिक्त निधि लगाने जैसे मुद्दों और संबंधित मामलों पर अपना अंतिम मंतव्य दे सके। ये मंतव्य किसी कंपनी के पुनरुद्धार या विकल्प के रूप में उन्हें बंद करने के लिए अंतिम निर्णय लेने हेतु आवश्यक हैं। सरकारी क्षेत्र के पांच मामलों के संबंध में अदालतों ने बाइफर की कार्यवाहियों को स्थगित भी कर दिया है।

(ग) से (ङ) जहां एसआईसीए की धारा 17(2) और धारा 18(4) के अंतर्गत बाइफर द्वारा सरकारी क्षेत्र की रुग्ण कंपनी के पुनर्वास की योजना मंजूर की गई है, सरकारी क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्थायें मंजूरशुदा योजना के अनुसार सुविधाएं प्रदान करते हैं। दूसरे मामलों में बैंक/वित्तीय संस्थायें आवश्यकता पर आधारित सहायता प्रदान करती हैं और अलग-अलग मामलों के संबंध में परिचालन जारी रखने (होल्डिंग आन) की अनुमति देती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि उन्हें ऐसे एककों को ऋण सुविधाएं अकस्मात बंद नहीं करनी चाहिए बल्कि परिचालन जारी रखने (होल्डिंग आन) के संबंध में अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए।

[हिन्दी]

खान और कृषि मजदूर

3581. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में अलग-अलग कितने खान और कृषि मजदूर हैं; और

(ख) मध्य प्रदेश में दोनों ही श्रेणी के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी कितनी निर्धारित की गई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य मे लगभग 2.2 लाख खान कर्मकार तथा 58.6 लाख खेतिहर कर्मकार हैं।

(ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन राज्य सरकारें तथा केन्द्र सरकार अपने-अपने क्षेत्रों में अनुसूचित नियोजनों में न्यूतनम मजदूरी नियत करने तथा उसमें संशोधन करने के लिए समुचित प्राधिकरण हैं।

हालांकि कृषि संबंधी अनुसूचित नियोजन राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, परन्तु खानों संबंधी अनुसूचित नियोजन अधिकांशत: केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे कम मजदूरी पाने वाले खेतिहर कर्मकार की मजदूरी 28.17 रु० प्रतिदिन नियत की गयी थी इसे पिछली बार 1.4.1993 को संशोधित किया गया था। केन्द्रीय सरकार द्वारा खान क्षेत्र में भूतल पर तथा भूमि के अन्दर नियोजित सबसे कम मजदूरी पाने वाले अकुशल कर्मकारों के लिए नियत की गयी न्यूनतम मजदूरी क्रमश: 28.00 रु० तथा 34.00 रु० है। इन मजदूरियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछली बार 12.7.1994 को संशोधित किया गया था।

हस्तशिल्प मेले/प्रदर्शनियां

3582. श्री गया प्रसाद कोरी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान देश में राज्य वार विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, कितने हस्तशिल्प मेलों/प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया;

(ख) इन मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने वाले दस्तकारों हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) इन प्रदर्शनियों की आय को आयोजकों और दस्तकारों में बांटने का क्या तरीका है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन प्रदर्शनियों में आयोजकों ने कितना लाभ अर्जित किया ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान विभाग द्वारा अथवा अन्य संगठनों की वित्तीय सहायता से उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में आयोजित हस्तशिल्प मेलों/प्रदर्शनियों की राज्यवार संख्या निम्न प्रकार से है :

क्रमांक	राज्य का नाम	वर्ष 1993-94 के दौरान आयोजित मेलों/प्रदर्शनियों की संख्या
1	2	3
1.	असम	16
2.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य
3.	आन्ध्र प्रदेश	21
4.	बिहार	5
5.	दिल्ली	44
6.	गुजरात	28
7.	गोवा	5
8.	हिमाचल प्रदेश	20
9.	हरियाणा	22

1	2	3
10.	जम्मू एवं कश्मीर	43
11.	केरल	32
12.	कर्नाटक	19
13.	मध्य प्रदेश	23
14.	महाराष्ट्र	21
15.	मणिपुर	1
16.	मिजोरम	2
17.	नागालैण्ड	3
18.	उड़ीसा	20
19.	पंजाब	16
20.	पांडिचेरी	6
21.	राजस्थान	24
22.	तमिलनाडु	44
23.	त्रिपुरा	2
24.	उत्तर प्रदेश	72
25.	पश्चिमी बंगाल	12
26.	सिक्किम	1
27.	अण्डमान एवं निकोबार	1
28.	चण्डीगढ़	1
29.	मेघालय	1
		505

(ख) हस्तशिल्प मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए शिल्पकारों के चयन हेतु अपनाए गए मानदण्ड इस प्रकार हैं :

(1) भाग लेने वाले शिल्पकार वास्तविक शिल्पकार होने चाहिए;

(2) इन कार्यक्रमों में कारीगरों की प्राय: पुनरावृत्ति नहीं की जाती है; और

(3) लुप्तप्राय शिल्पों में कार्यरत कारीगरों और समाज के कमजोर वर्गों के कारीगरों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

(ग) हस्तशिल्प मेले/प्रदर्शनियां आयोजित करने की विकासात्मक योजनाओं में आय सृजित करने के लिए कोई व्यवस्था करने की परिकल्पना नहीं की गई है। अत: आय वितरण करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

3583. श्री अन्ना जोशी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में खोले जाने के लिए प्रस्तावित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का ब्यौरा क्या है और ये संस्थान किन-किन स्थानों पर खोले जाएंगें;

(ख) ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कब से काम करना शुरू कर देंगे;

(ग) इन पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(घ) प्रति वर्ष कितनी महिला उम्मीदवार इनसे लाभान्वित होंगी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार संबंधित जिलों की जिला आयोजना एवं विकास समिति द्वारा निधियां उपलब्ध कराते ही कोल्हापुर, नान्देड़ तथा सिंघखेड़ राजा (जिला बुलढाना) में तीन महिला औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पर अनुमानित व्यय 1 करोड़ से 1.5 करोड़ होगा। इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रतिवर्ष 288 महिला उम्मीदवारों के लाभान्वित होने की संभावना है।

[हिन्दी]

नाबार्ड योजना

3584. श्री बीर सिंह महतो : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में छोटे किसानों के विकास के लिए "नाबार्ड" द्वारा चलाई जा रही योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में किन-किन स्थानों में इस योजना को कार्यान्वित किया गया है; और

(ग) अब तक इस योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों के छोटे किसानों के विकास हेतु सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों/योजनाओं के संबंध में पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता रहा है :–

(i) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी)

(ii) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता का व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमएनपीए)

(iii) राष्ट्रीय बायो-गैस विकास कार्यक्रम

(ख) और (ग) नाबार्ड ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल के सभी ब्लाकों को पुनर्वित्त सहायता की योजनाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है। नाबार्ड की पुनर्वित्त सहायता से पश्चिम बंगाल राज्य में योजनाबद्ध ऋण के अंतर्गत बैंकों द्वारा वित्तपोषित किसानों की संख्या से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी, वर्ष 1990-91 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में नाबार्ड की पुनर्वित्त सहायता से योजनाबद्ध ऋण के अंतर्गत बैंको द्वारा वित्तपोषित छोटे किसानों के खातों की अनुमानित संख्या 1,26,800 है।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना

3585. श्री नारायण सिंह चौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1994 के दौरान दिल्ली में मंत्री मण्डलीय सचित के साथ बैठक में निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति के शीघ्र भुगतान का आश्वासन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत बकाया राशि का भुगतान करने हेतु धनराशि जारी की है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह धनराशि कब तक जारी कर दी जाएगी।

(घ) क्या सरकार का विचार निर्यातकों के अनुमोदित दावों को सरकारी प्रतिभूतियों के समतुल्य मानते हुए बदले में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) उक्त बैठक में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत दावों के निपटारे के लिए समय सीमा के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

(ख और (ग) इस पूर्ववर्ती योजना के अन्तर्गत दावों के एक भाग के निपटारे के लिए सरकार ने 1993-94 में 200 करोड़ रुपए जारी किया है। यह तय किया गया है कि योजना के अन्तर्गत लम्बित दावों की शेष राशि को इंजीनियरी माल निर्यात सहायता निधि उपकर के अन्तर्गत होने वाली आय से पूरा किया जाए। इस व्यय को पूरा करने के लिए इसमें सरकार से किसी अतिरिक्त बजट सहायता की आवश्यकता नहीं होगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

परिधान निर्यात कोटा

3586. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : क्या **वस्त्र** मंत्री 13 मई, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7470 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपके अधिकारियों द्वारा की जा रही एक अन्य जांच की रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार को वस्त्र आयुक्त से एक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें यह कहा गया है कि फर्म ने फैक्टरी लाइसेंस और एस एस आई पंजीकरण प्रमाणपत्र में हेराफेरी की थी ताकि वे कोटाओं का आवंटन अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकें। मामले को आगे की कार्रवाई के लिए सी॰ बी॰ आई॰ को भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा वृद्ध यात्रियों को रियायत

3587. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने 65 वर्ष से अधिक की उम्र वाले व्यक्तियों के लिए किराए में पचास प्रतिशत की रियायत देने की घोषणा की है, तथा इसके साथ ही दिल्ली-मुंबई-बंगलौर और कलकत्ता के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को भी वापसी टिकट में रियायत दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स ने 1 अगस्त 1994 से अपने सामान्य रुपए किराए में ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को, जो 65 वर्ष अथवा अधिक आयु के हों, 50% छूट देने की पेशकश की है। ऐसे यात्री को अपने गन्तव्य स्थान पर कम से कम सात दिन रुकना होगा।

इंडियन एयरलाइन्स ने 01-08-94 से बम्बई-दिल्ली, बम्बई-बंगलौर और बम्बई-कलकत्ता मार्ग पर वापसी यात्रा के लिए 25% की छूट देते हुए रियायती वापसी किराये भी लागू किए हैं। टिकट 30 सितम्बर, 1994 तक खरीदे जा सकते हैं और उन पर 7 अक्टूबर 1994 तक यात्रा की जा सकती है।

[अनुवाद]

धन समृद्धि योजना

3588. श्री जे॰ चौक्का राव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने देश में निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए "धन समृद्धि योजना" शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और भारतीय जीवन बीमा निगम ने इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी धनराशि जुटायी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा

निगम ने सूचित किया है कि जीवन बीमा निगम म्यूचुअल फंड ने "धन समृद्धि" नामक एक विशुद्ध वृद्धि स्कीम आरम्भ की है जो 21 जुलाई, 1994 को खोली गयी और 25 अगस्त, 1994 को बंद होगी।

जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि यह एक पांच वर्षीय विशुद्ध वृद्धि स्कीम है जो 31 अगस्त, 1999 को समाप्त होगी। इस स्कीम में न्यूनतम अंशदान 1000/- रुपए है। प्रति निवेशक अधिकतम अनुज्ञेय निवेश 1000 रुपए के गुणकों में 10 करोड़ रुपए तक का है। स्कीम के अन्तर्गत जारी की गयी यूनिटें उनके आवंटन के पश्चात् किसी भी समय हस्तांतरित की जा सकती है। एक वर्ष के पश्चात् पुन:खरीद की अनुमति है। इनके 80 प्रतिशत तक इक्विटी में निवेश की अभिकल्पना है और लाभांश घोषित किये जाने/बोनस यूनिटों के आवंटन की भी व्यवस्था है। स्कीम के अन्तर्गत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80(ठ), 48 और 112 के अर्न्तगत कर-संबंधी लाभ उपलब्ध होंगे। स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाएगी। स्कीम में नामांकन और ग्रहणाधिकार दर्ज किए जाने की भी सुविधाएं हैं। यह स्कीम, जो व्यक्तियों, कम्पनियों, निकाय निगमों, ट्रस्टों, सोसायटियों आदि के लिए भी खुली हुई है, बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली के स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होगी।

इस स्कीम के अन्तर्गत जुटाई गई कुल राशि का पता इसके बंद होने के पश्चात् ही चल सकेगा।

बैंको में घाटे के लिए जुर्माना

3589. कुमारी सुशीला तिरिया :

श्री गुरुदास कामत :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने घाटे में चलने वाले बैंकों पर जुर्माना लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त बैंकों ने जुमनि को माफ करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने हानि उठाने वाले किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक पर अभी तक कोई जुर्माना नहीं लगाया है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

बैंक कर्मचारियों के वेतनमान

3590. श्री ए॰ अशोकराज : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी अपने वेतनमानों में संशोधन तथा त्वरित प्रोन्नति में विलंब हेाने के कारण आन्दोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें विलंब करने के क्या कारण हैं और उनकी शिकायतें कब तक दूर कर दी जायेंगी;

(घ) क्या उक्त बैंकों के लिपिक दस वर्ष से अधिक की सेवा पूरी करने के बाद भी उसी पद पर बने रहते हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार का इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय बैंक संघ ने सूचित किया है कि बैंकों के कर्मचारी शीघ्र वेतन संशोधन सहित विभिन्न मांगो के लिए आंदोलन कर रहे हैं। यह मामला भारतीय बैंक संघा के विचाराधीन है और छठे द्विपक्षीय समझौते के लिए विचार-विमर्शों के कई दौर हो चुके हैं। अलबत्ता, वेतन संबंधी समझौते, जैसाकि उनका स्वरूप होता है, एक लम्बी और दीर्घकालिक प्रक्रिया है और इसके लिए किसी समय सीमा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(ग) से (च) यह कहना सही नहीं होगा कि बैंकिंग उद्योग में लिपिकों के लिए पदोन्नति के अवसर अपर्याप्त है। वस्तुत: सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अधिकारी संवर्ग की 75% रिक्तियों को लिपिक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। इसके अलावा, योग्य अभ्यर्थी 4 से 5 वर्षों की अवधि के अन्दर पदोन्नति प्राप्त कर सकता है। अलबत्ता, बैंको की लिपिकीय सेवा के बहुत से कर्मचारी पदोन्नति नहीं लेते हैं क्योंकि इससे वे अखिल भारत स्थानांतरण के अन्तर्गत आ जाते हैं।

जम्मू और कश्मीर में विकास परियोजनाएं

3591. श्री गुरुदास कामत : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में अरबों रुपयों की विकास परियोजनाएं मंजूर की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस राशि को व्यय करने का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का है या राज्य सरकार का ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखरमूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और प्रस्तुत कर दी जाएगी।

भारतीय पर्यटन विकास निगम का विदेशी होटलों से समझौता

3592. डा॰ कृपासिंधु भोई : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम का विदेशी होटलों से समझौता करने का विचार है;

(ख) क्या भारतीय होटलों से भी समझौता करने के लिए इसी प्रकार के प्रस्ताव मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) भारतीय पर्यटन विकास निगम, अपने सर्वोत्कृष्ट (एलीट) होटलों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होटल श्रृंखलाओं के साथ विपणन-समझौतों की संभावनाओं का पता लगा रहा है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। अन्य सभी मुख्य भारतीय होटल शृंखलाओं के कुछ विदेशी होटल शृंखलाओं के साथ समझौते हैं, और चूंकि वे भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रतियोगी हैं इसलिए उनके साथ विपणन-समझौते करना व्यापारिक हित में नहीं है।

एन॰ टी॰ सी॰ और श्रमिक संघों के बीच समझौता

3593. श्री के॰ मुरलीधरन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक संघों और एन॰ टी॰ सी॰ प्रबंधकों के बीच औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार हुए समझौते को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस समझौते के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय जीवन बीमा निगम/साधारण बीमा निगम के कार्यालय

3594. श्री अनादि चरणदास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के पृथक-पृथक कुल कितने शाखा कार्यालय कार्य कर रहे हैं; और

(ख) 1994-95 के दौरान खोले जाने वाले जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के शाखा कार्यालयों का राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जानकारी संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

(ख) जीवन बीमा निगम द्वारा 1994-95 के दौरान खोली जाने वाली नई शाखाओं का विवरण नीचे दिया जा रहा है :-

राज्य	खोली जाने वाली कैरियर एजेंट शाखाओं की संख्या	स्थान
1	2	3
दिल्ली	1	दिल्ली
हिमाचल प्रदेश	1	हमीरपुर
उत्तर प्रदेश	2	(1) झांसी (2) शाहजहांपुर

1	2	3
मध्य प्रदेश	2	(1) सागर
		(2) उज्जैन
पश्चिम बंगाल	1	कलकत्ता
कर्नाटक	1	बेलगांव
आंध्रप्रदेश	1	हैदराबाद
महाराष्ट्र	2	(1) बम्बई
		(2) पुणे
जोड़	11	

भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि 1994-95 के दौरान फिलहाल और शाखाएं खोलने की कोई योजना नहीं है।

विवरण-I

31.3.1994 की स्थिति के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम के शाखा कार्यालयों का राज्यवार विवरण

	राज्य	शाखाओं की संख्या
1.	आंध्रप्रदेश	172
2.	असम	67
3.	बिहार	100
4.	गोवा	11
5.	गुजरात	142
6.	हरियाणा	31
7.	हिमाचल प्रदेश	22
8.	जम्मू कश्मीर	–
9.	कर्नाटक	135
10.	केरल	84
11.	मध्यप्रदेश	131
12.	महाराष्ट्र	246
13.	उड़ीसा	55

1	2	3
14.	पंजाब	68
15.	राजस्थान	106
16.	तमिलनाडु	175
17.	उत्तर प्रदेश	241
18.	पश्चिम बंगाल	136
19.	दिल्ली	69
.	जोड़	2008

विवरण-II

30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार भारतीय साधारण बीमा निगम की चार सहायक कम्पनियों के शाखा कार्यालयों की राज्यवार संख्या

क्रम सं॰	राज्य/संघराज्य	चार कम्पनियों की शाखाओं की संख्या				कुल शाखाएं
		नेशनल इंश्योरेंस कं॰ लि॰	न्यू इंडिया इंश्योरेंस कं॰ लि॰	ओरिएन्टल इंश्योरेंस कं॰ लि॰	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं॰ लि॰	
1	2	3	4	5	6	7
I.	उत्तरी क्षेत्र					
1.	चण्डीगढ़	3	7	5	3	18
2.	नई दिल्ली	32	35	34	26	127
3.	हरियाणा	19	22	25	24	90
4.	हिमाचल प्रदेश	14	6	10	8	38
5.	जम्मू और कश्मीर	14	10	11	11	46
6.	पंजाब	46	44	41	51	182
7.	राजस्थान	34	30	38	51	153
8.	उत्तर प्रदेश	75	112	93	76	356
	पूर्वी क्षेत्र					
9.	अंडमान और निकोबार	–	1	–	1	2

1	2	3	4	5	6	7
10.	अरुणांचल प्रदेश	1	–	4	4	9
11.	असम	21	20	20	26	87
12.	बिहार	50	33	44	31	158
13.	मणिपुर	1	1	3	5	10
14.	मेघालय	1	1	5	3	10
15.	मिजोरम	1	1	2	2	6
16.	उड़ीसा	16	26	18	18	78
17.	त्रिपुरा	2	–	2	3	7
18.	नागालैंड	1	1	5	2	9
19.	प० बंगाल	44	43	23	24	134
20.	सिक्किम	1	2	2	–	5
	दक्षिणी क्षेत्र					
21.	आंध्रप्रदेश	40	61	43	79	223
22.	कर्नाटक	37	54	47	56	194
23.	केरल	29	51	38	52	170
24.	पांडिचेरी	2	1	–	2	5
25.	तमिलनाडु	60	80	52	93	285
	पश्चिमी क्षेत्र					
26.	गोवा	5	5	4	7	21
27.	गुजरात	32	52	45	33	162
28.	मध्यप्रदेश	45	45	49	46	185
29.	महाराष्ट्र	36	89	55	72	252
30.	दमन और दीव	–	–	2	2	2
	जोड़	**662**	**833**	**720**	**811**	**3026**

सामाजिक विषयक संबंधी आयोग

3595. श्री रामचन्द्र मारोतराव धंगारे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तटकर और व्यापार सामान्य करार के सामाजिक विषय खंड से जुड़े श्रम अधिकार

और संबद्ध मुद्दों के प्रभावों का अध्ययन करने हेतु एक आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) उक्त आयोग कब तक अपनी सिफारिश दे देगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) एक आयोग नियुक्त किया गया है जो विभिन्न आई एल ओ परिपाटियों के संदर्भ में हमारे विधान की पर्याप्तता हमारे कानूनों के प्रवर्तन को प्रभावशीलता का अध्ययन करेगा और अभिज्ञात अपर्याप्तता, यदि कोई हो, को समाप्त करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार करेगा।

(ख) डा॰ सुब्रहमण्यम स्वामी इस आयोग के अध्यक्ष हैं तथा श्री एस॰ एल॰ पासी और श्री ए॰ वी॰ गणेशन इसके सदस्य हैं।

(ग) यह आयोग एक साल के अन्दर अपनी सिफारिश देगा।

कॉफी का निर्यात

3596. श्री के॰ प्रधानी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष, देश-वार काफी का कुल कितनी मात्रा में निर्यात हुआ और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कॉफी के निर्यात और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा के समकक्ष राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

वर्ष	मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1991-92	111,455	34900.51
1992-93	113,600	38130.51
1993-94	132,821	56828.09

पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन प्रमुख देशों को भारतीय कॉफी का निर्यात किया गया उनके नाम, निर्यात को अनुमानित मात्रा और मूल्य निम्नलिखित है :-

(मात्रा : मी॰ टन में)

(मूल्य : लाख रु॰ में)

देश		1991-92		1992-93		1993-94	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	जर्मनी	9945	3146.51	2390	655.12	23493	9580.02
2.	इटली	10059	3065.04	–	–	17033	6378.78
3.	जापान	1663	533.90	–	–	4666	1889.82
4.	अमेरिका	9564	2216.87	–	–	–	–
5.	जोर्डन	1916	488.88	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	दक्षिण कोरिया	2100	534.55	1700	437.56	1685	575.47
7.	युगोस्लाविया	5819	1706.90	–	–	–	–
8.	यू० एस० एस० आर०	41006	12864.52	–	–	–	–
9.	चैकोस्लोवाकिया	9383	3409.25	5390	1774.12	–	–
10.	पौलेंड	2139	1134.07	6128	2907.74	3348	1738.7
11.	कुवैत	–	–	2174	741.34	1412	599.09
12.	रशिया	–	–	26585	9458.97	15909	10410.05
13.	साऊदी अरब	–	–	4095	1317.78	1112	469.42
14.	दुबई	–	–	1095	367.38	1117	515.28
15.	पुर्तगाल	–	–	–	–	1744	612.67
16.	बेल्जियम	–	–	–	–	1405	594.94
17.	फ्रांस	–	–	–	–	2098	817.91
18.	नीदरलैंड	–	–	–	–	1405	615.6
19.	स्पेन	–	–	–	–	2629	1014.30
20.	स्वीटजरलैंड	–	–	–	–	3369	1445.00
21.	यू० के०	–	–	–	–	1202	1411.87
22.	यू० एस० ए०	–	–	–	–	10801	3868.21
23.	फिनलैंड	–	–	–	–	1550	566.48
24.	ग्रीस	–	–	–	–	1576	534.15
25.	आस्ट्रेलिया	–	–	–	–	1569	621.54
26.	कनाडा	–	–	–	–	3129	1143.94
27.	स्लोवानिया	–	–	–	–	1859	636.18
28.	चैक गणराज्य	–	–	–	–	12330	5028.84
29.	स्लोवाकिया	–	–	–	–	1453	568.81

[हिन्दी]

लघु उद्योगों का आधुनिकीकरण

3597. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बढ़े संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उसकी गतिविधियों में वृद्धि कर देश के विभिन्न क्षेत्रों में लघु उद्योगों की प्रौद्योगिकी के स्तर को ऊंचा करने और उनका आधुनिकीकरण करने का उत्तरदायित्व उसे सौंपने की कोई कार्य योजना विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, नहीं। अलबत्ता, लघु उद्योग क्षेत्र में आधुनिकीकरण के पिछले शेष कार्य को देखते हुए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने प्रौद्योगिकी उन्नयन की पहचान, जोर दिये जाने वाले क्षेत्र के रूप में की है। आज की तारीख में सिडबी ने देश के विभिन्न भागों में समूहों (कलस्टर) में स्थित 15 उद्योग समूहों की पहचान की है।

[अनुवाद]

जड़ी-बूटियों और मसालों का निर्यात

3598. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या **वणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों चमोली और गढ़वाल में ऐसी जड़ी-बूटियों और मसालों का विस्तृत एंव प्राकृतिक भंडार है जिनका अब तक दोहन नहीं किया गया है और विदेशों में जिनके तेल का दवाइयों और सुगंधियों में प्रयुक्त किये जाने की पर्याप्त संभावनाएं हैं;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी जड़ी-बूटियों और मसालों की व्यापारिक खेती और उत्पादन करने हेतु इन जिलों में कोई प्रयास किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र औषधीय पौधों की दृष्टि से काफी सम्पन्न हैं।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य एशिया में निवेश

3599. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य एशिया में भारतीय निवेश संबंधी नीति बनाने हेतु एक संयुक्त दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त दल के सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस दल ने ईरान से होते हुए मध्य एशिया तक के सड़क मार्ग की कोई व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है ताकि भारतीय सामान इस क्षेत्र में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रख सके जो कि विमान द्वारा सामान भेजने से नहीं रहती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) सरकार ने एक बहु-अनुशासनिक अध्ययन दल का गठन किया था जिसने जुलाई, 1993 में ईरान का दौरा किया। अध्ययन दल ने पाया कि केन्द्रीय एशियाई गणराज्यों के साथ व्यापार संभव है क्योंकि ईरान ने समुचित रूप में परिवहन अवस्थापना का विकास कर लिया है। अध्ययन दल ने यह भी सिफारिश की कि केन्द्रीय एशियाई गणराज्यों के साथ ईरान के रास्ते हमारे व्यापार में परिवहन में लगाने वाले समय की निश्चित रूप से बचत होगी। मामूली संशोधनों के साथ वही अध्ययन दल अब जल्दी ही केन्द्रीय एशियाई गणराज्यों का दौरा करने वाला है।

[हिन्दी]

हथकरघा उत्पादों का निर्यात

3600. श्री एन॰ जे॰ राठवा : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गुजरात के हथकरघा उत्पादों की भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात से इन वस्तुओं के निर्यात के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) आठवीं योजना के लिए इसका क्या लक्ष्य रखा गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) गुजरात के हथकरघा उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ मांग है।

(ख) सरकार, गुजरात सहित देश से हथकरघा मदों के निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठा रही है, जिसमें क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करना, प्रमुख बाजारों के मेलों में भाग लेना, विदेश व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन देना, उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से गुणवत्ता उन्नयन तथा उत्पाद विकास करना आदि शामिल हैं।

(ग) विविध वस्त्र उत्पादों के लिए निर्यात लक्ष्य वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। सूती हथकरघा फैब्रिकों तथा मेह-अप्स के संबंध में वर्ष 1994-95 के लिए 475 मिलियन अमरीकी डालर (1490 करोड़) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

[अनुवाद]

दवाइयों का निर्यात

3601. श्री परस राम भारद्वाज : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दवाइयों के विश्व निर्यात व्यापार में भारत की स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई दवाइयों तथा उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा का वर्षवार तथा देशवार ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारतीय भेषज उद्योग के विकास के बावजूद विश्व व्यापार में इसका शेयर महत्वपूर्ण नहीं है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्कृष्ट रसायन सहित औषधि एवं भेषज सामग्री के निर्यात का मूल्य नीचे दिया गया है :–

(कीमत करोड़ रुपए में)

1991-92	1992-93	1993-94
1347.4	1410.30	1781.40

चूंकि औषधि एवं भेषज सामग्री के तहत बहुत सी वस्तुएं आती हैं, इसलिए निश्चित देश-वार/मात्रा-वार आंकड़े रखना संभव नहीं है।

(स्रोत: कैमेक्सिल, बंबई डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता)

[हिन्दी]

राजस्थान में कपड़ा मिलें

3602. प्रो॰ रासा सिंह रावत : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कपड़ा मिलों द्वारा वर्ष 1993-94 के दौरान हथकरघा, विद्युत करघा और कपड़ा मिलों द्वारा कुल कितने कपड़े का उत्पादन किया गया;

(ख) सरकार द्वारा इस राज्य में इस उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई तथा इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) राजस्थान में कपड़ा मिलों द्वारा तैयार किया गया विभिन्न प्रकार का कितना कपड़ा इस समय निर्यात किया जा रहा है;

(घ) क्या सूती धागे की बढ़ती हुई कीमतों के कारण राजस्थान में विद्युत करघा इकाइयां बन्द होने के कगार पर हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) कपड़े के उत्पादन के राज्य वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) वस्त्र मंत्रालय के बजट में किसी भी राज्य के लिए कोई पृथक राशि उद्दिष्ट नहीं की जाती है।

(ग) निर्यात आंकड़े राज्य-वार नहीं रखे जाते हैं।

(घ) जी, नहीं। तथापि, ऐसा बताया गया है कि राजस्थान में किशनगढ़ में कुछ विद्युतकरघा यार्न की कीमतों में उतार-चढ़ाव आने की प्रवृत्ति तथा कपड़े के बाजार में मंदी की परिस्थितियों के कारण अस्थाई रूप से बंद हो गये थे।

(ङ) सरकार ने कपास और यार्न की कीमतों में होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :–

(1) कताई मिलों द्वारा 5 लाख गांठों तक कपास का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति देने संबंधी निर्णय।

(2) वर्ष 1993-94 के दौरान रिलीज किए गए कपास के 5 लाख गांठों के कोटे में से कपास के अप्रयुक्त निर्यात कोटे को रोकना।

(3) शुल्क की रियायती दर पर 30 हजार टन वी एस एफ के आयात की अनुमति देना।

(4) कपास की स्टाक सीमा लागू करना।

(5) चुनिन्दा ऋण नियंत्रण लागू करना।

[अनुवाद]

भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखाएं

3603. श्री पी॰ कुमार सामी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में भारतीय जीवन बीमा निगम की कितनी शाखाएं हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में भारतीय जीवन बीमा निगम की कुछ और शाखाएं खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो ये शाखाएं किन-किन स्थानों पर खोली जाएंगी; और

(घ) ये शाखाएं कब तक खोली जाएंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु में भारतीय जीवन बीमा निगम के 175 शाखा कार्यालय हैं।

(ख) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि वर्ष 1994-95 के दौरान तमिलनाडु राज्य में कोई नया शाखा कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

जनता कपड़े की आपूर्ति

3604. श्री प्रबीन डेका : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान असम को की गई जनता कपड़े की आपूर्ति वास्तविक मांग की तुलना में कम थी :

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में असम द्वारा की गई मांग और उसे की गई आपूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) असम में जरूरतमंद लोगों को पर्याप्त मात्रा में जनता कपड़े की आपूर्ति के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) जनता कपड़ा योजना के अंतर्गत भारत सरकार देश मे आवंटित कुल लक्ष्य और साथ ही राज्यों के विगत कार्यों के आधार पर अलग-अलग राज्यों को उत्पादन लक्ष्य आवंटित करती है।

देश में आवंटित कुल लक्ष्य में से असम को दिए गए लक्ष्य और उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार है :-

		असम का लक्ष्य	उपलब्धि	
			(मिलियन वर्ग मीटर में)	
1991-92	450.00	30.00	31.08	
1992-93	450.00	35.00	35.44	
1993-94	370.00	31.00	27.00	(अनुमानित)

इस लक्ष्य में कमी का कारण यह है कि भारत सरकार ने आठवीं योजना के दौरान जनता कपड़ा योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अनिवासी भारतीयों की जमाराशि

3605. श्रीमती बसुंधरा राजे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीयों ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों में 31 मार्च, 1994 तक कितनी धनराशि जमा की है;

(ख) क्या उनमें से कोई अनिवासी भारतीय भारत में उद्योग लगाने अथवा अन्य कोई काम-धन्धा शुरू करने का उत्सुक है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) मार्च, 1994 के अंत की स्थिति के अनुसार, अनिवासी भारतीयों द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों में जमा की गई राशि 27871.19 करोड़ रुपए है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारत में उद्योग या कोई अन्य व्यवसाय स्थापित करने के लिए इन अनिवासी भारतीयों की उत्सुकता के बारे में उसके पास कोई सूचना नहीं है।

चेकों/ड्राफ्टों को स्वीकार करना

3606. श्री तारा सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरीदाबाद स्थित ओरियंटल बैंक आफ कामर्स और कुछ अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं ग्राहकों द्वारा उनके खातों में जमा करने हेतु दिये गये चैकों/ड्राफ्टों की पावती देने से इंकार करके उन्हें परेशान कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार फरीदाबाद स्थित इन बैंकों की शाखाओं द्वारा ऐसे अवैध वाणिज्यक व्यवहार की जांच करने और वहां के ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए उचित कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) इन बैंकों ने जिनकी

फरीदाबाद में शाखाएं हैं उन्होंने सूचित किया है कि वे प्राय: अपने ग्राहकों से प्राप्त चेकों/ड्राफ्टों की प्राप्ति सूचना देते हैं। तथापि, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स ने सूचित किया है कि बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने और काऊंटर पर ग्राहकों को अधिक समय तक इंतजार न करना पड़े, इसके लिए खाता धारकों को अपने चैकों को इस प्रयोजन के लिए रखे बक्से में जमा करने की सुविधा दी गई है। यदि किसी ग्राहक द्वारा प्राप्ति सूचना मांगी जाती है तो बैंक इससे इन्कार नहीं करते हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा मछली पालन परियोजनाओं को स्वीकृति

3607. श्री एस॰ बी॰ सिदनाल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1993-94 के दौरान तथा 30 जून, 1994 तक समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा मछली पालन परियोजनाओं और अन्य परियोजनाओं को प्रदान की गई स्वीकृति एवं वित्तपोषण का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : एम्पीडा द्वारा स्वीकृत और वित्त पोषित मत्स्य पालन तथा अन्य परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

1993-94

(क) नवीन फार्म विकास : नवीन फार्म विकास के लिए 805 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 113.11 लाख रुपये की आर्थिक सहायता केरल, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र गुजरात तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में बंगाल के राज्यों में 193 लाभग्राहियों को प्रदान की गई।

(ख) झींगा अण्डज उत्पत्ति शालाएं : आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा केरल राज्यों में दस झींगा अण्डज-उत्पत्तिशालाओं की स्थापना के लिए 43 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

(ग) स्पानर बैंक/नौपिल्ली पालन केन्द्र : स्पानर बैंकों/नौपिल्ली पालन केन्द्रों की स्थापना के लिए चार फर्मों को 5.48 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

(घ) इक्विटी भागीदारी योजना : इक्विटी भागीदारी योजना के अन्तर्गत, एम्पीडा ने आन्ध्र प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, तथा महाराष्ट्र में झींगा पालन, मत्स्य संसाधन तथा केज कल्चर से सम्बन्धित दस परियोजनाओं का वित्तपोषण किया। एम्पीडा ने 361.75 लाख रुपये की सहायता प्रदान की।

1994-95 (30.6.94 तक)

(क) नए फार्म विकास : उड़ीसा राज्य में 3 लाभग्राहियों को 18.10 हेक्टयर क्षेत्र में नवीन फार्म विकास हेतु 435 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

(ख) झींगा अण्डज उत्पत्ति शालाएं : केरल में एक झींगा अण्डज उत्पत्तिशाला की स्थापना के लिए 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

प्याज का निर्यात

3608. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश-वार कुल कितने प्याज का निर्यात किया गया और उससे कितनी आय हुई;

(ख) क्या 1994-95 के दौरान प्याज के निर्यात का कोई लक्ष्य तय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यात की गई प्याज की मात्रा और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

मात्रा : टनों में

मूल्य : लाख रुपये में

	1991-92		1992-93		1993-94 (अनन्तिम)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्याज, ताजा	370950	14959	271699	11936	339605	10396
प्याज अनन्तिम तौर पर संरक्षित	416	96	4501	673	5094	799
सूखी प्याज	1419	449	1868	616	862	379
	372785	15504	278058	13225	345561	19574

निर्यात के देशवार ब्यौरे वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस), कलकत्ता द्वारा प्रकाशित फारेन ट्रेड स्टेटिस्टिक्स आफ इंडिया के वार्षिक अंकों में उपलब्ध हैं, जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में मौजूद हैं।

स्रोत : (डी जी सी आई एन्ड एस)

(ख) और (ग) वर्ष 1994-95 के दौरान प्याज के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

आयकर विभाग का आधुनिकीकरण

3609. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का विचार देश में शीघ्र ही आयकर विभाग के लिए एक आधुनिकीकरण योजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आयकर विभाग के आधुनिकीकरण पर कितना अनुमानित व्यय होगा;

(घ) क्या आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण के परिणामस्वरूप आयकर विभाग के अधिकांश अधिकारी व कर्मचारी फालतू हो जायेंगे;

(ङ) यदि हां, तो कितने; और

(च) फालतू कर्मचारियों को रोजगार देने व उनके पुनर्वास हेतु क्या उपाए किये जाएंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीयकृत आंकड़ा आधार के लिए चरणबद्ध रूप से एक आधुनिक और कुशल कम्प्यूटर प्रणाली प्रतिष्ठापित किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें विकेन्द्रीकृत इनपुट/आऊटपुट को संशोधित किए जाने की सुविधाएं भी होंगी।

(ग) पहले चरण में 19.90 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

तंबाकू की खेती

3610. श्री एस॰ एम॰ लालजान बाशा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तंबाकू पैदा करने वाले किसानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता प्राप्त वर्जिनिया और बर्ली किस्मों का उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहन देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तंबाकू की इस प्रकार की खेती के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्राथमिकता प्राप्त तंबाकू की किस्मों की खेती को बढ़ावा देने वाले संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई दीर्घ कालिक योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ङ) तंबाकू बोर्ड विभिन्न प्रकार के वर्जीनिया तंबाकू की संभावित घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखने के बाद वर्जीनिया तंबाकू की फसल का आकार निर्धारित करता है। आयातक देशों द्वारा अब अधिमानता हल्की मिट्टी के तंबाकू के लिए अन्तरित कर दी गई, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए तंबाकू बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्की मिट्टी के तंबाकू की हाल की कथित बेशी की सीमाओं के अंतर्गत इस किस्म के तंबाकू ऊपजाने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न विकासात्मक एवं विस्तार योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। एफ॰ सी॰ वी॰ और बर्ली खेती के लिए उपयुक्त नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान द्वारा अन्वेषणात्मक परीक्षण भी किए जा रहे हैं।

बैंकों द्वारा अग्रिम राशि दिया जाना

3611. डा॰ बसंत पवार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्रों के बैंकों द्वारा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को कितनी राशि अग्रिम दिये गये;

(ख) 30 जून, 1994 को कितनी राशि बकाया थी;

(ग) क्या कभी राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा ऋण के दुरुपयोग के कोई मामले प्रकाश में आये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऋण के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध सूचना के अनुसार, वित्त वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान बाजार हस्तक्षेप परिचालन (एम आई ओ) के तहत तेल/तिलहनों की खरीद के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को प्राधिकृत उच्चतम सीमा और तिमाही आधार पर उसके विपरीत बकाया निम्नलिखित है :-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	उच्चतम सीमा प्राधिकृत	उच्चतम बकाया
1992-93		
अप्रैल-जून	480	460.76
जुलाई-सितम्बर	550	517.46
अक्तूबर-दिसम्बर	500	479.18
जनवरी-मार्च	425	416.92
1993-94		
अप्रैल-जून	425	416.43
जुलाई-सितम्बर	425	413.07
अक्तूबर-दिसम्बर	340	325.84
जनवरी-मार्च	200	178.48

इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे बताया है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के खाते में बकाया को पूरी तरह परिसमाप्त कर दिया गया है और अप्रैल, 1994 से कोई नयी ऋण सीमा प्राधिकृत नहीं की गई है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पांचवा वेतन आयोग

3612. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पांचवां वेतन आयोग ने अपना कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई अवधि संरचना निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) पांचवे वेतन आयोग का गठन सरकार के दिनांक 9 अप्रैल, 1994 के संकल्प के तहत किया गया था और उसने तब से अपना कार्य करना शुरू कर दिया है।

(ग) से (ङ) वेतन आयोगों द्वारा अपनी रिपोर्ट(टें) प्रस्तुत करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करने की परम्परा नहीं रही है। पांचवें वेतन आयोग से अपनी सिफारिशें यथासम्भव शीघ्र देने की अपेक्षा की जाती है।

मछुआरों के लिए "आउट बोर्ड इंजन" का आयात

3613. प्रो॰ के॰ वी॰ थामस : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मत्स्य फेडरेशन, पारंपरिक मछुआरों के सहकारी शीर्ष फेडरेशन, केरल से मछुआरों के लिए "आउट बोर्ड इंजन" आयात करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) मत्स्यफेड ने अनुरोध किया है कि उन्हें वे सुविधाएं दी जाएं जोकि आयात नीति के अंतर्गत किसी वास्तविक प्रयोक्ता को मिलती हैं।

(ग) निर्यात तथा आयात नीति, 1992-97 (30.3.1994 तक किए गए संशोधनों को शामिल करते हुए) वास्तविक प्रयोक्ता आउटबोर्ड मोटरों का आयात लाइसेन्स के बिना मुक्त रूप से कर सकते हैं। किन्तु, स्टाक तथा बिक्री उद्देश्यों के लिए, मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय विशेष आयात लाइसेन्सों के आधार पर आयात की अनुमति दी जाती है ऐसे लाइसेन्स निर्यात घरानों/व्यापारिक घरानों/चोटी के व्यापारिक घरानों/सर्वोच्च व्यापारिक घरानों को प्रदान किए जाते हैं।

जम्मू और कश्मीर में आयकर संग्रह

3614. श्री राम कापसे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर घाटी में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति का जम्मू और कश्मीर में आयकर संग्रह पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में आयकर संग्रह के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और वास्तव में कितनी धनराशि का संग्रह किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा उस राज्य में कर संग्रह के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हा।

(क) जी, हां।

(ख) गत तीन वित्तीय वर्षों के बारे में सूचना नीचे दी गई है :-

(रूपये करोडों में)

	निर्धारित लक्ष्य	**प्राप्त लक्ष्य**
1991-92	51.54	43.04
1992-93	76.29	47.62
1993-94	67.25	46.42

(ग) लोगों के साथ सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है और उन्हें आयकर अधिनियम के उपबंधों से अवगत कराया जा रहा है। इस बात को समझाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं कि आयकर के उपबंधों का अनुपालन करना उनके हित में है। परन्तु कानून और व्यवस्था के हालातों के कारण, स्थिति को सामान्य बनाने से कुछ और समय लग सकता है।

काम की सुरक्षा

3615. श्री आर॰ धनुषकोडी आदित्यन : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की वित्तीय सहायता से तमिलनाडु में बीड़ी श्रमिकों को उनके काम की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करने के लिए योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तम्बाकू-निरोधक विधेयक से प्रभावित होने वाले बीड़ी श्रमिकों के लिए तैयार की गई वित्तीय सहायता की रूपरेखा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू क्षेत्र में तस्करी

3616. श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान सीमा पार से तस्कर गतिविधियों के लिए जम्मू क्षेत्र स्वर्ग हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत तीन महीनों के दौरान बड़ी मात्रा में सोने के बिस्कुट पकड़े गए थे;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस उपाय किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जम्मू क्षेत्र में तस्करी की कुछ घटनाएं हुई हैं किन्तु यह पता नहीं चला है कि यह क्षेत्र तस्करी के लिए आश्रय-स्थली बन गया है।

(ख) पंजाब सीमा पर बाड़ लगाने से अब जम्मू सीमावर्ती क्षेत्र में तस्करी की कुछ घटनाएं हुई हैं।

(ग) से (ङ) वित्त मंत्रालय के अंतर्गत तस्करी-रोधी कार्यालयों ने मई, 94 से जुलाई, 94 की अवधि में निम्नलिखित मूल्य के सोने के बिस्कुट पकड़े हैं :

महीना	मूल्य (लाख रुपयों में)
मई 94	251.00
जून, 94	110.00
जुलाई 94	174.39

जम्मू क्षेत्र में तस्करी की रोकथाम के लिए किए गए विभिन्न उपायों में तस्करी-रोधी कार्यालयों की संख्या बढ़ाना तथा उन्हें तस्करी की रोकथाम के लिए बेहतर साधनों से सुसज्जित करना और तस्करी रोधी कार्य में लगी विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य एजेंसियों के बीच ज्यादा तालमेल बनाए रखना शामिल है।

उड़ानें

3617. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **नागर विमानन** और **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 मई, 1994 तक एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स तथा विदेशी विमान कम्पनियों के विमानों द्वारा देश में और देश से बाहर कितनी उड़ानें भरी गयी;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक विमान कम्पनी की यात्रियों को ले जाने की क्षमता क्या थी तथा उक्त अवधि में प्रत्येक कितने यात्रियों को यात्रा कराई;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उन विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया और कितनी राशि लाभ के रूप में अपने-अपने देशों को भेजी गयी; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स द्वारा प्रतिवर्ष अलग-अलग किन-किन देशों से कितनी धनराशि अर्जित करके स्वदेश भेजी गयी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

संशोधित मूल्यवर्धित कराधान (मॉडवेट) के लाभ

3618. श्री पृथ्वीराज डी॰ चव्हाण : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसंधान तथा विकास प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त पूंजीगत माल को संशोधित मूल्यवर्धित कराधान (मॉडवेट) के लाभों के अंतर्गत लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

लम्बित मामले और अपील

3619. श्री राम टहल चौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपीलीय प्राधिकारियों के पास धन वापसी के कितने मामले और अपील लम्बित हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने लम्बित मामलों और अपीलों को शीघ्र निपटाने हेतु पहल की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियां क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 31.3.1993 की स्थिति के अनुसार कर-निर्धारण अधिकारियों के पास आयकर अधिनियम की धारा 237 के अन्तर्गत 8285 प्रत्यक्ष वापसी के दावे लंबित थे। 31.5.1993 की स्थिति के अनुसार उपायुक्तों (अपील) एवं आयुक्तों (अपील) के पास भी लगभग 2.73 लाख अपीलें तथा 31.3.1993 की स्थिति के अनुसार आयकर अपीलीय अभिकरण के पास लगभग 2.38 लाख अपीलें लंबित पड़ी थी।

(ख) से (घ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस संबंध में अनुदेश जारी किए हैं कि कर-निर्धारणों के पूरा होने के 10 दिन अन्दर सभी वापसियां जारी की जानी चाहिए तथा अपीलीय आदेशों की प्राप्ति से 15 दिन के भीतर अपीली निर्णय लागू किए जाने चाहिए। इसके अलावा, आयुक्तों (अपील) उपायुक्तों (अपील) के समक्ष प्रस्तुत की गई अपीलों को सामान्यत: 18 माह की अवधि के भीतर निपटाए जाने की आशा की जाती है। अपीलीय प्राधिकारियों को पुरानी अपीलों तथा अधिक राजस्व अपीलों के निपटान को भी प्राथमिकता देनी होती है।

[अनुवाद]

घरेलू चाय-बाजार

3620. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ नई बहुराष्ट्रीय कंपनियां घरेलू चाय बाजार में प्रवेश करने जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या शर्तें पूरी हो गई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा घरेलू चाय बाजार के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय चाय बाजार में लम्बे समय से कार्य कर रही हैं। ये कंपनियां सरकार के नीतिगत ढांचे के अंतर्गत कार्य करती हैं जिसमें चाय उद्योग के समग्र विकास का निर्देश होता है और इसमें उत्पादन को बढ़ाने, भारतीय चाय की अलग गुणवत्ता को बनाए

रखने तथा घरेलू चाय उद्योग के हितों का संरक्षण करने पर बल दिया जाता है। इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संचालन से घरेलू चाय उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ने का कोई प्रश्न नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को राज सहायता

3621. श्री विजय एन॰ पाटील : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के घाटे को पूरा करने हेतु राजसहायता के रूप में बड़ी राशि का निवेश करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान बैंक-वार राष्ट्रीयकृत बैंकों को कितनी राशि की राजसहायता दी गई; और

(ग) रुग्ण राष्ट्रीयकृत बैंकों की लाभप्रदता में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों के पूंजी आधार को मजबूत करने की दृष्टि से सरकार ने उनकी शेयर पूंजी में अंशदान किया है। पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों को आवंटित की गई कुल राशि नीचे दी गई है :-

वर्ष	**राशि (करोड़ रुपए)**
1992-93	700
1993-94	5700

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों की लाभप्रदता में सुधार करने के उद्देश्य से उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ कार्यनिष्पादन करार (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए हैं। तदनुसार ऋण प्रबंधन में सुधार करने, निष्क्रिय परिसंपत्तियों की मात्रा कम करने और परिचालनात्मक खर्च को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इन करारों के कार्यान्वयन की बैंकों द्वारा आंतरिक रूप से और भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है।

केरल में क्रेडिट डिपोजिट का औसत

3623. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में 31 मार्च, 1994 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के क्रेडिट डिपोजिट का औसत क्या था;

(ख) क्या यह राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस असंतुलन को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) मार्च, 1994 के अन्त की स्थिति के अनुसार केरल में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात 44.34 प्रतिशत है जबकि सारे देश का ऋण जमा अनुपात 56.62 प्रतिशत है।

(ख) से (घ) किसी क्षेत्र विशेष में ऋण का अभिनियोजन आर्थिक क्रियाकलाप के स्तर, उद्यमवृत्ति, कच्चे माल की उपलब्धता, अन्य मूलभूत सुविधायें, अन्य निवेश अवसर और उस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने (i) केरल में निम्न ऋण-जमा अनुपात के कारणों (ii) राज्य में कारोबार के अपेक्षाकृत बड़े भाग वाले बैंकों के कार्यनिष्पादन और (iii) ऋण-जमा अनुपात में समयबद्ध सुधार के लिये सिफारिशें करने की विशेष-तौर पर पुनरीक्षा करने के लिये कृतिक बल गठित किया है। राज्यों के ऋण के अभिनियोजन से सम्बन्धित मामलों पर भी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में भी विचार-विमर्श किया जाता है।

[हिन्दी]

मैले कुचैले करेंसी नोट

3624. श्री पंकज चौधरी :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जलाए जाने के लिए रखे गए लाखों रुपए मूल्य के मैले-कुचैले करेंसी नोट बाजार में फिर से चलाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस धन्धे में शामिल किसी गिरोह का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो उससे जब्त किए गए करेंसी नोटों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने ऐसे मामलों की पुनर्वृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बैंकिंग विकास

3625. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने बचत की दरों में सुधार करने और बैंकिंग क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। बैंकों में जमा राशि के रूप में घरेलू बचत में वृद्धि हुई है, जो 1970-71 को 795 करोड़ रुपए की राशि से बढ़कर वर्ष 1992-93 में 26013 करोड़ रुपए हो गई। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार बैंक जमाराशियों में घरेलू बचत का लगभग 80% हिस्सा वाणिज्यिक बैंकों के पास है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि के दौरान सभी वाणिज्यिक

बैंकों के कार्यालयों में वृद्धि हुई है। जून, 1969 में इनकी संख्या 8262 थी जो जून, 1993 में बढ़कर 61248 हो गई। इसी प्रकार वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं में भी वृद्धि हुई है। जून, 1969 में ये शाखाएं 1832 थीं जो जून, 1993 में बढ़कर 35406 हो गई। उपर्युक्त स्थिति के साथ ही राष्ट्रीयकरण के बाद ही अवधि के दौरान भारत के सभी अनुसूचित बैंकों की कल जमाराशियों और बैंक ऋण में भी वृद्धि हुई है। इसका ब्यौरा नीचे **दिया गया है :–**

(करोड़ रुपए)

	1970–71	**1992–93**
कुल जमा राशियां	6025	279168
बैंक ऋण	4808	164209

[हिन्दी]

निर्यातोन्मुख इकाइयों/निर्यात प्रसंस्करण जोन की समीक्षा

3626. श्री नीतीश कुमार :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में निर्यातोन्मुख इकाइयों और निर्यात प्रसंस्करण जोन के अंतर्गत इकाइयों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन इकाइयों में ऋण के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं की निधियों को निवेश किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन जोनों में मार्च, 1994 तक कितनी ऋण इकाइयां थीं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1993–94 में ई ओ यू/ई पी जैड एककों के कार्य निष्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा ई ओ यू/ई पी जैड एककों को वित्तीय संस्थाओं और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) जिन एककों का कार्य निष्पादन अनुकूल दिशा में है उनकी संख्या वर्ष 1993–94 के लिए ई पी जैड एककों के कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा पूरी हो जाने के बाद मालूम हो सकेगी।

विवरण

	श्रेणी	ई ओ यू	ई पी जैड एकक
1.	प्रचालन एककों की कुल संख्या	492	455
2.	उन प्रचालन एककों की संख्या जिन्होंने दिनांक 31.3.94 की स्थिति के अनुसार और उससे अधिक अवधि पूरी कर ली हो और इस प्रकार उसकी पुनरीक्षा करनी अपेक्षित हो।	390	399
3.	उन एककों की संख्या जिन्होंने मूल्यवर्धन का लक्ष्य पूरा कर लिया है।	120	199
4.	उन एककों की संख्या जिनके मामले में मामूली अर्थात् 10% से भी कम की गिरावट आई हो और जिनमें गिरावट की माफी दी गई हो।	13	27
5.	उन एककों की संख्या जिन्होंने मूल्यवर्धन को पूरा नहीं किया हो लेकिन जिनके भावी निष्पादन पर निगरानी रखने के बाद उनके मामलों में अगली कार्रवाई का प्रस्ताव हो	139	123
6.	उन एककों की संख्या जिनके मामलों में अत्यधिक गिरावट को देखते हुए उन्हें कार्रवाई हेतु विदेश व्यापार महानिदेशालय को भेज दिया गया है। भेजा जा रहा है।	35	23
7.	उन एककों की संख्या जिनके मामलों में समीक्षा की जा रही है।	83	27

ग्रे क्लाथ

3627. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई जनता कपड़ा नीति के अंतर्गत में ग्रे क्लाथ का उत्पादन काफी कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अक्तूबर, 1992 के पहले उत्तर प्रदेश में "ग्रे क्लाथ" का कितने प्रतिशत उत्पादन किया गया था और इनका उत्पादन अब कितने प्रतिशत कम हो गया है;

(ग) सरकार का "ग्रे क्लाथ" के उत्पादन में आई गिरावट के कारण बुनकरों को हो रहे घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं। नई नीति के अन्तर्गत ग्रे-क्लॉथ का उत्पादन 25 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत किया गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य में जनता कपड़ा योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से धोतियों और छपे कपड़ों का उत्पादन किया जाता है तथा ग्रे-कपड़े का उत्पादन नगण्य है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां।

(ङ) चूंकि आठवीं योजना अवधि के दौरान जनता कपड़ा योजना को समाप्त किए जाने के अन्तर्गत अच्छी किस्म के कपड़े के उत्पादन पर बल दिया गया है। इसलिए इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जा सका।

बैंक शाखाएं बन्द करना

3628. श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री राम कृपाल यादव :

श्री मोहम्मद अली असीफ फातमी :

श्री काशीराम राणा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1994 को प्रत्येक राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या क्या थी;

(ख) क्या उक्त कुछ शाखाएं लगातार घाटे में चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसी शाखाएं बन्द करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उक्त शाखाओं को लाभकारी बनाने के लिए क्या वैकल्पिक उपाय करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जून, 1993 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपनी गैर-अर्थक्षम और घाटा देने वाली शाखाओं को बंद कर देने या उन्हें अनुषंगी कार्यालयों में परिवर्तित कर देने की स्वतंत्रता दी है। जबकि वाणिज्यिक बैंक की एक शाखा वाले ग्रामीण केन्द्र में घाटे वाली शाखाओं को बंद किया जाना वांछनीय नहीं है, वाणिज्यिक बैंकों की दो शाखाओं (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को छोड़कर) वाले केन्द्र में किसी एक शाखा को बंद किये जाने का निर्णय आपसी परामर्श से बैंक के स्वविवेक पर छोड़ दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अच्छी बैंक सुविधा युक्त शहरी/महानगरीय केन्द्रों में स्थित घाटा देने वाली शाखाओं को बंद करने के बैंक के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा और उसे अनुमति दी जाएगी। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बंद किये जाने के लिये प्रस्तावित अनुमानित शाखाओं की संख्या लगभग 104 है। राष्ट्रीयकृत बैंकों से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण और उसकी लाभप्रदता में सुधार करने के लिये संगठनात्मक व्यवस्था, मशीनीकरण, मानव संसाधन विकास, ऋण मूल्यांकन, वसूली उपाय, सतर्कता मशीनरी को मजबूत करने जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में कार्य-योजना तैयार करने के लिये कहा गया है।

विवरण

30.6.1993 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राज्यवार शाखाओं की संख्या

क्रम सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शाखाओं की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	3333
2.	अरूणाचल प्रदेश	49
3.	असम	809
4.	बिहार	2995
5.	गोवा	249
6.	गुजरात	2956
7.	हरियाणा	1000
8.	हिमाचल प्रदेश	615
9.	जम्मू व कश्मीर	256
10.	कर्नाटक	2809
11.	केरल	1674
12.	मध्य प्रदेश	2781
13.	महाराष्ट्र	4539

1	2	3
14.	मणिपुर	56
15.	मेघालय	124
16.	मिजोरम	26
17.	नागालैण्ड	62
18.	उड़ीसा	1301
19.	पंजाब	1966
20.	राजस्थान	1810
21.	सिक्किम	39
22.	तमिलनाडु	3249
23.	त्रिपुरा	90
24.	उत्तर प्रदेश	5288
25.	पश्चिम बंगाल	3289
26.	अंडमान और निकोबार	29
27.	चण्डीगढ़	111
28.	दादरा एवं नागर हवेली	7
29.	दमन और दीव	10
30.	दिल्ली	1053
31.	लक्षद्वीप	8
32.	पाण्डिचेरी	60
	कुल	**42643**

[अनुवाद]

लौंग की तस्करी

3629. श्री पी॰ सी॰ थामस : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लौंग के आयात के लिए "शुल्क छूट योजना" के अन्तर्गत लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबंध लग दिया है;

(ख) क्या नेपाल के रास्ते लौंग की तस्करी हो रही है जिसके कारण इसके घरेलू बाजार में भारी मंदी आ गइ है और इसका प्रतिकूल प्रभाव स्थानीय उत्पादन और किसानों पर पड़ रहा है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार ने नेपाल के साथ किसी द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सरकार ने दिनांक 13.5.1994 से "लौंग" के आयात के लिए शुल्क लाइसेंस जारी करना बंद कर दिया है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) भारत सरकार और शाही नेपाल सरकार ने भारत-नेपाल सीमा पर अनधिकृत व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ङ) भारत सरकार ऐसे उल्लंघनों के मामले शाही नेपाल सरकार के साथ समय-समय पर उठाती रही है।

तमिलनाडु के लिए "नाबार्ड" द्वारा धनराशि का आबंटन

3630. श्री एम॰ कृष्णास्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षी योजना के दौरान अब तक "नाबार्ड" ने तमिलनाडु में ग्रामीण परियोजनाओं के लिए कितनी राशि आबंटित की है;

(ख) अब तक कितनी राशि वितरित की गई है और विभिन्न परियोजनाओं पर कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) "नाबार्ड" की परियोजनाओं से गांवों के गरीबों को कितना लाभ मिला है; और

(घ) गांव के गरीबों को ऋण देने हेतु क्या-क्या मानदंड अपनाए जाते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक योजनाबद्ध ऋणों के अंतर्गत तमिलनाडु में विभिन्न एजेंसियों (वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक) को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा आबंटित और संवितरित पुनर्वित्त की राशि निम्नानुसार है :-

(लाख रुपए में)

	1992-93	**1993-94**	**1994-95**
आबंटन	17120	19924	19107
बैंकों द्वारा आहरित पुनर्वित्त	16876	21407*	–

(*जारी की गई राशि आवंटन से अधिक थी)

नाबार्ड द्वारा संवितरित किए गए पुनर्वित्त की सम्पूर्ण राशि केवल ग्रामीण परियोजनाओं के लिए है।

वर्ष 1992-93 और 1993-94 के लिए योजनाबद्ध ऋणों के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा किया गया प्रयोजन-वार/परियोजन-वार संवितरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वर्ष 1994-95 के लिए पुनर्वित्त का प्रयोजन-वार आबंटन संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को दिये गये लाभ निम्नानुसार हैं :-

(i) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, अ० जा०/अ० ज० जा० कार्य-योजना, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित विस्तृत राष्ट्रीय कार्यक्रम इत्यादि के अन्तर्गत संवितरित समस्त राशि ग्रामीण गरीबों के लिये है।

(ii) लघु सिंचाई और अन्य विविधिकृत उद्देश्यों जैसी क्षेत्र विकास योजनाओं के लिये नाबार्ड ने यह शर्त रखी है कि सम्बद्ध किसानों को कम से कम 60% छोटे किसान होने चाहिए।

(iii) ग्रामीण गरीबों की गैर-कृषि क्षेत्र क्रिया-कलापों के अन्तर्गत भी सहायता दी जाती है।

(iv) ग्रामीण गरीबों को विभिन्न रियायतें, अर्थात निम्न ब्याज दर, निम्नतर मार्जिन, लम्बी वापसी अदायगी अवधि जैसी उदार शर्तें प्रदान की गई हैं।

(घ) नाबार्ड द्वारा ग्रामीण गरीबों को ऋण के संवितरण के लिये स्वीकृत मानदंड भारत सरकार के मार्ग निर्देशों के अनुसार हैं, अर्थात लघु किसान, ग्रामीण गरीब के रूप में पहचान किये जाने के लिए 1991-92 के मूल्य स्तर के आधार पर किसी परिवार के लिये आय का स्तर 11,000 रुपए से अधिक न हो।

विवरण-I

आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान तमिलनाडु में योजना ऋण के अंतर्गत पुनर्वित्त का प्रयोजन-वार/परियोजन-वार संवितरण

(रुपये लाखों में)

प्रयोजन/परियोजना	1992-93	1993-94
लघु सिंचाई	2239	1974
भूमि विकास	33	55
फार्म यंत्रीकरण	2993	4112
वृक्षारोपण/बागवानी	706	859
मुर्गीपालन/भेड़पालन		
सुअर पालन	1088	1836
मत्स्यन	170	678
डेयरी विकास	1206	1692
भंडारण/मार्केट यार्ड	2	2
वानिकी	3	151
गोबर गैस प्लान्ट	209	231
गैर कृषि क्षेत्र	2112	5409
अन्य	1827	169
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4178	4239
योग	16876	21407

विवरण-II

तमिलनाडु में 1994-95 के लिए पुनर्वित्त का प्रयोजन-वार आबंटन

(लाख रुपए)

प्रयोजन	राशि
लघु सिंचाई	2985
भूमि विकास	57
फर्म यांत्रिकरण	5856
वृक्षारोपण/बागवानी	1075
मुर्गी/भेड़/सुअर पालन	1609
मत्स्यन	820
डेयरी विकास	1780
भण्डारण/मार्केट यार्ड	25
वानिकी	40
गोबर गैस प्लान्ट	443
गैर कृषि क्षेत्र	3665
अन्य	1177
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2575
योग	**19107**

जैव खाद्य पदार्थ

3631. श्री नवल किशोर राय : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू बाजारों और विदेश में जैव खाद्य पदार्थों की भारी मांग है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ऐसे खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने वाले किसान गैर-प्रमाणीकरण के कारण और बाजार सुविधाओं तथा उचित मूल्यों के अभाव में इन उत्पादों को बेच नहीं पाते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सहकारी समितियों को अपने उत्पादों के विपणन और निर्यात हेतु अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्राप्त करके इनके विपणन और निर्यात के लिए प्रोत्साहित करने का है;

(घ) क्या सरकार का विचार सहकारी समितियों और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड/मदर डेरी जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इन उत्पादों की भारी और सम्भावित मांग को पूरा करने के लिए शुरू में इन्हें अधिक मूल्य पर बेचने और लेबल तथा प्रमाणीकरण की प्रक्रिया द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इन के निर्यात में सहायता देने के निर्देश देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (च) कार्बनिक खाद्यों की मांग बढ़ती जा रही है। चूंकि ये उभरते हुए बाजार हैं अतः उपभोक्ता अधिमान और विपणन क्रियाविधियां अभी भी निर्धारण की प्रक्रिया में हैं। कार्बनिक उत्पादों के निर्यात को सुकर बनाने के उद्देश्य से सरकार ने एक स्थायी एवं-प्रत्यायन समिति का गठन किया है जो, निरीक्षण तथा प्रमाणन एजेसियां को मान्यता देने संबंधी नीतियां तथा क्रियाविधियां तैयार करेगी।

कार्बनिक खाद्यों के निर्यात की सामान्यतया मुक्त रूप से अनुमति दी जाती है। सहकारी समितियां और सरकारी उपक्रम भी मसाला बोर्ड, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) और चाय बोर्ड आदि द्वारा संचालित विभिन्न निर्यात प्रोत्साहनों और योजनाओं का लाभ उठाते हुए वाणिज्यिक आधार पर ऐसे निर्यात कर सकते हैं।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

3632. श्री केशरी लाल : क्या **नागर विमानन** और **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विमानपत्तनों पर सुविधाओं में वृद्धि करने और उनके आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता के लिए विदेशी एजेंसियों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों/एजेंसियों के नाम क्या हैं;

(ग) इन समझौतों के अन्तर्गत किन-किन विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है; और

(घ) वहां कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने वित्तीय सहायता के लिए निम्नलिखित विदेशी एजेंसियों के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए हैं :-

(1) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ दी यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए।

(2) एक्सपोर्ट डिपलपमेंट कॉरपोरेशन, कनाडा।

(3) बैंक ऑफ अमेरीका, यू॰ के॰।

(4) इन्सटिट्यूटो डि क्रेडिटो आफिसियल स्पेन।

(5) बैंकों एसपेनोल डि क्रेडिटो, स्पेन के साथ संयुक्त रूप से बैंक ऑफ अमेरिका।

(6), (7) एक्सपोर्ट फिनांश, नार्वे ओवरसीज डिवलपमेंट एडमिनीसट्रेशन यू॰ के॰।

(ग) जिन हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण किये जाने का प्रस्ताव है, वे हैं :- आगरा, अहमदाबाद, औरंगाबाद, बंगलौर, भुज, बम्बई, कलकत्ता, कालीकट, चण्डीगढ़, कोयमबतूर, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, ग्वालियर, हैदराबाद, इन्दौर,

जामनगर, जोरहाट, कानपुर, मद्रास, मंगलौर, नागपुर, पोर्टब्लेयर, पुणे, राजकोट, त्रिवेन्द्रम, और उदयपुर हवाई अड्डे।

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत राडार, उपस्कर अवतरण प्रणाली, डाप्लर अति उच्च आवृत्ति सार्वदिशिक परास, दूरी मापक उपकरण और अन्य स्वचालित उपस्करों की व्यवस्था की जाएगी।

[अनुवाद]

कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान करने वालों के लिए आवास ऋण

3633. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :

श्री महेश कनोडिया :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यास बोर्ड ने सरकार से आयात वित्त निधि स्थापित करने की सिफारिश की है, जैसा कि 31 मार्च, 1994 को आयोजित इसकी बैठक में निर्णय लिया गया;

(ख) यदि हां, तो अंशदाताओं के लिये ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक नियमों सहित योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ग्राहकों को अन्य सुविधाएं भी प्रदान करता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) योजना के अन्तर्गत शामिल किये जा रहे संगठनों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) से (ङ) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क॰ भ॰ नि॰ में क॰ भ॰ निधि अंशदाताओं हेतु एक आवास वित्त निधि स्थापित करने की सिफारिश की है जिसमें मकान, फ्लैट अधिग्रहण करने हेतु ऋण प्रदान करने/सहायता आदि का प्रावधान हो। मृत्यु के मामले में परिवार पेंशन और कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा लाभों के अतिरिक्त, क॰ भ॰ निधि अंशदाता आवास, विवाह, शिक्षा आदि के प्रयोजनों के लिए अपने भविष्य निधि से आहरण के पात्र हैं।

[हिन्दी]

बैंकों में भ्रष्टाचार

3634. डा॰ परशुराम गंगवार :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों में घपलेबाजी/भ्रष्टाचार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है और प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि अंतर्गस्त है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक

की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली के अनुसार, घपले/भ्रष्टाचार के मामलों की सूचना और उसमें अंतर्ग्रस्त राशि की सूचना अलग से उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1991, 1992 और 1993 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास सरकारी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ियों की घटनाओं की संख्या के संबंध में तत्काल उपलब्ध सूचना और उसमें अंतर्ग्रस्त राशि निम्नलिखित हैं :-

वर्ष	1991	1992	1993
धोखाधड़ियों की सं०	1559	1717	2213
अंतर्ग्रस्त राशि	6541.31	14449.10	32032.43

(लाख रु०) + 1500 एफ डालर

(टिप्पणी : आंकड़े अन्तिम)

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के कहने पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ियों को रोकने के लिए समय समय पर कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :-बैंकों में नियंत्रण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समेकित मार्गनिर्देश जारी करना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरंतर आधार पर धोखाधड़ी की घटनाओं की समीक्षा, भारतीय रिजर्व बैंक में एक विशेष जांच कक्ष की स्थापना, परिचालन कर्मचारियों का उचित प्रशिक्षण आदि। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे खातों के संतुलन और अंतर शाखा तथा अन्य लेखों का निरंतर आधार पर मिलान करें, ताकि इन क्षेत्रों में धोखाधड़ियों की घटनाओं को रोका जा सके। बैंकों में धोखाधड़ियों और कदाचारों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए गठित घोष समिति की विभिन्न स्वीकृत सिफारिशों पर बैंकों द्वारा की गई प्रगति की भी भारतीय रिजर्व बैंक निगरानी करता है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक

3635. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय क्षेत्र के उदारीकरण के आगे के रूप में गैर सरकारी क्षेत्र के नये बैंकों को अनुमति देने की सरकारी नीति में कम रुचि दिखाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनवरी 1993 में निजी क्षेत्र में नये बैंकों की स्थापना के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये जाने के परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र में नये बैंक स्थापित करने के लिये उन्हें 155 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों में से 36 निर्धारित प्रपत्र में थे और 10 को सिद्धान्त रूप में अनुमोदित कर दिया गया है। यू टी आई बैंक, इन्डस इन्ड बैंक और आई सी आई सी आई बैंकिंग कार्पोरेशन लि० को बैंकिंग कारोबार शुरू करने के लिये लाइसेंस जारी कर दिये गये हैं।

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अर्जित लाभ

3636. श्री अंकुश राव टोपे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अलग-अलग कितना शुद्ध लाभ अर्जित किया गया;

(ख) क्या इन प्राधिकरणों द्वारा अर्जित किए गए लाभ में कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दोनों प्राधिकरणों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 में अर्जित निवल लाभ के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	रा० वि० प्रा० द्वारा अर्जित लाभ	भा० अ० वि० प्रा० द्वारा अर्जित लाभ
1991-92	17.72	46.08
1992-93	16.87	45.73
1993-94	53.40	50.22

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के आकड़े अनन्तिम हैं जिनका ऋण और इक्विटी अनुपात के बारे में अन्तिम निर्णय होने के आधार पर संशोधन किया जा सकता है।

(ख) से (घ) प्रचालनात्मक खर्चों में वृद्धि होने के कारण वर्ष 1992-93 में मामूली गिरावटी आई है। वर्ष 1993-94 में मुख्यत: विभिन्न हवाई अड्डा प्रभारों में वृद्धि के कारण राजस्व में पुन: वृद्धि हुई।

[हिन्दी]

लद्दाख के लोगों को आयकर में छूट

3637. श्री राम विलास पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख के लोगों को आयकर में दी जा रही छूट समाप्त कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार लद्दाख के पीड़ित लोगों को फिर से छूट देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) आयकर अधिनियम की धारा 10 (26क) के अधीन लद्दाख के निवासियों को उपलब्ध आयकर संबंधी छूट कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 से वापस ली गई थी। यह कर-राहत कर निर्धारण वर्ष 1962-63 से दी गई थी। यह कर-राहत इसलिए वापस ली गई थी कि लद्दाख के निर्धन वर्ग के लोगों को इससे लाभ नहीं पहुंच रहा था और इसके बजाय लद्दाख से बाहर बेईमान कर-दाताओं द्वारा अपने काले धन को सफेद करने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा रहा था।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। भाग (ख) में दिए गए कारणों एवं इस बात को देखते हुए कि अन्य कर राहतों सहित 35,000/-रु॰ की आयकर में छूट की वर्तमान सीमा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के हित में रखी गई है, धारा 10(26क) के अंतर्गत आयकर में छूट को पुन: लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

मुम्बई में विमानपत्तन

3638. श्री शरद दिघे :

श्री राम नाईक :

क्या **नागर विमानन** और **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के मुडंवा-रेवास क्षेत्र में मुम्बई के लिए दो समानान्तर हवाई पट्टियों वाले नए विमानपत्तन की किसी योजना को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त स्थान का चयन करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्थानीय ग्रामीणों ने इस योजना के प्रति अपना विरोध प्रकट किया है;

(घ) यदि हां, तो ग्रामीणों द्वारा विरोध करने के क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र सरकार ने दूसरे विमानपत्तन के निर्माण हेतु विदेशी भागीदारी को आमंत्रित किया है;

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य सरकार के उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ज) क्या देश में किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के निर्माण की कोई योजना है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (झ) जी, नहीं।

तथापि, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने, बम्बई स्थित मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के चरमसीमा तक पहुंचने की स्थिति में नए हवाई अड्डे के निर्माण की संभावनाओं की जांच करने के लिए एक समिति गठित

की थी। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि नए हवाई अड्डे के निर्माण पर लगभग 8600 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी। चूंकि इतना बड़ा निवेश करना भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के क्षमता से बाहर है, अतः नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गयी है। यह जायजा लेने के लिए कि मौजूदा हवाई अड्डे पर उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं में किस हद तक सुधार और पुनः अभिकल्पन किया जा सकता है ताकि और अधिक यातायात को हैण्डल करने के लिए हवाई अड्डे की क्षमता में वृद्धि की जा सके, एक कृतिक बल का गठन किया गया है। इस कृतिक बल द्वारा उस समयावधि के सम्बन्ध में तर्कसंगत और सम्यक दस्तावेजी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है जब तक कि इष्टतम सुविधाओं की व्यवस्था के बावजूद हवाई अड्डे के यातायात हैंडल करने की चरमसीमा पर पहुंचने की संभावना है।

अन्तर्देशीय विमान यात्रा कर

3639. प्रो॰ उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **नागर विमानन** और **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1993-94 के दौरान सरकार ने अन्तर्देशीय विमान यात्रा कर के रूप में कितनी धनराशि अर्जित की;

(ख) अन्तर्देशीय विमान यात्रा कर के माध्यम से अर्जित धनराशि का उपयोग किस प्रयोजनार्थ किया जाता है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्तर्देशीय विमान यात्रा दर में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों के दौरान अन्तर्देशीय विमान यात्रा कर में यह तीसरी बढ़ोतरी होगी; और

(ङ) अन्तर्देशीय विमान यात्रा कर में ऐसी बढ़ोतरियों के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान सरकार द्वारा अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर के रूप में 138.00 करोड़ रुपए की राशि अर्जित की गई थी।

(ख) अन्तर्देशीय विमान यात्रा कर के रूप में अर्जित राशि, भारत सरकार को राजस्व प्राप्तियों के रूप में मानी जाती है। अर्जित कर के पांच प्रतिशत का भुगतान एयरलाइनों को अर्जन शुल्क के रूप में दिया जाता है। इसका भुगतान भारत की समेकित निधि से किया जाता है।

(ग) अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर की दर में कोई वृद्धि नहीं की गयी थी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के बैंक

3640. डा॰ पी॰ वल्लल पेरूमान : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर इंडियन ओवरसीज बैंक और अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों में बहुत से व्यक्तियों ने रोजगार प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक बैंकवार पता लगाये गये इन मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) वर्ष 1992 और 1993 के लिये उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को स्पष्ट अनुदेश जारी किये हैं कि वे यह सुनिश्चित करने के लिये कि अ॰ जा॰ और अ॰ ज॰ जा॰ के लिये दिये गये आरक्षण के लाभ सिर्फ पात्र दावेदारों को ही मिलें। अ॰ जा॰ और अ॰ ज॰ जा॰ समुदाय के उम्मीदवारों के उनकी आरंभिक नियुक्ति के समय और बाद में उनके सेवाकाल में प्रत्येक महत्वपूर्ण बदलाव के समय के दावों को सत्यापित करें। ऐसे सत्यापन के बाद भी यदि यह पता चलता है कि उनके दावे झूठे हैं, तो भी संबंधित प्राधिकारियों के साथ आवश्यक परामर्श और इस संबंध में निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के पश्चात ही उनकी सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त बैंकों को निरपवाद रूप से ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस में शिकायतें दर्ज करानी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि न्यायालय में उनपर मुकदमा चले।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में 1992 और 1993 के दौरान पता लगाए गए जाली प्रमाणपत्रों को दर्शाने वाला विवरण

बैंक का नाम	वर्ष 1992 के दौरान पता लगाए गए मामलों की संख्या	वर्ष 1993 के दौरान पता लगाए गए मामलों की संख्या
1	2	3
भा॰ स्टेट बैंक	7	2
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	0	0
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	0	11
स्टेट बैंक आफ मैसूर	0	0
स्टेट बैंक आफ पटियाला	0	0
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	0	0
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	1	0
स्टेट बैंक आफ इंदौर	0	0
इलाहाबाद बैंक	0	0

1	2	3
आन्ध्रा बैंक	3	1
बैंक आफ बड़ौदा	0	6
बैंक आफ इंडिया	3	5
बैंक आफ महाराष्ट्र	1	4
केनरा बैंक	17	12
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	7	0
कारपोरेशन बैंक	0	0
देना बैंक	2	0
इंडियन बैंक	2	0
इंडियन ओवरसीज बैंक	18	11
न्यू बैंक आफ इंडिया	1	0
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	0	2
पंजाब नैशनल बैंक	3	2
पंजाब एंड सिंध बैंक	1	0
सिंडिकेट बैंक	5	11
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	0	0
यूको बैंक	1	0
यूनियन बैंक आफ इंडिया	1	0
विजया बैंक	1	2
योग :	**74**	**69**

[हिन्दी]

गुजरात में जीवन बीमा निगम की शाखाएं

3641. श्री छीतू भाई गामीत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम की शाखाओं ने गुजरात में बीमा के संबंध में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इन शाखाओं द्वारा डिवीजन-वार कितने अभ्यर्थियों को और कितनी राशि का ऋण दिया गया;

(ग) क्या इन शाखाओं द्वारा सरकारी, अर्थ-सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को ऋण दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो उस पर ब्याज की दर कितनी निर्धारित की गई;

(ङ) क्या 1994-95 के दौरान जीवन बीमा निगम की कुछ और शाखाओं को खोलने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (च) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विदेशी पर्यटक

3642. डा॰ खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या नागर **विमानन** और **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान विदेशी पर्यटक आवागमन में कोई वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संवंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1992-93 और 1993-94 में जिन मुख्य-मुख्य देशों ने पर्यटकों के आगमन में वृद्धि की थी, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

राष्ट्रिकता का देश	विदेशी पर्यटकों का आगमन		% अन्तर
	1992-93	1993-94	1993-94 1992-93
यू॰ के॰	254,450	297,731	17.0
यू॰ एस॰ ए॰	149,225	167,054	11.9
जर्मनी	85,356	87,650	2.7
श्रीलंका	73,828	82,215	11.4
जापान	54.843	56.830	3.6
सी आई एस	44,239	53,096	20.0
कनाडा	43,775	50,895	16.3
मलेशिया	37.264	37.706	1.2
सिंगापुर	36.219	43.143	19.1
नीदरलैंड्स	29.464	32,591	10.6

1	2	3	4
स्विट्जरलैंड	29,431	31,027	5.4
यू० ए० ई०	29.243	29.542	1.0
आस्ट्रेलिया	28,254	10.261	7.1
नेपाल	26,143	29,386	12.4
सऊदी अरब	19,345	19,522	0.9
सभी देश	18,20,239	18,71,262	2.8

[हिन्दी]

छोटे नोटों की कमी

3643. श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में एक रुपया और दो रुपए के नोट पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं है जिसके कारण लोगों को कठिनाई होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने लोगों को एक रुपया और दो रुपए के नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) जब कि एक रुपए के नोट की औसत प्रचालन अवधि छह महीने है और दो रुपए के नोट की प्रचालन अवधि लगभग एक वर्ष है। जैसा कि इसकी तुलना में सिक्कों के प्रचालन अवधि लगभग 15-20 वर्षों तक है। अन्तिम लागत के विचार को ध्यान में रखते हुए इन मूल्यवर्ग के सिक्कों की ढलाई चरणबद्ध रूप से किए जाने का निर्णय लिया गया है ताकि उच्च मूल्यवर्ग के नोटों की छपाई के लिए अब तक निर्मुक्त की गई क्षमता का उपयोग किया जा सके। इसी के अनुरूप एक रुपए और दो रुपए के नए नोटों का उत्पादन कम कर दिया गया है। फिर भी, इन मूल्यवर्ग के संबंध में सिक्कों की आपूर्ति स्थिति कुल मिलाकर संतुष्टिपूर्ण है।

[अनुवाद]

बीमा सेवाएं

3644. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम/जनरल इन्स्यूरेंस कारपोरेशन की बीमा सेवाओं की गुणवत्ता कम होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उपरोक्त बीमा कंपनियों की सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) जी, नहीं। जीवन बीमा निगम द्वारा देय तिथि को या उससे पहले निपटाये गये परिपक्व दावों की संख्या और पालिसी धारक की मृत्यु होने के 75 दिन के भीतर निपटाये गये मृत्यु दावों की संख्या 1990-91 के दौरान 19.64 लाख और 1.60 लाख से बढ़कर 1992-93 के दौरान क्रमशः 27.37 लाख और 2.63 लाख हो गयी थी। इस अवधि में ग्राहकों की शिकायतों की संख्या 15.110 से कम होकर 14,235 हो गयी। साधारण बीमा निगम के मामले में एक व्यापक आधार पर दावा निपटान अनुपात और दस्तावेज निपटान अनुपात जो 1982-83 में 63.2 प्रतिशत और 76 प्रतिशत थे वे 1993-94 तक बढ़कर क्रमशः 73.9 प्रतिशत और 91.3 प्रतिशत हो गए। साधारण बीमा निगम और इसकी चार सहायक कम्पनियों ने चहुंमुखी कम्प्यूटरीकरण का भी कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है और वाहन के मामले में कम्प्यूटर पर आंधारित पालिसियां जारी करनी आरम्भ कर दी हैं तथा साधारण बीमा निगम की सहायक कम्पनियों के कतिपय कार्यालयों में, स्वास्थ्य बीमा पहले ही आरम्भ किया जा चुका है।

पालिसी धारकों की शिकायतों में सुधार करने और सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से जीवन बीमा निगम ने अपने शाखा कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर समय-समय पर अस्वीकार किए गए दावों का पुनरीक्षण करने के लिए दावा पुनरीक्षण समितियों का गठन किया है।

जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम और इसकी चार सहायक कम्पनियां प्रभावशाली ग्राहक सेवा करने के लिए लोगों की शिकायतों को निपटाने और दावों के भुगतान का निर्णय लेने का लगातार पुनरीक्षण करती हैं।

[हिन्दी]

हथकरघा बुनकर

3645. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हथकरघा बुनकरों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लघु औद्योगिक एककों को ऋण

3646. श्री गया प्रसाद कोरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश में कितने लघु औद्योगिक एककों को ऋण प्रदान किया गया और ऋण हेतु कितने आवेदन लंबित पड़े हैं; और

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान कुल कितना ऋण प्रदान किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जून 1992 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार (अद्यतन उपलब्ध) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उत्तर प्रदेश की 30205 लघु औद्योगिक इकाइयों को 95.2 करोड़ रुपए की राशि का संवितरण किया था। भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से बैंकों के पास लंबित आवेदन पत्रों से संबंधित सूचना प्राप्त नहीं होती है।

[अनुवाद]

लंबित बीमा दावे

3647. श्री अन्ना जोशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के पास 30 जून, 1994 तक लंबित सभी प्रकार के बीमा दावों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार का विचार इनका शीघ्र निपटान करने हेतु क्या कदम उठाने का है; और

(ग) लंबित पड़े दावे कब तक निपटा लिए जाएंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्टाक बाजारों की कार्यशैली

3648. श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टाक बाजारों की कार्यशैली में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार लघु निदेशकों के अनुकूल नए व्यावहारिक दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्टाक बाजारों की कार्यशैली के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा विचाराधीन हैं; और

(घ) प्रमोटरों को प्राथमिकता के आधार पर शेयरों के आबंटन के संबंध में सरकार का क्या रूख है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने एक्सचेंजों के शासी निकायों का पुनर्गठन करके स्टॉक एक्सचेंजों में अनेक सुधार पहले ही आरम्भ कर दिए हैं जिससे एक्सचेंजों के प्रचालनों में अधिक स्पष्टता सुनिश्चित हुई है तथा स्टॉक-ब्रोकरों के लिए पूंजी-पर्याप्तता संबंधी मापदंड निर्धारित किए गए हैं। स्टाक एक्सचेंजों की कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने तथा उनमें सुधार करने की दृष्टि से किए गए ऐसे सुधार निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है।

(घ) "सेबी" ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 81 (1क) के अन्तर्गत तरजीही आधार पर व्यक्तियों के चुनिन्दा समूह को शेयरों अथवा वारंटों/पूर्णतया परिवर्तनीय डिबेंचरों/आंशिक रुप से परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा अन्य वित्तीय साधनों के निर्गम को शासित करने वाले कार्यवाही सिद्धान्त पहले ही 4.8.1994 को जारी कर दिए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अभिप्राय निवेशकों के हितों की रक्षा करना है।

ब्याज दरें

3649. कुमारी सुशीला तिरिया :

श्री गुरुदास कामत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत सरकार को ब्याज दरों में कमी करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सरकार द्वारा जून, 1991 से आरम्भ किए गए वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधारों का एक प्रमुख घटक ब्याज दर संरचना का यौक्तिकीकरण करना है। संसद में वर्ष 1994-95 का बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रभारित ब्याज दर में और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा तीन वर्ष और उससे अधिक के आवधिक ऋणों की न्यूनतम उधार देने की दर में एक प्रतिशतांक की और कटौती करते हुए उसे 14 प्रतिशत किए जाने की घोषणा की थी। ब्याजदरों में उत्तरोत्तर कटौती करने का प्रयास पहले ही किया जा चुका है जो सुधार प्रक्रिया का एक हिस्सा भी है जिसका उल्लेख अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पिछले महीने प्रकाशित अपनी वार्षिक रिपोर्ट 1994 में भी किया है।

विमानपत्तनों में शापिंग कम्पलेक्स

3650. श्री गुरुदास कामत : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विचार विमानपत्तन टर्मिनल भवनों के एक हिस्से को शापिंग काम्पलेक्स के रूप में परिवर्तित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां। टर्मिनल भवनों में स्थान का एक हिस्सा रियायती/फुटकर दुकानों के लिए वाणिज्यिक स्थान के रूप में नियत किया गया है। इनका प्रयोग उपहार दुकानों, स्मृति चिन्ह/हस्तशिल्प दुकानों, केफेटेरिया, अल्पाहार इत्यादि के लिए किया जा रहा है। विभिन्न हवाई अड्डों पर गैर-वैमानिकी राजस्व को अधिकतम करने के लिए सुविधाओं से प्राप्त होने वाला आय में वाणिज्यिक दृष्टि से बढ़ोतरी करने के प्रयास किया जा रहे हैं।

बुल्गारिया के साथ व्यापार

3651. डा कृपासिन्धु भोई : क्या **वाणिज्यिक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बुल्गारिया के साथ व्यापार संबंधी को बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ चयन किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी, हां। व्यापार एवं वाणिज्यिक संबंध स्थापित करने/उन्हें बढ़ाने के लिए आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए भारत-बुल्गारिया संयुक्त आयोग के दसवें सत्र के दौरान अत्यधिक महत्व वाले जो क्षेत्र अभिज्ञात किये गये वे हैं : (1) कृषि उत्पाद; प्रसंस्कृत खाद्य, अधिक उपज देने वाले बीज, डेरी मांस और कुकुट उत्पाद, उद्यान एवं मत्स्यपालन समेत; (2) औद्योगिक क्षेत्र, के उत्पाद तथा उर्वरक एवं भारी रसायन, चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद, इलेक्ट्रानीकी, मशीन निर्माण, और (3) उत्पादन एवं तीसरी दुनिया को निर्यात करने के लिए व्यापार संबंधित संयुक्त उद्यमों की स्थापना करना। इसके अतिरिक्त, भारत से बल्गारिया और बल्गारिया से भारत में निर्यात-आयात के लिए सामानों की सूची भी तैयार की गयी।

(ग) इस संबंध में उठाए गए विभिन्न कदम तथा विवाराधीन कदमों में शामिल हैं :-

–मई, 1994 में राष्ट्रपति की बल्गारिया यात्रा के दौरान पशु-चिकित्सा एवं स्वाथ्य करार जैसे विभिन्न करारों पर हस्ताक्षर करना; समुद्री उत्पाद एवं पौध संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग पर एक करार; दोहरे कराधान से बचने संबंधी करार तथा पर्यटन संबंधी करार,

–संयुक्त व्यापार परिषद् की बैठक आयोजित करना,

–भारत बल्गारिया संयुक्त बैंक की स्थापना करना,

–संयुक्त उद्यमों का संवर्धन एवं प्रोत्साहन,

–प्रति-व्यापार आधार पर व्यापार बढ़ाना।

–व्यापार मेलों इत्यादि में भागीदारी बढ़ाना।

साधारण बीमा निगम द्वारा निवेश

3652. श्री अनादि चरण दास : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान साधारण बीमा निगम द्वारा उड़ीसा में विभिन्न योजनाओं में कितना निवेश किया गया; और

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान साधारण बीमा निगम द्वारा उड़ीसा में कितना निवेश किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) पिछले तीन वर्षों में उड़ीसा राज्य को साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा प्रदान की गयी योजनाबद्ध सहायता निम्नलिखित है :-

योजना (ए)	1991-92	1992-93 (करोड़ रुपए)	1993-94
ग्रामीण आवास और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास हेतु ऋण	2.14	2.58	7.63
अग्निशमन उपकरण खरीदने हेतु ऋण	1.00	1.50	0.85

(ख) 1994-95 के दौरान उड़ीसा में साधारण बीमा निगम के प्रस्तावित निवेश को योजना आयोग, वित्त मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक में अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

लौह-अयस्क, मैंगनीज और बाक्साइट का निर्यात

3653. श्री के प्रधानी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष, देशवार लौह-अयस्क, मैंगनीज और बॉक्साइट का कुल कितनी मात्रा में निर्यात हुआ और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :

भारत द्वारा देश-वार निर्यात

मात्रा : लाख मी० टन

मूल्य : लाख रु० में

	1991-92		1992-93		1993-94	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
लौह अयस्क						
जापान	126.43	88056.84	134.24	66929.23	143.36	75053.47
चीन जन० गण०	5.98	2687.68	23.34	11736.18	26.61	15171.27
कोरिया गण०	27.72	14252.84	17.60	7369.62	18.32	8631.70
इटली	10.94	3583.73	14.25	5825.03	20.47	7511.66
अन्य	64.06	34957.50	34.24	18558.57	52.10	29356.23
योग	**295.13**	**143538.59**	**221.67**	**110408.63**	**261.28**	**135724.33**
मैंगनीज अयस्क						
जापान	0.74	75725	0.64	1115.32	1.59	2774.56
कोरिया लोक० गण०	0.51	580.83	0.31	368.86	0.28	307.05

1	2	3	4	5	6	7
कोरिया गण०	0.62	689.41	0.83	1074.34	0.54	563.65
पोलैण्ड	0.33	876.91	–	–	0.21	296.01
अन्य	0.45	845.68	0.32	520.35	0.22	913.25
योग	**2.65**	**3750.08**	**2.10**	**3078.87**	**2.84**	**4854.52**
बाक्साईट						
कनाडा	–	–	–	–	0.38	312.30
सं० अ० अमीरात	0.46	141.18	1.39	540.55	0.84	295.03
यू० एस० ए०	–	–	0.34	1687.29	0.26	1397.00
फिनलैंड	–	–	–	–	0.26	1351.37
स्वीडन	0.53	186.22	0.27	106.32	–	–
अन्य	0.23	73.20	0.47	192.87	0.29	125.69
योग	**1.22**	**400.60**	**2.47**	**2527.03**	**2.03**	**3481.39**

(स्रोत : डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता)

[हिन्दी]

विशेष पर्यटन क्षेत्र

3654. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या **नागर विमानन** और **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पर्यटन के समेकित विकास के लिए विशेष पर्यटन क्षेत्र घोषित करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) उत्तर भारत में कौन-कौन से स्थानों को अभी तक विशेष पर्यटन क्षेत्र घोषित कियां गया है; और

(घ) सरकार द्वारा 1994-95 के दौरान प्रत्येक विशेष पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) विशेष पर्यटन क्षेत्र अलग-अलग राज्य सरकारें केन्द्रीय पर्यटन विभाग के साथ परामर्श करके अभिनिर्धारित करती हैं। ऐसा करते समय क्षेत्र की पर्यटन संभावना, पहुंचने की योग्यता, उपयुक्त भूमि की उपलब्धता, आदि को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) निम्नलिखित स्थानों को विशेष पर्यटन क्षेत्रों के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है :-

(1) केरल में वेकल समुद्रतट

(2) तमिलनाडु में मुतुकाडु-मामल्लापुरम

(3) महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग

(4) उड़ीसा में पुरी-कोणार्क

(5) दमन दीव संघ राज्य क्षेत्र में दीव

केरल सरकार ने बेकल क्षेत्र में भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जन हेतु 400 एकड़ भूमि अधिसूचित की है और महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग के लिए मिथवव में भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जन हेतु 61.65 हैक्टेयर भूमि अधिसूचित की है।

(ग) उत्तरी भारत में अभी तक कोई भी स्थान विशेष पर्यटन क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है।

(घ) पर्यटन केन्द्रों/क्षेत्रों (विशेष पर्यटन क्षेत्रों) के एकीकृत विकास के लिए वित्तीय सहायता हेतु पर्यटन विभाग के बजट में 1.25 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है।

[अनुवाद]

ऋण जमा अनुपात

3655. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग की अद्यतन त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार बैंकों के ऋण जमा अनुपात में गत वर्ष की तुलना में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) 8 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात 52.2% था और 10 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार यह अनुपात 50.4% था। इस अवधि के दौरान ऋण जमा अनुपात में विभिन्न कारणों से गिरावट आई है। प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं :–

(1) संदर्भाधीन अवधि के दौरान बैंक जमाराधियों की वृद्धि दर बैंक ऋणों की 0.9% की कम वृद्धि दर की तुलना में अधिक थीं, जो 4.4% थी।

(2) खाद्येतर बैंक ऋण का विस्तार कई कारकों की वजह से था, जैसे :–पूंजी बाजार, यूरो निर्गमों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार, ख्यातिप्राप्त कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक प्रपत्रों का निर्गम, संसाधनों के अधिक संग्रहण के कारण निगमित क्षेत्र की नकदी की बेहतर स्थिति और स्वतंत्ररूप से उपलब्ध आयातों से बेहतर माल-सूची प्रबंध।

इस संदर्भ में, यह कहा जा सकता है कि 22 जुलाई, 1994 तक (अद्यतन उपलब्ध), बैंक ऋणों की वृद्धि दर में सुधार हुआ है, जो जून 1994 की स्थिति के अनुसार 0.9% से 2.2% हो गयी है। ऋण जमा अनुपात 10.6.94 के 50.4% की तुलना में बढ़कर 22.4.1994 को 50.8% हो गया है।

[हिन्दी]

गुजरात में कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का कार्यालय खोलना

3656. श्री एन॰ जे॰ राठवा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का शाखा कार्यलय खोलने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उत्पाद शुल्क की बकाया राशि

3657. श्री पी॰ कुमारासामी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन कंपनियों पर उत्पाद शुल्क की पचास करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया है;

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी अवधि से उत्पाद शुल्क बकाया है; और

(ग) प्रत्येक मामले में बकाया राशि की शीघ्र वसूली के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पूर्वोत्तर राज्यों में नागर विमानन विकास

3658. श्री प्रबीन डेका : क्या **नागर विमानन** और **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वित किए जाने हेतु बनाई गई नागर विमानन विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त योजनावधि के दौरान अब तक नागर विमानन विकास हेतु इस क्षेत्र को योजनावार कितनी धनराशि का अनुदान दिया गया है; और

(ग) उक्त योजनावधि के दौरान अब तक इस क्षेत्र में शुरू किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) आठवीं योजना में, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रधिकरण ने पूर्वोत्तर राज्यों में हवाई अड्डों के विकास और उन्नयन के लिए 109 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। इसमें उत्तर-पूर्वी परिषद् द्वारा आवंटित 50 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है। इसके अतिरिक्त गुवाहाटी हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण और मिजोरम में तूरियल हवाई अड्डे के धावनपथ के विस्तार

के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1994-95 के लिए 11 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान बजटीय सहायता के रूप में किया गया है। परिकल्पित प्रमुख परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :

गुवाहाटी : (1) 12.45 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से टर्मिनल भवन का विस्तार और परिवर्तन कार्य कार्य 1993 में आरंभ हुआ और इसके 1995 के मध्य तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(2) 28.15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से हवाई निगरानी राडार/मोनापल्स गौण निगरानी राडार का संस्थापन। कार्य प्रगति पर है और इसके 31 दिसम्बर, 1994 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

डिब्रूगढ़ : 8.6 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से, धावनपथ और सहायक पेवमेंटों को सुदृढ़ीकरण। कार्य सितम्बर, 1994 में आरम्भ हो जाने की संभावना है।

सिलचर : 2.76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से, टर्मिनल भवन का विस्तार ओर परिवर्तन।

इम्फाल : (1) 10.03 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नये टर्मिनल भवन का निर्माण।

(2) 1.2 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से, नये तकनीकी ब्लॉक का निर्माण।

तूरा : 6.17 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से, तूरा में एक नये हवाई अड्डे का निर्माण किए जाने की योजना है। कार्य अभी आरम्भ होना है।

अगरतला : (1) 7.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से धावनपथ का सुदृढ़ीकरण। कार्य के अक्तूबर, 1994 में आरम्भ होने की संभावना है।

(2) 5.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से टर्मिनल भवन का विस्तार और परिवर्धन।

विदेशी ऋण

3659. श्रीमती बसुंधरा राजे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा कितना विदेशी ऋण लिया गया; और

(ख) उपरोक्त वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा दूसरे देशों को देशवार किए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और इसके उपलब्ध होते ही उसे प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

ऋण वितरण

3660. श्री एस॰ बी॰ सिदनाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने राज्यवार कुल कितनी धनराशि ऋणों के रूप में वितरित की है;

(ख) इन ऋणों का कितना भाग छोटे किसानों को मिला तथा इनसे लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) छोटे किसानों को अपेक्षाकृत अधिक ऋण देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) मार्च 1992, 1993 और 1994 (अद्यतन उपलब्ध) के अंत की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अग्रिमों की राज्यवार बकाया राशि संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) छोटे और सीमातिक किसानों को दिये गये अग्रिमों से संबंधित केवल मार्च 1992 तक की सूचना उपलब्ध है। तदनुसार, मार्च 1992 के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा छोटे और सीमांतिक किसानों को दिये गये अग्रिमों की राज्यवार बकाया राशि और उधार-खातों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में यह व्यवस्था की गई है कि कुल अग्रिमों का कम से कम 18% कृषि क्षेत्र को दिया जाना चाहिए। इस क्षेत्र, खासकर छोटे और सीमांतिक किसानों को ऋण का बढ़ा हुआ प्रवाह प्रदान करने के उद्देश्य से उपर्युक्त वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश में यह व्यवस्था की गई है कि 25,000 रू॰ तक की ऋण सीमा वाले सभी ऋण आवेदनों को एक पखवाड़े के भीतर निपटाया जाना है, 10,000 रू॰ तक के कृषि ऋण पर कोई मार्जिन राशि नहीं मांगी जानी चाहिए; 15,000 रू॰ तक के कृषि ऋण के लिये किसी प्रकार की प्रतिभूति या अन्य पक्ष गारंटी पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए; छोटे और सीमातिक किसानों द्वारा लिये गये फसल ऋण के मामले में नामें डाला गया ब्याज मूल धन से अधिक नहीं होना चाहिए; और 25,000 रू॰ से कम के ऋणों पर किसी प्रकार का दंडात्मक ब्याज नही लिया जाना चाहिए। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कृषि ऋण को बढ़ाने के लिये चालू वित्त वर्ष के लिये विशेषकर कार्य योजनाएं तैयार करने की सलाह दी है।

विवरण-I

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च	मार्च	मार्च
हरियाणा	2307	2649	2810
हिमाचल प्रदेश	503	560	591
जम्मू एवं कश्मीर	277	310	317
पंजाब	4578	5281	6132
राजस्थान	2996	3488	3651
चंडीगढ़	1031	995	1880
दिल्ली	12670	18235	20217
अरूणाचल प्रदेश	24	26	28

1	2	3	4
असम	1078	1172	1172
मणिपुर	76	85	87
मेघालय	70	69	75
मिजोरम	18	18	19
नागालैंड	87	96	96
त्रिपुरा	111	126	121
बिहार	3518	3830	4000
उड़ीसा	1963	2151	2173
सिक्किम	28	30	28
पश्चिम बंगाल	8788	10530	10968
अंडमान एवं मिकोबार	–	23	18
मध्य प्रदेश	5065	5512	5735
उत्तर प्रदेश	8948	9593	9722
गोवा	497	584	579
गुजरात	7217	9308	8651
महाराष्ट्र	25040	32118	34792
दादर एवं नगर हवेली	–	8	8
दमन एवं दीव	14	15	16
आन्ध्र प्रदेश	8905	10104	10592
कर्नाटक	7591	8794	9226
केरल	3607	4154	4469
तमिलनाडु	12488	13887	15327
लक्षद्वीप	1	1	1
पांडिचेरी	164	180	201

विवरण II

मार्च 1992 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु और सीमांतिक किसानों को दिये गये अग्रिमों की राज्य वार बकाया राशि और उसमें अंतर्ग्रत उधार खातों की सं॰

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खातों की संख्या	बकाया अग्रिमों की राशि
1	2	3
हरियाणा	313437	18508
हिमाचल प्रदेश	84553	3520
जम्मू व कश्मीर	16765	532
पंजाब	368636	33728
राजस्थान	418242	18669
चंडीगढ़	2682	1122
दिल्ली	8078	407
असम	165529	6233
मणिपुर	11488	343
मेघालय	19330	664
नागालैंड	17316	854
त्रिपुरा	47124	947
अरूणाचल प्रदेश	4397	115
मिजोरम	2140	164
सिक्किम	6474	340
बिहार	1228958	39360
उड़ीसा	738821	21153
पश्चिम बंगाल	960304	30625.
अंडमान व निकोवार	2034	109
मध्य प्रदेश	638662	37583
उत्तर प्रदेश	1647392	81233
गुजरात	414613	16472

1	2	3
महाराष्ट्र	807642	34873
दमन व दीव	245	29
गोवा	24452	994
दादरा व नगर हवेली	200	15
आन्ध्र प्रदेश	1493370	74020
कर्नाटक	977812	45584
केरल	937228	42251
तमिलनाडु	2004981	98457
पांडिचेरी	36280	1498
लक्षद्वीप	346	18

राष्ट्रीयकृत बैंक

3661. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में चेयरमैनों और प्रबंध निदेशकों के काफी पद इस समय रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है और ये कब से खाली पड़े हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इसके साथ-साथ 1994-95 के दौरान चेयरमैनों और प्रबंधन-निदेशकों के कई और पद रिक्त हो जायेंगे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के नामों का कोई पैनल तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो चेयरमैनों और प्रबंध निदेशकों के इस समय रिक्त पड़े पदों को कब तक भर दिया जायेगा तथा इसके नामों की घोषणा और तत्संबंधी अधिसूचना कब तक जारी कर दी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) दो राष्ट्रीयकृत बैंकों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद रिक्त हैं। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्र॰ सं॰	बैंक का नाम	जिस तारीख से रिक्त है
1.	आन्ध्रा बैंक	1.7.1992
2.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1.8.1994

(घ) और (ङ) 1994-95 के दौरान निम्नलिखित राष्ट्रीयकृत बैंकों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद रिक्त होने की संभावना है :-

क्रम सं॰	बैंक का नाम	जिस तारीख से रिक्त होने की संभावना है
1.	इलाहाबाद बैंक	1.12.1994
2.	बैंक आफ इंडिया	1.2.1995
3.	सिंडिकेट बैंक	1.3.1995
4.	पंजाब नैशनल बैंक	7.3.1995

(च) और (छ) वर्तमान/संभावित रिक्तियों को भरने के लिए सरकार ने पहले ही आवश्यक कदम उठाए हैं।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा सहायता

4662. श्री एस॰ एम॰ लालजान बाशा :

श्री राम कृष्ण कोंताला :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र की अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त सहायता जिन परियोजनाओं के लिए ली गई, उनका राज्य वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1994-95 के दौरान इन एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है और इस सहायता से राज्य-वार कौन-कौन सी परियोजनाएं शुरू की जायेंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

छोटे हवाई जहाजों की खरीद

3663. डा॰ वसंत पवार : क्या **नागर विमानन** और **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र के किन मंत्रालयों ने अपने उपयोग हेतु छोटे हवाई जहाजों की खरीद की पेशकश की है;

(ख) उन मंत्रालयों के क्या नाम हैं जिनके प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं तथा उन्होंने हवाई जहाज प्राप्त कर लिए हैं; और

(ग) इस सुविधा को प्रदान करने संबंधी मानदंड क्या हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) किसी भी केन्द्रीय मंत्रालय ने अपने मंत्रालय के उपयोग के लिए छोटा विमान खरीदने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय से सम्पर्क नहीं किया है।

(ख) और (ग) नागर विमानन महानिदेशालय ने विमान के आयात के लिए लाइसेंस जारी करने की सिफारिश करने हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किए हैं :–

(1) भारत में आयात किया जाने वाला ऐसा विमान जिसके लिए उड़ान योग्यता प्रमाणपत्र जारी किया जाना है, सुरक्षित प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किस्म के डिजाइन और हालत में होना चाहिए।

(2) आयात किया जाने वाला कोई भी प्रेशेराइज्ड विमान 15 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। कोई भी नान-प्रेशेराइज्ड विमान सामान्यत: 20 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए।

बीड़ी श्रमिक

3664. श्री आर॰ धनुषकोडी आदित्यन : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वाविधारित कानूनी प्रतिबन्धों के कारण तमिलनाडु के फालतू बीड़ी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क बनाने हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) सरकार विभिन्न राज्यों में बीड़ी की बिक्री पर किस प्रकार प्रतिबन्ध लगाएगी;

(ग) इस संबंध में गठित तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या तमिलनाडु में बीड़ी श्रमिकों के पुनर्वास हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता नियत की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो वित्तीय स्रोतों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला खानों में सुरक्षा उपाय

3665. श्री तारा सिंह :

श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद :

श्री राम नाईक :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कोयला खानों में अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों के संबंध में विशेष सुरक्षा लेखा-परीक्षा द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इन सिफारिशों को न अपनाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सभी सिफारिशों को कब तक लागू किया जायेगा ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) से (घ) कोयला खानों में सुरक्षा निरीक्षण के दूसरे ढंग से सुरक्षा उपायों में अपर्याप्तता का पता लगाने के उद्देश्य से सुरक्षा अंकेक्षण किए जाते हैं। कोयला

खानों में सुरक्षा निरीक्षण केवल एक बार की प्रक्रिया नहीं है अपितु यह एक सतत प्रक्रिया है। पता लगायी गयी कमियों को अनवरत आधार पर निपटाया जाता है।

कल्याण तथा पेंशन योजना

3666. प्रो॰ के॰ वी॰ थामस : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्रकार तथा गैर-पत्रकार संगठनों ने केन्द्रीय सरकार से कल्याण तथा पेंशन योजनाओं के केरल माडल को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) से (ग) पत्रकारों सहित क॰ भ॰ नि॰ अंशदाताओं ने केन्द्रीय सरकार से एक पेंशन योजना शुरू करने का अनुरोध किया था। सरकार ने इस मामले पर विचार किया है और पत्रकारों सहित सभी क॰ भ॰ नि॰ अंशदाताओं के लिए एक उपयुक्त पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित योजना से सेवानिवृत्ति, अधिवर्षिता, मृत्यु आदि के मामले में मासिक पेंशन योजना के भुगतान का प्रावधान है। केन्द्रीय सरकार को पेंशन योजना तैयार करने में समर्थ बनाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में संशोधन करने संबंधी विधेयक राज्य सभा में पहले ही पेश किया जा चुका है।

कर्नाटक में हवाई अड्डे

3667. श्री चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **नागर विमानन** और **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बंगलौर, मंगलौर और गुलबर्ग में निजी क्षेत्र के सहयोग से स्वयं बनाओ और स्वयं चलाओ हवाई अड्डे का निर्माण से संबंधित कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) हाल ही की एक बैठक में, कर्नाटक सरकार के बड़े और मझौले उद्योग मंत्री ने प्रस्ताव किया कि राज्य सरकार को बंगलौर और मंगलौर में निजी पार्टियों की सहायता से "स्वयं बनाओ और स्वयं चलाओ के आधार पर" नए हवाई अड्डों के निर्माण की अनुमति दी जाए।

बैठक में यह निर्णय किया गया कि नागर विमानन विभाग को बंगलौर और मंगलौर में निजी पार्टियों की सहायता से राज्य सरकार द्वारा नए हवाई अड्डों की स्थापना के संबंध में कोई आपत्ति नहीं होगी। तथापि, राज्य सरकार को सांविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय और अन्य संबंधित एंजेंसियों को आवेदन करना होगा। प्रवर्त्तकों के लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा तय की गई सभी शर्तों और मानदण्डों का पालन करना भी अपेक्षित होगा।

यह भी निर्णय किया गया था कि नागर विमानन विभाग को राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से गुलबर्गा में हवाई अड्डे का विकास किये जाने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं होगी।

राजनैतिक दलों को चंदा

3668. श्री पृथ्वीराज डी॰ चव्हाण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनी अधिनियम, 1956 तथा आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों को चन्दा देने की अनुमति है;

(ख) क्या वार्षिक वित्तीय लेखों में इस राशि को अलग से दिखाना होता है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों में प्रत्येक पंजीकृत दल को दिए गए चन्दे की कुल राशि का कोई रिकार्ड रखा है;

(ङ) यदि हां, तो राजनैतिक दल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 293क के अनुसार कोई कंपनी, जो सरकारी कंपनी न हो और कंपनी तीन वित्तीय वर्षों से कम समय से अस्तित्व में हो, कुछ विनिर्दिष्ट शर्तों पर किसी राजनैतिक पार्टी को अथवा किसी राजनीतिक प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अंशदान दे सकती है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13क किसी राजनैतिक पार्टी द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक अंशदान पर छूट देती है।

(ख) जी, हां।

(ग) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 293क (4) के अंतर्गत किसी कंपनी द्वारा किसी राजनैतिक पार्टी या किसी राजनीतिक प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को दी गई धनराशि कंपनी के लाभ एवं हानि खाते में दिखाई जाएगी जिसमें अंशदान में दी गई कुल धनराशि और पार्टी या व्यक्ति के नाम का ब्यौरा भी दिया जाएगा। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13क के प्रयोजनों के लिए राजनैतिक पार्टी को लेखा-पुस्तिका और दूसरे कागजात रखने होंगे जिनमें 10,00/-रू॰ (दस हजार रुपये) से अधिक का अंशदान करने वाले व्यक्तियों के नाम और पते वाला रिकार्ड भी शामिल हैं।

(घ) से (च) स्वैच्छिक अंशदानों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता क्योंकि यह मामला प्राथमिक रूप में भारत सरकार से संबंधित नहीं है।

[हिन्दी]

निजी एयरलाइंस

3669. श्री राम टहल चौधरी :

श्री छेदी पासवान :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **नागर विमानन** और **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रमुख निजी एयरलाइंस विमान कार्गो व्यवसाय तथा यात्री सुविधाओं के संचालन में अधिकाधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप 1993-94 के दौरान इंडियन एयरलाइंस को कितनी हानि हुई;

(ग) इंडियन एयरलाइंस का व्यापार निजी एयरलाइनों के हाथ में जाने के यदि कोई कारण हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का विचार स्थिति में किस प्रकार सुधार करने का है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां। हवाई टैक्सी प्रचालकों के आने से इंडियन एयरलाइंस द्वारा वाहित किए गए यात्रियों की संख्या में गिरावट आई है। एयर टैक्सी प्रचालकों ने वर्ष 1993-94 के दौरान लगभग 24.3 लाख यात्रियों का वहन किया। वर्ष 1993-94 के दौरान इंडियन एयरलाइंस ने 460 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व का अर्जन किया होता यदि कोई एयर टैक्सी प्रचालन नहीं होते।

जहां तक कार्गो संबंधी कारोबार का संबंध है इस कारण हानि अत्यन्त सीमान्तक है।

(ग) निजी एयरलाइनों द्वारा क्षमता की व्यवस्था ही प्रमुख कारण है जिससे इंडियन एयरलाइंस को यातायात में हानि होती है।

(घ) इंडियन एयरलाइंस ने स्थिति को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

-भूमि पर व विमान में, दोनों सेवाओं में सुधार।

विमान में परोसे जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में सुधार।

- ए-300 विमानों की इकोनोमी क्लास में सीट पिच बढ़ाकर यात्रियों के आराम में वृद्धि करना।

-ए-320 विमानों में बिजनेस क्लास शुरू करना।

-यात्रियों के लिए मूल्य में प्रोत्साहन/रियायतें शुरू करना।

-रद्दकरण शुल्क को हटाना और उसके बदले प्रति टिकट 100 रुपए धन वापसी शुल्क शुरू करना।

[अनुवाद]

परामर्श सेवाएं

3670. श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति :

श्री गुमान मल लोढा :

डा॰ महादीपक सिंह शाक्य :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विदेशों को परामर्श सेवाएं देने से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या भारत में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा चलाया जा रहा परामर्श-सेवा संबंधी व्यापार देश में विदेशों से वित्त पोषित प्रत्येक परियोजना में विदेशी परामर्श कम्पनियों को महत्वपूर्ण भूमिका दिये जाने के कारण गम्भीर संकट का सामना कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में परामर्श सम्बन्धी भारतीय निर्यात संगठन समिति से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा जिनेवा में विकासशील देशों में परामर्श सेवा संबंधी व्यापार के विकास के सम्बन्ध में एक सम्मेलन आयोजित किया गया है;

(छ) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई; और

(ज) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान कंप्यूटर साफ्टवेयर सहित परामर्शी सेवाओं के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा आय निम्नलिखित रही है :-

वर्ष	विदेशी मुद्रा आय (करोड़ रुपए में)
1991-92	720
1992-93	831
1993-94	1650 (अनुमानित)

(स्रोत : फिओ)

उपर्युक्त आंकड़ों से परामर्शी सेवाओं के निर्यात में लगातार वृद्धि होने का पता चलता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) से (ज) संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यू एन आई डी ओ) ने दिनांक 20.22 जून, 1994 को जेनेवा में परामर्शी इंजीनियरी सेवाओं सम्बन्धी परामर्श के लिए विश्वव्यापी प्रारंभिक बैठक का आयोजन किया था। यह बैठक दिसम्बर, 1994 में यूनिडो के तत्वावधान में आयोजित की जाने वाली परामर्शी बैठक की तैयारी के संबंध में थी।

बेरोजगारी भत्ता

3671. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरोजगारी भत्ता प्रदान कर रहे राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार बेराजगार युवकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार असम, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें अपने स्वयं के संसाधनों में से रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों को विभिन्न दरों पर बेरोजगारी भत्ता देती रही है। केन्द्र सरकार संसाधन बाधाओं के कारण बेराजगार व्यक्तियों की किसी श्रेणी को बेरोजगारी भत्ता देने के पक्ष में नहीं है।

[हिन्दी]

मूल्य वृद्धि

3672. श्री नीतीश कुमार :

श्री गुमान मल लोढा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 मई, 1994 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "कंट्रोल आइटम्स स्पर्ट इन्फ्लेशन: सी० एम० आई० ई०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले तीन वर्षों में देश में कंट्रोल की वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि देश में मुद्रास्फीति की दरों में हुई वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान चावल, गेहूं, गन्ना, डीजल, बिजली, कोयला और पैट्रोल जैसी राशन की वस्तुओं में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान देश में मुद्रास्फीति पर इस वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) पिछले तीन वर्षों में पूर्णत: (पैट्रोल, डीजल, कोयला और बिजली) और कृषि समर्थन/सार्वजनिक वितरण प्रणाली निर्गम मूल्य (चावल, गेहूं, गन्ना) के रूप में आंशिक रूप से प्रशासित मूल्यों वाली वस्तुओं के मूल्यों में दर्ज की गई वृद्धि की सूची नीचे दी गई है :–

वस्तुएं	थोक मूल्यों में प्रतिशत वृद्धि		
	1991-92	1992-93	1993-94
चावल	21.8	14.5	7.2
गेहूं	18.4	11.4	11.6
गन्ना	6.4	13.2	21.5
कोयला	7.4	20.5	15.0
उच्च गति डीजल	11.5	13.2	10.5
पैट्रोल	27.5	10.5	4.5
बिजली	10.9	11.8	27.8

(ङ) वार्षिक मुद्रास्फीति की दर प्रशासित मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव नीचे दर्शाया गया है :–

वर्ष	वार्षिक मुद्रास्फीति (प्रतिशत)	मुद्रास्फीति में प्रशासित मूल्यों का भाग (प्रतिशत)
1991-92	13.7	12.4
1992-93	10.1	18.5
1993-94	8.4	23.7

रोजगार कार्यालय

3673. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोजगार कार्यालयों का प्रभावी कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) से (घ) रोजगार कार्यालय संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के अधीन कार्य करते हैं। रोजगार कार्यालयों की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए

उनके द्वारा उनका पुनरीक्षण किया जाता है। पंजीकरण तथा नियुक्ति के मामले में सरलीकरण तथा प्रक्रिया की समानता के संबंध में भी केन्द्र सरकार द्वारा अनुदेश जारी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

ऋण वसूली के मामले

3674. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऋण वसूली के कितने मामले ऋण वसूली न्यायाधिकरणों को अंतरित किए गए हैं अथवा करने का विचार है; और

(ख) किन-किन पांच राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऐसे मामलों की संख्या सार्वाधिक है और उन मामलों में बैंक-वार कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 10 लाख रुपए और इससे अधिक राशि वाले उन मामलों की संख्या, जिनके विरुद्ध मुकदमे दायर किए गए हैं और जिन्हें ऋण वसूली अभिकरण को पास भेजा जाना अपेक्षित है, 1.8.1993 तक 10595 थी। सरकारी क्षेत्र के उन पांच बैंकों के नाम, जिनके पास ऐसे अधिकतम मामले हैं, नीचे दिए गए हैं :-

	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रुपए)
भारतीय स्टेट बैंक	1838	145875.66
बैंक आफ बड़ौदा	609	30247.00
बैंक आफ इंडिया	794	64022.93
केनरा बैंक	736	46038.00
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	777	45929.23

मध्य प्रदेश में ऋण जमा अनुपात

3675. श्री परसराम भारद्वाज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में तथा अन्य राज्यों में औसतन कितने-कितने व्यक्तियों पर एक बैंक है और इस बारे में समग्र राष्ट्रीय अनुपात क्या है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश के और सम्पूर्ण देश के इस अनुपात में भारी अंतर है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश के ग्रामीण और अर्ध-शहरी बैंक शाखाओं में ऋण जमा अनुपात क्या है और 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी राष्ट्रीय औसत क्या था।

(ङ) क्या इसमें भारी अंतर है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) मध्य प्रदेश में प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या 12,000 (1981 की जनगणना के अनुसार) है जबकि जून 1993 (नवीनतम उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय औसत 11,000 है।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश में प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या राष्ट्रीय औसत के सदृश्य है।

(घ) मार्च 1994 के अंत की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं का ऋण जमा अनुपात 40.44 प्रतिशत है जबकि तुलनात्मक राष्ट्रीय औसत 45.37 प्रतिशत है।

(ङ) और (च) किसी राज्य विशेष या क्षेत्र में स्थानीय रूप से जुटाई गई जमाराशियों की तुलना में ऋण का वास्तविक स्तर राज्य/क्षेत्र की ऋण खपाने की क्षमता पर निर्भर करता है, जो बदले में सिंचाई बिजली, रेल, सड़क, परिवहन, आधारभूत और तकनीकी शिक्षा उद्यमवृत्ति और अपेक्षित निवेश और कृषि तथा औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार सुविधा आदि जैसी और अपेक्षित सुविधाओं पर निर्भर करता है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में बैंक ऋणों के नियोजन संबंधी मामलों की निगरानी नियमित रूप से की जाती है।

होटलों द्वारा दोहरा शुल्क वसूल करना

3676. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री 11 मार्च, 1994 के अतारांकित प्रश्न सं॰-2561 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटलों द्वारा दोहरा शुल्क वसूल किए जाने से संबंधित मामलों पर विचार के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा कौन-कौन सी सिफारिशें की गई हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं तो यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग) सरकार ने सचिव, पर्यटन विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जिसमें पर्यटन विभाग व वित्त मंत्रालय के अधिकारी और होटल उद्योग व यात्रा व्यवसाय के प्रतिनिधि शामिल हैं। होटल उद्योग और यात्रा व्यवसाय के प्रतिनिधियों को लेकर बनाई गई समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि होटल और प्रबंध यात्री एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से एक कार्यदल गठित किया जाएगा जो समयबद्ध तरीके से दोहरे टैरिफ को हटाने के लिए एक स्कीम तैयार करेगा।

कार्यदल की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

चीनी का आयात

3677. श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव :

श्री संदीपान भगवान थोरात :

श्रीमती बिभू कुमारी देवी :

डा॰ महादीपक सिंह शाक्य :

श्री गुमान मल लोढा :

श्री फूलचन्द वर्मा :

श्री श्रीकांत जेना :

श्री राम विलास पासवान :

श्री बलराज पासी :

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राज्य व्यापार निगम लि॰ और भारतीय खनिज और इस्पात व्यापार निगम लि॰ ने हाल ही में विनिर्देश के अनुसार चीनी का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संगठनों से ग्रेड-वार पृथक-पृथक कितनी मात्रा में चीनी का आयात किया है;

(ग) इन संगठनों ने पृथक-पृथक किस मूल्य दर पर चीनी का आयात किया;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य व्यापार निगम तथा खनिज और इस्पात व्यापार निगम को इस आयात में भारी घाटा हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) जी, हां। अप्रैल-जुलाई, 1994 के दौरान एस॰टी॰सी॰ द्वारा 4.97 लाख मी॰टन तथा एम॰एम॰टी॰सी॰ द्वारा 5.05 लाख मी॰ टन चीनी की खरीद पर औसत आयात कीमत (सी ऐंड एफ) क्रमश: 391 अमरीकी डालर तथा 383 अमरीकी डालर प्रति मी॰ टन रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

इंडियन एयरलाइंस तथा कर्मचारियों के साथ समझौते

3678. प्रो॰ उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **नागर विमानन** और **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने अपने कर्मचारियों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस ने अपने कर्मचारियों के साथ कार्यकुशलता संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन समझौतों के परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइंस को कितना अनुमानित वार्षिक वित्तीय लाभ होगा; और

(च) 1993-94 के दौरान कर्मचारियों द्वारा लिए गए समयोपरि-भत्ते के संबंध में इंडियन एयरलाइंस में कार्यकुशलता संबंधी समझौतों का क्या प्रभाव पड़ा है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) संसाधनों के बेहतर उपयोग एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए इंडियन एयरलाइंस ने 8 मान्यता प्राप्त यूनियनों/ऐसोसिएशनों में से 5 के साथ उत्पादकता संबंन्धित समझौतों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौतों/समझौता ज्ञापनों के अनुसार पायलटों एवं उड़ान अभियन्ताओं के संबंध में उपयोग के घंटों में वृद्धि की गई है। यूनियनें/ऐसोसिएशनें कार्य निष्पादन सुधारने एवं उत्पादन वृद्धि के उपायों तथा बेकार के कार्य व्यापारों को समाप्त करने पर सहमत हो गई है। समझौतों/समझौता ज्ञापनों के अधीन आने वाले कर्मचारियों को कुछ भत्ते दिए जाएंगे।

(ङ) उत्पादकता से संबंधित समझौतों से प्रोद्भूत लाभ मुख्यत: बेहतर ऑनटाइम परफार्मेंस, विभागों का अधिक उपयोग तथा ग्राहकों को बेहतर सेवा के रूप में होंगे।

(च) वर्ष 1993-94 के दौरान इंडियन कामर्शियल पायलट्स ऐसोसिएशन के साथ केवल एक उत्पादकता समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। चूंकि पायलट समयोपरिभत्ता नहीं लेते हैं इसलिए समयोपरिभत्ता भुगतान पर प्रभाव का प्रश्न नहीं उठता।

भुगतान संतुलन

3679. डॉ॰ खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 तथा 1994 के दौरान देश के भुगतान संतुलन की क्या स्थिति थी;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कोई सुझाव मिला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान भुगतान संतुलन की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जैसा कि चालू खाता घाटे में वर्ष 1992-93 के दौरान 4.9 बिलियन अमरीकी डालर से वर्ष 1993-94 के दौरान 230 मिलियन अमरीकी डालर की तीव्र गिरावट दर्शायी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में वर्ष 1992-93 के अन्त तक 6.4 बिलियन अमरीकी डालर से वर्ष 1993-94

के अन्त तक 15.1 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई। जुलाई, 1994 के अन्त तक प्रारक्षित निधि में 17.5 बिलियन अमरीकी डालर का और अधिक सुधार हुआ।

(ख) और (ग) 27 जुलाई, 1994 को जारी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अपनी वार्षिक रिपोर्ट 1994 में यह वर्णित किया गया है कि निधि को अग्रिम पुन: क्रय किए जाने के लिए भुगतान संतुलनों में हाल ही के सुधार से प्रस्तुत किए गए अवसर को प्रयोग में लाए जाने के भारत के आशय का निदेशकों ने स्वागत किया है। फिर भी, उन्होंने सावधान किया है कि विदेशी व्यवहार्यता अभी विश्वासनीय नहीं है और यह भी रेखांकित किया है कि अभी राजकोषीय और संरचनात्मकता के निरन्तर सुधारों का और अधिक महत्व यह सुनिश्चित करे कि भुगतान संतुलन सुदृढ़ रहे।

(घ) सरकार की नीति निरन्तर समीक्षा की है और जैसे और जब भी आवश्यक हो, उभरती स्थिति को पूरा करने के लिए उपाय किए गए हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय बिक्री कर और उत्पाद शुल्क की वसूली :

3680. श्री बी॰ एल॰ शर्मा प्रेम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में अलग-अलग केन्द्रीय बिक्री कर और उत्पाद शुल्क की अभी कितनी धनराशि वसूल की जानी है, और

(ख) इन क्षेत्रों से बकाया धनराशि की वसूली हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मसालों का निर्यात

3681. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लगभग प्रत्येक भारतीय घर में उपलब्ध मसालों के लाभ्पप्रद उपयोग से संबंधित जानकारी का उपयोग निर्यात में वृद्धि के लिए नहीं किया जा रहा है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सूचना को एकत्र करने तथा निर्यात में वृद्धि करने हेतु इसका उचित प्रकार से उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) मसाला बोर्ड ने मसालों के लाभदायक उपयोग जैसे सुगंध, स्वाद, खुशबु और रंग के ज्ञान का उपयोग किया है तथा विभिन्न प्रकाशनों, विज्ञापनों व्यंजन कार्ड, मद सूचियों आदि के जरिए उनका प्रचार किया है।

प्लास्टिक के सामानों का निर्यात

3682. श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारत से निर्यातित प्लास्टिक का तैयार माल बड़ी मात्रा में दुबई पत्तन पर बिना स्वीकृति के पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को निर्यात के माल के लिए अधिक मूल्य के बीजक तैयार करने के संबंध में किस प्रकार की अनियमितताओं का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में इन अनियमितताओं को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) दुबई स्थित हमारे आयोग से की गई पूछताछ से यह पुष्टि नहीं हुई है कि तैयार माल के रूप में भारत से निर्यात की गई प्लास्टिक की वस्तुओं की अधिकांश मात्रा दुबई पत्तन पर बिना स्वीकृति के पड़ी है।

(ख), (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सामान्य बीमा निगम में नियुक्तियां

3683. श्री छीतूभाई गामीत : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में सामान्य बीमा निगम तथा इसकी चार सहायक कम्पनियों, न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी, युनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी, नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी और ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी, में I, II, III, तथा IV श्रेणी के पदों पर कुल कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई;

(ख) नियुक्त किए गए व्यक्तियों में कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं;

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना कोटा आरक्षित है;

(घ) उक्त नियुक्तियों में कितना आरक्षित कोटा पूरा किया गया है तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) आरक्षित कोटे को पूरी तरह से न भरने के क्या कारण हैं;

(च) क्या सामान्य बीमा निगम को इस संबंध में कोई निर्देश दिए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जैसा कि भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है, निम्नलिखित सारणी में अपेक्षित सूचना दी गई है :–

वर्ष	नियुक्त किए गए कुल अभ्यर्थियों की संख्या	अ॰ जा॰/अ॰ज॰जा॰ से संबंधित अभ्यर्थियों की संख्या
1990-91	5324	1791
1991-92	3902	1500
1992-93	2749	1232

(ग) से (छ) श्रेणी-I के पदों पर भर्ती के लिए अखिल भारतीय आधार पर अ॰ जा॰/अ॰ ज॰ जा॰ के लिए 15 प्रतिशत और 71/2 प्रतिशत आरक्षण किया जाता है अन्य श्रेणियों के लिए इस प्रयोजनार्थ बनायी गयी राज्य-वार सूचियों के आधार पर आरक्षण किया जाता है। साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान साधारण बीमा उद्योग में अ॰ जा॰/अ॰ ज॰ जा॰ के अभ्यर्थियों का प्रवेश अखिल भारतीय औसत से अधिक हो गया है। कतिपय भर्ती केन्द्रों में उपयुक्त अभ्यर्थियों के न मिलने पर अ॰ जा॰/अ॰ ज॰ जा॰ के लिए आरक्षित रिक्तियों के न भरे जाने की स्थिति में, पिछली बकाया रिक्तियों को भरने के लिए समय-समय पर विशेष भर्ती अभियान चलाए जाते हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के बैंक

3684. श्री अनादि चरण दास : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बैंक-वार कितनी शाखायें हैं;

(ख) गत वर्षों के दौरान इन बैंकों में बैंकवार कितनी धनराशि जमा हुई तथा उड़ीसा के किसानों को कितनी धनराशि मंजूर की गई और वास्तव में उन्हें कितनी धनराशि वितरित की गई;

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इस प्रकार के ऋणों की मंजूरी हेतु निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान किसानों से कितनी धनराशि वसूल की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) मार्च 1994 के अंत की स्थिति के अनुसार (अद्यतन उपलब्ध) उड़ीसा में कार्य कर रहे सरकारी क्षेत्रों के बैंकों की बैंक-वार शाखाओं की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) से (घ) मार्च 1992, 1993 और 1994 के अंत की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बैंक-वार जमा राशि संलग्न विवरण-II में दी गई है। जहां तक बैंकों द्वारा किसानों को मंजूर किए गए और संवितरित किए गए ऋणों से संबंधित सूचना का संबंध है यह सूचना आंकड़ा प्रणाली से प्राप्त नहीं होती है। प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार सभी भारतीय बैंकों का अपने निवल बैंक ऋण का कम से कम 18% कृषि क्षेत्र को देना अपेक्षित है। इस बारे में राज्य वार लक्ष्य

निर्धारित नहीं किया गया है। 18% का निर्धारित लक्ष्य संबंधित बैंकों को अखिल भारतीय आधार पर प्राप्त करना है। फिर भी सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण योजना के अंतर्गत तैयार की गई वार्षिक ऋण योजना के तहत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जिले के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वार्षिक ऋण योजना के तहत उड़ीसा में सभी बैंकों के कृषि क्षेत्र के अंतर्गत 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :-

(करोड़ रुपये)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि की प्रतिशतता
1991-92	266.64	177.22	66.5
1992-93	243.79	148.72	61.0
1993-94	250.16	204.12	81.6

उपर्युक्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि उड़ीसा राज्य में कृषि क्षेत्र को अग्रिम प्रदान करने के बारे में बैंकों की उपलब्धि में सुधार हो रहा है। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए ब्लाक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों के कार्यनिष्पादन की मानीटरिंग की जाती है।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से ऋणों की वसूली से संबंधित ऋणकर्ताओं की श्रेणी-वार सूचना प्राप्त नहीं होती। फिर भी जून 1991 और 1992 (अद्यतन उपलब्ध) के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की मांग की तुलना में प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली की प्रतिशतता क्रमशः 57% और 45% थी। सभी श्रेणियों के अंतर्गत बैंकों के ऋणों के संबंध में उनकी वसूली की स्थिति में सुधार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को कई मार्गनिर्देश जारी किए हैं। आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने की दृष्टि से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में भी वसूली से संबंधित मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है।

विवरण-I

मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बैंक-वार शाखाओं की संख्या

बैंक का नाम	शाखाओं की सं॰
1	2
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	1
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	5
भारतीय स्टेट बैंक	459
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	1

1	2
इलाहाबाद बैंक	52
आन्ध्रा बैंक	78
बैंक ऑफ बड़ौदा	31
बैंक ऑफ इंडिया	109
केनरा बैंक	35
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	48
कारपोरेशन बैंक	2
देना बैंक	2
इंडियन बैंक	43
इंडियन ओवरसीज बैंक	68
आरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	2
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	2
पंजाब नैशनल बैंक	47
सिंडिकेट बैंक	27
यूको बैंक	159
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	43
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	95
विजया बैंक	6
कुल	1316

विवरण-II

मार्च, 1992, 1993, 1994 के अन्त की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बैंकवार जमाराशि

बैंक का नाम	जमाराशि (करोड़ रु०)		
	मार्च (1992)	मार्च (1993)	मार्च (1994)
इलाहाबाद बैंक	8959.48	मार्च 9358.94	13678.00
आंध्रा बैंक	19122.06	19373.76	24912.74
बैंक ऑफ बड़ौदा	4521.00	5795.00	6615.00
बैंक ऑफ इंडिया	13397.00	15209.00	18670.00
केनरा बैंक	9767.25	11871.85	14319.04
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	7913.00	8848.00	10837.00
कार्पोरेशन बैंक	1237.03	2252.28	2971.26
देना बैंक	474.00	573.00	606.00
इंडियन बैंक	8536.93	8832.44	9363.76
इंडियन ओवरसीज बैंक	10316.29	11728.70	13953.10
न्यू बैंक ऑफ इंडिया	1540.00	1596.00	
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	1387.68	1995.88	3996.34
पंजाब नैशनल बैंक	7829.27	7207.43	9363.35
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	452.00	451.00	393.79
भारतीय स्टेट बैंक	124661.00	146730.00	169391.00
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	255.00	255.00	218.77
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	715.00	1500.00	1522.00
स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर	106.81	187.40	230.00
सिंडिकेट बैंक	5714.00	6631.00	6891.00
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	7615.57	9107.40	15156.88
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	21918.00	25917.00	27930.33
यूको बैंक	37698.00	43782.00	46055.77
विजया बैंक	2706.29	2849.53	2503.00

हवाई अड्डों से बस सेवाएं

3685. श्री के॰ प्रधानी :

श्री अमर राय प्रधान :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास हवाई अड्डों से शहरों के लिए बस सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब से उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ग) क्या ऐसे प्रत्येक शहर में जहां हवाई अड्डा नजदीक है ये सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) यह सुविधा भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रबन्धित पांचों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों अर्थात् दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और त्रिवेन्द्रम पर पहले से मौजूद हैं। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अपने हवाई अड्डों पर इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कार्गो दर

3686. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक कार्गो संचालकों के प्रवेश से मूल्य प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है जैसाकि 24 जुलाई, 1994 के "इकोनामिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इससे इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया पर कितना प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) इस मूल्य प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) निर्यातकों की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से सरकार कार्गो फ्लाइटों के लिए मुक्त आकाश नीति का पालन करती रही है। कार्गो की दरों का अविनियमन भी किया गया है और प्रचालक वाणिज्यिक तथ्यों पर निर्भर करते हुए कोई भी दर प्रभारित करने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते कि ये दरें नागर विमानन महानिदेशालय को दाखिल की गई हों। इसे ध्यान में रखते हुए, मांग और पूर्ति संबंधी स्थिति पर निर्भर करते हुए दरों में उतार-चढ़ाव आना अवश्यंभावी है। इसे मूल्य प्रतिस्पर्धा नहीं कहा जा सकता।

(ग) चूंकि कार्गो की दरों का अविनियमन किया गया है, इसलिए इस संबंध में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रतियोगी बाजार स्थितियों के कारण एयर इंडिया के राजस्व में कुछ हद तक कमी आई है। एयर इंडिया को मार्किट संचालित प्रणाली की चुनौती से निपटने की आवश्यकता है और सरकार मार्किट की प्रबलताओं के प्रभार में हस्तक्षेप नहीं चाहती है।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा निवेश

3687. श्री प्रबीन डेका : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अपने नये उद्यमों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कितना निवेश किया गया है;

(ख) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने इस क्षेत्र में अपने एककों के विकास हेतु कुछ नई परियोजनाओं का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) यद्यपि विगत तीन वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए कोई नई होटल परियोजना चालू/आरम्भ नहीं की गई थी। तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम ने वर्ष 1991-92 में अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में अपने संयुक्त उद्यम होटल के कारण 2.81 लाख रुपए की राशि अवमुक्त की थी।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

कपास का आयात

3688. श्री एस॰ बी॰ सिदनाल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1993-94 के दौरान कपास के अनुमानित उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले वर्ष का यदि कोई भंडार शेष हो, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) कपास की घरेलू आवश्यकता के कुल अनुमानित आवश्यकता का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस वर्ष कपास का आयात करने की अनुमति दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना कपास आयात किया गया ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान देश में कपास का कुल उत्पादन लगभग 120 लाख गांठ होने का अनुमान है।

(ख) वर्ष 1992-93 से कपास का अग्रेनीत स्टाक 30.15 लाख गांठ है।

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान घरेलू जरूरतों के लिए कपास की अनुमानित आवश्यकता के क्षेत्र-वार आंकड़े निम्न अनुसार हैं :-

	(मात्रा लाख गांठ में)
मिल	115.00
गैर मिल	8.00
छोटे कताईकर्ता	4.20

(घ) और (ङ) सरकार ने एक्जिम नीति की प्रतिबंधित सूची से कपास के आयात को हटा दिया है तथा शून्य शुल्क पर आयात की अनुमति दी है।

(च) वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय से उपलब्ध जानकारी के अनुसार अप्रैल-मार्च, 1994 की अवधि के दौरान 3744 मी॰ टन (लगभग 22500 गांठ) का आयात किया गया। अप्रैल, 1994 के दौरान 288 मी॰ टन (लगभग 1730 गांठ) का आयात किया गया।

विमानपत्तन

3689. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में तिरूपति, विशाखापत्तनम तथा विजयवाड़ा विमानपत्तनों पर विमान यात्री यातायात में हाल की के वर्षों में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार तथा विमान यात्रियों की ओर से इन विमान-पत्तनों पर आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, विशेष रूप से विमानपत्तन पर इमारतों की मरम्मत करने, बड़े विमानों के उतरने तथा उड़ान भरने हेतु विमान पट्टियों का विस्तार करने तथा विमान यात्रियों के लिये अधिक सीटें और अन्य यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये काफी समय से मांग की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उपर्युक्त विमानपत्तनों के विस्तार, नवीकरण तथा आधुनिकीकरण संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(छ) उक्त विमानपत्तनों की मरम्मत, विस्तार तथा आधुनिकीकरण के प्रस्तावों को कब तक लागू किया जायेगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में केवल विशाखापत्तनम पर हवाई यात्री यातायात में वृद्धि हुई है जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

वर्ष	यात्रियों की संख्या
1991-92	88201
1992-93	57303
1993-94	90661

(ग), (घ), (ङ) और (च) जी, हां। एबी 320 विमान के प्रचालनों के लिए 5.40 करोड़ रू॰ की अनुमानित

लागत से तिरूपति हवाई अड्डे के धावनपथ का विस्तार 4500 फुट से बढ़ाकर 7500 फुट किया जा रहा है। 8.60 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तिरूपति पर एक नये टर्मिनल भवन का निर्माण किये जाने की योजना बनाई गई है। 1.40 करोड़ रुपए की लागत से डाप्लर अति उच्च आवृत्ति सर्वपरास और 0.85 करोड़ रूपए की लागत से दूरी मापक उपस्कर लगाने का भी प्रस्ताव है।

जहां तक विजयवाड़ा का संबंध है, वहां पर 7 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से धावनपथ को 5900 फुट से बढ़ाकर 7500 फुट तक किये जाने का प्रस्ताव है। 4.5 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक टर्मिनल भवन की भी योजना तैयार की गई है जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी और उसमें 250 यात्री आ सकेंगे। 4 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से उपस्कर अवतरण प्रणाली, अति उच्च आवृत्ति सर्वपरास और दूरी मापक उपस्कर लगाने का प्रस्ताव है। विशाखापत्तनम हवाई अड्डा भारतीय नौ सेना का है और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास इसके विकास के संबंध में इस समय कोई योजना नहीं है।

(छ) तिरूपति के धावनपथ का विस्तार का कार्य अक्तूबर, 1994 तक पूरा हो जाने की संभावना है। दिक्चालन और संचार सुविधाएं फरवरी, 1996 तक जुटा दी जाएंगी। विजयवाड़ा स्थित परियोजना की योजना पूरी हो गयी है।

रेशम अपशिष्ट का आयात

3690. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कर्नाटक सरकार से राज्य के स्पन-सिल्क एककों को बचाने के उद्देश्य से चीन से रेशम अपशिष्ट का आयात करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957

3691. श्री एस॰ एम॰ लालजान वाशा :

श्री आर॰ धनुषकोडी आदित्यन :

श्री प्रकाश वी॰ पाटील :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा तम्बाकू पर संग्रहित उत्पाद शुल्क में अपना हिस्सा लेते समय उस पर प्रवेश कर भी लगा दिया है;

(ख) क्या सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि कुछ राज्य सरकारें अन्य अनेक मदों पर सामान्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त कर लगा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने राज्यों में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क विशेष महत्व का माल अधिनियम 1957 के ऐसे उल्लंघनों को रोकने हेतु आरम्भिक उपाय किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) करों के संबंध में विस्तृत सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) और (ङ) वित्त मंत्री ने उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख कर अपने निर्णय पर पुन: विचार करने के लिए कहा है जिन्होंने अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के तहत सम्मिलित जिन्सों पर कर लगाया है। 27 मई, 1994 को हुए राज्य वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में भी इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया था।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रुग्ण औद्योगिक एकक

3692. श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान "भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक" ने उत्तर प्रदेश के रुग्ण औद्योगिक एककों को कितने ऋण की सहायता प्रदान की है; और

(ख) इस संबंध में उद्योगवार क्या स्थिति है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक एवं पुनर्निर्माण बैंक (आई॰ आर॰ वी॰ आई॰) ने सूचित किया है कि उसने 1993-94 (अप्रैल-मार्च) के दौरान उत्तर प्रदेश में दो रुग्ण एककों को 4.37 करोड़ रुपए की सावधि ऋण सहायता मंजूर की थी और 0.65 करोड़ रुपए संवितरित किए थे। उपर्युक्त का उद्योग-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रुपए)

उद्योग समूह	मंजूरिया		संवितरण	
	एककों की संख्या	राशि	एककों की संख्या	राशि
खाद्यान्न विनिर्माण	1	3.74	1	0.02
अन्य उद्योग	1	0.63	1	0.63
कुल	2	4.37	2	0.65

[अनुवाद]

नई आर्थिक नीतियां

3693. श्री तारा सिंह :

श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने नई आर्थिक नीतियों को लागू करने के लिए सरकार को एक विस्तृत ज्ञापन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में कौन-कौन से प्रमुख मुद्दे उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने फिकी (एफ॰ आई॰ सी॰ सी॰ आई॰) की सिफारिशों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा अर्थ-व्यवस्था को उदार और विश्वव्यापी स्वरूपप्रदान करते हुए पहल किए जाने के लिए अधिकतर मूल्यवृद्धि व्यक्त करते समय वाणिज्य और उद्योग के भारतीय मण्डल परिसंघ (एफ॰ आई॰ सी॰ सी॰ आई॰) ने प्रधान मंत्री को सरकार से अनुरोध करते हुए औद्योगिक क्षेत्र, नागरिक विधि व्यवस्था, श्रम विधि व्यवस्था, राजकोषीय तथा वित्तीय क्षेत्रों में और राज्य स्तर पर और अधिक सुधार किए जाने के लिए एक व्यापक ज्ञापन भेजा है। एफ॰ आई॰ सी॰ सी॰ आई॰ द्वारा दिए गए मुख्य सुझावों में ये शामिल हैं :-

- लक्षित आधारित संरचना सुविधाओं की व्यवस्था के माध्यम से उन की संचालन लागतों को कम किए जाने से लघु और मझौले स्तर के उद्योगों को त्वरित तथा दक्ष विकास को प्रोत्साहन देना।
- कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा सेवाओं के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए आधारिक संरचना के विकास की गति में मूल रूप से वृद्धि करना।
- सड़क मार्गों, रेल तथा पत्तन सुविधाओं के विकास के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन तथा उपयुक्त आर्थिक नीति के उपाय करना।
- विद्युत, पेट्रोलियम तथा दूरसंचार के क्षेत्रों में हाल ही की नीतियों का प्रभावी और द्रुत कार्यान्वयन किया जाना।
- पूरी तरह से अक्षम रुग्ण इकाइयों के बंद किए जाने की अनुमति दिए जाने के लिए श्रम से संबंधित विधि में अनुकूल संशोधन होने चाहिएं।
- अक्षम रुग्ण इकाइयों के पुन: प्रवर्तन किए जाने के लिए बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ कार्यविधि पर पुनर्वलोकन करना।
- प्रचालनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार श्रम बल को पुन: गठित किए जाने के लिए प्रबन्धन को अधिकार प्रदान करना।

– श्रमिकों की स्वीकार्य, अनुकूल प्रतिपूर्ति स्कीमों को लागू करना।

– केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर वेट के लिए शीघ्रतम स्थानान्तरण।

– आर्थिक बाजारों के विखण्डन से बचने के लिए परेषण कर के लागू होने को रोकना।

– उत्पादन की अत्यधिक मात्रा के माध्यम से अधिकतर राजस्व इकत्रित किए जाने पर बल देना तथा कर दरों में अधिक बढ़ावा नहीं आने का प्रयास करना। उत्पादन की अधिकतर मात्रा के लिए अनुकूल राजकोषीय प्रोत्साहन देना।

– सरकार की अपनी पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि करने में सक्षम बनाए जाने के लिए गैर-उत्पादक व्यय पर नियन्त्रण रखना।

– विभिन्न सरकारी विभागों के व्ययों पर अनुवीक्षण किए जाने के लिए व्यय आयोग की नियुक्ति करना।

– सरकारी उद्यमों को निगमों में रूपान्तरित करना।

– अन्त: निगम ऋणों और निवेशों, लाभप्रद अर्जन, विलयन और समामेलन को प्रोत्साहन दिए जाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रणालियों के अनुरूप कम्पनी अधिनियम में संशोधन करना।

– विश्वव्यापी प्रतिभागी बनने के लिए दक्ष और बड़े स्तर की भारतीय कम्पनियों को प्रोत्साहन देने हेतु दृढ़ वित्तीय कार्यनीति की आवश्यकता बैंकिंग प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करना।

– सरकारी ऋण कम करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों का विनिवेशन करना।

– राज्यों द्वारा आर्थिक नीतियों को सक्रिय और त्वरित रूप से कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता।

– राज्यों की स्थिति और अधिक बिगड़ने से रोकने तथा उन के पुन: चालू किए जाने के लिए अनुकूल और प्रभावी स्कीमों को तैयार किए जाने की आवश्यकता।

(ग) और (घ) एफ० आई० सी० सी० आई०, अन्य संगठनों तथा वैयक्तिक द्वारा तैयार किए गए सुझावों को उपयुक्त आर्थिक नीतियों को तैयार करते समय सरकार द्वारा ध्यान में रखा गया है।

ऋण नीति

3694. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कमजोर वर्गों के लोगों और बेरोजगार व्यक्तियों को बैंक ऋण देने के कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या निचले स्तरों पर यह देखने के लिए कोई सलाहकार समिति है कि ऋण वास्तविक रूप से जरूरतमन्द लोगों को मिल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंको को इस आशय के निर्देश दिए हैं कि वे समाज के कमजोर वर्गों और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के उत्थान के लिये उन्हें निरंतर आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंको से कहा है कि वे कमजोर वर्गों को, जिनमें छोटे और सीमांतक किसान, भूमिहीन श्रमिक, बटाइदार, कारीगर, ग्राम और कुटीर उद्योग तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हिताधिकारी आते हैं। अपने कुल अग्रिमों का कम से कम 10% अथवा अपने प्राथमिकता क्षेत्र का 25% दें। विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंको से यह अपेक्षित है कि वे समग्र रूप से पिछले वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार अपने कुल अग्रिमों का कम से कम 1% कमजोर वर्गों को दें। ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्य समूहों के चुने हुए परिवारों की सहायता करने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है ताकि वे स्वरोजगार कार्य शुरू कर गरीबी की रेखा से ऊपर आ सकें। शहरी व्यष्टि अद्यम योजना (एस यू एम ई) के अंतर्गत 1981 की जनगणना के अनुसार 10,000 से अधिक की आबादी वाले महानगरों, क्षेत्रों और कस्बों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले बेरोजगार अथवा अल्प नियोजित शहरी गरीबों को बैंक ऋण प्रदान किए जाते हैं। शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए 2.10.93 से आरंभ की गई प्रधानमंत्री रोजगार योजना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 22.5% और दूसरे पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण प्रदान किया जाता है।

इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति और राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों में समीक्षा की जाती है/निगरानी रखी जाती है। बैंक भी इन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हैं और जहां कहीं आवश्यक होता है, कदम उठाते हैं ताकि योजनाओं के अंतर्गत रखे गए लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। सरकार भी योजनाओं के कार्यान्वयन की प्राथमिकता क्षेत्र, कमजोर वर्गों आदि को ऋण देने के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति की तुलना में बैंकों के कार्य निष्पादन की आवधिक रूप से समीक्षा करती है।

[हिन्दी]

बीड़ी मजदूरी

3695. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

श्री विजय कुमार यादव :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बीड़ी मजदूरों को मजदूरी दिए जाने के संबंध में कोई उपयुक्त कानून बनाकर राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी नीति को लागू करने का है ताकि उनके एक राज्य से अन्य राज्यों को होने वाले पलायन को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इस बारे में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा सभी बीड़ी मजदूरों को परिचय पत्र जारी करने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) से (ग) विगत में अनेक निकायों और मंचों द्वारा राष्ट्रीय मजदूरी नीति के विषय पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय श्रम आयोग (1969) की राय यह थी कि समग्र रूप से एक देश के लिए ऐसी अवस्था न तो व्यवहार्य है और न ही वांछनीय। 28 वें भारतीय श्रम सम्मेलन (1985) ने सिफारिश की कि उस समय तक जब तक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी व्यवहार्य न हो एक क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी, जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार दिशा निर्देश निर्धारित कर सकती है, बनाए रखना वांछनीय होना चाहिए। भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ने जुलाई, 1987 में क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी के लिए दिशा निर्देश परिचालित किये थे। बीड़ी कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी में क्षेत्रीय असमानता के प्रश्न पर 1987 में आयोजित दक्षिण क्षेत्र के क्षेत्रीय श्रम मंत्रियों के सम्मेलन, जिसने इस मामले पर विचार करने के लिये दक्षिण क्षेत्र के श्रम सचिवों की एक समिति गठित की थी, द्वारा विचार किया गया था। यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मजदूरी में पूर्ण एकरूपता ला पाना व्यवहार्य नहीं हो सकता और यह उचित रहेगा यदि लम्बी अवधि से भिन्न-भिन्न राज्यों के बीच दरों में अंतर को कम करने के लिए उपाय किये जाएं।

(घ) राज्य सरकारों तथा कल्याण आयुक्तों को समय-समय पर सभी बीडी कर्मकारों को पहचान पत्र जारी करने का कार्य तेज करने का अनुरोध किया गया है। चिकित्सा अधिकारियो तथा श्रम कल्याण संगठन के क्षेत्रीय अधिकारियों को मासिक लक्ष्य दिए गये हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अप्रैल 1995 तक राज्य में सभी बीड़ी कर्मकारों को पहचान पत्र जारी करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है।

[अनुवाद]

कर उदग्रहण संबंधी नीति की व्याख्या

3696. श्री आर॰ धनुषकोडी आदित्यन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बाजार और राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं पर कर लगाने के लिए कोई निर्धारित राष्ट्रीय नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों में इन नीतियों के कार्यान्वयन में एकरूपता बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 में कुछेक वस्तुओं को अन्तर्राजीय व्यापार अथवा वाणिज्य में विशेष महत्व की वस्तुओं के रूप में घोषित किया गया है और इसमें अन्तर अथवा अन्तर्राजीय व्यापार में ऐसी वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर कर नियमित करने की व्यवस्था है।

(ग) 27.5.94 को हुए राज्यों के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में कराधान में एकरूपता लाने के राज्यों के प्रयासों तथा इसके साथ-साथ मूल्य-वर्धित कर लागू किए जाने सहित कर सुधारों के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया था। सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, 11 राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समिति का गठन किया गया है जो कराधान में एकरूपता लाने के राज्यों के प्रयासों सहित कर सुधार के संपूर्ण पहलू पर ध्यान देने और धीरे-धीरे मूल्य-वर्धित कर लागू करने पर विचार करेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (आई॰ डी॰ ए॰) से ऋण

3697. श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के लिए विश्व बैंक की उदार शर्तों पर ऋण देने वाली शाखा संस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (आई॰ डी॰ ए॰) से मिलने वाली रियायती ऋण सहायता के बंद होने का खतरा है यदि आई॰ डी॰ ए॰ ऋण सहायता देने संबंधी मानदंड बदलने संबंधी ब्रिटेन बुड्स आयोग की सिफारिशें ऋणदाता देशों द्वारा स्वीकार कर ली जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्ययोजना तैयार की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (आई॰ डी॰ ए॰) के आवंटन हेतु मानदंड में कोई विशेष परिर्वतन करने के बारे में ब्रिटेन बुड्स आयोग ने सिफारिश नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

इंडियन एयरलाइन्स की परिचालन संबंधी लागत

3698. प्रो॰ उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से इंडियन एयरलाइन्स की परिचालन संबंधी लागत बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो 1989-90 से इस वृद्धि का मदवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस ने अपनी परिचालन लागत को कम करने का कोई प्रयास किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1989-90 से 1994-95 तक (बजटित) लागत में हुई वृद्धि के ब्यौरे का विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) इंडियन एयरलाइंस ने अपने प्रचालन की लागत पर नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

(i) अनुत्पादक व्यय में कमी करना।

(ii) कुल जनशक्ति में वृद्धि पर रोक लगाना।

(iii) बेड़े और चालक दल का इष्टतम उपयोग।

विवरण

वर्षवार एवं मदवार प्रति उपलब्ध टन किलो मीटर लागत

क्रम सं॰	उपलब्ध टन कि॰ मी॰ (मिलियन) विवरण	1989-90 1133.639 लागत प्रति उपलब्ध टन कि॰मी॰ (पैसे)	1990-91 926.693 लागत प्रति उपलब्ध टन. कि॰मी॰ (पैसे)	1991-92 1089.773 लागत प्रति उपलब्ध टन कि॰मी॰ (पैसे)	1992-93 966.789 लागत प्रति उपलब्ध टन कि॰मी॰ (पैसे)	1993-94(आर. ई) 1056.751 लागत प्रति उपलब्ध टन. कि॰मी॰ (पैसे)	1994-95 (बी॰ ई॰) 1192.837 लागत प्रति उपलब्ध टन. कि॰मी॰ (पैसे)
1.	सामान उपभोग, बाहर की गई मरम्मत (विमानकी) तथा अप्रयुक्त प्राय	134.52	159.85	180.16	275.00	980.58	298.45
2.	विमान बीमा	9.59	13.51	20.84	34.28	48.50	62.88
3.	विमान उतारने, रखने और खड़े करने शुल्क	41.70	44.19	50.18	52.36	57.72	69.58
4.	मार्ग नौवहन प्रभार	24.06	24.06	30.25	30.92	41.87	51.99
5.	मूल्यह्रास	65.56	138.33	165.08	201.54	226.83	222.58
6.	ब्याज एवं वित्तीय सहायता प्रभार	84.35	139.26	168.28	183.10	188.74	170.72
7.	कर्मचारी लागत	143.05	208.90	208.83	269.46	265.58	274.14
8.	अन्य **	199.05	181.86	234.42	228.37	247.03	277.52
	कुल	701.87	909.97	1058.04	1275.04	1356.85	1427.86

** इसमें भोजन सेवाएं, देख-रेख प्रभार, अनुज्ञप्ति शुल्क, ग्राउण्ड स्पोर्ट लागत एवं अन्य प्रशासनिक व्यय शामिल हैं।

विमान कम्पनियों के लिए विमानपत्तनों पर स्थान

3699. प्रो॰ के॰ वी॰ थामस :

श्री इरा अन्बारासु :

श्री राजवीर सिंह :

डा॰ लाल बहादुर रावल :

क्या **नागर विमानन** और **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न हवाई अड्डों पर इंडियन एयरलाइंस को निजी विमान कंपनियों की तुलना में विभिन्न विमानपत्तनों पर कितनी जगह उपलब्ध कराई गई है और गत दो वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक विमान के कंपनी के पास वास्तव में कितना-कितना स्थान है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में प्रत्येक विमान कंपनी से प्राप्त अनुरोध तथा वास्तव में मांगे गए स्थान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कर्मचारी भविष्य निधि

3700. श्री एन॰ जे॰ राठवा : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि गुजरात में नियोजकों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना में अंशदान करने से बचने के लिए अलग-अलग दुकानें चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान राज्य में ऐसे कितने मामलों का पता चला है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के अंतर्गत व्याप्ति से बचने के लिए गुजरात में अलग-अलग दुकानें चलाने के बारे में कोई भी विशिष्ट शिकायत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की जानकारी में लाई गई प्रतीत नहीं होती है। यह अधिनियम 20 अथवा अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कारखानों/प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ऐसे प्रतिष्ठानों को समूहबद्ध करके, यदि योजना के अंतर्गत आवश्यक और अनुमेय हो, भी दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को शामिल करने के लिए कार्रवाई करता है।

[अनुवाद]

विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पूंजी निवेश

3701. डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में अब तक कुल कितना पूंजी निवेश किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : दिनांक 27.7.1994 की स्थिति के अनुसार भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय पूंजी बाजार में संचयी निवल निवेश राशि अमरीकी डालर में 2423.20 मिलियन (लगभग 7601.58 करोड़ रुपए के बराबर) थी।

अनिवासी भारतीयों द्वारा शेयरों का हस्तांतरण

3702. श्री पी० कुमारासामी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों द्वारा निवासी भारतीयों को किए जाने वाले शेयरों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रक्रिया क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कौन-कौन से लाभ होने की संभावना है; और

(घ) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित कर लिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सरकार के उदारीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रक्रियाओं को सरल बनाना निरन्तर जारी रखने वाली प्रक्रिया है। अनिवासियों तथा निवासियों के बीच शेयरों का अन्तरण आमतौर पर विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम (फेरा), 1973 की धारा 19 द्वारा शासित होता है। फेरा, 1973 की धारा 19 में संशोधन करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

निर्यात निरीक्षण परिषद (ई०आई०सी०) में स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना

3703. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात निरीक्षण परिषद् और इसके अभिकरणों के उन कमचारियों को जिन्होने स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के अर्न्तगत सेवा-निवृत्ति चाही थी, बिना किसी सूचना के तत्काल कार्यमुक्त किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात निरीक्षण परिषद् और इसके अभिकरणों में की जा रही इस प्रकार की छंटनी के क्या कारण हैं; और

(ग) इससे कितनी धनराशि की बचत होगी और इसके फलस्वरूप निर्यात-निरीक्षण परिषद् के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मांगी गई इस स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) निर्यात निरीक्षण परिषद् ने 21-5-94 को निर्यात निरीक्षण परिषद् और निर्यात निरीक्षण अभिकरणों के कर्मचारियों के लिए 32.13 करोड़ रु० की अनुमानित लागत की एक स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना शुरू की थी। यह छंटनी योजना नहीं बल्कि स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना थी। इस स्कीम की एक शर्त नोटिस के बदले में कर्मचारियों की सेवा/नियुक्ति की शर्तों के अनुसार अनुमत एक अथवा तीन मास के वेतन का भुगतान करना था। यह सूचना मिली है कि स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना का विकल्प देने वालों की मासिक परिलब्धियां 47 लाख रु० बैठती थी।

असम में पर्यटन को बढ़ावा देना

3704. श्री प्रबीन डेका : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी परियोजनाओं को असम में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृति दी गयी है और इसके लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ख) किन-किन स्थानों पर इन परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाना था;

(ग) पूरी की गई परियोजनाओं के क्या नाम हैं तथा प्रत्येक परियोजना पर अब तक कितना खर्च किया गया है; और

(घ) शेष परियोजनाएं कब तक पूरी कर ली जाएंगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, असम राज्य में पर्यटन का संवर्धन करने के लिए 102.70 लाख रु० की आठ परियोजनाएं/स्कीमें स्वीकृत की गई थीं।

(ख) से (घ) विवरण में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान असम राज्य में स्वीकृत की गई परियोजनाओं/स्कीमों के नाम व स्वीकृत राशियों, अवमुक्त राशियों के आंकड़े तथा वे स्थान जहां परियोजनाएं अवस्थित हैं तथा उनकी स्थिति दर्शाने के लिए ब्यौरे संलग्न हैं।

विवरण

लोक सभा में दिनांक 19.8.94 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं॰ 3704 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

असम

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं/स्कीमें

(रु॰ लाखों में)

क्रम सं॰	परियोजना/स्कीम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्थिति/पूरा होने की संभावित तारीख
1.	गुवाहाटी में यूथ ट्रेवल उत्सव	1985-86	00.86	00.86	पूरी हो गई।
2.	मानस/काज़ीरंगा (वन गृह) के लिए मिनी बसों और हाथियों की खरीद	-वही-	06.38	06.38	-वही-
3.	ब्रह्मपुत्र के लिए भ्रमण-पोत की खरीद	-वही-	13.00	13.00	-वही-
4.	मानस में वन गृह	-वही-	33.00*	33.00	पूरी हो गई।
5.	नलबाड़ी और रावता में में मार्गस्थ सुविधाएं	-वही-	15.68	10.34	पूरी हो गई।
6.	सिलभेटा में खड़े होने/बैठने की दीर्घा का निर्माण	-वही-	09.75	05.00	मार्च, 94
7.	समागुड़ी झील पर पर्यटक परिसर के निर्माण की व्यवस्था	-वही-	14.90	08.00	दिसम्बर, 94
8.	जोरहट जिला में मजूली रीवर द्वीप पर नौकाओं का प्रावधान	1988-99	08.50	08.50	पूरी हो गई।
	जोड़		102.07	85.08	

*दिसम्बर, 92 में स्वीकृति संशोधित की गई।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन

3705. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन से इन बैंकों के कर्मचारियों के बड़ी संख्या में फालतू हो जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो उनकी अनुमानित संख्या क्या है; और

(ग) ऐसे फालतू कर्मचारियों को अन्यत्र खपाने और उनके पुनर्स्थापन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की छंटनी का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

3706. श्रीमती चन्द प्रभा अर्स :

श्री चिन्मयानंद स्वामी :

श्री वी॰ एस॰ विजयराघवन :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री सत्य देव सिंह :

क्या **वस्त्र** मंत्री 29 अप्रैल, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5504 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने फैशन प्रौद्योगिकी के नये संस्थान स्थापित करने के लिए स्थानों का चयन करने तथा लागत वहन (कास्ट शेयरिंग) व्यवस्था करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो चुने हुए स्थानों तथा स्थापित किये जाने वाले नये संस्थानों पर आने वाली लागत का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें स्थापित करने पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें कितनी-कितनी लागत का वहन करेंगे ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) से (घ) सरकार ने अतिरिक्त फैशन प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। विभिन्न राज्य सरकारों से यह कहा गया था कि वे इन संस्थानों की स्थापना करने और चलाने में आने वाली गैर-आवर्ती तथा आवर्ती लागत में भागीदारी करने के प्रति अपनी इच्छा के बारे में सूचित करें। प्राप्त उत्तर का मूल्यांकन किया जा रहा है तथा वास्तविक लागत भागीदारी संबंधी फार्मूले के संबंध में अंतिम निर्णय यदि आवश्यकता पड़ी तो राज्यों के साथ आगे परामर्श करने के बाद किया जाएगा।

इंडियन एयरलाइंस के ट्रंक-रूट

3707. श्री एस॰ एम॰ लालजान बाशा : क्या **नागर विमानन** और **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने ऐसी स्थिति में होने वाली अपनी संभावित आय का अध्ययन किया है यदि वह अपने प्रमुख एयर-रूटों के संचालन के लिए "वेट-लीज" पर विमान प्राप्त करती है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या कुछ गैर-सरकारी एयरलाइनों ने मुख्य ट्रंक-रूटों पर अपने विमानों की उड़ानों के लिए इंडियन एयरलाइंस से सहयोग की पेशकश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

नियंत्रक महालेखापरीक्षक की गलत आंकड़े लेने के संबंध में रिपोर्ट

3708. श्री तारा सिंह :

श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने 31 मार्च, 1993 को समाप्त वर्ष के लिए 1994 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट सं॰ 5 में उनके मंत्रालय को गलत आंकड़ों को लेने से हुए करोड़ों रुपए के घाटे के लिए दोषी ठहराया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कार्यकरण को सरल बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) दिनांक 1.4.1992 से 31.3.1993 के बीच नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी लेखा परीक्षा के दौरान न्यून मूल्यांकन के 13916 मामले भेजे जिनमें 3490/- करोड़ रुपए का राजस्व प्रभाव ग्रस्त था और उसने इस बारे में विभाग की टिप्पणियां मांगी।

उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 870 प्रारूप पैरे शामिल करने का प्रस्ताव किया और मंत्रालय की टिप्पणियां मांगी। इनमें से 1994 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट सं॰ 5 में अन्तिम रूप से केवल 202 पैरे शामिल किए गए थे। 202 पैराओं में से मंत्रालय ने 154 पैराओं में आपत्तियां स्वीकार कर ली हैं।

(ग) किसी भी राजस्व हानि को रोकने के लिए लेखा परीक्षा आपत्तियों के सभी मामलों में उपचारी कार्रवाई करने के लिए विभागीय अनुदेश पहले से ही विद्यमान हैं।

[हिन्दी]

कर्मचारी भविष्य निधि

3709. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा किए गए अध्ययन एवं उसके द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संस्था के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए विशेष मानदण्ड निर्धारित करने हेतु कोई प्रयास किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने दावों के निपटारों तथा पर्ची जारी करने में हो रहे विलम्ब को समाप्त करने तथा दावेदारों द्वारा फार्म भरने की प्रक्रिया के सरलीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और इस समय केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के विचाराधीन है।

(ग) अंशदाताओं को तुरंत सेवाँ प्रदान करने के उद्देश्य से, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम आरंभ किया है और "अंशदाताओं की सेवा-एक मुख्य परिणामी क्षेत्र" सहित एक "केन्द्रीय कार्रवाई योजना" भी तैयार की है।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस के हवाई मार्ग

3710. प्रो॰ उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **नागर विमानन** और **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के उन हवाई मार्गों की संख्या तथा ब्यौरा क्या है जिन पर 60 प्रतिशत से कम यात्री विमान यात्रा करते हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ हवाई मार्गों पर इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों की संख्या माहवार कम होती जा रही है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस का अपने विमानों को दूसरी विमान कंपनियों को सशर्त पट्टे पर देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इंडियन एयरलाइंस से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में आने वाली कमी को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जून, 1994 में 19 ऐसे मार्ग थे जिन पर इन सैक्टरों में उपलब्ध यातायात में इंडियन एयरलाइंस की मार्केट भागीदारी 60 प्रतिशत से कम थी, जिनका उल्लेख संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जून, 1994 में इंडियन एयरलाइंस द्वारा वाहित यात्रियों की संख्या उपर्युक्त में से अधिकांश मार्गों पर मई, 1994 में वाहित यात्रियों की संख्या की तुलना में कम थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इंडियन एयरलाइंस से यात्रा करने वाली जनता की संख्या में गिरावट की रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

– भूमि पर तथा विमान में दोनों जगह सेवा में सुधार।

– विमान में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता में सुधार।

– ए-300 विमान की इकानॉमी श्रेणी में सीट पिच को बढ़ाकर यात्री के आराम में वृद्धि।

– ए-320 विमान में बिजनैस श्रेणी आरंभ करना।

– यात्रियों के लिए मूल्य प्रोत्साहन/रियायतें आरंभ की गयी।

– टिकट रद्द करने के शुल्क को समाप्त करना और इसके स्थान पर प्रति टिकट 100 रुपए का धन वापसी-शुल्क लगाना आरंभ करना।

विवरण

सैक्टर जिनमें इंडियन एयरलाइंस का जून, 1994 में मार्किट शेयर 60% से कम है।

सैक्टर	जून, 94	मई, 94
1	2	3
बम्बई – कोचीन – बम्बई	27.5	30.0
बम्बई – कोयम्बटूर – बम्बई	20.0	24.5
बम्बई – कालीकट – बम्बई	37.5	40.0
बम्बई – दिल्ली – बम्बई	37.0	34.0
बम्बई – त्रिवेन्द्रम – बम्बई	54.0	59.0
बम्बई – मंगलोर – बम्बई	34.0	31.5

1	2	3
बम्बई – गोवा – बम्बई	29.0	30.0
बम्बई – बैंगलौर – बम्बई	48.0	44.5
बम्बई – जयपुर – बम्बई	41.5	46.0
बम्बई – अहमदाबाद – बम्बई	51.5	51.5
बम्बई – मद्रास – बम्बई	48.0	45.5
बम्बई – कलकत्ता – बम्बई	45.0	47.5
दिल्ली – कलकत्ता – दिल्ली	57.5	60.0
बम्बई – राजकोट – बम्बई	45.0	49.0
बम्बई – औरंगाबाद – बम्बई	46.0	45.5
दिल्ली – जम्मू – दिल्ली	46.5	47.0
बम्बई – इंदौरा – बम्बई	29.0	29.5
कोचीन – मद्रास – कोचीन	47.5	48.0
कोयम्बटूर – मद्रास – कोयम्बटूर	45.5	53.5

[हिन्दी]

गुजरात में सरकारी क्षेत्र के बैंक

3711. श्री एन॰ जे॰ राठवा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाखा विस्तार कार्यक्रम, 1990-93 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गुजरात में आंवटित केन्द्रों पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं खोली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) शाखा विस्तार नीति 1990-95 के दौरान गुजरात में शाखाएं खोलने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को आबंटित केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। उपर्युक्त परिसर, सभी मौसमों के लिए सड़क सुविधा, संचार व्यवस्था आदि उपलब्ध होने पर ही बैंकों द्वारा आबंटित केन्द्रों पर शाखाएं खोली जाती हैं।

विवरण

शाखा विस्तार नीति, 1990-95 के दौरान गुजरात में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को आबंटित केन्द्र

ग्रामीण केन्द्र

बैंक का नाम	केन्द्र	जिला
1	2	3
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	मोटा मचियाला	जामनगर
–तदैव–	किचा	जामनगर
–तदैव–	पीपल्वा	जामनगर
–तदैव–	धरेश्वर	जामनगर
–तदैव–	मोटा रीनागनियाला	अमरेली
–तदैव–	मालशरोम	अमरेली
–तदैव–	चरखा	अमरेली
बैंक ऑफ बड़ौदा	काडवराम	अमरेली
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	भलवाव	अमरेली
बैंक ऑफ बड़ौदा	चडोतर	बनसकंठा
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	भद्रावल	भावनगर
–तदैव–	हनौल	भावनगर
–तदैव–	मालापारा	भावनगर
–तदैव–	पिथावडी	भावनगर
–तदैव–	कानपुर	भावनगर
–तदैव–	चमरंदी	भावनगर
भारतीय स्टेट बैंक	आईसीपीएल प्रो. साइट, जगेश्वर	भरुच
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	हर्षदपुर	जामनगर
–तदैव–	थेवा	–तदैव–
बैंक आफ बड़ौदा	दरद	–तदैव–

1	2	3
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	सनोसरी	–तदैव–
–तदैव–	वाद पंचसंग	–तदैव–
–तदैव–	ईशवरिंग	–तदैव–
बैंक आफ बड़ौदा	समंग	–तदैव–
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	धबन	–तदैव–
–तदैव–	नन्दाना	–तदैव–
–तदैव	भोगत	–तदैव–
–तदैव–	समौर	–तदैव–
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	बेदवा	खेड़ा
–तदैव–	कसोर	–तदैव–
–तदैव–	लम्भवल	–तदैव–
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	सिमान्दा	–तदैव–
बैंक आफ इंडिया	सरखेज	खेड़ा
बैंक आफ इंडिया	जलसन	–तदैव–
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	खजेश्री	जूनागढ़
–तदैव–	जमवाला	–तदैव–
–तदैव–	सोनवा	–तदैव–
–तदैव–	जरागली	–तदैव–
–तदैव–	बेदिया	–तदैव–
–तदैव–	अलीधारा	–तदैव–
–तदैव–	चोदवादी	–तदैव–
बैंक आफ बड़ौदा	सुमसगिर	कच्छ
–तदैव–	मऊ	मेहसाना
–तदैव–	चनसोल	–तदैव–
–तदैव–	सेना दरियाना	पंचमहल
–तदैव–	गोरिदा	–तदैव–

1	2	3
–तदैव–	शेहरा	–तदैव–
–तदैव–	छावदी वाई	–तदैव–
–तदैव–	नमुवा	–तदैव–
–तदैव–	बाकोर	–तदैव–
–तदैव	दिवादा	–तदैव–
–तदैव–	कालोनी	–तदैव–
–तदैव–	रनजीत नगर	–तदैव–
–तदैव–	अरुवा	सूरत
–तदैव–	गोजी	सूरत
–तदैव–	मासमा	सूरत
स्टेट बैंक आफ इंडिया	भतपोर	–तदैव–
बैंक आफ बड़ौदा	मोटा वरचा	–तदैव–
–तदैव–	बामांगम	वडोदरा
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	कर्जन	–तदैव–
अर्ध शहरी केन्द्र		
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	सानन्द	अहमदाबाद
इंडियन ओवरसीज बैंक	वलसाद	वलसाद
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	गणदेवी	–तदैव–
बैंक आफ बड़ौदा	महुआ	भावनगर
–तदैव–	सिहोर	भावनगर
विजया बैंक	गांधीनगर	गांधी नगर
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	–तदैव–	–तदैव–
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	–तदैव–	–तदैव–
भारतीय स्टेट बैंक	–तदैव	–तदैव–
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	भरुच	भरुच
विजया बैंक	अंकलेश्वर	खेड़ा

1	2	3
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	खेड़ा	कैरा
विजया बैंक	आनंद	कैरा
कारपोरेशन बैंक	आनंद	कैरा
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	कापड़वर्ज	कच्छ
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	गांधीधाम	–तदैव–
बैंक आफ बड़ौदा	भुज	–तदैव–
कारपोरेशन बैंक	गांधीधाम	–तदैव–
–तदैव–	भुज	–तदैव–
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	मुदरा	–तदैव–
देना बैंक	न्यू अंजर	–तदैव–
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	अंजर	–तदैव–
–तदैव–	भचर	–तदैव–
–तदैव–	माधापर	–तदैव–
भारतीय स्टेट बैंक	माधापर	–तदैव–
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	मेहसाना	मेहसाना
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	मेहसाना	–तदैव–
–तदैव–	ऊँजा	–तदैव–
–तदैव–	विजापुर	–तदैव–
बैंक आफ इंडिया	दाहोद	पंचमहल
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	हिमतनगर	साबरकांथा
–तदैव–	इंदार	–तदैव–
–तदैव	कोसंबा	सूरत
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	बरडौली	–सूरत–
कारपोरेशन बैंक	बरडौली	–तदैव–
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	वधवान	सुरेन्द्रनगर
बैंक आफ बड़ौदा	धांरग	–तदैव–
बैंक आफ बड़ौदा	आंध्रा	–तदैव–

1	2	3
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	करजन	वडोदरा
शहरी/महानगरीय/पत्तन नगर केन्द्र		
बैंक आफ बड़ौदा	वस्त्रपुर	अहमदाबाद
बैंक आफ सौराष्ट्र	सहकार निकेतन सोसायटी रोड	–तदैव–
इलाहाबाद बैंक	सरदार पटेल नगर रोड	–तदैव–
कारपोरेशन बैंक	नियर एमजे लाइब्रेरी	–तदैव–
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	प्रितम नगर	–तदैव–
सिंडिकेट बैंक	वतवा इंड॰ एस्टेट	–तदैव–
	फेस-IV	–तदैव–
बैंक आफ इंडिया	रियंर आफ इंडिया कालोनी	–तदैव–
इंडियन बैंक	दक्षिणी सोसायटी	–तदैव–
पंजाब नेशनल बैंक	मुनिसिपल इंड॰	अहमदाबाद
	एस्टेट, पोटल्ला	
देना बैंक	परिमल क्रासिंग	–तदैव–
भारतीय स्टेट बैंक	आश्रव नातन	–तदैव–
	मिल्स	
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	नियर एल एम	–तदैव–
	टाकिज	
बैंक आफ बड़ौदा	अहमदाबाद	–तदैव–
–तदैव–	दांडिया	भारूच
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	कोटोपोर दरवाजा	–तदैव
इलाहाबाद बैंक	अम्बिका नगर	–तदैव–
केनरा बैंक	वंथाली दरवाजा	जूनागढ़
आन्ध्रा बैंक	मादवानी कालेज	–तदैव–
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	राज़महल रोड	–तदैव–
बैंक आफ बड़ौदा	सुभाष नगर	–तदैव–

1	2	3
भारतीय स्टेट बैंक	पीएलजे रोड़	खेड़ा
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	कपडवंज रोड	खेड़ा
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	डा॰ याज्ञिक रोड	राजकोट
ओरिंयटल बैंक आफ कामर्स	विवेकानंद चौक	राजकोट
भारतीय स्टेट बैंक	अजित इंड॰ एरिया	–तदैव–
बैंक आफ बड़ौदा	विश्वेश्वर एमएम रोड	–तदैव–
पंजाब नेशनल बैंक	शिवनगर	–तदैव–
देना बैंक	विशालनगर	सूरत
पंजाब नेशनल बैंक	दभोली	–तदैव–
स्टेट बैंक आफ मैसूर	अश्विनी कुमार रोड	–तदैव–
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	कपोदरा	–तदैव–
भारतीय स्टेट बैंक	मवसारी बाजार	–तदैव–
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	उमरा जकात नाका	–तदैव–
बैंक आफ बड़ौदा	भटाऊ रोड	–तदैव–
सिंडिकेट बैंक	बदरोली रोड	–तदैव–
बैंक आफ इंडिया	मातावाडी	–तदैव–
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	वडोदरा	वडोदरा
–तदैव–	निजामपुर	–तदैव–
स्टेट बैंक आफ मैसूर	सुबानपुर	–तदैव–
पंजाब नेशनल बैंक	गोत्री-गायत्रीनगर	–तदैव–
आरियंटल बैंक आफ कामर्स	घेलाखंडी रोड	वलसाद
भारतीय स्टेट बैंक	छापरा रोड	–तदैव–
आन्ध्रा बैंक	महाराणी शांता देवी रोड	–तदैव–
केनरा बैंक	कांदरा	कच्छ
इंडियन बैंक	वेदावल	जुनागढ़
भारतीय स्टेट बैंक	न्यू सेना रोड	बडोदरा

[अनुवाद]

लुफथान्सा विमान सेवा का परिचालन

3712. श्री वी॰ कुमारासामी : क्या **नागर विमानन** और **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी के विदेश मंत्री के हाल के भारत दौरे के दौरान देश में लुफथान्सा विमान सेवा के परिचालन में वृद्धि करने से संबंधित विषय पर विचार-विमर्श हुआ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी शर्तें क्या हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

छड़ और सरिये पर उत्पाद शुल्क

3713. श्री अरविंद त्रिवेदी :

डा॰ अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोत विध्वंसक सामग्री पर बिना किसी "मोडवेट" लाभ के इस सामग्री का प्रयोग करने वाले लघु रि-रोलर्स पर छड़ों और सरियों के मामलों में 15% उत्पादन शुल्क लगा दिया है जबकि सिल्ली/छड़ों का प्रयोग करने वाले बड़े "रि-रोलर्स", "मोडवेट" लाभों का फायदा उठा रहे हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई आग्रह प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके ऊपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) पोत विध्वंसक सामग्री या अन्य सामग्री का प्रयोग करने वाले सभी इस्पात रि-रोलर्स को, सामान्य लघु उद्योग छूट योजना के अंतर्गत लघु इकाइयों को प्राप्त रिआयत की शर्त के अध्यधीन, छड़ों और सरियों पर मूल्यानुसार 15% की दर से उत्पाद शुल्क अदा करना होता है। सभी रि-रोलिंग एकक शुल्क अदायगी दस्तावेजों को प्रस्तुत करके अपनी निविष्टियों पर शुल्क क्रेडिट ले सकते हैं। कुछेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि पोत विध्वंसक सामग्री पर माने गए क्रेडिट को इस आधार पर नहीं दिया जा रहा है कि माने गये क्रेडिट को तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक पोत विध्वंसक सामग्री पर उत्पाद शुल्क, जो कुछ भी हो, अदा नहीं कर दिया जाता है। यह अनुरोध किया गया है कि उस पोत, विध्वंसक सामग्री के मामलें में भी उत्पाद शुल्क का पूर्ण क्रेडिट दिया जाना चाहिए। जिसके संबंध में किसी स्तर पर भी उत्पाद शुल्क अदा नहीं किया गया हो।

(ग) यह मामला विचाराधीन है।

साफ्ट्वेयर तथा हार्डवेयर पार्क

3714. **श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान साफ्ट्वेयर के निर्यात को प्रोत्साहन देने की विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) अमेरिका को निर्यात करने में क्या बाधाएं आ रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार देश के सभी साफ्ट्वेयर तथा हार्डवेयर पार्कों को समन्वित करने का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान साफ्ट्वेयर निर्यात के संवर्धन के लिए अनेकों उपलब्ध योजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है : सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्कस की 100% निर्यातोन्मुख योजना, निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ई फी सी जी) योजना के अंतर्गत रियायती शुल्क दर पर कम्पयूटर प्रणाली का आयात, इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलाजी पार्क योजना के जरिए हार्डवेयर निर्यात सहित एकीकृत ढंग से सॉफ्टवेयर का निर्यात निर्यातोन्मुख एकक (ई ओ यू) निर्यात संसाधन जोन (ई पी जेड) योजनाएं आदि।

(ख) और (ग) अमेरिका को कम्प्यूटर साफ्ट्वेयर और सेवाओं के निर्यात में लगी भारतीय कंपनियों के सामने प्रमुख बाधाएं वीसा विनियमन और सामाजिक सुरक्षा करों को लगाने से संबंधित है जो स्थल-पर-विकास के जरिए सॉफ्टवेयर के निर्यात को अधिक मुश्किल और कम प्रतिस्पर्धी बनाती है।

(घ) देश में सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पार्कों को एकीकृत करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

सॉफ्ट्वेयर उद्योग

3715. **श्री शिव शरण वर्मा : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी और भारतीय शिष्ट मंडलों के बीच हाल ही में भारतीय सॉफ्ट्वेयर उद्योग को, विशेषकर जापानी बाजार में प्रवेश कर रही लघु और मध्यम दर्जे की कम्पनियों के बारे में, जापानी सहायता और सहयोग के संबंध में वार्ता हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) इलैक्ट्रानिक्स एवं कम्पयूटर सॉफ्ट्वेयर निर्यात संवर्धन परिषद् (ई एस सी) ने योकोहामा, जापान में 12 से 15 जून, 1994 तक आयोजित बर्ल्ड कम्पयूटिंग सर्विसेज इंडस्ट्री कांग्रेस, 1994 में भाग लेने के लिए एक शिष्टमंडल जापान भेजा। शिष्टमंडल ने जापान सरकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों तथा अन्य एजेंसियों के साथ बैठकें की। जापान के एक शिष्टमंडल की अक्टूबर, 1994 मे भारत आने की संभावना है। शिष्टमंडलों के इन आदान-प्रदानों से उद्योग, खासकर लघु और मझोली कंपनियों को, लाभ होगा क्योंकि इससे उन्हें जापान की कंपनियों के साथ विचार-विमर्श करने का अवसर मिलेगा।

पोर्ट ब्लेयर विमानपत्तन की हवाई-पट्टी का विस्तार

3716. श्री संतोष कुमार गंगवार :

श्री दत्ता मेघे :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन ने हाल ही में पोर्ट ब्लेयर विमानपत्तन की हवाई-षट्टी का विस्तार करने संबंधी एक प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) मौजूदा धावनपथ को 6000 फुट से बढ़ाकर 11000 फुट तक करने का प्रस्ताव है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण सम्बन्धी आवश्यक अनुमोदन और अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा रक्षा मंत्रालय से प्राप्त की जा रही अनापत्ति मिलने की शर्त के अधीन उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

12.00 मध्यान्ह

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा भारत सरकार की जानकरी में लाना चाहता हूँ।

यूरोप के कुछ देशों में परमाणु संयंत्रों से पलूटोनियम जैसे परमाणु पदार्थों की चोरी एक गंभीर चिंता का विषय है।

महोदय, परमाणु सामग्री की चोरी के कारण सारे विश्व में अव्यवस्था और बेचैनी पैदा हो गई है। हाल ही में जर्मनी में एक तस्कर अस्त्रों के स्तर का प्लूटोनियम बेचते हुए पकड़ा गया। एक ऐसा अस्त्र बनाने के लिए जिससे कि एक बड़ा शहर पूरी तरह नष्ट किया जा सकता है, चार से छह किलो ऐसी परमाणु सामग्री की आवश्यकता होती है। हम नहीं जानते कि कितना प्लूटोनियम पकड़ा गया है तथा वास्तव में तस्करी द्वारा कितना लाया गया है। ऐसी स्थिति भारत जैसे देश के लिये एक गंभीर खतरा है जिसके पड़ौसी देश पाकिस्तान के पास कथित रूप से परमाणु बमब है तथा जो परमाणु सामग्री की तस्करी में लिप्त है।

महोदय, आज लगभग प्रत्येक समाचार पत्र में यह बात प्रकाशित हुई है कि इस परिष्कृत प्लूटोनियम की तस्करी में पाकिस्तान का हाथ है।

महोदय, यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। अगर अस्त्रों के स्तर की सामग्री खुलेआम उपलब्ध होगी तो यह सारे विश्व के लिए खतरा बन जायेगा मेरे विचार में भारत सरकार को इस अत्यंत गंभीर मुद्दे को विश्व के मंचों पर उठाना चाहिए ताकि परमाणु सामग्री की चोरी पर कड़ा नियन्त्रण रखा जा सके। इस शंका की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए तथा इसे यह मामला विश्व के मंचों पर उठाना चाहिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला वास्तव में सभी के लिए, विश्व के शांति प्रिय लोगों तथा विशेषकर भारत के लोगों के लिए चिंता का विषय है।

आजकल पाकिस्तान बड़े पैमाने पर रूस से प्लूटोनियम की तस्करी में लगा हुआ है। जर्मनी को इस सम्बन्ध में पक्के दस्तावेजी प्रमाण मिले हैं तथा कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार भी किया गया है। पकड़े गये दस्तावेजों से यह पता चलता है कि ये सारी सामग्री पाकिस्तान भेजी जानी थी।

पहले आतंकवादी इस सामग्री का प्रयोग परमाणु ब्लैकमेल तथा देसी बम बनाने इत्यादि में करते थे। इन से वे बम बनाते थे। भूतपूर्व सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् इन सब पर कोई अधिक नियन्त्रण नहीं रहा यद्यपि अधिकारिक तौर पर ये इसका खण्डन करते हैं।

भारत सरकार को यह मामला सोवियत संघ तथा जर्मनी की सरकार के साथ उठाना चाहिए

.....(व्यवधान).....

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : यह सोवियत संघ नहीं है। यह रशिया है।

.....(व्यवधान).....

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मुझे खेद है। अब यह रशिया है। अब कोई सोवियत संघ नहीं है। इसलिए यह सब कुछ हो रहा है।

हमारा पड़ौसी देश जैसी हरकतें कर रहा है उन पर चिंता व्यक्त करने में सारा सदन एकमत है। इस को तुरंत दबाया जाना चाहिए इसलिए, महोदय, भारत सरकार को इस सम्बन्ध में प्रभावी कदम उठाने चाहिए तथा अगर आवश्यक हो तो सारे तथ्यों की जानकारी ले कर सदन में एक वक्तव्य भी सम्बन्धित मंत्री महोदय द्वारा दिया जा सकता है।

श्री सुधीर सावंत (राजापुर) : महोदय, प्लूटोनियम की तस्करी की कथित घटना सारे विश्व समुदाय के लिए चिंता का विषय है। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् उस क्षेत्र में चार ऐसे देश उभर कर सामने आये जिनके पास परमाणु अस्त्र हैं तथा परमाणु क्षेत्र में प्रतिभा पलायन की भी खबरें मिली हैं। बेरोज़गार परमाणु वैज्ञानिकों को विभिन्न देशों द्वारा प्रलोभन दे कर अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है तथा मुझे बेलारूस के प्रधान मंत्री को इस बात की जानकारी देने का अवसर मिला जो कि एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु अस्त्र हैं तथा मैंने उनके साथ यह मुद्दा उठाया। उन्होंने स्वयं अपने आप को इस मुद्दे पर असहाय बताया।

अध्यक्ष महोदय : आप इस बात को समझिए कि आप केवल इसलिए ही न बोलें कि आपको बोलना है। आप को उस बातचीत का उल्लेख नहीं करना चाहिए जो कि इस सदन के बाहर हुई है और वह भी एक देश के प्रधान मंत्री के साथ।

श्री सुधीर सावंत : यह एक सार्वजनिक चर्चा थी। इस सम्बन्ध में समाचार भी आये थे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात जारी रखिए।

श्री सुधीर सावंत : इसलिए यह एक अत्यंत चिंता का विषय है क्योंकि परमाणु अस्त्र रखने वाले देशों

में एक आपराधिक सांठगांठ हो गई है। इसके साथ-साथ विभिन्न सरकारों द्वारा आतंकवाद को बड़े पैमाने पर मिल रही शह से यह खतरा और भी बढ़ गया है। महोदय, आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी आतंकवादी संगठन जिसके पास परमाणु अस्त्र हों, वह केवल भारत को ही नहीं बल्कि सारे विश्व को खतरे में डाल सकता है। इसलिए इस विशिष्ट खतरे से राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निपटने के लिए गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए तथा इसका सामना करने के लिए योजना बनाई जानी चाहिए।

महोदय, हमें इस मामले की गंभीरता पर ध्यान देना चाहिए तथा सदन में इस पर व्यापक चर्चा करवानी चाहिए ताकि एक ऐसी संपूर्ण नीति बनाई जा सके जिससे यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा सके।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मणिपुर राज्य में हत्या की अनेक घटनायें हुई हैं जिसके कारण लोगों के मन में काफी चिंता और घबराहट है। मेरा निवेदन है कि सदन इस खतरे पर गौर करें। महोदय, 18 अगस्त, 1994 को आसाम रायफल्स के 23 जवान मारे गये तथा 3 लोग घायल हुए। उससे एक दिन पहले भी छह जवान मारे गये थे तथा कुछ घायल हुए थे। ये घटनायें मणिपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में हुई। घाटी में मैतेय विद्रोही लोगों की हत्यायें कर रहे हैं। इसका समाचार भी समाचार पत्र में नहीं आया है। अपहरण की घटनायें हो रही हैं। इस प्रकार महोदय, मणिपुर राज्य में एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। राष्ट्रपति शासन लागू करते हुए, उस समय वहां पर शासन कर रहे मंत्रिमण्डल को कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण बर्दास्त किया गया था। तब से लेकर अब तक सात महीने बीत चुके हैं परन्तु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसलिए, मैं यह कहना चाहूंगा कि ये सब घटनाएं कानून व्यवसाय के लिए जिम्मेदार एजेन्सियों में परस्पर समन्वय के अभाव के कारण हो रही हैं।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस पर विचार करें। मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि वह प्रभावशाली अधिकारी तथा प्रशासकों को वहां प्रतिनियुक्ति करे जो कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति की ओर पूरा ध्यान दे सकें। परन्तु इस समय राष्ट्रपति शासन के दौरान जो अधिकारी वहां पर प्रतिनियुक्त हैं वे सड़क की मरम्मत जैसे छोटे-मोटे कामों की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं तथा वे कानून-व्यवस्था की स्थिति को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। इसलिए राज्य में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, काम करने के ढंग में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। राज्य में प्रभावशाली अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने की भी आवश्यकता है।

अन्तत: मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह कुछ उच्च अधिकारियों को वहां भेजे जो वहां जाकर स्थिति का अध्ययन करें तथा यह देखें कि क्या प्रशासन तंत्र में कोई परिवर्तन किया जा सकता है।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : मैं इस अवसर पर संक्षेप में सुरक्षा सम्बन्धी दो मुद्दों का उल्लेख करूंगा पहला मुद्दा रशिया के स्रोतों से प्लूटोनियम की कथित तस्करी के बारे में है जिसकी चर्चा सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों ने भी की है।

इस सम्बन्ध में हमारी सारी जानकारी समाचार पत्रों में छपे समाचारों तथा रेडियो अथवा टेलिविज़न से मिली जानकारी पर आधारित है। परन्तु इतने महत्त्वपूर्ण मामले पर मेरे विचार से सरकार को इसके पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रमाणिक जानकारी देनी चाहिए। सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि इस

प्रकार का परमाणु आतंकवादं हमारी सीमाओं तक न आने पाए तथा इसके और भी अनेक पहलू हैं। उदाहरणार्थ, विखंडनीय सामग्री पर प्रमाणिक नियंत्रण। विखंडनीय सामग्री पर आप तब तक प्रमाणिक तौर पर नियंत्रण नहीं कर सकते जब तक विखंडनीय सामग्री के सम्बन्ध में एक अन्तर्राष्ट्रीय खाता तैयार नहीं किया जाता। अब ये सारे पहलू इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। परन्तु क्योंकि ये सभी मुद्दे काफी महत्त्वपूर्ण हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि वह सदन में इसकी जानकारी दें कि उनके पास इस सम्बन्ध कौन-कौन सी प्रामाणिक जानकारी है।

दूसरा मुद्दा जिनका मैं संक्षेप में उल्लेख करूंगा वह मणिपुर में असम रायफल्स के जवानों पर घात लगाकर, हमला करने की घटना से सम्बन्धित है। मैं नहीं समझता कि देश के किसी भी गड़बडी वाले क्षेत्र में जो घात लगाकर हमले की घटनायें होती हैं, उनका उल्लेख करके हमारे मन को कोई खुशी होती है। परन्तु वास्तविकता यह है कि एन० एस० सी० एन० के आतंकवादियों ने पहली बार यह घात लगाकर हमला किया है; तथा राष्ट्रपति शासन के दौरान पहली बार ऐसी घटना हुई है तथा प्राप्त सूचना के अनुसार इस घटना के दौरान असम रायफल्स के 23 जवान मारे गये तथा 13 अन्य हताहत हुए तथा इतनी बड़ी संख्या में लोगों को शिकार होना दुख की बात है। मुझे विश्वास है कि प्रत्येक संबद्ध व्यक्ति द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक उपाय किया गया था कि ऐसा न हो। लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ और यह हमारी चिंता का कारण है तथा मैं इस मामले में भी अनुरोध करता हूं कि सरकार प्रयास करे और यदि संभव हो तो आज कार्यवाही करे और उसके पास जो भी जानकारी उपलब्ध है वह हमें प्रदान करें।

प्रो॰ एम॰ कामसन (बाह्य मणिपुर) : मणिपुर से मेरे सहयोगी श्री याइमा सिंह युमनाम और श्री जसवन्त सिंह ने मणिपुर में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हुई घटनाओं, हत्याओं का उल्लेख किया है। सैनिकों की हत्याएं और सिपाहियों के साथ मुठभेड़ें मणिपुर में होती रहती हैं। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा हुआ है। लेकिन मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि हत्या करना अत्यंत बुरी बात है। मैं दृढ़तापूर्वक इसकी निंदा करता हूं। लेकिन मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उसे ऐसे कदम उठाने चाहिएं और प्रयास करने चाहिए कि ऐसी घटनाएं न हों। वास्तव में पुलिस या सरकारी स्तर पर ही कुछ कार्यवाही की जा सकती है। मेरा यह कहना है और मैं बार-बार यही कहता रहा हूं कि सरकार को इससे राजनीतिक स्तर पर भी निपटना चाहिए। केवल एन एस सी एन ही विद्रोही दल नहीं हैं बल्कि असम में जे॰ एल॰ एफ॰ ए॰ है, त्रिपुरा में भी विद्रोही हैं तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनेक क्षेत्रों में विद्रोही हैं। उनसे राजनीतिक स्तर पर भी निपटना चाहिए। अत: मैं इन बातों के महत्व पर बल देना चाहता हूं कि इनकी ओर पूर्ण ध्यान नहीं दिया गया है।

दूसरे कल जहां यह घटना घटी है उस स्थान का नाम यांगखुल्लेन है यांगखुल्लेन वह स्थान है जहां सौ वर्ष पहले ब्रिटिश के विरुद्ध पहला आक्रमण किया गया था। इसी स्थान पर कल मुठभेड़ हुई थी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह क्षेत्र इतना अविकसित है कि यहां अच्छी सड़कें भी नहीं हैं। मेरे विचार से सुरक्षा कर्मियों को उस स्थिति में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए अच्छी सड़कें नहीं हैं। वाहन चलाने के लिए अच्छी सड़कें नहीं हैं। यदि वहां अच्छी सड़कें और संचार की सुविधाएं होती तो मैं नहीं समझता कि वहां इतने बड़े पैमाने पर ऐसी घटनाएं होती।

इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि सुरक्षा और विकासात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और यह देखते हुए कि यह एक सीमावर्ती राज्य है इस राज्य में विकास कार्य तेजी से करना चाहिए विशेषरुप से सड़क और संचार क्षेत्र में विकास तीव्र गति से किया जाना चाहिए।

ये सभी घटनाएं मणिपुर के पांच पहाड़ी जिलों में हो रही हैं जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र का लगभग 90% है। संचार और विकास के क्षेत्र में इस क्षेत्र की अपेक्षा की गई है। इसलिए वहां विद्रोहात्मक तथा अन्य गतिविधियां चल रही हैं।

इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि सरकार को इस संबंध में वक्तव्य देना चाहिए। मेरे एक सहयोगी ने अच्छा सुझाव दिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे सुझावों को क्रियान्वित किया जाए और सड़कें बनाई जाएं तथा विकासात्मक कार्य किए जाएं तथा विद्रोह को दबाने के लिए एहतियाती उपाय किए जाएं।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अभी तक जो खबर आणविक समृद्ध साधनों की चोरी जर्मन से होकर आयी है। मुझे आशंका है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जो समस्या पैदा हो गयी है, उसके लिए रूस की सरकार इंकार कर रही है। स्वाभाविक है कि उनको पता हो या न पता हो लेकिन जर्मनी होकर ही नहीं, कई दक्षिण गणतंत्रों में जो साम्प्रदायिक आतंकवाद वहां पर गृह युद्ध के समान चल रहे हैं, उनमें आणविक कच्चा माल, खासकर जो समृद्ध हैं, उनके भण्डार हैं। हमारा सबसे दोस्ती का रिश्ता है। भारत सरकार उन सभी के साथ सम्पर्क स्थापित करके और अपने अन्य सूत्रों से यह जानने का प्रयास करे क्योंकि उनके पड़ोसी देश उन देशों में हथियार भेज रहे हैं, जिससे हमारे कश्मीर की तरफ भी आतंकवादी भेजे जा रहे हैं और उनके जरिये चोरी से वह माल सीधे हमारी यहां भी आ सकता है। आतंकवादी हमारे कश्मीर के अंदर भी आ रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी सूत्रों से देखें और सावधानी से इसका पूरा पता लगायें तथा देश और सदन के सामने इस तथ्य की सच्चाई रखें।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्रों श्री याइमा सिंह युमनाम, श्री जसवन्त सिंह और प्रो॰ एम॰ कामसन के इन विचारों से सहमत हूं कि हाल ही में हुई मुठभेड़ में दिन-दहाड़े 23 जवानों को मार दिया गया और 13 व्यक्ति घायल हो गए।

यह पहली घटना नहीं है। वस्तुत: 1991 से यह घटनाएं घट रही हैं। 1991 से विद्रोहियों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1100 व्यक्तियों को मार दिया है। इसलिए हमें पूरी समस्या की ओर नये सिरे से ध्यान देना चाहिए। एक दिन माननीय प्रधान मंत्री ने सभा को यह जानकारी दी थी कि उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र को अपना लिया है। उन्होंने तीन उच्च स्तरीय समितियों को गठन कर अत्यंत प्रशंसनीय कार्य किया था और इन समितियों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए वहां का दौरा किया। तथापि, मेरा यह विचार है कि इस नीति की ओर नए सिरे से ध्यान देना आवश्यक है। उस क्षेत्र में केवल पैसा लगाने से कुछ नहीं हो सकता है और न ही इसका समाधान सैन्य शक्ति द्वारा किया जा सकता है। हमें राजनैतिक दृष्टि से समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है।

मुझे पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्ष 1966 में अपने पहले दौरे का याद है, उस समय मैं तत्कालीन राज्यपाल श्री विष्णु सहाय जो एक नौकरशाह तथा राजनेता थे, के आमंत्रण पर वहां गया था जिन्होंने विनम्रता से मुझे यह बताया था कि "यदि कभी भारत का विभाजन हुआ तो वह सबसे पहले पूर्वोत्तर भाग से शुरु होगा।" इसलिए मैं सरकार से यह अपील करता हूं कि हमें अपनी पूर्वोत्तर नीति पर फिर से विचार करना चाहिए क्योंकि इसके अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आए हैं। पहले हमने भूमिगत हुए अनेक दलों के साथ समझौता किया था और मेरे विचार से अब समय आ गया है जब हमें एन० ए० सी० एन० के दोनों दलों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें एक दल के नेता इसाक सवू और मुइवाह हैं और दूसरे दल के नेता खापलांग हैं। कुछ सप्ताह पहले मैं कोहिमा में था और मुझे विभिन्न वर्गों के नेताओं तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला था। उन सभी का यह विचार था कि इस समस्या का राजनीतिक समाधान किया जाना चाहिए।

मैं उनकी मांग का समर्थन करता हूं। भारतीय संविधान के ढांचे के अंतर्गत हमें राजनीतिक समाधान करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मणिपुर में हुई घटना के लिए मैं सरकार से वक्तव्य देने के लिए कहूंगा।

हथियारों के लिए उपयोग की जाने वाली प्लूटोनियम की तस्करी के बारे में यदि सही जानकारी उपलब्ध है तो वह प्रदान की जानी चाहिए अन्यथा नहीं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, चीनी आयात के मामले में जो घपला हुआ है जिस के कारण न सिर्फ चीनी के दाम बढ़े हैं बल्कि करोड़ों रुपये का नुकसान सरकार का हुआ है, इसका सम्बन्ध में मैंने एडजर्नमैंड मोशन दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति में इस पर चर्चा की गई थी और हम इस पर चर्चा करने के लिए समय नियत कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : कल डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा था कि एडजर्नमैंट मोशन अंडर कंसिडरेशन है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपका स्थगन प्रस्ताव उपयुक्त नहीं है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मेरा एक दूसरा सवाल है। शरद जी और दूसरे सभी लोग

यहां बैठे हुए हैं तथा मंत्री जी भी यहां हैं। कल हमारी गिरफ्तारी हुई। मैंने आपके चैम्बर में भी इस सम्बन्ध में आपसे बात की थी। ओ॰ बी॰ सी॰ के सम्बन्ध में बार-बार यहां चर्चा हुई। आपने बहुत कृपा करके अपने स्तर से इस सम्बन्ध में पहल भी की थी और सरकार को निर्देश किया था कि आपस में बातचीत करके सरकार कोई हल निकाले। आज नौजवान लड़कों का जीवन बर्बाद हो रहा है। अभी प्रीलिमिनरी टैस्ट का नतीजा निकला है। केवल 12 परसैंट लड़कों ने ही वह टैस्ट क्वालिफाई किया है। 14 कैटेगिरीज बनी हुई है। हर कैटेगिरी में ऐज रिलैक्सेशन दिया जाता है लेकिन ओ॰ बी॰ सी॰ के लिये कोई ऐज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री जी जब विदेश यात्रा पर जा रहे थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेंगे। कल नौजवान लड़कों ने चक्का जाम किया। हमने भी एक बार नहीं 3-3 बार इस मांग को लेकर अपनी गिरफ्तारियां दी। भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री वी॰ पी॰ सिंह जी ने रैली को सम्बोधित किया। आप इस सम्बन्ध में अविलम्ब सरकार को निर्देश दें। मैंने इस सम्बन्ध में शॉर्ट डिसकशन का नोटिस भी दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा और यदि इसे स्वीकार किया जाएगा तो हम इसके लिए समय नियत कर लेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अध्यक्ष जी, मैं सरकार से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। सदन में प्रधान मंत्री जी की ओर से यह घोषणा हुई थी कि प्रत्येक सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों के लिये एक करोड़ रुपये दिये जायेंगे 5 लाख रुपये की राशि हर विधायक को क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए प्राप्त हो चुकी है। हमने अपने यहां के अधिकारियों को विकास कार्यों की एक सूची भी दी। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि केन्द्र सरकार प्रत्येक सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों के लिये एक करोड़ रुपये देगी। इससे संबंधित नियमों की एक पुस्तिका भी सांसदों के पास भेजी गई थी। इस बीच सरकार की ओर से मंत्रियों के जो बयान आ रहे हैं, उसने प्रत्येक सांसद को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हम केन्द्र सरकार की सूचना के आधार पर क्षेत्र के विकास कार्यों की सूची जिलाधिकारी को दे चुके हैं। आज जनता के बीच हमारी स्थिति बड़ी शोचनीय हो गई है। सरकार अपनी नीति की स्पष्ट घोषणा करे। अगर वह वास्तव में एक करोड़ रुपये की राशि देना चाहती है तो दे और अगर नहीं देना चाहती है तो इसकी स्पष्ट घोषणा करे जिससे प्रत्येक सांसद की साफ-सुथरी स्थिति जनता के बीच में बन सके।

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने सवाल उठाया, मैं उसी सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि परसों राज्य सभा में माननीय संसदीय राज्य मंत्री श्री रामेश्वर ठाकुर द्वारा यह बात कही गई कि राज्य सरकार को हमने पैसा भेज दिया है और राज्य सरकारों ने सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को पैसा भेज दिया है, इससे क्षेत्र में बहुत सारी भ्रान्तियां फैली हुई हैं और हम लोगों को नीचा दिखाया जा रहा है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि अगर सरकार को पैसा देना हो तो स्पष्ट रूप से कहे कि हम पैसा दे

रहे हैं और अगर नहीं देना है तो कम से कम इस बात को स्पष्ट रूप से प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए कि हम पैसा नहीं देंगे, ताकि कम से कम जो माननीय सांसद हैं, उनकी प्रतिष्ठा बची रहे।

इसलिए मैं स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इसपर तत्काल सरकार नीति स्पष्ट करे।

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, माननीय सदस्य जानते हैं कि मामले पर चर्चा की गई थी और प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री, जिन्होंने बैठक में भाग लिया था, के साथ इस मामले को निपटाया गया था। कुछ राज्यों की कुछ समस्याएं हैं जिसके कारण कुछ विलम्ब हो रहा है। लेकिन माननीय सदस्यों तथा माननीय सभा को मैं पुन: यह आश्वासन देना चाहता हूं और प्रधान मंत्री जी ने भी यह घोषणा की थी कि प्रत्येक संसद सदस्य को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि के अतिरिक्त एक करोड़ रुपया दिया जाएगा। .....**(व्यवधान)**.....

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : वह तो पहले से ही है। .....**(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय : जब तक आप पूरी बात नहीं सुनेंगे, इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। अगर आप बोलते रहेंगे तो इससे कुछ नहीं निकलेगा इसलिए आप पहले पूरी बात सुन लीजिए।

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : व्यय शीर्ष और दिए जाने वाले धन से विकासात्मक कार्य के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। कुछ राज्यों जैसे मध्य प्रदेश में धन दिया गया है। हमने उसका उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। हमने राज्य में धनराशि का उपयोग शुरु कर दिया है। अन्य राज्यों में इसके उपयोग पर विचार किया जा रहा है। हमने एक बैठक बुलाई है और मैं चाहता हूं कि सत्र समाप्त होने से पहले हमारे सामने स्पष्ट स्थिति उभर आए और माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में जाकर उस धन को विकासात्मक कार्यों में लगा सकें .....**(व्यवधान)**..... मार्गदिर्नेशों में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। उन मार्गनिर्देशों को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए जिसके लिए मैं माननीय सदस्यों तथा नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे आपको या हमें सुझाव दें और उसके बाद ही हम इस पर उचित स्पष्टीकरण दे सकते हैं ताकि इस धन के उपयोग में कोई समस्या न रहे। मुझे खेद है कि ऐसी समस्याएं पैदा हुई हैं लेकिन जहां तक बचनबद्धता का संबंध है उसमें कोई मतभेद नहीं है। उस बचनबद्धता को निभाया जाएगा और माननीय सदस्यों के उपयोग के लिए प्रत्येक जिले में लेखों का एक पृथक शीर्ष बनाया जाएगा तथा धन के उपयोग में कोई समस्या नहीं होगी।

सांसदों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना मौजूद है। इसे समाप्त नहीं किया जा रहा है। .**(व्यवधान)**..

अध्यक्ष महोदय : अब बोलना आवश्यक है।

[हिन्दी]

जिस इश्यू को हम अच्छी तरह से टैकल करना चाहते हैं, उसको आप बात करके डिस्टर्ब करना चाहते हैं। .....(व्यवधान).....

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय मैं शुरु से ही इसका विरोधी रहा हूं। .....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर क्यों नहीं बैठते ?

श्री लोकनाथ चौधरी : वे हमें उलझन भरी स्थिति में क्यों डाल रहे हैं। .....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठिए अन्यथा यही आपकी अन्तिम बात होगी।

श्री लोकनाथ चौधरी : वे उलझन वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने का सौभाग्य तो प्राप्त है लेकिन कार्य करवाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी : मैंने इस सभा में कहा था कि यह गलत बात है। वे हमें केवल आश्वासन दे रहे हैं और हमें उलझन भरी स्थिति में डाल रहे हैं। गत वर्ष उन्होंने कहा था कि उन्होंने 5 लाख रुपए दिए और लोग हमारे पीछे भाग रहे हैं। सिद्धान्त: मैं इसका विरोध करता हूं। .....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी सीट पर बैठिए। मैं जानता हूं कि सरकार यह योजना कार्यान्वित करना चाहती है, प्रधानमंत्री यह योजना कार्यान्वित करना चाहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री यह योजना कार्यान्वित करना चाहते हैं और अन्य लोग भी यह योजना कार्यान्वित करना चाहते हैं, लेकिन कठिनाइयां हैं जिनसे निपटना होगा।

सर्वप्रथम, धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। द्वितीय, इस धन राशि को किस प्रकार खर्च किया जाएगा इस बारे में स्पष्ट विचार होने चाहिए। तीसरे, हमें इस विषय में बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए कि इस धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा और यह सूचना संबंधित मन्त्रालय को दी जा सकती है। संबंधित मंत्रालय को इस मुद्दे पर बहुत स्पष्ट होना चाहिए। उन्हें उनमें व्याप्त इस भ्रम को दूर करना होगा और इसके बाद उन्हें राज्य सरकारों को यह सूचना संप्रेषित करनी होगी कि कार्यान्वित की जा रही इस प्रकार की योजना में बाधा न पहुंचाएं। इन तीन मुद्दों पर हमें बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया आप यह सुनिश्चित करें कि यह कार्य निष्पादित किया जाए।

.....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हम बाकी विषयों पर अगले कार्य दिवस पर विचार करेंगे। अब सभा पटल पर पत्र रखे जाने चाहिए।

12.31 म॰ प॰

सभा पटल पर रखे गए पत्र

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय, मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :-

(1) (एक) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6299/94]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के समेकित वार्षिक लेखों और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : महोदय, सभा पटल पर पत्र रखता हूं :

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 5क की उपधारा (9) के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के समेकित वार्षिक लेखाओं* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6300/94]

दिल्ली वित्त निगम के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की समीक्षा, एवं वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के दर्शाने वाला विवरण

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : महोदय, मैं श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति की ओर से सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) (एक) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 की उपधारा (3) के अंतर्गत दिल्ली वित्तीय निगम के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) के अंतर्गत दिल्ली वित्तीय निगम के वर्ष 1992-93 के लेखाओं के लेखापरीक्षा प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) दिल्ली वित्तीय निगम के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6301/94]

(3) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 की धारा 15 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के 21 फरवरी, 1992 से 31 मार्च, 1992 तक की अवधि के वार्षिक लेखा विवरण की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6302/94]

(दो) प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखा विवरण की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6303/94]

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के 21 फरवरी, 1992 से 31 मार्च, 1993 तक की अवधि के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6304/94]

12.32 म० प०

वित्तीय समितियां (1993-94) एक समीक्षा महासचिव : मैं "वित्तीय समितियां (1993-94) एक समीक्षा" के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

12.32 ½ म० प०

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : महोदय, मैं डा० बी० आर अंबेडकर विश्वविद्यालय विधेयक, 1994 के बारे

में मानव संसाधन विकास संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

सभा का कार्य

12.33 म॰ प॰

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 22 अगस्त, 1994 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :–

1. आज की कार्यसूची के बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. आठवीं पंचवर्षीय योजना, 1992-93 पर चर्चा।

3. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :–

(क) दिल्ली उच्च न्यायालय अधिकारी और कर्मचारी वेतन, भत्ता, छुट्टी, और पैंशन विधेयक, 1994

(ख) उच्चतम न्यायालय अधिकारी और कर्मचारी वेतन, भत्ता, छुट्टी और पेंशन विधेयक, 1994

(ग) आंतकवादी और विध्वंशकारी गतिविधियां (निवारण) संशोधन विधेयक, 1994

4. कृषि नीति के प्रारूप संबंधी संकल्प पर चर्चा।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरे निम्न लिखित प्रस्ताव अगले सप्ताह की कार्यवाही में जोड़े जायें :

1. गोमती एक्सप्रैस का ठहराव जनता की मांग को देखते हुए फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश) में करने की आवश्यकता।

2. जनपद फिरोजाबाद की अन्तर्गत शिकोहाबाद–बाह के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेलवे फाटक पर रेलवे पुल बनने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

प्रो॰ प्रेम धूमल (हमीर पुर) : महोदय, मेरा अनुरोध है कि मेरे निम्नलिखित विषय अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किए जायें :–

1. भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में एक बार वृद्धि के कार्यान्वयन में विसंगतियों को दूर करने और भूतपूर्व सैनिकों की बाकी श्रेणियों को इस योजना में शामिल करने के बारे में।

2. ऊना जिले को बाढ़ से बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश के इस जिले में स्वान नदी और इसकी तिहत्तर सहायक नदियों को एक धारा में लाना।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गवा (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय और जोड़े जायें :

1. जयपुर-बांदीकुई-दिल्ली मध्य शताब्दी एक्सप्रैस गाड़ी चलाई जाए।

2. जयपुर दूरदर्शन केन्द्र से द्वितीय चैनल शीघ्र प्रारम्भ किया जाए।

श्री जगत बीर सिंह द्रोण (कानपुर) : महोदय कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय चर्चा हेतु सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान करें :-

1. कानपुर स्थित टैनरी एंड फुटवेयर कारपोरेशन को बंद न कर उसमें पूंजी निवेश कर चलाये जाने के संबंध में।

2. कानपुर स्थित एन॰ टी॰ सी॰ तथा बी॰ आई॰ सी॰ मिलों की संभावित बंदी से उत्पन्न श्रमिक अशान्ति तथा बेरोजगारी से निपटने के संबंध में।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय चर्चा हेतु सम्मिलित कर लें :

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत काऊंटर मैगेनेट सिटी के रूप में चयनित बरेली नगर के समुचित विकास हेतु उपयुक्त धन के आवंटन हेतु।

2. इज्जतनगर स्थित बरेली पूर्वोत्तर रेल कारखाने को कोच फैक्टरी के रूप में परिवर्तन हेतु।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्न विषय जोड़ने का कष्ट करें :-

1. उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बुंदेलखण्ड अंचल के क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए तथा प्रशासनिक सुविधा एवं विकास के लिए बुंदेलखण्ड क्षेत्र को राज्य का दर्जा दिया जाये।

2. मध्य रेलवे ललितपुर स्टेशन से सिंगरौली तक नई रेलवे लाईन बिछाने का कार्य दिसम्बर 1994 तक शुरू कर दिया जाये।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : मेरा अनुरोध है कि मेरे निम्नलिखित प्रस्ताव अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़े जायें :-

(क) लोक सभा में नियम 193 के अधीन "मुम्बई में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलें" पर चर्चा 11 अगस्त, 1994 को चर्चा का उत्तर देते समय राज्य मंत्री के उत्तर के अनुसार मुम्बई में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन वस्त्र मिलों के राष्ट्रीयकरण के विधान।

(ख) इस देश के वृद्ध व्यक्तियों को "वृद्धाश्रम", निशुल्क चिकित्सा आदि के रूप में और अधिक रियायतें, लाभ और सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (बदायूं) : महोदय, मेरे निम्नलिखित प्रस्ताव अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़े जायें :-

1. बरेली से कासगंज स्वयं मथुरा के लिये प्रतिदिन अलग-अलग दो चेयरकार गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।

2. दिल्ली से देहरादून के बीच एक शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।

श्रीमती भावना चिखलिया (जूनागढ़) : महोदय, मेरे निम्नलिखित प्रस्ताव अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ें जायें :-

1. सौराष्ट्र कच्छ में हो रही नशीली दवाइयों को रोकने की आवश्यकता।

2. महिलाओं और बच्चों पर हो रहे अत्याचारों की घटनाओं को रोकने की आवश्यकता।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़े :-

1. उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल (गढ़वाल और कुमाऊं मण्डल) में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किए जाने से उत्पन्न स्थिति।

2. उत्तर प्रदेश में गढ़वाल मण्डल में "वन अधिनियम 1980" के कारण छोटे विकास कार्यों में भी भारी अड़चन आने के कारण इस अधिनियम से पहाड़ी क्षेत्रों में छूट दी जाए।

12.38 म॰ प॰

[अनुवाद]

राष्ट्रीय आवास नीति के अनुमोदन के बारे में संकल्प-जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा राष्ट्रीय आवास नीति पर चर्चा आरम्भ करेगी। इस चर्चा के लिए चार घंटे का समय दिया गया था। हमने इस मुद्दे पर सात घंटे और 26 मिनट की चर्चा की है। लेकिन अब हमें अपने भाषण संक्षिप्त रखने होंगे ताकि अन्य विषयों को भी लिया जा सके। मेरा सदस्यगण से अनुरोध है कि वे प्रश्नों को दोहरायें नहीं और अपनी बात संक्षेप में कहें। हम चाहते हैं कि आप बोलें, लेकिन संक्षेप में और प्रश्नों को दोहरायें न, ताकि आज इसे पूरा किया जा सके। इसे कल के लिए नहीं बढ़ाया जाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यक्ति के जीवन के लिए रोटी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। दूसरे नम्बर पर कपड़े की आवश्यकता है, इसके लिए हर व्यक्ति जी-तोड़ प्रयत्न करता है कि वह अपने तथा अपने परिवार के लिए भूख के लिए रोटी जुटा सके। तीसरी व्यक्ति की आवश्यकता मकान की होती है और इस वास्ते हर व्यक्ति अपना पेट काट कर भी मकान का निर्माण करना चाहता है।

12.39 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

कोई भी व्यक्ति बेघर रहना नहीं चाहता। देश का दुर्भाग्य है कि भारत में यह स्थिति भयावह है। इस स्थिति को देखकर 1987 से संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा की थी, वहां पर 1987 को लक्ष्य मान कर "सब के लिए मकान वर्ष" की घोषणा की गई थी, लक्ष्य तय किया गया था तथा सन् 2000 तक भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मकान उपलब्ध कराने की घोषणा तत्कालीन सरकार द्वारा की गई थी। लेकिन हमें खेद है कि आवास जैसे महत्वपूर्ण विषय के प्रति सरकार कोई कदम नहीं उठा पाई, इस दृष्टि से सरकार ने कोई प्रयत्न नहीं किए और जहां सन् 2000 तक प्रत्येक व्यक्ति के लिए मकान की परिकल्पना की गई थी, आज स्थिति यह है कि 10 करोड़ लोग बिना मकान के जीवन यापन करने को मजबूर हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मकान की कल्पना जो की जा रही है, उसका मतलब अच्छे मकान से है, जिसमें बिजली, पानी, हवा, निकासी आदि की मूलभूत सुविधाएं हों और जो पर्याप्त रूप से आश्रय प्रदान करे, न कि अधूरा मकान हो। झुग्गी-झोपड़ीनुमा मकान, अधूरे मकान अनेक प्रकार की समस्याएं और बीमारियों का कारण बनते हैं, इसलिए अच्छा मकान मनुष्य के लिए आवश्यक वस्तु है।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत ने विकासशील देशों में तो प्रथम स्थान प्रापत कर लिया है, लेकिन आवास की दृष्टि से हम आज भी अनेक राष्ट्रों से पीछे हैं और आजादी के 47 वर्षों के बाद भी हम इस समस्या का समाधान किसी भी मूल्य पर नहीं कर पा रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए केन्द्र ने अनेक योजनाएं बनाई, "गरीब के लिए छप्पर" तथा "इंदिरा आवास योजना" आदि बनाई गई, राज्यों को पैसा मुहैय्या कराया गया, लेकिन लगता है कि राज्य सरकारों पर केन्द्र की पकड़ सही प्रकार से नहीं है, जिसकी वजह से ये योजनाएं सफल नहीं हो सकीं, इन योजनाओं की दुर्दशा हुई और लोग आज भी मुसीबत में रह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, 1987 की घोषणा के बाद 1988 में हमने आवास नीति का मसौदा तैयार किया, जिसको 1990 में राज्य सरकारों के विचारार्थ भेजा गया। राज्य सरकारों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और केन्द्र सरकार ने भी इस नीति को ठंडे बस्तों में डाल दिया। 1990 में फिर से मसौदा प्रस्तुत किया गया, जिसको 1992 में संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया और आज 1994 में इस सदन पर सदन में चर्चा हो रही है। इससे स्पष्ट है कि इस गंभीर समस्या के प्रति आवास मंत्रालय किसी प्रकार से चिंता नहीं कर रहा है।

कुछ दिन पहले 'सार्क' देशों की एक कान्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी, जिसमें नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि 'सार्क' देशों के सचिव मौजूद थे। वहां पर हमारी आवास सचिव श्रीमती निर्मला बुच ने भी भाषण प्रस्तुत करना था, परंतु वे उस कान्फ्रेंस में नहीं गई। उनके सामने जो भारत की स्थिति को हमें प्रस्तुत करना था, कंक्रीट सजेशन्स उसमें निकलते, वह हम पेश नहीं कर पाये। निर्मला बुच के न जाने से संयुक्त सचिव ने उनका भाषण पड़ा। उसके कारण भारत की प्रतिष्ठा को गंभीर जांच आई। जबकि आपके मंत्रालय ने इसे गम्भीरता से नहीं लिया है। पहले यह नीति 1988 में बनी, फिर 1990 में, फिर 1992 में और अब अगस्त, 1994 में हम संसद में इस पर चर्चा

कर रहे हैं। यह आवास नीति कब लागू होगी और कब हम देश के लोगों को मकान मुहैया करा पायेंगे, यह एक अहम् प्रश्न है। इस पर आप गम्भीरता से मनन करें और विचार करें।

1991 की जनगणना के आधार पर करीब पांच लाख परिवार बेघर थे, 39 लाख परिवार दूसरों के घरों में निवास करते हैं, एक करोड़ से ज्यादा कच्चे मकानों में रहते हैं, छः करोड़ 10 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास एक कमरे का मकान है, एक करोड़ 40 लाख से अधिक लोग किराये के मकानों में रहते हैं। मकान की समस्या मुंह बाये खड़ी है। आप महिला हैं, आपको स्वयं विचार करना चाहिए कि आखिरकार इस गरीब देश के 88 प्रतिशत नागरिकों के पास शौचालय नहीं है, यह कितनी लज्जास्पद स्थिति है। किसी भी देश में ऐसी नग्न स्थिति नहीं होगी। मेरी मां, बहन, बेटी और बहू जो गांव में रहती हैं, वे जब शौच के लिए सड़क के किनारे जाती है और जब कोई गाड़ी पास से गुजरती है तो उस महिला को अपने पेट में ही मल रखकर एकदम से उठना पड़ता है, यह कितनी विवशता है।

मेरे एक मित्र जो 22 साल तक विदेश में रहे, जब अपने देश वापस आये तो उनके साथ दो ब्रिटिश सार्थी भी आये। वे लोग जब दिल्ली से रेलगाड़ी से कोटा जा रहे थे तो साथ की पटरी पर उनकी नजर पड़ गई, जहां कि बहुत सा पानी जमा था और लोग बैठे हुए थे। उन लोगों ने मेरे मित्र से पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मेरे मित्र का सिर शर्म से झुक गया। उसने सोचा कि बाइस साल पहले जैसा देश छोड़कर मैं गया था, वैसा ही है। उसने तुरंत बात बदलकर कहा कि ये लोग मछली पकड़ रहे हैं। क्योंकि उसकी उन विदेशी साथियों से यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे देश में महिलाओं और पुरुषों के लिए अभी तक शौचालय भी नहीं बने हैं। आज तो हमें आजाद हुए 47 साल हो गये हैं। 1991 के जो जनगणना के आंकड़े हैं उनके अनुसार 88 प्रतिशत मकानों में शौचालय नहीं हैं, लोग बाहर जाने को मजबूर हैं। आप इस आवास नीति के तहत ऐसी योजना जरूर बनायें कि कम से कम गांवों में शौचालय जरूर हों। मकान उनको मिलेंगे यह तो भगवान ही जानता है, लेकिन यह व्यवस्था जरूर कर दें।

हमारा लक्ष्य है कि हम सन् 2000 तक सबको मकान दे देंगे। सबसे पहले 1988 में आवास नीति बनी, उसके बाद 1990 में राज्य सभा में चर्चा हुई, फिर 1992 में लोक सभा में चर्चा हुई, और आज फिर हम 1994 में इस चर्चा कर रहे हैं। आखिर यह लक्ष्य कब पूरा होगा ? आप एक अच्छी महिला हैं, आपके जवाब लोक सभा में अच्छे आते हैं, लेकिन आप अपने मंत्रालय पर दबाव बनायें। आपको इस काम के लिए तीन हजार अरब रुपया चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि यह सरकार कौन से जन्म में इतना पैसा लेकर आयेगी। आप परिकल्पना करें कि यह पैसा कहां से आयेगा, कौन लाकर देगा, कौन सा आसमान टूटेगा जिससे हिन्दुस्तान में प्रत्येक व्यक्ति को छप्पर मिल जायेगा। गरीब आदमी को तो छप्पर दे दो, बड़ा आदमी तो सब कुछ बना लेगा। मुझे नहीं लगता कि यह सरकार किसी गरीब को छप्पर दे पायेगी ? मेरा यह मानना है कि यह सरकार अपनी गलत नीति, अपने कृत्यों के कारण इस आधार पर निश्चित रूप से जाती नजर आयेगी। इसलिये आपसे निवेदन है कि इस पर विचार करे।

उपाध्यक्ष महोदय, आप दिल्ली में देखिये। यहां पर गांव से चलकर मजदूर आता है क्योंकि गांव में उसे

रोजी नहीं मिल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री मदन लाल खुराना बात रहे थे कि हर साल यहां पर तीन लाख लोग आकर बस रहे हैं। मेरे राजस्थान से तो इतने मजदूर लोग आते हैं कि उनके न आने से आप लोगों के मकान तक नहीं बन सकते हैं। तो यहां का मिडिल क्लास का आदमी कहां जायेगा ? उसको कोई मकान नहीं मिलता है। आप स्थिति की गंभीरता को समझें और निश्चित रूप से कोई कारगर कदम उठायें। आप चाहें तो प्रधानमंत्री पर दबाव डालें कि देश में मकानों की आवश्यकता है और इस हेतु कोई अच्छी नीति बनायें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने शहरी भूमि सीमा लागू की हुई है। लेकिन कोटा में कुछ लोगों ने करोड़ों रुपये की जमीन को प्लाट के रूप में ले लिया है। जबकि आपने 1988 में यह रूलिंग दी थी कि यदि कोई 20×50 का प्लाट बनाकर बेचता है तो उसे गरीब मान लिया जायेगा। क्या उसको इस प्रकार की छूट दे दी जायेगी ? मेरा तो यह कहना है कि ऐसा केवल कोटा ही में नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में हो रहा है। आपको तो मालूम है कि आज जमीनों के भाव आसमां छू रहे हैं। उसके बाद सीमेंट के भाव बढ़े हुये हैं। एक सीमेंट की फैक्टरी से इतना मुनाफा होता है कि तीन साल के बाद वह और फैक्टरी खड़ी कर लेता है। अब मकान में सीमेन्ट का भी इस्तमाल होता है और उसके बाद पत्थर की बात आती है। पत्थर कितना मंहगा मिलता है। क्या आपकी पत्थर की कीमतों पर नियंत्रण है ? इसकी कीमत कौन तय करता है ? वही बड़े लोग जिनके पास इतनी बड़ी जमीनें, फैक्टरियां हैं। अब आप बताइये एक गरीब आदमी कैसे मकान बना सकता है ? वह तो सिर्फ अपनी छत पर पोलीथीन की चादर लगाकर काम चला लेता है। आपको इस पर भी विचार करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन लाना होगा क्योंकि जिन लोगों के पास मकान है, वे किराये पर न देकर वर्षों खाली रखते हैं और कभी शादी-ब्याह में ही देते हैं। इस प्रकार ये लोग उस कानून की धज्जियां उड़ा रहे है। यह धंधा खूब चल रहा है। हमारे राजस्थान में इस अधिनियम के अन्तर्गत 70-80 लोगों को जेल में डाला है।

इसके साथ अंतिम बात यह कहूंगा कि सारे हिन्दुस्तान में स्टाम्प ड्यूटी के नाम पर करप्शन हो रहा है जहां पर मकानों की रजिस्ट्री होती है, वहां पर मकान बनाने के बाद जो लोग रजिस्ट्री कराने जाते हैं, उनके साथ किस प्रकार से भ्रष्टाचार का खेल खेला जाता है, वह आपको मालूम ही है। यह कोई स्थिति नहीं है। आप तो जानते ही हैं।

आप नहीं, मेरा इशारा आपके भाई साहब की तरफ है। आप तो साधारण व्यक्ति हैं, सब जानते हैं लेकिन स्टैम्प ड्यूटी के मामले में कितनी चोरियां हो रही हैं, कितना लीकेज है, कितना घपला है, हर व्यक्ति जानता है कि स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित अधिकारी यानी रजिस्ट्रार सीधे कहता है – कितने की रजिस्ट्री कराओगे, इतने की क्यों कराते हो, इतने मूल्य की रजिस्ट्री करा लो, इतना पैसा मुझे दे दो और इतना पैसा तुम रख लो। करोड़ों रुपये की बिल्डिग का आज कुछ लाख रुपये में सौदा हो जाता है। इसमें कहीं न कहीं कोई चैक एण्ड बैलेंस केन्द्र सरकार को एक अधिनियम बनाकर करना चाहिये। यदि आप कोई ऐसा स्टैप लेते हैं तो मैं मानूंगा कि आपकी आवास नीति सफल होगी वर्ना हमें तो लगता नहीं है क्योंकि हर पत्नी शादी के बाद आकर कहती है – ओ सजना, घर बने अपना, और पति कहता है – यह केवल एक सपना ही सपना।

मैं तो अपने राजस्थान के हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन का धन्यवाद करना चाहता हूं जिनके कारण आज मुझे अपना मकान मिल सका।

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय आवास नीति पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

एक सभ्य मानव के लिए भोजन, आवास, वस्त्र, स्वास्थ्य तथा शिक्षा अत्यावश्यक आवश्यकताएं हैं। आज़ादी से पहले भारत के लोगों ने यह आशा की थी कि आज़ादी के बाद उन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताऐं प्राप्त हो जायेंगी परन्तु आजादी के बाद 47 वर्ष बीत चुके हैं फिर भी हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग खुले आसमान के नीचे रह रहा है। हमारे सिर शर्म से उस समय झुक जाते हैं जब बारिश होती है तो लोग आश्रय पाने के लिए इधर-उधर भागते हैं। तथापि, सरकार का शुक्रिया है कि वह अन्तत: सभा में आवास-पर एक राष्ट्रीय नीति चर्चा के लिए लाई है।

आवास की समस्या विकराल रूप धारण किए हुए है। यह सच है कि वर्ष 1991 में 3 करोड़ 10 लाख आवास एककों की कमी थी और वर्ष 2001 में 4 करोड़ 10 लाख आवास एककों की कमी हो जायेगी।

आवास की समस्या का सभी पर समान रूप से प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास घर बिल्कुल नहीं हैं। उन्हें कम से कम आवास चाहिये। वे सिर्फ अपने सिर पर एक छत चाहते हैं। ऐसे लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए जगह तो है लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। उनकी आय कम होती है और उसमें वे आवास के लिए थोड़ा-सा ही भाग दे सकते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो अपने संसाधनों से अपने घर बना सकते हैं। उन्हें केवल भूमि चाहिए। इसके अलावा ऐसे लोग भी हैं, जिनके पास आवास पर खर्च करने के लिए पर्याप्त धन संसाधन हैं। ऐसे अमीर लोग भी हैं, जो एक से अधिक घर चाहते हैं। अत:, समस्या वहीं की वहीं है और विकराल भी है। लेकिन सरकार को उन दुखी लोगों की तरफ से बेखबर नहीं होना चाहिये, जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं।

अत: नीति यह होनी चाहिये कि कोई बेघर न हो। मैं इस नीति पर बल देता हूं। देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिये। जिसके पास घर न हो बेघर लोगों का सैंकड़ों की ही नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में होना राट्र के लिए सम्मान की बात नहीं है। निश्चय ही हमारे सिर उस समय शर्म से झुक जाते हैं जब हम यह दावा करते हैं कि हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। शहरी तथा गामीण क्षेत्रों में ऐसे लोगों की पहचान की जानी चाहिये जिनके पास मकान नहीं है। सबसे पहले गरीबों में सबसे गरीब लोगों को मकान दिए जाने चाहिये। जब तक इस देश में एक भी व्यक्ति बेघर है, तब तक सरकार को दूसरे प्रयोजनों के लिए पैसा खर्च नहीं करना चाहिये। अत: बेघर लोगों को आवास प्रदान करना ही राष्ट्र की नीति होनी चाहिये।

1.00 म० प०

यह राष्ट्र की नीति होनी चाहिये।

आवास समस्या कोई अलग समस्या नहीं है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की अनेक मूल समस्याओं में से एक है। गरीब लोगों को आर्थिक विकास के लाभों से वंचित रखा गया है। केवल कुछ ही लोग विशेषाधिकारों का उपभोग कर रहे हैं। इस लाभ को उदारीकरण की नीति ने और अधिक विस्तार दिया है। राष्ट्रीय आवास नीति दस्तावेज में बेघरपन को युद्धस्तर पर समाप्त करने के सिद्धान्त पर जोर नहीं दिया गया है। अतः, मैं ऐसी राष्ट्रीय नीति से सहमत नहीं हूं, जो ऐसी समस्या को उच्च प्राथमिकता नहीं देती, जिस पर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। 'साधन विहीन' लोगों को घाटे में रख कर 'साधन-संपन्न' लोगों को अधिक सुविधायें देने का मैं समर्थन नहीं कर सकता। बेघरपन की समस्या इतनी व्यापक है कि 2000 ईसवी के अन्त तक भारत में ऐसे लोगों की संख्या 4 करोड़ 10 लाख हो जाएगी। इस संबंध में, मैं सरकार का ध्यान सार्वभौम अधिकार घोषणा पत्र, 1948 के अनुच्छेद 25 (1) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, कपड़ा और आवास सहित एक निश्चित जीवन-स्तर यापन करने का अधिकार है।

समुचित आवास के इस अधिकार को सभी प्रकार के जातीय भेदभाव की समाप्ति से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के अनुच्छेद 5 (ङ) तथा मानव-आवास पर संयुक्त राष्ट्र वेंक्कूवर घोषणा पत्र में भी स्वीकार किया गया है।

आवास संबंधी अधिकार पर आधारित पर इन सार्वभौम घोषणा-पत्रों के आधार पर हम मांग करते हैं कि वाक्-स्वातंत्रय, धर्म का अधिकार इत्यादि की भांति आवास के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया जाना चाहिये।

बेघर लोगों को घर की व्यवस्था करने के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्ग तथा मध्यम वर्ग की आवास समस्या पर भी सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिये। इस कार्य के लिए वित्त की व्यवस्था चतुराई से की जानी चाहिये। इस संबंध में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को समन्वयात्मक तथा एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। आवास के क्षेत्र में सरकार अहम भूमिका निभाती है परन्तु उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार आवास के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद को केवल 2 प्रतिशत ही खर्च करती है। यह बहुत ही असंतोषजनक स्थिति है। आवास की मद पर सरकारी व्यय में वृद्धि की जानी चाहिये।

आवास के लिये धन देने वाली अन्य एजेंसियों की भूमिका उत्साहजनक नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार बनने वाले कुल मकानों में से 10 प्रतिशत मकान ही वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये धन से बनाये जाते हैं। 90 प्रतिशत मकान उधार और बचतों से प्राप्त होने वाले धन से निर्मित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 5.18 प्रतिशत वित्त औपचारिक वित्तीय एजेंसियों से आता है; 42.57 प्रतिशत बचतों से आता है; 9.36 प्रतिशत मित्रों और संबंधियों से आता है; तथा 22.03 प्रतिशत अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है।

मकान के लिए दिए जाने वाले ऋण पर केन्द्र सरकार को ब्याज में की दर में कमी करनी चाहिये और धन देने की प्रक्रिया सरल बनाई जानी चाहिये और उसे लागू भी किया जाना चाहिये। राज्यों की सहायता की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुधीर गिरी, आपको याद होगा कि माननीय अध्यक्ष ने अभी-अभी अपनी इच्छा जाहिर की थी कि भाषण संक्षेप में होने चाहिये।

श्री सुधीर गिरी : मैं अपनी बात समाप्त कर ही रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री सुधीर गिरी : महोदय, राज्यों को धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिये क्योंकि यह एक राज्य का विषय है। राज्यों पर भारी वित्तीय बोझ है। राज्यों ने आवास संबंधी उद्देश्य के लिए खर्च अवश्य करना चाहिये। लेकिन, कुल खर्च केन्द्र और राज्य सरकार, दोनों को वहन करना चाहिये। इस संबंध में तीन चौथाई खर्च केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिये।

अब, मैं समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर आता हूं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीब लोगों को आवास सुविधायें प्रदान करना है। इंदिरा आवास योजना में भी ग्रामीण लोगों, ग्रामीण निर्धन लोगों को आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। लेकिन यह व्यवस्था अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए है।

यह सत्य है कि अन्य जातियों में भी गरीब से गरीब लोग हैं और उनको भी इस प्रावधान के लाभ प्रदान करने चाहिए। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अनुदान के रूप में समतल क्षेत्रों में 1600 रु० का और पहाड़ी क्षेत्रों में 21,00 रु० का प्रावधान है। यह काफी नहीं है। इसे बढ़ाना चाहिए।

कुछ विनियमों के अन्तर्गत वित्तीय संस्थानों को वित्त प्रदान करने के निर्देश देने। कि प्रमोटरों को किसी निश्चित मानदंड के आधार पर ही अनुमति देनी चाहिए। कलकत्ता या अन्य बड़े नगरों में प्रमोटरों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वे मकान बनाने के लिए आगे आते हैं। लेकिन वे लाभ कमाने के उद्देश्य से ही आगे आते हैं। इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए।

सहकारी तथा निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नियमों के अन्तर्गत उनके लाभ के उद्देश्य को कम करना चाहिए।

आवास का अर्थ न केवल मकान है बल्कि आवास के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं का होना भी उसमें शामिल है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के प्रावधान में जलमल निकासी, रसोई, पीने का पानी, इत्यादि शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों के झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में जलमल निकासी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। गरीब से गरीब लोग झुग्गी-झोपड़ी इलाके में रहते हैं। उन्हें स्वच्छता सुविधाएं प्राप्त नहीं होती है। उन्हें यह सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। वहां मलजल निकासी व्यवस्था होनी चाहिए। झुग्गी-झोपड़ी इलाकों में जलमल निकासी व्यवस्था न होने के कारण गरीब लोगों को विशेषकर वर्षा के मौसम के दौरान बहुत कठिनाई होती है।

झुग्गी-झोपड़ी इलाके बड़े-बड़े नगरों के नज़दीक बन रहे हैं। इन इलाकों के लिए कुछ इस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उनके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

आवास के उद्देश्य से भूमि मुख्य आवश्यकता है। भूमि अर्जन अधिनियम तो विद्यमान है। लेकिन इस अधिनियम के कुछ प्रावधान बिल्कुल भी सही नहीं हैं। भूमि अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को उपयुक्त रूप से

संशोधित किया जाना चाहिए। स्थायी समिति से इस प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई थी। मेरा विचार है कि सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को उपयुक्त रूप से संशोधित करेगी ताकि आवास के उद्देश्य से भूमि अर्जित की जा सके।

अब मैं मूल्यांकन तथा भूमि विपणन प्रबंध पर आता हूं। भूमि विपणन प्रबंध में सट्टेबाजी है। सट्टेबाजी शक्तियों के कारण आवास के उद्देश्य से आवश्यक भूमि के मूल्य बढ़ रहे हैं। मेरा विचार है कि इस कारण कानूनी रुकावटें सामने आती हैं। उन समस्याओं को भी दूर करना चाहिए।

अपने वक्तव्य को समाप्त करते हुए मैं यह कहूंगा कि कम लागत के आवास संबंधी एक प्रस्ताव था। यदि कम लागत के मकानों का अर्थ है घटिया किस्म के घटिया मकान और यदि वह घटिया मकान गरीब लोगों के लिए ही हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब लोग भी इन्सान हैं। उन्हें भी अन्य लोगों के समान समझना चाहिए। इसलिए उन्हें केवल घटिया किस्म के घटिया मकान नहीं दिए जाने चाहिए।

सरकार को और तकनीकी केन्द्र स्थापित करने चाहिए ताकि अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम किए जा सकें और ग्रामीण निर्धन लोगों को कम लागत की आवास सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

अब मैं हुडको के बारे में कहूंगा। हुडको में काफी वित्तीय अनियमितताएं विद्यमान हैं। सरकार को एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए जो कि इन वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाए जिनके बारे में विभिन्न समाचार-पत्रों से उल्लेख किया गया है। इस पर तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए।

मैं यह कहूंगा कि यदि सरकार का इरादा मजबूत हो तो इन सब समस्याओं से निपटा जा सकता है। मेरा विचार है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सरकार का इरादा इतना मज़बूत नहीं रहा है। इस बात पर जोर देना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे निर्धन लोगों के प्रति अपना रवैया बदलें और आवास समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त विधान प्रस्तुत करें तथा उपाय करें।

[हिन्दी]

कुमारी सुशीला तिरिया (मयूरभंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की तरफ से लायी गई राष्ट्रीय आवास नीति का समर्थन करते हुए कुछ निवेदन करना चाहूंगी। हमारी सरकार की गरीबों को ऊपर उठाने की नीति रही है। इसलिय वह बहुत तेजी से नेशनल हाउसिंग पॉलिसी को लागू करने की लिए तत्पर है। इसके लिये मैं सरकार को और उसके मंत्रालय को मुबारकबाद देना चाहूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना शेष भाषण भोजनावकाश के बाद जारी करें।

1.10 म॰ पू॰

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.10 तक के लिए स्थगित हुई।

[अनुवाद]

14.10 म॰ प॰ पर गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई गई। गणपूर्ति नहीं हुई।

14.13 म॰ प॰ पर गणपूर्ति के लिए पुन: घंटी बजाई गई और गणपूर्ति नहीं हुई।

14.16 म॰ प॰ पर एक बार पुनः गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई गई और गणपूर्ति नहीं हुई। तत्पश्चात् महासचिव ने निम्नलिखित घोषणा की।

2.20 म॰ प॰

गणपूर्ति के अभाव में सभा की बैठक का 2.40 म॰ प॰ तक के लिए स्थगित किए जाने के बारे में घोषणा।

महासचिव : गणपूर्ति नहीं हुई। इसलिए सभा समवेत नहीं हो सकती और हम तब तक सभा समवेत नहीं कर सकते जब तक कि गणपूर्ति नहीं होती। माननीय अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिए हैं कि सभा 2.40 म॰ प॰ पर पुनः समवेत होनी चाहिए।

2.43 म॰ प॰

लोक सभा 2.43 म॰ प॰ पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा)

2.43 म॰ प॰

सदस्यों द्वारा विधायी समितियों से दिए गए त्यागपत्रों का स्वीकार न किया जाना।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मुझे एक संक्षिप्त घोषणा करनी है। विधायी समितियों के सदस्यों द्वारा दिए गए त्यागपत्रों को स्वीकार नहीं किया गया है। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे समितियों की कार्यवाही में भाग लें।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम (सलेम) : हम आपके साथ हैं महोदय।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी (गढ़वाल) : महोदय, हम आपके निर्णय का पालन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

2.44 म॰ प॰

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

राष्ट्रीय आवास नीति के अनुमोदन के बारे में संकल्प जारी

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कुमारी सुशीला तिरिया अपना वक्तव्य जारी रखेंगी।

कुमारी सुशीला तिरिया (मयूरभंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे हाउसिंग पालिसी पर बोलने का अवसर दिया। मैं हाउसिंग पालिसी रेजोल्यूशन का समर्थन करते हुए आवास मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं पहले भी बोल रही थी कि कांग्रेस पार्टी की नीति हमेशा गरीबों तथा

दलितों को ऊपर उठाने तथा देशवासियों को अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैय्या कराने की रही है। हालांकि यह आवास नीति 1992 में सदन में प्रस्तुत की गई थी, फिर भी अब जिस तेजी से मंत्रालय इस नीति पर काम कर रहा है और नीति को लागू कर रहा है, इसके लिए मैं मंत्रालय को मुबारकबाद देना चाहूंगी। इसके साथ-साथ मैं एक-दो बातों पर ज्यादा जोर देना चाहूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1987 का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर "शेल्टर फॉर दी होमलेस इयर" डिक्लेअर किया गया था। मेरे ख्याल से उस वर्ष अंचल में 18.8 मिलियन मकानों की जरूरत थी। और 5.9 मिलियन शहरों में रहने वालों के लिए जरूरत थी। नई राष्ट्रीय नीति के हिसाब से असेसमेंट करें तो 2001 तक गांवों में 25.5 मिलियन और शहरों में 15.5 मिलियन मकानों की जरूरत पड़ेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगी आप जो आवास नीति लागू करेंगे तो इतनी तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उसके हिसाब से कैसे इसको सही ढंग से लागू कर पायेंगे जिससे कम से कम एक व्यक्ति का एक मकान तो दे पायें। फिर भी मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि वे यह नीति लाए हैं और इस पर हम सब यहां चर्चा कर रहे हैं। यह हमारी पार्टी का कदम है और लोगों को मकान देने की कोशिश करना सरकार का कर्तव्य है।

मैं आवास नीति का समर्थन करती हूं और इस सम्बन्ध में एक-दो मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। आज जो भी मकान उपलब्ध हैं उसमें जो न्यूनतम आवश्यकतायें हैं उनकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। मैं उड़ीसा से आती हूं। हमारे यहां भुवनेश्वर में जो सरकार की तरफ से मकान बनाये गये हैं उनमें न तो पीने के पानी का प्रबन्ध है, न बिजली है, न सेनीटेशन और सीवरेज की व्यवस्था है। अगर किसी मकान में ये न्यूनतम आवश्यकतायें नहीं होंगी तो वह मकान रहने के लायक नहीं होता है। आप जब भी अपनी आवास नीति को लागू करें तो इन चीजों को ध्यान में अवश्य रखें। इसके साथ ही आपके जो अधिकारी मकान बनाते हैं उनको भी इस बारे में बतायें।

भुवनेश्वर में जो सरकार की तरफ से मकान बने हैं उनमें पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं है, यह हालत आज करीब-करीब सभी बड़े शहरों की है। लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। दिल्ली में भी हम देखते हैं कि नलों से जो पानी आता है उसमें कई बार कीड़े निकलते हैं। मेरा सुझाव है कि जब भी आप मकान बनायें तो उसमें आधुनिक तकनीक वाले वाटर फिल्टर भी लगायें जिससे निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी वाले सभी लोग साफ पानी तो कम से कम पी सकें।

पिछले दिनों जब मैं दिल्ली आई तो हमें यहां पर उड़ीसा और बिहर से काफी बड़ी संख्या में लोग मिले। ये लोग यहां पर नौकरी, व्यवसाय और पढ़ाई के लिए आते हैं। उनको यहां रहने की सबसे बड़ी समस्या है। विशेषकर छात्रों को तो काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो लोग यहां बाहर से नौकरी के लिए आते हैं उनके लिए लो-कॉस्ट के मकान बनायें और छात्रों के लिए होस्टल की व्यवस्था की जाये जिससे वे लोग शहर में रह सकें। हमारे राज्य के लोग ज्यादातर बाहर जाकर मजूदरी करते हैं। जो मजदूर लोग बाहर से दिल्ली में आते हैं, उनसे बात होती है और वे बताते हैं कि उनकी मकान की समस्या है। साथ में सीवरेज, पीने के पानी और शौचालय की समस्या भी है। जो लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, उनके लिये कोयला जलाकर

खाना बनाना होता है। उस धुंये से प्रदूषण तो बढ़ता ही है साथ में कई प्रकार की आंख की बीमारियां उन लोगों को हो जाती हैं। मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार 'नोएडा' में शौचालय बने हुये हैं, ऐसे ही उन लोगों के लिये बनाने का प्रबंध किया जाये। जब वे लोग हमसे मिलने आये तो उन लोगों ने यह कहा :

आपके हम शहर में आये तो गांव से भी गये,

मकान की आस में पेड़ों की छांव से भी गये।

अब गांव का भी ठिकाना चला गया और बड़े शहर में आये तो यहां भी कोई मकान न मिला और यदि गांव भी वापस जायें तो वहां भी कुछ मिलने वाला नहीं है। अत: इन लोगों के लिये कुछ उचित प्रबंध किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा तोड़-फोड़ी की नीति बनायी जाती है जैसे जामा मस्जिद में की गयी, भुवनेश्वर भोपाल में भी किया गया और कई बड़े-बड़े शहरों में की जाती है। उस समय रास्ते में चाहे कोई बड़ी बिल्डिंग ही क्यों न हो उसे तोड़ दिया जाता है। यह बड़े दुख की बात है। कम से कम इस बारे में नोटिस तो देना चाहिये, और मजदूरों को रीहैबिलिटेट करना चहिये।

महोदय, हुडको बड़े-बड़े शहरों में मकान बनाने का काम करती है लेकिन गांवों में ऐसी कोई स्कीम हाथ में नहीं ली जाती है। मेरा निवेदन है कि जहां पर अनुसूचित जाति और बैकवर्ड क्लास के लोग रहते हैं, वहां भी हुडको को काम हाथ में लेना चाहिये। और इस स्कीम के तहत उन लोगों को 25-30 प्रतिशत की छूट मिलनी चाहिये। जहां तक इन्दिरा आवास योजना के बारे में कहा गया, यह सही है कि वे मकान अब रहने लायक नहीं रह गये हैं। यदि तरीके से इस योजना के तहत मकान बनाये जायें तो गरीब, एस० सी० एस० टी० और बैकवर्ड क्लास के लोगों को फायदा मिल सकता है। जैसा कि दिल्ली में डी० डी० ए० और गाजियाबाद में जी० डी० ए० द्वारा मकान बनाये गये हैं, उनमें मैटिरियल इतना घटिया है कि अलाटमैंट से पहले ही गिर जाते हैं। इस सब के लिये जो आफिसर्स जिम्मेदार हों, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये ताकि भविष्य में मकान अच्छी तरीके से बन सकें। जहां तक मकान अलाट होने का नियम है, उसमें महिलाओं और अनुसूचित जाति और बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिये अलग से प्रबंध होना चाहिये।

जब एलाटमेंट हो तो उस समय इन लोगों के इंटरैस्ट का अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुये, उसे पूरा करने की कोशिश होनी चाहिये, केवल कागजों पर ही नहीं रहना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, समय देने के लिये आपको धन्यवाद। सदन में राष्ट्रीय आवास-नीति पर काफी समय से चर्चा हो रही है और मेरे विद्वान साथियों में इस संदर्भ में काफी विस्तार में जाकर कहा है। यह बात सही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुझाव देने पर और हम लोगों के द्वारा इस समस्या के प्रति चिन्ता व्यक्त करने पर, सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया और राष्ट्रीय आवास नीति का मसौदा तैयार करके सबके सामने रखा।

दुर्भाग्य की बात यह है कि जहां हमारे देश की 90 करोड़ आबादी में से आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर करती है, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि उसके लिये इस आवास नीति में कोई योजना क्यों शामिल नहीं की गयी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जितनी योजनाएं बन रही हैं वे समाज के 25 प्रतिशत वर्ग के लिये ही बन रही है, उसके अलावा किसी वर्ग के लिये नहीं बन रही हैं। राष्ट्रीय आवास नीति को विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिये। हिन्दुस्तान गांवों मे बसता है, दो-तिहाई लोग गांवों में रहते हैं और गांवों से इस समय शहरों की ओर पलायन हो रहा है। उस पलायन के परिणामस्वरूप शहरों में आवास की समस्या बढ़ती जा रही है। हमारे सामने शहरों और गांवों दोनों में आवास की समस्या है। मैं जानना चाहता हूं कि पूरे देश में कितने गांवों को हमने आदर्श गांव मनकर विकसित किया है या कोई ऐसी प्रक्रिया अपनायी है जिससे कि गांव का आदमी शहरों की तरफ न भागे ताकि हमारे शहरों में स्लम या झुग्गी झोंपड़ी न बनने पाये।

यह बहुत ही चिन्ता की की बात है कि शहरों में अनाधिकृत निर्माण निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और ऐसी कम्पनियों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है जो किसी न किसी प्रकार से जनता को प्रलोभन देकर ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे लगता है कि हम शहरों को सही तरीके से विकसित नहीं कर पायेंगे। गांवों की हालत हम सबके सामने है। आप किसी भी गांव में चले जाइये, आजादी के 47 वर्ष बाद, अभी भी ऐसा लगता है कि हमारे गांव किसी आदर्श मॉडल पर विकसित हो रहे हैं या कोई आदर्श मॉडल उनके लिए बन रहा है। गांवों मे आज भी ड्रेनेज की समस्या है, सम्पर्क मार्गों की समस्या है। मेरा तात्पर्य यह है कि गांवों में आज भी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है जिससे गांवों का सही तरीके से विकास हो सके और गांव के लोगों का शहरों मे आना रुक सके। और इस समस्या का सही तरीके से समाधान हो सके।

यह बात सही है कि आज 3 करोड़ लोगों को मकान चाहिये और 10 साल बाद 4 करोड़ लोगों के लिये मकानों की व्यवस्था करनी होगी लेकिन इस नीति के पढ़ने के बाद हमारी समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी संख्या में कैसे हम लोगों को मकान की सुविधा देंगे और जो लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर करते हैं, आम गरीब को क्या सुविधा देंगे।

2.58 म० प०

(प्रो० रीता वर्मा पीठासीन हुईं)

सभापति महोदया, आपका स्वागत है।

मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय आवास नीति के माध्यम से गरीब तबके के लोागें को आप कितनी अधिक से अधिक सुविधा देने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि समाज के 50 प्रतिशत वर्ग के लिये इस आवास नीति में कोई प्रस्ताव नहीं है जिससे ऐसा लगे कि हम उन्हें आगे बढ़ाने की दिशा में कोई काम कर रहे हैं। जिन लोगों की आमदनी 12 हजार रुपये वार्षिक से कम है, वे कैसे अपना मकान बना सकते हैं क्योंकि आज सीमेंट, सरिया और ईंटों के दाम कितने ऊपर पहुंच गये हैं। आम आदमी की पहुंच से वे काफी दूर और उनके शक्ति के बाहर हो गये हैं। इस हिसाब से हम विचार भी नहीं कर सकते। दूसरे, शहरों में अनधिकृत बस्तियों का निर्माण तेजी से बढ़ता जा रहा है और उसकी रोकथाम के लिये कोई कदम नहीं उठाये गये हैं।

मैं यहां बहुत सी बातों के विस्तार में जाना नहीं चाहूंगा लेकिन सदन में मौजूद मंत्री जी से कुछ मामलों में स्पष्ट जानकारी अवश्य चाहूंगा। आज अर्बन सीलिंग एक्ट के तहत शहरों में और निकटवर्ती गांवों में रहने वाले लोग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और हमारे यहां 15 जिलों में सीलिंग एक्ट की प्रक्रिया लागू की जा रही है, जिसकी वजह से आम किसान बुरी तरह से पिस रहा है और वहां भू-माफिया नाम का एक नया तबका खड़ा हो गया है जिसने उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया है। इसके माध्यम से वह गरीब जनता और किसानों का शोषण कर रहा है। मैं चाहता हूं कि इस दिशा में चिन्तन की आवश्यकता है कि अर्बन सीलिंग एक्ट में हम क्या करें। इसी के साथ जुड़ी हुई बात यह है कि हमारे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में भी संशोधन किया जाना जरूरी है। हमारे चार मैट्रो सिटीज में, चार महानगरों में, देश भर का, कहीं का भी पंजीकरण करवाया जा सकता है।

3.00 म० प०

उसकी वजह से बहुत अनियमितताएं हो रही हैं और गलत काम सामने आ रहे हैं और आम आदमी के लिए इससे परेशानी हो रही है। इसके बारे में सरकार विचार करे और इस प्रकार के निर्देश जारी करे कि इन मैट्रो सिटीज में इस प्रकार का पंजीकरण नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदया, रैंट कंट्रोल एक्ट में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। अब लोगों के मन में यह धारणा घर करती जा रही है कि जो बेवकूफ लोग होते हैं वे मकान बनवाते हैं और बुद्धिमान लोग मकान में किराए पर रहते हैं। इसलिए इस एक्ट के बारे में विस्तृतरूप से और सही परिप्रेक्ष्य में विचार कर आवश्यक परिवर्तन जब तक नहीं किए जाएंगे तब तक आप देश की आवास समस्या को सही मायने में हल नहीं कर पाएंगे।

सभापति महोदया, देश के अंदर आधी से अधिक आबादी आज गरीबी की रेखा से नीचे रहती है और लोग गांवों से शहरों की ओर अपनी रोजी-रोटी की तलाश में आते हैं। जब तक गांवों से शहरों की ओर पलायन नहीं रुकेगा तब तक यह समस्या सही मायने में हल होने वाली नहीं है। गांवों से शहरों की ओर पलायन को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि गांवों में बेसिक सुविधाएं मुहैय्या कराई जाएं, तभी हम गांवों से शहरों की ओर निरन्तर पलायन को रोक पाएंगे और जो लक्ष्य सबको आवास सुविधा देने का ओर देश के लोगों की आवास समस्या को हल करने का है वे वह कर पाएंगे और आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठा पाएंगे।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि आपने जो आवास नीति का मसौदा बनाया है वह तो बहुत अच्छा बनाया है, उसमें तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन आम आदमी, जो गरीब आदमी है, जो खेतीहर आदमी है, उसके घर का जो सपना है वह कब तक साकार हो पाएगा ? उसका घर कब तक बन पाएगा ? इस पर जब तक विचार नहीं होगा, जब तक उसका यह सपना साकार नहीं होगा, तब तक हम सही दिशा में नहीं चल पाएंगे।

सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : महोदया, मैं सभा के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों की बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मैं विपक्ष के अपने मित्रों की आलोचनात्मक लेकिन ठोस टिप्पणियों की प्रशंसा करती हूं जिन्होंने राष्ट्रीय आवास नीति पर चर्चा में हमारे साथ भाग लिया।

आरम्भ में, मैं सभा के सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त कर दूं कि इस सम्माननीय सभा के समक्ष जो राष्ट्रीय आवास नीति दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है वह राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रस्तुत किए गए विचार का परिणाम है। हमने ग्रामीण और शहरी विकास संबंधी संसदीय समिति में इस नीति पर चर्चा की है और सभी ठोस सुझावों को शामिल किया है जैसे डब्लयू॰ एच॰ ओ॰ के मानदंडों को अपनाना, संसाधनों की सहज प्राप्ति में सुधार करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा उपयुक्त रवैया अपनाना जिससे यह नीति दस्तावेज अधिक प्रभावी और सार्थक हो सकेंगे।

यह दस्तावेज हमारे लक्ष्यों का सारांश है और मार्गनिर्देशों जिनको हमने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया है। हमने आवास नीति के 14 नियमों का पता लगाया है जो कि इसमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे और जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे जो कि निम्नानुसार हैं :–

आवास मानदंड निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डब्ल्यू॰ एच॰ ओ॰ के मानदंड अपनाना।

ग्रामीण आवास : हम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश जनसंख्या के प्रति चिंतित हैं।

शहरी निर्धनों के लिए झुग्गी-झौंपड़ी, दूर-दूर बस्तियां बनाना और आवास प्रदान करना, भूमि की आपूर्ति और प्रबंध।

जल-मल निकासी, जल आपूर्ति, सड़कें, गन्दगी दूर करने संबंधी आधार-भूत सुविधाएं उपलब्ध कराना; किराया नियंत्रण अधिनियम का संशोधन करके आवास तथा किराए के आवास का संरक्षण।

आवास वित्त संस्थाओं को पुर्नवित्त की सुविधाएं प्रदान कर आवासार्थ वित्तीय सुविधाएं प्रदान करना;

ऐसी भवन सामग्री और प्रौद्योगिकी का प्रबंध करना जिससे वहन किए जा सकने वाली और उपयुक्त प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों वृद्ध लोगों और महिलाओं जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों वाले ग्रुपों के लिए विशेष कार्यक्रम।

सरकार की निजी क्षेत्र की और समाज की भूमिका आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर केंद्रित है।

कम लागत वाली वैकल्पिक भवन सामग्री पर उत्पाद शुल्क में छूट देने जैसी वित्तीय नीति।

शहरी भू सीमा अधिनियम किराया नियंत्रण अधिनिंयम में संशोधन जैसे कानूनी और विनियमनकारी ढांचा और अर्पाटमेंट ओनरशिप अधिनियम प्रख्यान; और

निर्माती केंद्रो के नाम से जाने जाने वाले भवन केन्द्रों जिनकी संख्या लगभग 160 है, के माध्यम से प्रशिक्षण

देकर मानव संसाधन विकास।

इन सभी के लिए कार्य योजना आधार है जिस पर पूरी नीति निर्भर करती है।

माननीय सदस्यगण, मैं सोचता हूं कि हमने जो कार्य शुरू किए हैं आप उन सब से संतुष्ट होंगे। मुझे यह कहते हुए वास्तव में प्रसन्नता है कि इस सभा के माननीय सदस्यों ने सभी 14 बातों के बारे में प्रश्न उठाए हैं यद्यपि मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मै। व्यक्तिगत रूप से आपके बहुमूल्य सुझावों का उत्तर दूं। मैं उन कुछ मुख्य मुद्दों पर प्रकाश डालूंगा जिन पर अनेक माननीय सदस्यों ने अपने भाषण के दौरान जोर दिया था। गंदी बस्तियों और अनधिकृत पुनर्वास तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास का उल्लेख किया गया था।

जब हम यह कहते हैं कि सरकार को एक आवास बाजार विकसित करने में सहायक का काम करना चाहिये तो हम शहरी क्षेत्रों में रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के हितों को अनदेखा नहीं कर रहे हैं। हम इस बात को पूरी तरह से मानते हैं कि बाजार की ताकतों को इस सीमा तक विनियमित करना पड़ेगा कि ये चीजें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पहुंच से बाहर न होने पायें। हम स्पष्ट रूप से यह कह चुके हैं कि हम गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों को जबरदस्ती वहां से हटा कर उन्हें दूसरी जगह नहीं ले जायेंगे या उन्हें बेघर नहीं करेंगे। हम गंदी बस्तियों का उन्हीं स्थानों में सुधार करने, और जहां कहीं भी व्यवहार्य हो, स्वामित्व अधिकार सहित उनका नवीनीकरण और प्रगतिशील आवासीय विकास को बढ़ावा देते हैं।

इसका उल्लेख राज्य सभा में भी किया गया था और उन्होंने कहा था कि लोगों को स्वामित्व अधिकार दिया जाना चाहिए और हम भी इसमें विश्वास करते हैं।

जिन ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में ऐसे परिवारों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में विकसित भूमि और आवासीय इकाइयां आबंटित की जाती हैं हमने उन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आवास का विशेष प्रावधान किया है।

माननीय सदस्यों की भांति ही हम भी ग्रामीण आवास के बारे में चिन्तित हैं।

चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश जनसंख्या या तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की है या वह गरीबी की रेखा के नीचे आती है ग्रामीण विकास मंत्रालय उन्हें वहन करने योग्य आवास उपलब्ध करवाने के लिए एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और मुक्त करवाए गए बंधुआ मजदूरों के लिए इंदिरा आवास योजना की परिधि जो छठी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित थी, को अब गैर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ग्रामीण निर्धनों के लिए भी लागू किया गया है। आरंभ में घटिया निर्माण की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। मार्च, 1994 तक इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत 1.95 करोड़ रुपए व्यय करके लगभग 16.94 लाख मकान बनाए गए हैं।

एक दूसरी नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थान और सेवाओं के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए आठवीं योजना में 350 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

ऐसा उल्लेख किया गया है कि शहरी भूमि सीमा अधिनियम लागू करने में कुछ बाधाएं आई हैं। यह

सभी कानूनी और विनियमनकारी ढांचे के अन्तर्गत आती हैं।

मैं अब जो कुछ कहने जा रहा हूं वह हम सब के लिए उन सब के लिए महत्वपूर्ण है जिनका अपना घर है! यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

हम पहले ही एक आदर्श किराया नियंत्रण अधिनियम परिचालित कर चुके हैं जिसमें भूस्वामियों और किराएदारों दोनों के हितों में संतुलन कायम किया गया है बाजार में मकानों को किराए पर देना सुविधाजनक हो गया है। निर्धारित परिस्थितियों में भू-स्वामी को फिर से कब्जा दिलाने के लिए सीमित समय या दीर्घकालिक किराएदारी से किराएदार से मकान खाली करवाने के प्रावधान भी हैं। सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त हो रहे सेना के कर्मियों और विधवाओं तथा वृद्ध लोगों जैसे कुछ कमजोर वर्गों के लिए प्रक्रिया को संक्षिप्त कर दिया गया है।

शहरी भूमि सीमा अधिनियम हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है और हम इस सभा में संशोधित अधिनियम प्रस्तुत करने की स्थिति में होंगे जो मौजूदा कुछ बाधाओं को दूर करेगा। सरकार ने एक आदर्श अर्पाटमेंट स्वामित्व अधिनियम भी बनाया है इसमें अर्पाटमेंट के मालिकों के हितों की रक्षा की प्रावधान है और जिसमें यह भी प्रावधान है कि अर्पाटमेंट के स्वामी अपने अर्पाटमेंटों के रख-रखाव और संरक्षण के लिए एसोसिएशन भी बना सकते हैं। भवननिर्माताओं और सम्पदा विकसित करने वालों के लिए एक विनियमनकारी अधिनियम भी राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है जिससे उपभोक्ताओं को बेईमान भवन निर्माताओं के अंधाधुंध शोषण से बचाया जा सके। बंधक रखने की प्रक्रिया को तेजी से समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम में संशोधन पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। पंजीकरण के समय एकल पटल प्रणाली की व्यवस्था करके प्रक्रिया को सुचारू बनाने और स्टाम्प शुल्क को युक्तिसंगत बनाने पर भी सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

मैं कहना चाहता हूं कि संसाधन हमारी मुख्य समस्या है।

मकानों के प्रावधान और ऐसी आवास योजना शुरू करने के लिए मूलभूत सुविधाओं की कमी की ओर अनेक माननीय सदस्यों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। मुझे इस सभा के समक्ष इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि आवास योजना और मूलभूत सुविधाओं में अपने संसाधनों का अधिक से अधिक निवेश हो। आवास व्यवस्था वहनीय बनाने के लिए हम सस्ती वैकल्पिक कम खर्चीली भवन सामग्री के मकानों को बढ़ावा दे रहे हैं। जरूरत-मंद लोगों को धन उपलब्ध करवाने के लिए हम भारतीय रिर्जव बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से 19 वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त की व्यवस्था कर रहे हैं। हम आवासीय वित्त संस्थाओं को कर योग्य और गैर-कर योग्य बांडो के माध्यम से बाजार से धनराशि एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन साथ ही हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न वर्ग के लोगों को ब्याज की दर पर सहायता दी जाए। नई राष्ट्रीय आवास नीति में हमने भूमि विकास में और मूल-सुविधाओं का प्रावधान में गैर सरकारी विकास कर्ताओं का सहयोग भी प्राप्त करने की योजना बनाई है और साथ ही उपभोक्ताओं को पर्याप्त संरक्षण देने का भी प्रबंध किया है। इस प्रकार से हम निजी क्षेत्र के संसाधनों से सरकारी प्रयासों में वृद्धि कर सकेंगे। हमने सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी बढ़ती हुई जमा राशियों का 1.5 प्रतिशत भाग गृह वित्त ऋण के लिए देने का निर्देश दिया है। यह एक प्रतिशत की वृद्धि है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 25,000 करोड़ रुपए

के फॉर्मल सैक्टर इन्सटीट्यूशनल फाइनेंसेज का लक्ष्य है जो पिछली योजनाओं की तुलना में काफी अधिक है। नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य फॉर्मल और इनफॉर्मल क्षेत्रों में घरेलू बचतों के लिए अधिक संसाधन जुटाने की नीति तैयार करना है। हम वार्षिक भविष्य निधि संचय और बीमा क्षेत्र के संसाधन को बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं।

मैंनें इस बात पर ध्यान दिया है कि जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए लगभग सभी ने हमारा ध्यान छोटे और बड़े शहरों की ओर आकर्षित किया है जो वास्तव में ग्रामीण से शहरी आर्थव्यवस्था में संक्रमण क्षेत्र हैं। जबकि तीन वर्षों से शहरीकरण में विशेष वृद्धि हो रही है शहरी विकास मंत्रालय के लिए यह गंभीर चिन्ता का विषय है और उसका यह प्रयास है कि महानगरों में अन्तरागमन को कम किया जाय। छोटे और मझौले शहरों के विकास की नीति से इस दिशा में प्रयास किया गया है। एस० एच० ए० एस० यू० (आवास एवं शरणगाह उन्नयन योजना), एस० यू० एम० ई० (शहरी लघु उद्यम योजना) और आई० एल० सी० एस० (समन्वित कम लागत वाली सफाई योजनाओं) के माध्यम से शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए नेहरू रोजगार येाजना को उत्कृष्ट रूप से छोटे और मझौले शहरों में लागू किया गया है।

हम सीमेंट, इस्पात और ईंट जैसे परंपरागत सामग्रियों की बढ़ती लागत के बारे में चिंतित हैं।

वैकल्पिक निर्माण सामग्री के उत्पादन के साथ-साथ उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक पदार्थों फास्फोजियम, फ्लाइस और कृषि अपशिष्ट पदार्थों पर आधारित विनिर्माण सामग्री के उत्पादन में वित्तीय प्रोत्साहन देने के स्प में हम अनेक वित्तीय रियायतें देने की व्यवस्था कर रहे है। हम स्वदेशी स्थानीय विशिष्ट संसाधनों के महत्व को समझते हैं।

जब श्री मनमोहन सिंह अपना बजट भाषण दे रहे थे, आपको याद होगा कि उन्होंने हमें अनेक रियायतों की घोषणा की थी।

150 भवन केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से वैकल्पिक और समुचित प्रौद्योगिकियों पर आधारित स्थानीय सामग्री पर अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।

भारत एक विशाल देश है और हमारे कृषि जलवायु क्षेत्र को एक विशिष्ट प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है।

मैं माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान करता हूं और मैंनें उन्हें विचारार्थ नोट कर लिया है।

[हिन्दी]

लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसी बातें और समस्याऐं हमारे सामने रखीं जो कि स्टेट से ताल्लुक रखती हैं। जैसे कि सुशीला जी ने कहा कि गाजियाबाद में घर कमजोर बने हैं तो वहां की जो गाजियाबाद डवलपमंट एथोरिटी है या उत्तर प्रदेश की सरकार है, वह उसमें डील करेगी। इस तरह से और भी बहुत सारे केस बताये गये। यहां एक साहब ने कहा था कि बदायूं में किसी को घर दे दिया था, उसके लिए आप कुछ करिए। हम यहां से दखल नहीं दे सकते हैं। हम चाहें, तो भी नहीं दे सकते हैं। अगर करते हैं, तो राज्य के काम में इन्टरफरैंस

हो जाता है। इसलिए बेहतर यह है कि वे वहां के मुख्यमंत्री को लिखें कि वहां के डी॰ एम॰ ने, जो घर था, वह किस को दे दिया। ये बातें नेशनल लैवल की नहीं होती हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझापुर) : आप माननीय सदस्य को सर्क्युलेट कर दें, फिर आगे आने वाले दिनों में सामना नहीं करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्रीमती शीला कौल : मैं रचनात्मक आलोचना के लिए श्री अमल दत्त का सम्मान करती हूं लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि नीतियों की कोई समय-सीमा नहीं होती है बल्कि यह एक सतत् प्रक्रिया होती है। राष्ट्रीय आवास नीति ऐसी ही नीति है। आवास नीति के चौदह तत्वों की एक समय सीमा है।

मैं अंत में यह कहना चाहती हूं कि अन्ततोगत्वा कार्यान्वयन से ही पता चलेगा कि वह नीति कितनी अच्छी है और मैं इसके लिए सभी संसद सदस्यों की सहायता चाहती हूं। केवल सदस्यगण ही स्थानीय स्तर पर जागरूकता पैदा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

महोदया, जैसे-जैसे समय गुजरता जाएगा और हमारे देश की जरूरियात बढ़ती जायेंगी, वैसे-वैसे वक्त-वक्त पर हम आप लोगों की सहमति के साथ नेशनल हाउसिंग पालिसी में चेंज कर सकेंगे।

ये कुछ बातें मैंने आपके सामने प्रस्तुत की हैं और मैं समझती हूं कि आप इसको मन्जूर करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं अब संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदया, मेरा प्वांइट ऑफ आर्डर है।.....**(व्यवधान)**..... सदन को आप नियम से चलाइए, ऐसा नहीं हो सकता है। .....**(व्यवधान)**.....

सभापति महोदया : आपका प्वांइट ऑफ आर्डर क्या है ?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मेरा प्वांइट ऑफ आर्डर यह है कि अब सदन के सामने पन्द्रह मिनट क्या कम हैं ? मंत्री महोदया ने पन्द्रह मिनट पहले खत्म कर दिया।.....**(व्यवधान)**.....

सभापति महोदया: कोई प्वांइट ऑफ आर्डर नहीं है।

[अनुवाद]

जल भूतल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : अब मेरे पास विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए एक विधेयक है।.....**(व्यवधान)**..... मेरा विधेयक अब शुरू होता है। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक कार्यसूची में अगली मद है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : साढ़े तीन बजे के बाद नहीं चलेगा।

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : 3.30 म० प० के बाद सभापति महोदय को अगली तारीख का निर्णय करने दीजिए। यह सोमवार को जारी रह सकता है।

सभापति महोदया : मैं इस संकल्प को अब सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :-

"कि यह सभा 9 जुलाई, 1992 को सभा पटल पर प्रस्तुत की गई राष्ट्रीय आवास नीति का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

3.19 म० प०

मोटरयान (संशोधन) विधेयक
राज्य सभा द्वारा यथापारित

सभापति महोदय : अब हम अगली मद पर विचार करेंगे - श्री जगदीश टाईटलर प्रस्ताव करेंगे कि मोटरयान अधिनियम 1988 में और इसमें संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : सभापति महोदया, मैं 11 अगस्त, 1994 को राज्य सभा द्वारा यथापारित मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश करने से पूर्व सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि विधेयक का खण्ड 51 आंशिक रूप से भारत की संचित निधि से खर्च से संबद्ध है। अत: इसे मोटे अक्षरों में अथवा तिरछे-शब्दों में दिया जाना चाहिए। भूल से ऐसा नहीं किया गया है।

महोदया, मैं इस सभा द्वारा मोटरयान (संशोधन) विधेयक 1994 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव करने से पूर्व प्रस्तावित संशोधन के बारे में आपकी अनुमति से दो शब्द कहना चाहूंगा।

केन्द्रीय अधिनियम मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का संख्यांक 59) देश में सड़क परिवहन को विनियमित करने वाले विभिन्न कानूनों को युक्तिसंगत बनाता है। यह अधिनियम मोटरयान अधिनियम 1939 (1939 का संख्यांक 4) को संशोधित करने की दृष्टि से तैयार किया गया था। मोटरयान अधिनियम 1988 के लागू होने के बाद सरकार को इसके अंतर्गत बनाए गए नए अधिनियम के उपबंधों के नियमों को कार्यान्वित करने समय होने वाली असुविधा के बारे में राज्य सरकारों, परिवहन संचालकों और जनता से अनेक अभ्यावेदन/सुझाव मिले हैं। इन अभ्यावेदनों के परिप्रेक्ष्य में समूचे अधिनियम की जांचपड़ताल और समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा एक पुनरीक्षा समिति गठित की गई थी। पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों की राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श करके जांच पड़ताल की गई। सरकार ने, मोटरयान अधिनियम 1988 में अतिरिक्त प्रावधान, जो समिति के प्रतिवेदन

को अंतिम रूप देने के काफी बाद प्राप्त हुए थे, करने के संबंध में जनता और व्यापार क्षेत्र से प्राप्त अनेक अभ्यावेदनों पर भी विचार किया।

इस सभा के समक्ष प्रस्तुत विधेयक पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों और अन्य सुझावों के परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। इस विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण उपबन्ध निम्नलिखित हैं :

(1) नए प्रकार के वाहनों की कतिपय परिभाषाओं का उपांतरण और प्रवर्धन;

(2) चालन अनुज्ञप्ति देने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण;

(3) यानों के परिवर्तन पर प्रतिबन्ध लगाना;

(4) अप्रदूषक ईंधन से चलने वाले यानों के लिए कतिपय छूटें;

(5) बेनामी धृतियों पर रोक लगाने के लिए व्यष्टियों और कम्पनियों की धृतियों की अधिकतम सीमा को हटाया गया;

(6) राज्यों को एक या अधिक राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरणों को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया;

(7) मारो और भाग जाओ जैसे मामलों में आहत व्यक्तियों को प्रतिपूर्ति की राशि में वृद्धि;

(8) सड़क दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन देने की समय सीमा को समाप्त करना।

विधि आयोग ने अपने 119वें प्रतिवेदन में मोटरयान अधिनियम के उपबंधों में संशोधन करने की सिफारिश की थी जिससे की उसमें यह उपबंध किया जा सके कि दावे के लिए प्रत्येक आवेदन उस दावा अधिकरण को किया जाना चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में दुर्घटना हुई है या उस दावा अधिकरण का जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर दावाकर्ता निवास करता है या कारोबार चलाता है या जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रतिवादी रहता है, यह दावाकर्ता की इच्छा पर छोड़ दिया जाए। विधि आयोग की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है और विधेयक का उद्देश्य विधि आयोग की इस सिफारिश के आधार पर आवश्यक संशोधन करना है।

विधेयक में सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को आयु/आय के आधार पर प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए विधेयक में एक नए पूर्व निर्धारित फार्मूले का उपबंध किया जाए। नए विधेयक में रखे गए पूर्व निर्धारित फार्मूले के मामले में दावाकर्ता को यह वकालत करने की जरूरत नहीं होगी कि मृत्यु या स्थाई विकलांगता मोटरयान के मालिक की लापरवाही/गलती से हुई है। केन्द्रीय सरकार को यह भी शक्तियां दी गई हैं कि वह समय-समय पर प्रतिपूर्ति की दर इंगित करने वाली अनुसूची को संशोधित कर सके। यह आशा की जाती है कि इससे न केवल दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को उचित प्रतिपूर्ति मिलेगी बल्कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में लम्बित मामलों में भी कमी आएगी।

यह विधेयक राज्य सभा द्वारा पहले ही 11 अगस्त, 1994 को पारित किया जा चुका है, इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मोटरयान अधिनियम 1988 में आगे और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि मोटरयान अधिनियम 1988 में आगे और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री चेतन पी. एस. चौहान (अमरोहा) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट 1994 प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट का अमेंडमेंट है, इसका मैं स्वागत करता हूं और साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि यह बिल देर से लाया गया। इस देरी की वजह से कितने ही लोग सड़कों पर मारे गए और उनका कितना ही नुकसान हुआ है, कोर्टों में जिनके मुकदमे चल रहे हैं और उनकी सुनवाई नहीं हुई है। आज सड़कों पर गाड़ियों की संख्या बेतहाशा बढ़ती जा रही है और वे बिना नियम और कानून के चल रही हैं। आज समय आ गया है कि इन पर रोकथाम की जाए और अंकुश लगाया जाए।

सभापति महोदय, आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1993 के अंदर देश में 60000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए जिसमें से दिल्ली के अंदर 1900 लोग मारे गए। हजारों केसेस ऐसे हैं, जिनका अदालतों में अभी तक फैसला नहीं हुआ है। आज गाड़ियों की समस्या और ट्रेफिक की समस्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण शहरीकरण है, लोग गांवों से शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं, क्योंकि शहरों में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। शहरों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और यातायात की सुविधाएं उपलब्ध हैं, इन सुविधाओं की वजह से लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं और शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही है। आज जो कस्बे हैं, तहसीलें हैं, जिले हैं, मेट्रोपोलिटन सिटीज हैं, इनके अंदर भीड़ बढ़ती चली जा रही है, जिसके कारण ट्रेफिक की समस्या देश में बढ़ती जा रही है। इस ट्रेफिक पर नियंत्रण रखना आज बहुत आवश्यक हो गया है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भी देश के अंदर कंजेशन और ट्रेफिक बहुत बढ़ रहा है। हर शहर में आबादी बढ़ती जा रही है, इस कारण हमको इस समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान देना होगा।

जैसा कि मैंने कहा कि एक वर्ष के अंदर 60000 लोग मारे गए हैं और 2000 करोड़ की संपति का नुकसान हुआ है। आज इस जान-माल को बचाने का समय आ गया है, इसके लिए नए नियम बनाए जाएं और नियमों के हिसाब से हम लोगों की कार्रवाई करनी होगी।

सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले जान-माल के नुक्सान के बहुत से कारण है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा कारण चालकों में प्रशिक्षण की कमी का होना है। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि नागरिकशास्त्र में एक चैप्टर ट्रेफिक सेंस का अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए, ताकि बचपन से ही लोगों को इसकी शिक्षा प्राप्त हो सके। जब तक यह काम नहीं किया जाएगा, तब तक ट्रेफिक नियमों का उल्लंघन होता रहेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री चौहानजी अब 3.30 म० प० बज गए हैं यह समय गैर-सरकारी कार्यों के लिए है। इसलिए आप बाद में अपना भाषण जारी रखेंगे।

3.30 म० प०

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति पैंतीसवां प्रतिवेदन

श्री के० प्रधानी (नवरंग पुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 17 अगस्त 1994 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय प्रश्न यह है कि :

"कि यह सभा 17 अगस्त, 1994 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.30 ½ म० प०

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कृत्यों के विस्तार के बारे में संकल्प-जारी

सभापति महोदय : अब हम श्री आर०.अन्बारासु द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आगे चर्चा करेंगे।

श्री पी० सी० चाको　　— अनुपस्थित

डा० एस० पी० यादव　　— अनुपस्थित

श्री रामविलास पासवान

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : सभापति जी, हमारे साथी अम्ब्रासूजी ने जो रिजोलुशन पेश किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बात का दु:ख है कि लगातार बार-बार इस सदन में चर्चा के बावजूद भी सरकार पिछड़े वर्ग की समस्या को गम्भीरता से नहीं ले रही है। देश जब आजाद हुआ तो उस समय देश के सामने सबसे पहला मुद्दा यह आया कि देश के शासन की बागडोर कुछ लोगों के हाथ में रहेगी या आम जनता के हाथ में जायेगी। इसीलिए और बहुत विचार-विमर्श के बाद 'एक व्यक्ति-एक वोट' का सिद्धांत रखा गया। उसमें भी एक सिर्फ आदमी-एक वोट ही नहीं, बल्कि वोट की कीमत भी बराबर रखी गई और यह माना गया कि देश में लोकतंत्र का मतलब है कि हर तबके के लोगों के लिए लोकतंत्र आयेगा और उनकी दशा में सुधार की व्यवस्था की जायेगी। मैंने बार-बार कहा है कि इस देश में एक्ट की कमी नहीं है, लेकिन एक्ट और फैक्ट में जमीन-आसमान का फर्क है। नेता की कमी नहीं है, लेकिन नीयत में कमी है। यही चीज हम

आज भी पाते हैं। हमारे पास कल पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी आये थे। उन्होंने रास्ता रोका और गिरफ्तारी भी दी, हमने भी वहां जाकर गिरफ्तरी दी। संसद में भी इस सवाल को हम बार-बार उठाते रहे हैं और प्रस्तावक महोदय ने भी ठीक कहा है कि यह जो मुद्दा है यह पार्टी पालिटिक्स का नहीं है, बल्कि इससे ऊपर उठकर इस पर विचार करना चाहिए। यदि इस पर राजनीति से उठकर इस पर विचार करना चाहिए, यदि इस पर राजनीति से उठकर विचार नहीं किया तो यह भविष्य में सही नहीं होगा। क्योंकि देश आज जिस ओर जा रहा है, अन्ततोगत्वा देश में बहुसंख्यक का राज आयेगा। जो शोषित वर्ग है, उनका ज्यादा दिन तक शोषण नहीं हो सकता। इसलिएं उनके शोषण को रोकने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी का और दूसरा रास्ता वह है जहां पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी का रास्ता खत्म हो जायेगा। कुछ लोग कहते हैं कि संसद एक डिबेटिंग सोसाइटी बन गई है। यहां पर किसी समस्या का हल नहीं होता है। हमें भी कभी-कभी महसूस होता है कि हम क्या कर रहे हैं।

मैं इस संसद में 1977 से हूं। हिन्दुस्तान ही नहीं, बल्कि विश्व में भी सबसे ज्यादा वोटों से मैं जीत कर आया था। औरं उस समय चौधरी चरण सिंह जी गृहमंत्री थे। उस समय उत्तर भारत से कांग्रेस के लोग जीतकर नहीं आये थे तो हम लोगों का एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल बेलछी गया था। चूंकि जनता पार्टी की सरकार यहां पर थी, उसके लिये हम लोगों की जिम्मेदारी थी। जो लोग उस समय मारे गये थे उनकी राख लेकर आये तथा इस संसद में हंगामा किया। जब हम उस समय की स्थिति से आज तुलना करते हैं तो उसमें कोई परिर्वतन नहीं आया है। आज भी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनको नंगा घुमाया जा रहा है, आज भी दलित लोगों की हत्यायें हो रही हैं।

सभापति महोदया, हिन्दुस्तान की 47 साल की आजादी के बाद अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रथम श्रेणी आफिसर के कोटे में 7-8 प्रतिशत से बढ़कर आरक्षण 9 या साढ़े नौ प्रतिशत हुआ है और मंडल कमिशन की रिपोर्ट के अनुसार बैकवर्ड क्लास के लोगों की संख्या 52 प्रतिशत है लेकिन सरकारी अधिकारी कोटा 4 प्रतिशत है। यहां पर दिल्ली के सदस्य बैठे हुये हैं। दिल्ली के मूल निवासी गूजर हैं और पूर्वी दिल्ली के यादव हैं लेकिन आज जो लोग दलित हैं, पिछड़ी जाति के हैं और बाहर से आये हैं, दिल्ली उनकी है। वे आज बौंडेड लेबर के रूप में दिल्ली में रह रहे हैं। विस्थापितों के लिये सरकार ने राहत दी, उसके बाद उनकों रिजर्वेशन दिया और आज वे दिल्ली में राज कर रहे हैं। जिनकी दिल्ली थी, वे आज भीख मांगते फिर रहे हैं। इनकी संख्या 70-80 प्रतिशत है।

आपको मालूम है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में आयी लेकिन रद्दी की टोकरी में पड़ी रही। जब 1989 में जनता दल की सरकार आयी तो उस रिपोर्ट को लागू करने का काम किया। उसके बाद 1990 से 1994 तक चार साल हो गये, आजतक दिल्ली में बैकवर्ड क्लास के लोगों की लिस्ट नहीं बनी है। उनका आइडैंटिफिकेशन नहीं हुआ है। अध्यक्ष जी, तीन तरह के राज्य हैं एक जहां पर बैकवर्ड क्लास की सूची बन चुकी है, दूसरे राज्य वे हैं जहां पर इन लोगों की पहचान हो गयी है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा है जहां के लिये सैंट्रल गव्रर्नमेंट का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। राजस्थान भी है जहां पर आइडैंटिफिकेशन हो चुका है। लेकिन नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर यह

आइडैंटिफिकेशन का काम नहीं हुआ है। एक साजिश चल रही है कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं और लड़ने वाले हैं, उनकी छंटनी का काम किया जाये। मेरा सरकार पर सीधा चार्ज है कि जो लिस्ट दिल्ली के लिये बनायी जा रही है, उसमें गूजरों को बाहर रखा जा रहा है। यादव, सैनी को बाहर रखा जा रहा है। उसका नतीजा यह हुआ है कि यूपीएससी की परिक्षाओं मे जो लोग बैठे थे, उनमें 12 प्रतिशत लोग क्वालिफाई हुये हैं। आप इस प्रकार के कानून बना रहे हैं कि किस तरह से उन लोगों को बाहर भगा दिया जाये या फैंक दिया जाये। आजादी की लड़ाई हुई थी जिसमें जिन लोगों ने भाग लिया था उसके अधिकांश नेता विदेश से पढ़कर आए थे और पं॰ जवाहर लाल नेहरू भी थे। वे विदेश से पढ़कर आये थे। महात्मा गांधी, डा॰ लोहिया और जय प्रकाश नारायण भी विदेश से पढ़कर आये थे। सुभाष चन्द्र बोस ने आई सी एस की डिग्री को फाड़ दिया था। जो लोग विदेश गये हैं, उन्हें पता चल जाता है कि गुलामी क्या होती है और आजादी क्या होती है। इसी तरीके से बैकवर्ड क्लास और शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों में से जो पढ़-लिख गये, कुछ आगे बढ़ गये, उन्हें अंतर मालूम पड़ता है कि कैसे हमें गुलाम बनाकर हजारों साल तक रखा गया। वही लड़ने की कोशिश करता है तो आप उसे क्रीमी लेयर के नाम पर छांट रहे हैं। जिसे आप बैकवर्ड में रखना चाहते हैं न तो वह लड़ाई कर सकता है और न उसे कोई जानकारी है। नतीजा यह है कि जो मुट्ठीभर लोग इस देश में राज करते आये हैं, वे ही आगे भी राज करते रहें, ऐसी साजिश हो रही है।

हमने अपनी सरकार में और नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके तहत हमने चार चीजें कही थी, हमारी वैल्फेयर मिनिस्ट्री थी, आज सीता राम केसरी जी इसी मंत्रालय में मंत्री हैं, आज उनकी तबीयत खराब है शायद इसीलिये नहीं आ पाये हैं। हमने अधिसूचना में कहा था कि 27 परसेंट पिछड़े लोगों को, अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा रिजर्वेशन दे दो। दूसरी बात हमने कही थी कि क्रीमी लेयर का मापदंड कम से कम 10 साल तक मत रखो, गरीब-अमीर सबको मिलाकर जो भी क्वालिफाई करे, उसे ले लो क्योंकि यदि क्रीमी लेयर का प्रावधान रखा जायेगा तो कितने लड़के निकल पायेंगे, अभी भी केवल 12 परसेंट ही निकले हैं। जब तक पूरा 27 परसेंट का कोटा पूरा न हो जाये, उस समय तक क्रीमी लेयर नहीं लगाना चाहिए, उसके बाद भले ही लगा देना। तीसरी बात हमने कही थी कि जो लड़का जनरल लिस्ट में या मैरिट लिस्ट में आ जाये, उसको रिजर्वेशन में न रखा जाये। चौथी बात हमने कही थी कि यह हमारा फर्स्ट फेज है और मंडल कमीशन के तहत आरक्षण ही सब कुछ नहीं है जमीन पर आज किसका कब्जा है, कारखानों पर किसका कब्जा है, लाईसेंस, कोटा और परमिट पर किसका कब्जा है ? अभी यहां हाउसिंग पोलिसी पर चर्चा हो रही थी। क्या कोई मुझे यहां दिल्ली में एक भी आदमी ऐसा बता सकता है जो आदिवासी हो और जिसने अपने पैसे के बल पर यहां दो-तीन मालाओं का घर बनाया हो। दिल्ली की बात छोड़ दीजिये, हमारे यहां रांची, बोकारो, जमशेदपुर आदि में कोई बता दे।

हमारे साथी भूरिया जी मध्य प्रदेश के अदिवासी इलाके से आते हैं, वे जानते हैं कि उनके यहां आदिवासियों की कैसे जमीन ले ली गयी हैं। उनकी जमीनें लेकर उसके स्थान पर आज वहीं मल्टीस्टोरी बिल्डिग बन गयी है। किसी आदिवासी का कोई घर आज तक नहीं बना। आज यदि वह कुछ मांगता है तो आपको गुस्सा आता है। आप ही बताइये अब उनके पास चारा क्या बचा है।

हमारे साथी राजेश पायलट वोडो समस्या को डील कर रहे हैं, हम भी करते थे लेकिन उनकी प्रौब्लम क्या है, जब तक हम उसे नहीं समझेंगे और मैंने यहां बार-बार कहा है कि हम मच्छर को तो मारना चाहते हैं लेकिन गंदे नाले की सफाई करना नहीं चाहते। जब तक गंदे नाले की सफाई नहीं करेंगे, मच्छरों को कभी समाप्त नहीं कर सकते भले ही आप कितनी डी डी टी का छिड़काव कर लें, मच्छर मरने वाले नहीं हैं।

आज जो रिजोल्यूशन हमारे सामने है, मैं समझता हूं कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। यदि नीयत साफ रहती तो 5 घंटे की बात थी, दिल्ली प्रशासन के लोग बैठते, वैल्फेयर मिनिस्ट्री के लोग बैठते और दो घंटे में ही सारी लिस्ट साफ कर दी गयी होती क्योंकि हमने किसी विदेशी को नहीं चुनना है बल्कि इसी दिल्ली में जो कुछ कास्ट हैं, आदमीं हैं, उनमें से चुनाव करना है, जिनके बारे में मंडल कमीशन ने आपको रिकमेंड कर दिया है कि अमुक जातियां मंडल कमीशन के तहत आनी चाहिये और इनका सोश्यली एजूकेशनली विकास करना है। हमारे यहां आर जी आई या रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, उनके पास सारा खाका है। गूजर और पासवान आदि क्रिमीनल क़ास्ट मानी जाती थीं, जैसे ही किसी के यहां बच्चा पैदा होता था, थाने में उसका बुलावा आ जाता था कि यहां आकर हाजिरी देने का काम करो लेकिन आज उनकी आईडैंटिफिकेशन में भी देरी हो रही है, आईडैंटीफिकेशन तक नहीं हो रहा है तो क्या माना जाये। यह बैकवर्ड कमीशन का मामला है, यह कमीशन क्या है, इस कमीशन को आपने क्या पावर दी हुई हैं, मैं उनके बारे में देख रहा था, लिखा हुआ है कि–

[अनुवाद]

"आयोग किसी भी वर्ग के नागरिकों को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करने संबंधी अनुरोधों की जांच करेगा और ऐसी सूचियों में किसी भी पिछड़े वर्ग की अति समाविष्टि संबंधी शिकायतों की सुनवाई करेगा और केन्द्र सरकार को परामर्श, जो भी उचित समझे देगा।"

[हिन्दी]

इसका मतलब है कि उसे कोई पावर्स ही नहीं है। उसकी पावर्स इतनी ही है कि वह जाति के नामों का इंक्लूजन करे और एक्सक्लूजन करे यानी नामों को शमिल करे और नामों को निकाले। जब इसे इतना ही काम सौंपा गया है तो फिर इसका नाम बैकवर्ड कमीशन क्यों रखा गया, इसका नाम जाति में तो इंक्लूजन-एक्सक्लूजन कमेटी रखा जाना चाहिये था।

सभापति महोदया, हमने ह्यूमन राइट्स कमीशन में शेडयूल कास्ट कमीशन के चेयरमैन को, महिला कमीशन के चेयरमैन को, महिला कमीशन के चेयरमैन को, सबको उसमें बैठने का अधिकार दिया है, लेकिन बैकवर्ड के चेयरमैन को उसमें बैठने का अधिकार नहीं है क्योंकि उसको उसका मैम्बर ही नहीं बनाया गया है। क्यों नही बनाया गया ? पिछड़ी जाति की आबादी देश में 52% है। उसके साथ इतना बड़ा अन्याय ? वह कब तक सहन करेगा ?

महोदया, पिछले दिनों जब विपक्ष ने संसद का बहिष्कार किया हुआ था, तो गृह मंत्री महोदय का स्टेटमेंट आ गया कि तमिलनाडु के मुद्दे पर मैं संविधान संशोधन लाने को तैयार हूं अगर विपक्ष के लोग हाउस में आने और सहयोग देने का आश्वासन दें। हमने रातोंरात अपने सब सहयोगियों से संपर्क किया और बैठक की। और

निर्णय लिया कि यदि सरकार संविधान लाना चाहती है, तो हम राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चा ने सदस्य वोट करने के लिए सदन में उपस्थित रहेंगे। हम कोई बहस नहीं करेंगे। सिर्फ वोट करेंगे और पास होने के बाद बाहर आ जाएंगे। हमारी यह घोषणा होते ही पता नहीं क्या हो गया कि अब वह संविधान संशोधन नहीं आ रहा है और अब बार-बार कहा जा रहा है कि इस सत्र में सम्भव नहीं होगा। क्यों राजेश पायलट जी, उसे कब ला रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : यह तो वे ही बताएंगे।

श्री रामविलास पासवान : अब यह हालत है इनकी, तो फिर क्यों बोलते हैं ?

महोदया, तमिलनाडु का मामला है जब संविधान के आधार पर मंडल कमीशन का जजमेंट आ गया, तो अक्टूबर 1993 में हाइकोर्ट में एक आदमी चला गया। नवम्बर 1993 में एक आदमी सुप्रीम कोर्ट में चला गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया जिसमें उसने कहा कि 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। वैसे यह जुडीशियरी की बात है। मुझे मालूम है जब तक बहस पर जुडीशियरी की बात है। मुझे मालूम है जब तक बहस पर जुडीशियरी के सम्बन्ध में हमारे एक साथी बोल रहे थे, तो मैंने रिकार्ड देखा है, हमारे भाटिया साहब एकदम से बीच में टोक कर बोले कि यह जुडीशियरी की बात है, हमें जुडीशियरी को बीच में नहीं लाना चाहिए। हम भी उनकी इस बात को मानते हैं, लेकिन जुडीशियरी में कौन लोग बैठते हैं ? हम और आप में से ही लोग बैठते हैं। जुडीशियरी का क्या काम था तमिलनाडु 69% के ऊपर बोलने के सम्बन्ध में और कर्नाटक में 73% आरक्षण चल रहा है, तो उसने कह दिया कि 50% से अधिक नहीं जाएगा। उसके ऊपर भी कोई आदमी कोर्ट में चला गया और उसने कहा कि इस 50% को मेंटेन कीजिए।

सभापति महोदय, बी॰ जे॰ पी॰, जनता दल, डी॰ एम॰ के॰, ए॰ डी॰ एम॰ के॰, सी॰ पी॰ एम॰, सी॰ पी॰ आई॰ आदि सभी पार्टियों के लोगों ने दिनांक 30.12.93 को एक मीटिंग की और सर्वसम्मति से सभी पार्टी के लोगों ने तय किया कि तमिलनाडु में जो 69% आरक्षण चल रहा है उसे लागू किया जाए। तमिलनाडु सरकार ने विधान सभा के सर्वसम्मत प्रस्ताव को जनवरी 1994 में राष्ट्रपति के पास वह स्वीकृति के लिए भेजा, लेकिन राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति सात महीने के बाद 19 जुलाई को मिली। इसको सात महीने तक क्यों रोके रखा गया ? यह तो एक घंटे का काम है। एक दिन का भी नहीं है, लेकिन आपने सात महीने लगाए, क्यों ? और तमिलनाडु की सरकार ए॰ आई॰ डी॰ एम॰ के॰ की सरकार है कोई हमारी सरकार नहीं है। वह तो आपके साथ की ही सरकार है। तमिलनाडु की सरकार ने पब्लिक दबाव में, जैसे ही यहां से राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और शायद फैक्स से वह मैसेज मद्रास गया, वैसे ही 19 जुलाई को नोटिफिकेशन गजट में कर दिया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लोग चले गए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे पेंडिंग कर दिया।

सभापति महोदय, यह सबसे बड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या का है। सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या की है, उसकी रिमेडी सिर्फ संविधान संशोधन में है।

उसमें कोई प्रेसीडैण्ट की असेंट नहीं है, उसकी रैमेडी कोई दूसरा गवर्नमेंट का आर्डर नहीं होगा। उसकी रैमेडी एक ही है और वह रैमेडी है संविधान संशोधन। यदि आप संविधान संशोधन नहीं करेंगे तो बार-बार सुप्रीम

कोर्ट में मामला जायेगा और सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि मैंने तो एक बार क्लैरीफाई कर दिया है। संविधान की धारा हम लोगों को बताई जाती है। संविधान की धाराएं मैंने 1-1 करके देखी हैं, जितनी भी संविधान की धाराएं हैं। आप उसको पढ़िये, सब जगह संविधान निर्माताओं ने हमेशा कोशिश की है, चाहे संविधान का अनुच्छेद 38.2 हो, चाहे 49(B) हो, चाहे 49(C) हो, चाहे 49 हो, चाहे संविधान का अनुच्छेद 16 हो, चाहे 15 हो, सब जगह पर उन्होंने कोशिश की है कि स्टेट्स को पावर दो। उसमें राज्य सरकार जितना चाहे, सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड हैं, उसके पक्ष में जितना करना चाहे, वह कानून बना सकती है। जहां आलरेडी 69 परसेण्ट आरक्षण किया हुआ है, कर्नाटक में हमारी कांग्रेस की सरकार है, वहां 73 परसेण्ट रिजर्वेशन है। वहां 73 परसेण्ट से बढ़ाकर रिजर्वेशन 80 परसेण्ट किया गया। अभी बिहार के लालू प्रसाद यादव की सरकार ने घोषणा की कि हम 80 परसेण्ट आरक्षण करेंगे तो हमारे मित्र जगन्नाथ मिश्र जी कह रहे हैं कि वोट के लिए ऐसा किया जा रहा है, इसमें राजनीति की जा रही है। हम लोग राजनीति के लिए बैठे हुए हैं कि सन्यास के लिए बैठे हुए हैं ? यदि यह राजनीति नहीं होती तो राम विलास पासवान कभी मंत्री नहीं बनता, न कभी राजेश पायलट इस देश में मंत्री बन पाता। यह राजनीति है और राजनीति कोई बुरी बात नहीं है। हम राजनीति करते हैं तो क्या बुरा करते हैं ? पब्लिक के, मैजोरिटी के इण्टरैस्ट में यदि कोई राजनीति की जाय तो उसमें कहीं हम डिफेंस में नहीं होते हैं। हम राजनीति करेंगे और हम तो यहां तक मांग करते हैं कि चलो इस देश में यही तय हो जाय, इस देश में गरीब का राज नहीं है, इस देश में बैकवर्ड क्लासेज का सही ढंग से उत्थान नहीं होता है या हम आपका हक खा रहे हैं तो जिस कास्ट की जितनी-जितनी पोपुलेशन है, उतना-उतना उसको दे दीजिए, उसके मुताबिक रिजर्वेशन दे दीजिए, वह अपने आप चलायेगा। आज तमिलनाडू चला रहा है कि नहीं चला रहा है ? मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं ?

आज बैकवर्ड क्लासेज और माइनोरिटी के लोग कहेंगे कि हमको आरक्षण दो तो कहेंगे कि आरक्षण मांगता है, यह कम्युनल हो गया। सिख कहेंगे तो कहेंगे कि कम्युनल हो गया तो सब कम्युनल हो गये और मुट्ठी भर लोग राष्ट्रभक्त हो गये। जब तक राष्ट्रभक्ति की ठेकेदारी मुट्ठी भर लोगों के हाथों में रहेगी, तब तक यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है, मजबूत नहीं हो सकता है। हम तो यह मांग करते हैं कि जिस कास्ट की जितनी पोपुलेशन है, उस कास्ट को उतना-उतना हक दे दो, हर चीज पर अधिकार दे दो।

आज जंगल में भी क्या है कि आदिवासी हैं, वह दातुन भी नहीं बेच सकते हैं। दातुन रांची से काटकर वह लायेगा और पटना में आकर वह उस दातुन को बेचने का काम करता है, उसका एक लकड़ी पर भी अधिकार नहीं रखा गया है और हम यहां भाषण दे रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि दो रास्ते हैं। एक रास्ता अहिंसा का है और दूसरा वह है, जिनको कि पार्लियामेंटरी डैमोक्रेसी में विश्वास नहीं है तो हम किस रास्ते से देश को चलाना चाहते हैं ? देश को आजाद हुए 50 साल के करीब हो गये हैं, आधा शतक होने को चला है लेकिन आधे शतक के बाद भी आज हिन्दुस्तान की मैजोरिटी क्लास भीख मांग रही है।

कल लड़के आकर सड़क पर चक्का जाम करने के लिए निकल पड़े हैं, कहते हैं कि उनको ऐज में रिलैक्सेशन करो। सरकार ने, प्रधान मंत्री ने एश्योरेंस दिया, कल्याण मंत्री ने एश्योरेंस दिया, सब ने कहा कि पांच साल के

लिए एज रिलैक्सेशन पर विचार करेंगे। हम लोग बार-बार कह रहे थे कि UPSC का एग्जामिनेशन 26 जून को होने वाला है, पार्लिटयामेंट के पिछले सैशन में यहां देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने मामला उठाया, सब पार्टी के लोगों ने उसका समर्थन किया। कांग्रेस के लोगों ने भी समर्थन किया लेकिन 26 जून बीत गया, प्रिलिमिनरी टैस्ट हो गया। आज से चार दिन पहले UNI की रिपोर्ट आई है कि वैकवर्ड क्लास के लड़के, जिनके लिए 27 परसेण्ट स्थान सुरक्षित हैं, उनमें से केवल 12 परसेण्ट लड़के क्वालीफाई कर पाये हैं तो यह मजाक क्यों किया जा रहा है ?

अभी शैड्यूल कास्ट्स का मामला है। मैं जब से, 1991 में आया हूं, तब से जब-जब हम कहते हैं तो केसरी जी कहते हैं कि हां, इस पार्लियामेंट के सैशन में हम रिजर्वेशन के लिए बिल जरूर लायेंगे। अभी तक बिल क्या है ? अभी तक बिल गवर्नमेंट के आर्डर के मुताबिक है। तमिलनाडु की सरकार से घबराहट क्यों हुई है ? क्योंकि, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कहा कि इस G. O. को एक्ट बनाओ। एक्ट के नाम पर वह चले हैं। एक्ट जब बनेगा और एक्ट का जब उल्लंघन होगा तो उसमें पनिशमेंट होगा लेकिन शैड्यूल्ड कास्ट्स का रिजर्वेशन का मामला G. O. के ऊपर चल रहा है। आज अधिकारी कहता है कि कैण्डीडैट एवेलेबल नहीं है, फिर कहेगा कि सुटेबल नहीं है, एक से बढ़कर एक तर्क दिये जाते हैं। हम लोगों ने कहा कि कानून बना दो .....**(व्यधान)**..... कैरी फारवर्ड में कुछ नहीं है। आपको मालूम है, सैण्ट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में एक लाख पोस्ट्स कैरी फारवर्ड हो रही है ?

अब भारत सरकार ने नया फार्मूला लागू किया है, वह कहती है कि कैरी-फारवर्ड नहीं है, शार्टफाल है। दो तरीके हैं, एक यह कि तीन साल का है तो कैरी फारवर्ड हो गया और तीन साल लैप्स हो गया तो शार्टफाल हो गया। उसके लिए सरकार जवाबदेह नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में कानून बना दीजिए। सैन्ट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की बात भी है। आप स्टेट गवर्नमेंट का मोनिटरिंग कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए जब तक आप कानून नहीं बनायेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। पार्लियामेंट से कानून बना हुआ नहीं है। संसद ने कानून बनाया ही नहीं है। कोई BA उम्मीदवार पास चाहिए और डबल MA मिल गया, पांच फुट चाहिए और मिल गया पांच फुट आठ इंच, इतना सब कुछ होने पर भी बहाली नहीं होती है। ऐसे में कोई क्लाज नहीं है कि उस क्लाज के तहत किसी आफिसर को पनिश किया जाए। हमने बिहार में कानून बनाया यदि कोई आफिसर जान-बूझकर रिजर्व पोस्ट को डिरिजर्व करता है, एप्वाइंटमेंट नहीं करता है, तो उसको तीन महीने की जेल की सजा होगी। हमने यहां बिल तैयार किया हुआ है, यहां पड़ा हुआ है, खाली उसको यहां पेश करना है, लेकिन अभी तक वह पेश नहीं हो पाया है।

प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि अगले पांच साल तक रिजर्वेशन चलेगा और पांच साल के बाद रिजर्वेशन नहीं चलेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में था मंडल कमीशन का और शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्युल्ड ट्राइब्स से कोई मतलब नहीं था, लेकिन मामला चलते-चलते शैड्युल्ट कास्टस और शैड्युल्ड ट्राइब्स तक पहुंच गया। नतीजा यह हुआ कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसके चार दिन के बाद प्रमोशन में रिजर्वेशन रुक गया। मैं डा॰ मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद दूंगा, सिंडिकेट का जब मामला आया और

वैलफेयर मिनिस्ट्री ने भी कुछ के काम लिया और लास्ट पार्लियामेंट के सैशन के पहले जब हम लोगों के बहुत हल्ला किया तो बात समझ में आई और आर्डर निकाला गया। आर्डर के तहत रिस्टोर कर दिया गया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन रहेगा। मैं जानना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट 16 नवम्बर, 1992 को दिया है, लेकिन पांच साल के बाद क्या होगा ? 1997 में तो ओटोमैटिक खत्म हो जाएगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसने संविधान की व्याख्या की है और उस संविधान की व्याख्या के तहत वह कहता है कि पांच साल से ज्यादा रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं होगा, इसलिए इसका इलाज सिर्फ संविधान संशोधन ही है। जिस मामले पर हब सब लोग एक मत हैं और अगर संविधान संशोधन नहीं करते हैं, तो उचित नहीं है। तमिलनाडु का मामला ही आप संसद में संविधान संशोधन कल ही ले आइए, मैं आपको अपोजीशन की तरफ से कहना चाहता हूं कि हम लोग उसको बिना किसी बहस के पास कर देंगे। हो सकता है कि हमारे कुछ साथियों को दूसरे राज्यों के ऊपर आपत्ति हो, लेकिन जिस राज्य में 16 नवम्बर से पहले जो स्थिति कायम थी, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, चाहे इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग हों। जहां सर्वसम्मित्ति है, तो आप क्यों नहीं लाते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़िए, वे अपना कानून बनायेंगे। वैस्ट बंगाल का मामला है, तो चित्त बाबू देख लेंगे कि कितना परसेंट करना है या कितना नहीं करना है। वहां पर एसेम्बली है, लेकिन राज्य सरकार का मामला भी लटकाए हुए हैं। कोई राज्य सरकार काम करना चाहती है, तो कहा जाता है कि 69 परसेंट से आप खींचकर 50 परसेंट लाइए और मोइली को कहेंगे कि 80 परसेंट से 50 परसेंट पर लाइए। इस तरह की कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन उसके नतीजे के बारे में आप ने सोचा है। तमिलनाडु सोशियल जस्टिस का पायनीर स्टेट रहा है। पैरियार कि 1927 से आरक्षण जारी है रामास्वामी नायकर के जमाने में वहां आन्दोलन चला और उसकी यह परिणिति है। कर्नाटक में आन्दोलन पिछले दिनों विदर जहां चल रहा है। हम बसेश्वर जी ज़िन्होंने वहां आठ सौ साल पहले सोशियल जस्टिस की वकालत की थी के अनुयाइयों "शरण" की मिटिंग में गए थे। कर्नाटक में आरक्षण 80 परसेंट तक पहुंची है। राज्य सरकार उसको करना चाहती है, लेकिन हम उसको करने नहीं देंगे। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, आज की पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में बुनियादी फर्क हो गया है। जो पुरानी पीढ़ी के लोग थे, उन्होंने सब तरह के जुल्म बर्दाश्त कर लिए, लेकिन जो नई पीढ़ी के लोग हैं, वे इज्जत और सम्मान की जिन्दगी जीना चाहते हैं। वे टूट सकते हैं, लेकिन झुकने को तैयार नहीं हैं।

4.00 म॰ प॰

मेरिट किसी की संपत्ति नहीं है। मंत्रिमंडल में जिस भी जाति का व्यक्ति बैठा हुआ है, क्या उसका मेरिट किसी से कम है ? हम लोग जब कहते थे कि राष्ट्रपति बनाओ तो नहीं बनाया गया। क्या उपराष्ट्रपति का मेरिट किसी से कम है ? आप साइकिल पकड़ने नहीं देंगे और कहेंगे कि तुम साइकिल चलाना जानते नहीं हो। अरे, साइकिल पकड़ने दो तो कभी वह गिरेगा, कभी उठेगा, फिर साइकिल की रेस में भाग लेगा। हमारा आपसे इतना ही कहना है कि यदि हम बैकवर्ड क्लासिस के ऊपर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं करते हैं तो नतीजा बहुत बुरा होगा कम से कम इन मुद्दों के ऊपर, जिन पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जिन पर पक्ष और विपक्ष तमाम एक साथ हैं उनको तो हम पास करने का काम करें।

4.01 म॰ प॰

(श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं)

महोदया, मैं समझता हूं कि आज जो रेजोल्यूशन लाया है उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इतना ही मामला है कि जितना एससी, एसटी कमीशन को आपने अधिकार दिया है, जितना आपने माइनोरिटी कमीशन को दिया है, जितना आपने महिला संगठन को अधिकार दिया है उतना ही बैकवर्ड क्लासिस को भी देने का काम करे, उसको पोस्ट-ऑफिस बना करके रखने का काम न करें। जितने भी उसको अधिकार हो, शिक्षण संस्थाओं से ले कर, सरकारी नौकरियां हैं उस तक के लिए देखने का काम करिए।

महोदया, सरकार की यह अब नयी पॉलिसी है। मनमोहन सिंह जी अब सदन में नहीं हैं, हमारे भाई मूर्ति साहब यहां बैठे हैं। हम बहुत ढिढोरा पीट रहे हैं लेकिन हम अपने ऐंगल से इसको देखते हैं। यह जो सरकार की नयी नीति है, नयी पॉलिसी है इसमें शैडयूल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड क्लास कहां खड़ा होता है। जब यह बुलडोजर चलेगा, प्रतिस्पर्द्धा चलेगी तो उसमें गरीब सैक्शन कहां खड़ा रहेगा। आज तो हम पार्लियामेंट में आपके बीच में आ करके मांग भी कर रहे हैं कि बैंकिंग में रिजर्वेशन क्यों नहीं पूरा हो रहा है ? शेड्यूल्ड कास्ट्स, बैकवर्ड क्लासिस के यहां कितने ऑफिसर हैं। लेकिन जब यह मामला प्राइवेट सैक्टर में चला जाएगा तो वहां कौन जा करके पूछने वाला होगा। आज सारा का सारा पब्लिक सैक्टर से मामला प्राइवेट सैक्टर में ट्रांसफर किया जा रहा है लेकिन वहां गरीब के हित का ख्याल नहीं रखा जाएगा। इसलिए हम भारत सरकार से मांग करेंगे, यह तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप आर्थिक नीति में क्या संशोधन करेंगे लेकिन आप इतना जरूर करें कि चाहे प्राइवेट सैक्टर हो या पब्लिक सैक्टर हो। प्राइवेट सैक्टर या पब्लिक सैक्टर में हर जगह दलितों एवं रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास के लिए लागू होना चाहिए, यह हमारी मांग है।

महोदय, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया उसके अनुसार रामविलास पासवान बिहार में तो शेडयूल्ड कास्ट में है लेकिन दिल्ली में आ जायेंगे तो उनको शेडयूल्ड कास्ट नहीं माना जाएगा। भूरिया जी मध्य प्रदेश में शेड्यूल्ट ट्राइब्ज हैं, लेकिन जब बिहार चले जाएंगे तो शेडयूल्ड ट्राइब्ज नहीं माने जायेंगे। मैं पूछता हूं जगह बदलने से क्या जात बदल जाती है ? आज सबसे पहले कोई आदमी कही जाता है तो उससे जात पूछी जाती है कि वह कौन सी जात का है। मैं यह भी मांग करता हूं कि एक जाति का आदमी यदि वह एससी, एसटी या बैकवर्ड क्लास का है वह हिन्दुस्तान के किसी भी कौने में जाए तो उसको एससी, एसटी और बैकवर्ड क्लास ही माना जाए और उसको हर फेसिलटी मिलनी चाहिए। इसके लिए भी संविधान संशोधन करना चाहिए।

महोदय, आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज बात-बात में लोग कोर्ट में चले जाते हैं। ऑल इंडिया मेडीकल इंस्टीट्यूट की गवर्निंग बोडी ने 50 परसैंट आरक्षण दिया। मंडल कमीशन के तहत जब आरक्षण की व्यवस्था की गई तो लोग रोज कोर्ट में जा रहे हैं और कोर्ट में हमारा आदमी तो बैठा हुआ नहीं है। आप या तो कोर्ट में भी मंडल लागू करो। वहां भी जब कोई बैठता है, जज बनता है, एससी के खिलाफ कोई भी जजमेंट दे देता है, मंडल कमीशन के तहत, वहां शेड्यूल्ड कास्ट जज नहीं कोई रखा गया। के॰ राममूर्ति एससी॰ के जज थे उनको क्यों नहीं वहां रखा गया, तो बिना उससे पूछे हुए उसके खिलाफ में तुम जजमेंट दे दोगे। या तो जजों

का गठन इस तरह से हो कि जिसमें हर जाति, हर समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व हो सके और यदि यह झलक उसमें नहीं मिलती है तो फिर एक ही तरीका है–यह पार्लियामेंट यदि वहां कोई सुप्रीम कोर्ट में, जजमेंट देता है। शेडयूल्ड कास्ट को गाली दे करके इलाहाबाद हाई-कोर्ट में जजमेंट दे दिया गया। दलितों को गाली दे करके गुजरात में जजमेंट दे दिया गया। मंडल में हमने वही देखा है। अभी एससी, एसटी की जो लिस्ट है उसमें भी हम यही देख रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार पार्लियामेंट में कांस्टीट्यूशन अमेंटमेंट बिल लाए और उसमें जितने भी एनएक्समेंट हैं, जितने भी रिजर्वेशन एनएक्टमेंट हैं, उन सारे प्रावधानों को संविधान के नौवें शेड्यूल में डाल दें।

जिससे कोई आदमी उसके खिलाफ कोर्ट में न जा सके। जब तक लोग कोर्ट में जाएंगे, तब तक एससीएसटीज को न्याय मिलने वाला नहीं है। जैसा अभी तमिलनाडु में हो रहा है। पहले कहते थे कि शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन नहीं होगा तो मंडल कमीशन से क्या लाभ होगा और जब शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन किया तो उसको रोकने का काम किया जा रहा है। हमारी पहली मांग है कि रिजर्वेशन संबंधी सारी क्लाजेज को संविधान की नौवीं सूची में लाया जाए। हमारी दूसरी मांग है कि एक संविधान संशोधन पार्लियामेंट में लाया जाए, जिसके तहत यह 50 परसेंट वाली बात को समाप्त किया जाना चाहिए, इस सीलिंग को तोड़ने का काम करना चाहिए। इस मामले को आप राज्य सरकारों पर छोड़ दीजिए। ठीक है, भारत सरकार में आप एससीएसटीज के लिए 27 परसेंट और 22.5 परसेंट रखिए, लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, शायद भूरिया जी जानते होंगे कि आज एससीएसटीज पापूलेशन देश में बढ़कर 1991 की जनगणना के अनुसार 25 परसेंट हो गई है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब आरक्षण की संख्या आवंटित समय समाप्त हो गया। किन्तु विषय महत्वपूर्ण भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। होने के कारण मैं सोचता हूं कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए 2 घन्टे और बढ़ाने के लिए सभा सहमत होगी।

कुछ माननीय सदस्य : हां।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : तो मैं जैसा कि कह रहा था कि मंडल कमीशन द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, उनको संविधान की नौवीं सूची में शामिल करिए और रिजर्वेशन के बैकलॉग को पूरा करने का काम करिए। बैकलॉग पूरा करने के लिए पार्लियामेंट में कानून बनाइए। जिन-जिन राज्यों ने एससीएसटीज और ओबीसी की सूची जारी नहीं की है, वहां पर निर्देश दीजिए। उदाहरण के तौर पर दिल्ली और हरियाणा की यही स्थिति है। दिल्ली, हरियाणा में पता नहीं गूजर, यादव को इस सूची में रखा गया है या नहीं, माननीय सदस्य बता रहे हैं कि नहीं रखा गया है, क्योंकि इनको डर है कि यदि इनको सूची में शामिल कर लिया गया तो सब जगहों पर इनका कब्जा हो जाएगा। इसलिए जानबूझकर एक षडयंत्र के तहत यह काम किया जा रहा है।

आरक्षण के मामले में 50 परसेंट की सीलिंग को समाप्त किया जाए, इस मामले को राज्य सरकारों पर छोड़ दीजिए। इसी तरह से प्राईवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की व्यवस्था कीजिए। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति

एक राज्य में एससीएसटीज की सूची में आता है तो वह चाहे हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में चला जाए, उसको वह अधिकार दिया जाना चाहिए।

एससीएसटीज कमीशन बन गया है, लेकिन इसके पदाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। इस कमीशन को जो हमने दांत दिए थे, उनका वह इस्तेमाल नहीं कर रहा है। चुंडेर, कुम्हेर आदि की बड़ी-बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन इस कमीशन ने वहां जाने का काम नहीं किया, इसमें हम सरकार को दोष नहीं देते हैं, लेकिन सरकार से मांग करते हैं कि एससीएसटीज कमीशन, महिला कमीशन, माइनारिटीज कमीशन, के समान पिछड़ा वर्ग आयोग को भी अधिकार आप कहेंगे कि कमीशन ऑफ इन्क्वारी के तहत इनको पावर मिला हुआ है, इस कमीशन को किसी जाति को जोड़ने का, उसके लिए अधिकारी को सम्मन करने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन अट्रासिटीज के सवाल पर या संवैधानिक सवाल पर अधिकार नहीं मिला है। यह अधिकार भी मुहैय्या करवाइए, ताकि यह ठीक तरह से फंक्शन कर सके। जब तक यह काम नहीं होगा, तब तक सिर्फ लीपापोती करने से समस्या का समाधान नहीं होगा।

पहले एससी के लोगों को गाली मिलती थी कि रिजर्वेशन के तहत आ गए हैं, नालायक है, हमको नालायक साबित करने की कोशिश की जाती थी, हालांकि हम लायक नहीं हैं तो किसी से ज्यादा नालायक भी नहीं हैं, यदि देश के बागडोर हमारे हाथ में होती तो हम देश को बरबाद नहीं होने देते। देश पर हम लोगों ने राज नहीं किया। इसलिए मेरा आग्रह है कि इन चीजों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और एससीएसटीज, ओबीसीज को उनका रिजर्वेशन का पूरा अधिकार दें।

भारत का प्रधान मंत्री जोकि देश का नेता भी होता है, हमें इस बात का दु:ख है कि साल में एक दिन यानि 15 अगस्त को जो दिन होता है काफी महत्वपूर्ण होता है। उस दिन उन्होंने कश्मीर के सम्बन्ध में काफी कहा, क्योंकि अमरीका के सम्बन्ध में तो कह नहीं सकते, ठीक है कश्मीर के सम्बन्ध में बोलो, लेकिन इस देश के जो 52 फीसदी पिछड़े हुए लोग हैं, 25 फीसदी दलित लोग हैं उनके बारे में एक शब्द भी अपने भाषण में नहीं कहा। बाबरी मस्जिद टूट गई और उसके लिए लालकिले और एक शब्द भी नहीं बोला। एक शब्द भ्रष्टाचार के लिए नहीं बोला। यह कहीं न कहीं गिल्टी कांशियस का द्योतक है। इस देश में 52 फीसदी आबादी पिछड़ों की है, 25 फीसदी आबादी दलितों की है और 14 फीसदी मुसलमान है, यानि कुल मिलाकर हम लोग 91 प्रतिशत हैं। आप लोग 91 प्रतिशत आबादी की उपेक्षा करके ज्यादा दिन तक सरकार नहीं चला सकते हैं। एक व्यक्ति-एक वोट के राज ने साबित कर दिया है कि आज राज्यों में बदलाव आ गया है। पहले राज्यों में एक ही जाति का मुख्यमंत्री होता था, लेकिन आज हर जाति का मुख्यमंत्री आपको मिलेगा। अब केन्द्र बचा है, पायलटजी समय रहते नहीं सुधरे तो यह ढांचा भी गिर जायेगा। इसलिए समय रहते इसमें सुधार कीजिये और दलितों, पिछड़े वर्ग के लोगों और अक्लियत के लोगों का जो अधिकार है वह उन्हें दीजिये।

इन्हीं शब्दों के साथ जो रिजोलुशन मूव किया है, मैं उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं। मैं मांग करूंगा कि आप जितनी जल्दी हो सके संविधान संशोधन लाकर समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर कीजिये और शोषित लोगों को न्याय दिलाने का काम करें।

श्री गंगा राम कोली (बयाना) : सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा पिछड़ी जातियों की स्थिति बड़ी दयनीय है। इनके विकास के लिए एक संसदीय समिति गठित करने की भी बात थी। उसका मूल उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह समस्त भारत की पिछड़ी जातियों का हर संभव विकास करे। अनुसूचित जाति और जनजाति की तरह राजकीय सेवा में पंदोन्नति आदि के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाये। पिछड़े समाज की आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक है। यहां तक कि उनके पास पहनने के लिए पर्याप्त वस्त्र भी नहीं हैं। रोजाना मजदूरी करके वे लोग अपना पालन-पोषण करते हैं। उनके लिए रहने को मकान भी नहीं हैं। हर राज्य में उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया जाये और राज्य इनकी स्थिति में सुधार के लिए आरक्षण की व्यवस्था करे।

मेरा कहने का मतलब यह है कि पिछड़ी जाति और जनजाति जो भी देश में हैं, उनके लिए आरक्षण की स्थिति ऐसी नहीं है कि उसका ये लाभ उठा सकें। इसलिये उनको आज इससे कोई राहत नहीं मिल पाती है। सिर्फ गिने-चुने लोग ही उसका लाभ उठाकर उन पर राज करते हैं। वे तो सिर्फ बंधुआ मजदूर हैं, इसमें उनका आरक्षण है। बंधुआ मजदूरी के अलावा उनका शोषण होता है, जिसकी कोई इन्तहा नहीं है। मध्य प्रदेश में स्थिति बहुत खराब है। एक महिला के पास एक ही धोती होती है, उसी को वह धोती है और सुखाकर पहन लेती है।

उनके लिये वस्त्रों की व्यवस्था नहीं है और न रोजगार है। यही हालत मकान की है। सभापति महोदया, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी खराब है। जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, वहां पर जब से बीजेपी की सरकार आयी है, वहां के मुख्यमंत्री श्री भैरों सिंह शेखावत ने पिछड़ी जातियों के लिये काफी कुछ व्यवस्था की है। आप जानते हैं कि आज देश में पिछड़ी जाति के लोगों का शोषण बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है जिससे उनकी हालत दिन व दिन खराब होती चली जा रही है। उन लोगों को सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, सब मौसम में मरना पड़ता है।

सभापति महोदया, अंत में एक सुझाव के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि पिछड़े वर्ग के लोगों के सर्वांगीण विकास और उन्नति के लिये एक संसदीय समिति का गठन किया जाये जो अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करे और फिर उसपर समय रहते कार्यवाही करें।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारासाट) : महोदया, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। यह संकल्प बहुत ही साधारण है। मोटे तौर पर कहा जाए तो इसके दो उद्देश्य हैं। इसका एक पहलू यह है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियों और कृत्यों में और विस्तार किया जाए। संकल्प प्रस्तुत करने वालों के अनुसार इस आयोग का कृत्य अन्य पिछड़े वर्गों के समग्र विकास हेतु तरीकों एवं साधनों के बारे में सरकार से सिफारिश करना है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि सरकार को इस तरह की सिफारिशों पर आवधिक रूप से विचार करना चाहिए। इस संकल्प का दूसरा उद्देश्य यह है कि आयोग के कार्यनिष्पादन और साथ ही अन्य पिछड़े वर्गों के विकास के लिए केन्द्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए एक संसदीय समिति होनी चाहिए। ये दो उद्देश्य एकदम स्पष्ट हैं। मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति जो अन्य पिछड़े वर्गों का सम्पूर्ण विकास चाहता है वह इस साधारण,

स्पष्ट, विशिष्ट, सिफारिशों का विरोध करने का कोई कारण ढूंढ सकता है। जहां तक संसद का संबंध है, संसद को स्वाभाविक रूप से अन्य पिछड़े वर्गों के विकास की परियोजनाओं की प्रगति व कार्यान्वयन की निगरानी करने का अधिकार है।

आयोग की शक्तियों के विस्तार की यह मांग क्यों ठीक है। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 1993 के खण्ड 9 को उद्धृत करना चाहता हूं :

9(1) आयोग किसी भी वर्ग के नागरिकों को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करने संबंधी अनुरोधों की जांच करेगा और ऐसी सूचियों में किसी भी पिछड़े वर्ग की अति-समाविष्टि (ओवर इनक्लयूशन) संबंधी शिकायतों की सुनवाई करेगा और केन्द्र सरकार को परामर्श, जो भी उचित समझे देगा।"

इसका अर्थ है कि आयोग, जैसा भी यह उचित समझे, पिछड़े वर्गों को अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में शामिल कर सकता है और उन्हें सूची से बाहर भी निकाल सकता है। आयोग यह निर्णय करता है कि कोई समुदाय विशेष को सूची में शामिल करने के योग्य है तो तद्नुसार यह सुझाव दे सकता है। इसी तरह यदि आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी समुदाय विशेष को शामिल करना अनुचित है तो सरकार से उस समुदाय को सूची से बाहर निकालने की परामर्श देने की शक्ति आयोग के पास है। आयोग पिछड़े वर्गों की सूची में किसी समुदाय को "शामिल करने" और सूची से बाहर करने के संबंध में निर्णय कर सकता है।

आयोग का यह कार्य है कि यदि वह उचित समझे, तो किसी जाति अथवा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता देने अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची से किसी समुदाय को निकालने की अनुमति दे सकता है।

अत: इसका यह उद्देश्य हमारे देश के सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए समुदायों का पूर्ण विकास नहीं है जैसा कि उनका कहना है यह वर्ग हमारी जनसंख्या का 52 प्रतिशत हैं। अत: इस मामले में नये सिरे से विचार करना अत्यन्त सराहनीय होगा।

महोदया, इस संबंध में मंडल आयोग की भूमिका बहुत ही सही ठहरती है। हम, अपनी पार्टी की ओर से मंडल आयोग की रिपोर्ट के शीघ्र और पूर्ण कार्यान्वयन के लिये वचनवद्ध हैं। मैं पूर्ण और शीघ्र शब्दों पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि दलितों, शिक्षा की दृष्टि से उपेक्षित और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के संघर्ष के इतिहास में एक युगान्तरकारी घटना है। सामाजिक न्याय की अवधारणा को लागू करने के लिये यह एक बहुत ही सक्षम अस्त्र है। यह सर्व सहमत भेदभाव की धारणा का भी द्योतक है। हमने जानबूझकर कमजोर लोगों और उपेक्षित लोगों के तथा उन लोगों जो युगों से विशेषाधिकारों का लाभ भोगते आ रहे हैं, के बीच यह भेदभाव किया है। कोई यह महसूस कर सकता है कि यह भेदभाव है। जी हां, यह भेदभाव है। सबने माना है कि यह भेदभाव है। यह भेदभाव जानबूझकर किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दलित और उपेक्षित लोगों को तथा उन लोगों को जो पिछड़े हुए हैं, आगे लाया जाए ताकि उन्हें समाज के अन्य विकसित वर्गों के बराबर लाया जा सके। मंडल आयोग इसलिये बना है।

महोदया, वस्तुत: मंडल आयोग सर्व सहमत भेदभाव की इस धारण का सही द्योतक है। जैसा कि मैंने कहा है हम मंडल आयोग की सिफारिशों का शीघ्र और पूरी तरह से कार्यान्वयन चाहते हैं।

मंडल आयोग क्या कहता है। इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं। मंडल आयोग की सिफारिशों के तीन पहलू हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस सभा में और सभा के बाहर हमारे कुछ मित्र और सहयोगी मंडल आयोग की सिफारिशों के केवल आरक्षण भाग को ही उजागर करते हैं मानो मंडल आयोग ने और कुछ न करके केवल आरक्षण की आवश्यकता और अविलम्बनीयता को ही बताया हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि मंडल आयोग की रिपोर्ट के व्यापक तौर पर तीन अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक तो आरक्षण है, दूसरा शिक्षा संबंधी रियायतें हैं और अंत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक पुनर्गठन अथवा जिसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, करना है।

यदि आप मुझे आज्ञा दें, तो मैं इन पहलुओं के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। जहां तक आरक्षण भाग का संबंध है, अन्य पिछड़े वर्गों आदि को 27 प्रतिशत आरक्षण शिक्षा संबंधी रियायतें के मामले में प्रौढ़ शिक्षा के लिये गहन समयवद्ध कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिये और विशेष विद्यालय चलाये जाने चाहिये जिनमें नि:शुल्क खान-पान और आवास की सुविधा हो और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों द्वारा लघु उद्योगों की स्थापना किए जाने के लिये, उन्हें वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये। जहां तक संरचनागत परिवर्तनों का संबंध है, आमूल चूकि सुधार तथा वर्तमान उत्पाद प्रणाली विशेषकर कृषि में परिवर्तन किया जाना चाहिये।

भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों को लागू करने के कारण उपलब्ध होने वाली अतिरिक्त भूमि का कुछ भाग अन्य पिछड़े वर्गों को दिया जाना चाहिये। महोदया, जहां तक आरक्षण का संबंध है, यह कुछ हद तक लागू किया गया है, पूर्ण रूप से नहीं। अत: मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि मंडल आयोग ने सिफारिश की है, आरक्षण को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिये। मैं आरक्षण के महत्व को कम नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि कुछ लोगों को इससे ईर्ष्या होगी। इसलिये मैं तो सदैव यही कहता रहा हूं कि यह सर्व सहमत भेदभाव है, अर्थात् यह भेदभाव कर रहे हैं और जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि जो लोग पिछड़े हुए हैं, वे भी आगे आ सकें। यह बात भी इसमें कही गई है। लेकिन शिकायतें भी मिली हैं कि इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। सरकार को यह बात स्पष्ट करनी चाहिये कि सरकार ने जो निर्णय लिया है उसे पूरी तरह से और शीघ्रता से लागू क्यों नहीं किया जा रहा। मैं श्री राम विलास पासवान और अन्य सदस्यों की बात का समर्थन करता हूं कि इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। इसमें कई खामियां हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिये ताकि लोगों की उचित शिकायतों का निवारण हो सके।

जहां तक शिक्षा संबंधी रियायतों का संबंध है, अभी उन्होंने आंकड़े दिए हैं। हम यह चाहते हैं कि अन्य पिछड़े वर्ग अथवा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय से आई० ए० एस० अधिकारी चुने जाएं। यह सामाजिक प्रतिष्ठा की बात है। ऐसा नहीं है कि अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित एक विशेष युवा व्यक्ति कुछ वित्तीय लाभ ही प्राप्त करे बल्कि अन्य पिछड़े वर्ग अथवा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्ति की अपनी पहचान हो कि वह देश की सरकार का अंग बने। स्वभावत: इन समुदायों से संबंध रखने वाले लोगों

का उसमें अधिक विश्वास होगा और वे उसको प्रशासन में अपने ही आदमी के रूप में देखेंगे। अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाला पुलिस अधिकारी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लोगों में अधिक विश्वास पैदा कर सकता है और प्रशासन में यदि उन्हीं में से कोई होगा तो उनके हित सुरक्षित रहेंगे। यह एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रश्न है। सभा को यह समझना चाहिये कि यह अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी सदस्य के आय के बहुत बड़े साधन प्राप्त करने की ही बात नहीं है बल्कि यह सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न है, केवल व्यक्ति मात्र की ही नहीं बल्कि समूचे समाज की जिससे वह संबंध रखता है। यह एक मनोवैज्ञानिक बात है और जब तक हम इस मनोवैज्ञानिक बात को नहीं समझते, हम समाज को और उन सामाजिक वास्तविकताओं को नहीं बदल सकेंगे जोकि वर्तमान में विद्यमान हैं।

अभी यह कहा गया कि अन्य पिछड़े वर्ग के लोग 27 प्रतिक्षण आरक्षण के पात्र हैं। लेकिन सफल उम्मीदवारों को प्रतिशत 12.5 प्रतिशत से अधिक नहीं था। ऐसा इसलिये था क्योंकि उन्होंने उचित योग्यता प्राप्त नहीं की थी और इसलिये वे उत्तीर्ण नहीं हो सके। उनके लिये ऐसी कौनसी व्यवस्था की जा रही है जिससे उनकी योग्यता का स्तर बढ़ सके ? विशेष रियायतें दी जानी चाहिये। विशेष छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिये ताकि वे अन्य लोगों से न सही अपने लोगों से ही प्रतियोगिता कर सकें। उनकी उचित तरीके से सहायता की जानी चाहिये ताकि वे योग्यता और निपुणता हांसिल कर सकें।

इस संबंध में कोई निगम भी बनाया गया है। इसे तीन-चार वर्ष पहले बनाया गया था। मुझे आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिये कठित अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की तिथि याद नहीं है। अभी तक केवल 34 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। यह राशि अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आर्थिक सहायता के रूप में स्वीकृत की गई थी।

अन्वारासु जी, मैं बड़े दु:ख के साथ कह रहा हूं। आंकडे स्वयं बता रहे हैं। चार-पांच वर्षों से भी अधिक समय से इस देश की 90 करोड़ जनसंख्या में से 52 प्रतिशत लोगों के लिये केवल 34 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं। यदि यह राशि 35 अथवा 40 करोड़ रुपये भी हो, तो क्या इतनी राशि पर्याप्त है ? क्या हमारे देश में आर्थिक रूप से क्या सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों को, जोकि जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग है, ऊपर उठाने का यही तरीका है ? अत: सरकार को किसी अन्य तरीके से इस पर विचार करना चाहिये ताकि इन लोगों की सही शिकायतों का निवारण किया जा सके।

महोदय, अंत में मैं आरक्षण की इस 50 प्रतिशत सीमा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह एक न्यायिक निर्णय है, अत: मेरा जैसा जिम्मेवार व्यक्ति यहां इसको चुनौती दे सकता है लेकिन मैं नहीं दूंगा। लेकिन मुझे न्यायाधीशों की राय को उद्‌धृत करना है। इसी खंड पीठ के अन्य न्यायाधीशों ने 50 प्रतिशत सीमा के बारे में जो कुछ कहा है मैं उसके उद्धरण रख रहा हूं। यदि मैं स्वयं ऐसा कहता हू, तब निश्चित तौर पर कुछ माननीय सदस्य कहेंगे, "चित्त बसु, तुम न्यायिक निर्णय को किस लिये चुनौती दे रहे हो। "लेकिन एक ही खंडपीठ के न्यायधीश द्वन्द्वात्मक निर्णय दे सकते हैं। महोदया, मंडल मामले के बारे में न्यायधीश बी पी जीवन ने मुख्य न्यायाधीश कानिया, न्यायाधीश वेंकट चल्लैया तथा न्यायाधीश अहमदी की ओर से तथा अपनी ओर से बोलते हुए कहा था।

"अनुच्छेद 16 के खंड 4 में उल्लिखित आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। हालांकि 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि 50 प्रतिशत का ही नियम होगा, लेकिन यह आवश्यक होगा कि देश और लोगों की विविधता के कारण कतिपय असाधारण परिस्थितियों की अनदेखी न हो।"

हालांकि उन्होंने 50 प्रतिशत सीमा का नियम बनाया लेकिन साथ ही उन्होंने असाधारण परिस्थितियों में विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता को भी महसूस किया। उनका यह विचार था कि किन्हीं असाधारण परिस्थितियों में, "इस नियम में कुछ छूट की भी आवश्यकता हो सकती है।" न्यायाधीश रतनेवलपैडियन का मत था: "आरक्षण के प्रतिशत 50 प्रतिशत तक की अधिकतम सीमा तक निर्धारित करने वाले निर्णय असहनीय हैं।" 50 प्रतिशत की सीमा को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश पी॰ वी॰ सावन्त का सुझाव था कि "असाधारण परिस्थितियों में इस आरक्षण में वृद्धि हो सकती है।" इस प्रकार, अन्य मत भी दिये गये हैं। मैं भी इन विचारों से सहमत हूं। प्रत्येक राज्य में सामाजिक वास्तविकताएं भिन्न होती हैं। इसके लिये ऐतिहासिक कारण भी हैं। हम पश्चिम बंगाल के समाज की तमिलनाडु के समाज से तुलना नहीं कर सकते, और न ही हम तमिलनाडु के समाज की हरियाणा के समाज से तुलना कर सकते हैं। यह सामाजिक सन्तुष्टि ऐतिहासिक कारणों से विकसित होती है। यह विविधता ऐतिहासिक और सामाजिक विकास से उत्पन्न होती हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विकास में भी विविधता है और इसके लिये विधायकों को आरक्षण के प्रतिशत की सीमा निर्धारित करते समय, सामाजिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिये, न कि केवल इसलिये कि दिल्ली से कतिपय निर्णय सुनाये गये हैं।

अत: मैं सरकार से अपील करता हूं कि कोई तरीका निकाला जाना चाहिये; मैं मात्र यह नहीं कह सकता कि ऐसा तंत्र होना चाहिये। जहां तक तमिलनाडु और कर्नाटक का संबंध है, यह एक अलग मामला है कि ये आरक्षण कई वर्षों से जारी है।

लेकिन इसका सहारा लेते हुए यदि कोई मुख्य मंत्री यह कहता है कि अब एक राज्य के लिये 100 प्रतिशत आरक्षण है और दूसरे राज्य के लिये 95 प्रतिशत आरक्षण है तब मैं यह कहूंगा कि बहुत ही अधिक लचीलापन की बात होगी।

तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण लागू है और यदि मैं गलती पर नहीं हूं, विगत बीस वर्षों से ऐसा हो रहा है। कर्नाटक में 73 प्रतिशत आरक्षण विगत कई दशकों से लागू है। स्वाभावत: उन्होंने कुछ अधिकार प्राप्त किये थे। अत: उनके अधिकारों को इस तरह वापस लिया जा सकता। यदि आप उन्हें छीनने की कोशिश करते हैं, स्वाभाविक है कि उसका विरोध होगा। अत: 50 प्रतिशत की सीमा को जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक तौर पर घोषणा की है, इन सभी राज्यों में कथनी करनी में जबरदस्ती लागू नहीं किया जाना चाहिये। कम से कम मौजूदा अधिकारों की सुरक्षा की जानी चाहिये। वर्तमान अधिकारों की रक्षा करने के लिये एक संवैधानिक संशोधन अनिवार्य है। तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि इन्हें नवीं अनुसूची में शामिल किया जाये। मुझे बहुत ही वरिष्ठ संविधान विशेषज्ञों ने बताया है कि इन्हें साधारणतया नवीं अनुसूची में शामिल करने से अधिनियम की पूर्णरूप से रक्षा नहीं हो सकेगी। अत: विधि मंत्री को अनेक बातों को ध्यान में रखना चाहिये।

मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि कोई रास्ता निकालने के लिये, सबसे पहले मौजूदा अधिकारों की रक्षा के लिये और दूसरे राज्यों में आरक्षण का प्रतिशत निश्चित करने के लिये संबंधित राजय सरकारों को कहां तक अधिकार दिये जाने चाहिये, इसका निश्चय करने के लिये जल्द ही एक सर्वदलीय बैठक बुलायी जानी चाहिये। राज्यों में परामर्श किया जाना चाहिये; राज्यों को अपने अधिकार होने चाहिये। राज्यों को अपनी स्थिति को स्पष्ट करने, विशेषकर उन मामलों के संबंध में जो समाज और निचले स्तर की वास्तविकताओं से संबंधित हों, के बारे में अपना स्पष्टीकरण देने के अवसर से मना ही नहीं की जानी चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं इस संकल्प को प्रस्तुत करने के लिये माननीय सदस्य को भी धन्यवाद देता हूं। मैं आशा करता हूं कि इस संकल्प के समर्थन में आम-सहमति बन जाएगी।

[हिन्दी]

डा॰ एस॰ पी॰ यादव (सम्भल) : माननीय सभापति महोदया, हमारे कांग्रेस के साथी, श्री ई॰ एन्ब्रासु, ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं उस संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह संकल्प पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग की कार्य प्रणाली के विस्तार के संदर्भ में है। इस संकल्प में आयोग की कार्य प्रणाली को जो राइट्स हैं, जो उसके फंक्शन्स हैं, उसके विस्तार के विषय में बात होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि इनके पीछे कुछ अन्य भाव भी छिपे हुए हैं। हिन्दुस्तान की आजादी के 43 सालों के बाद भी देश के 52 परसेंट लोगों को उनके हक से वंचित रखा गया और उनकी जो संवैधानिक हक था कि उनको 27 परसेंट रिजर्वेशन दिया जाए, उस पर भी कोई विचार नहीं किया गया।

सन् 77 में पहली बार जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय मंडल कमीशन के रूप में एक आयोग बिठाया गया और उस आयोग ने पूरे हिन्दुस्तान की सामाजिक, भौगोलिक, राजनैतिक, आर्थिक, जो भी चीजें थी उन सब का विस्तृत अध्ययन करने के बाद एक डिटेल रिपोर्ट इस हाउस में प्रस्तुत की। जो रिपोर्ट सन् 80 में सबमिट हो गई थी लेकिन 80 से लेकर 90 तक कोल्ड स्टोर में रखी गई उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। सन् 90 में जब जनता दल की सरकार बनी थी उस समय माननीय वी॰ पी॰ सिंह ने एक ऐसा कड़वा-घूंट पिया था, एक ऐसा सांप पिटारे में से निकाल कर बाहर लाए थे कि उसे पिटारे में दोबारा से भेजने में कोई सक्षम नहीं था और मंडल कमीशन की रिपोर्ट 7 अगस्त, 90 से लागू की थी जिसके कारण सरकार को भी कुर्बानी देनी पड़ी। एक व्यक्ति ने यह साहस किया कि हम देश के उन 52 फीसदी पिछड़े लोगों के लिए उनका हक देने का काम करें उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो। उसके राजनीतिक परिणाम चाहे पक्ष या विपक्ष में हो, इसकी चिन्ता नहीं थी लेकिन उस काम को करने का प्रयास किया।

महोदया, दिल्ली में बहुत से भूकम्प आए, देश में कौन-कौन में बहुत सी हलचलें हुई लेकिन हमें खुशी है कि जो कानून, नियम उन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए माननीय वी॰ पी॰ सिंह ने दिया था उसे आज सभी राजनीतिक दल, सभी स्टेट्स, सभी राज्य क्रमशः अपने हिसाब से अपनाने का काम कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं।

महोदया, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भाई रामविलास पासवान भी अभी कह रहे थे कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री लालू सिंह यादव ने 80 परसैंट आरक्षण देने की घोषणा की है, इसको मैंने भी अखबार में पढ़ा था और बिहार के भू॰ पू॰ मुख्य मंत्री श्री जगन्नाथ मिश्रा ने उसका विरोध किया है और उसको पोलिटीकल बताया है। मैं यह बताना चाहता हूं **"कि संविधान की धारा 164 में बिहार के लिये स्पष्ट लिखा हुआ है, संविधान के निर्माताओं ने स्पष्ट कहा है बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का भारसाधक एक मंत्री होगा।"** उन्होंने जब संविधान बनाया, उसी समय इस बात के लिए संविधान में मेंशन किया कि उनके लिए अलग से एक मंत्री बनाया जाये और तीन राज्यों को स्पेशली इसमें इनक्लुड किया गया, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के लिए, क्यों किया गया, क्योंकि वहां पर पिछड़े वर्ग और एसपी, एसटी की आबादी अधिक है जिसके कारण संविधान की धारा 164 के अंतर्गत इस चीज का प्रोविजन किया गया लेकिन इस धारा और संविधान के संदर्भ में सरकार ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। आज डा॰ अम्बारासु ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसके संदर्भ में हम लोगों को बोलने का मौका मिला है। मैं बताना चाहता हूं कि उड़ीसा में 38 परसैंट एससी, एसटी के लोग हैं, 52 परसैंट ओबीसी हैं। बिहार में 22.5 परसैंट एससी, एसटी हैं और 52 परसैंट बीसी हैं। इतने परसैंटेज लिए हुए इन वर्गों के लोग उन प्रदेशों में निवास करते हैं और उनके संदर्भ में, उनके बारे में कोई गौर न किया जाए तथा इतने लम्बे समय तक इन लोगों की उपेक्षा की गई। लेकिन आज सभी लोग जागरूक हो गए हैं, अपने अधिकारों के संदर्भ में वे और सजग हो गए हैं। अब यहां पार्लियामेंट के अंदर भी उनके सदस्य पहुंच गए हैं और वे अपनी बात को रखने का तरीका भी जानते हैं। सभी तरीके से हरेक कानून से अवगत भी हैं। जो कमीशन बना है मैं यह समझता हूं कि कमीशन का फंक्शन हम लोगों के लिए कोई विशेष रूप से दिखाई नहीं दे रहा है कि कमीशन क्या कर रहा है। अखबारों में पढ़ा है कि उसके लिए सरकार से कुछ धन भी समय-समय पर आबंटित हुआ है लेकिन कमीशन के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।

सबसे पहले मैं समझता हूं कि कमीशन के चेअरमैन, सचिव और सदस्यों का बहुत बड़ा दायित्व है कि वे सारी चीजों का अध्ययन करें और देखें कि पूरे देश के अंदर ओबीसीज की क्या पोजीशन है। 52 परसेंट संख्या बताई जाती है, लेकिन कमीशन को देखना चाहिए कि इनकी संख्या में कितनी वृद्धि हुई है और उस वृद्धि के हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जैसा कि अभी पासवान जी बता रहे थे कि एससीएसटीज की संख्या 22 परसेंट से बढ़कर 25 परसेंट हो गई है, इसी तरह से ओबीसीज की संख्या भी अवश्य बढ़ी होगी।

इसी तरह से इस कमीशन को यह भी देखना होगा कि कौनसी पिछड़ी जातियां सूची में शामिल होने से रह गई हैं। उत्तर प्रदेश की एक जाति खड़गवंशी के बारे में मैं जानता हूं, जो कि अत्यंत पिछड़ी हुई जाति है, ये लोग कल्चर की दृष्टि से, शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं, लेकिन सूची में इनको शामिल नहीं किया गया है। सूची में खागर जाति को शामिल किया गया है, जबकि खड़ग, खागर, खड़गवंशी, खागी, यह सब एक ही जाति के नाम हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों ने बाद में जाति का नाम बदल खागर की जगह खागी लिया हो। अब स्थिति यह है कि तहसीलदार या एसडीएम आदि खागी को ओबीसी का प्रमाणपत्र नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनकी जाति का नाम सूची में खागर है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसी तरह से अन्य

जो भी जातियां सूची में शामिल होने से रह गई हैं, उनका पता लगाकर उनको सूची में सम्मिलित किया जाए, यह इस आयोग का कर्त्तव्य है।

सभापति महोदय, नौकरियां पाने से ही ओबीसीज का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सी बाधाएं हैं, व्यवधान है। मैं शिक्षा से संबंधित हूं, इसलिए जानता हूं कि स्कूलों और कालेजों में कितना पक्षपात होता है। हैड आफॅ दी डिपार्टमेंट का बेटा, रिश्तेदार या जानने वाला ही टॉप कर सकता है, फर्स्ट क्लास आ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। उस विद्यार्थी को 50 में से 48/49 नंबर दे दिए जाएंगे और दूसरे योग्य विद्यार्थी को 10-20 अंक दे दिए जाएंगे। यह आमतौर पर हो रहा है, शायद इन चीजों की सरकार को जानकारी न हो, लेकिन हम जानते हैं कि इस तरह का पक्षपात हो रहा है। इसी तरह का एक मामला जीरो-ऑवर में भी उठाया गया था कि यूपीएससी की परीक्षाओं में केवल 12 फीसदी पिछड़ी जाति के लोगों को ही क्वालीफाई किया गया है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि इन विद्यार्थियों को न आने दिया जाए और पद खाली पड़े रहे। क्योंकि एससीएसटीज का अनुभव हमारे सामने है। 22 परसेंट एस सी का रिंजर्वेशन है, लेकिन 8 परसेंट पद ही भरे जा सके हैं। जब परीक्षाओं में इस प्रकार की धांधली चल रही है, पक्षपात हो रहा है तो पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय किस प्रकार से मिल सकता है, क्योंकि कापियां जांचने वाले तो हमारे जैसे ही लोग हैं।

इस पर भी आयोग को नजर रखनी पड़ेगी। उसको देखना पड़ेगा कि उनमें कोई पक्षपात तो नहीं हुआ। विश्वविद्यालयों में रीवेल्यूएशन की पद्धति होती है। अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि मुझे इस परीक्षा में इस प्रश्न पत्र में कम अंक प्राप्त हुए हैं, वह ठीक नहीं हैं, तो वह अलग से फीस जमा कराकर दुबारा कापी को दिखवा जंचवा सकता है। यह पद्धति संघ लोक सेवा आयोग और प्रदेश की परीक्षाओं में भी होनी चाहिए। अगर किसी उम्मीदवार को लगे कि उसके अंक कम आये हैं या जानकर कम अंक दियें गये हैं, जबकि वह अच्छा है, तो वह भी रिवेल्यूएशन करवा सके।

जो कमीशन बनाया गया है उसके कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। उसको तमाम चीजों का सर्वे करके राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को कहना होगा ये-ये अनियमिततायें हम पा रहे हैं। उसकी सदन में भी हमें चर्चा करनी चाहिए जिससे स्थिति में सुधार हो सके। मैं इसके अतिरिक्त यह भी बताना चाहता हूं कि जो नौकरियों में आरक्षण है, इससे ही काम नहीं चलेगा। आयोग को यह भी करना पड़ेगा कि जहां पिछड़ी जाति के लोग निवास करते हैं वहां उन्हीं लोगों की टीम तैयार करे और वे लोग स्वयं अपनी आर्थिक परेशानियों को, सामाजिक परेशानियों को, अपनी उन्नति के जो साधन के मुहैया कर सकते हैं, वे करें। मात्र खेती पर निर्भर न रहकर, उद्योगों में भी उसको आना चाहिए। उसमें भी उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसके लिए उनको उद्योगों का प्रशिक्षण मिले कि किस प्रकार का उद्योग वे लगा सकते हैं, जैसे कृषि पर आधारित कौन से उद्योग हैं या अन्य उद्योग जिनमें रा-मेटिरियल उनके क्षेत्र में है कैसे उसका उपयोग उस उद्योग में कर सकते हैं, इस प्रकार के उद्योगों को लगाने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। कच्चे माल की सम्भावनायें ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं, उनको देखते हुए उसकी शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था भी उन लोगों को मिलनी चाहिए।

कमीशन में कंधों पर यह भी उत्तरदायित्व आ जाता है कि उन लोगों के लिए और भी कई छोटे-छोटे

काम हैं जैसे अभी सदन में मोटर व्हिकल एक्ट पर चर्चा हो रही थी, उसमें ड्राइविंग का काम है, वे भी इसको सीख सकते हैं। इसका प्रशिक्षण उनको दिया जाये तो वे लोग भी अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं। सरकार को और कमीशन को प्रतिभाओं को खोजना होगा। उनकी खोज नहीं की जायेगी तो बहुत से लोग ग्रामीण अंचलों में ऐसे ही पड़े रह जायेंगे। अगर अनुसूचित जाति, जनजाति, मुस्लिम वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिलेंगे तो ये लोग अंधकार में खो जायेंगे। उनको अगर अवसर दिये जायें तो वे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमारे देश में राष्ट्रीय खेल होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं उनमें तैराकी का भी आइटम होता है। आप लोग देहात और गांव में चले जाइये, वहां अनुसूचित जाति और जनजाति के ऐसे छोटे-छोटे बच्चे मौजूद हैं जिनके आप दोनों हाथ और पांव बांध कर टैंक तो क्या गंगा की धार में भी छोड़ दें तो वे तैरते हुए निकल जाते हैं। लेकिन उनको आगे बढ़ने के लिए अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। कमीशन सोने के लिए नहीं है। लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है कि शायद वह सो रहा है। कहीं उसका कोई कार्यक्रम का गतिविधि सुनने को नहीं मिलती है। हां, कभी-कभार अखबारों में जरूर एक-दो लाइन पढ़ने को मिल जाती हैं। हम चाहेंगे कि जो यह संकल्प हमारे साथी द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इस पर विचार करने के लिए हमें मौका मिला है इसमें कमीशन को निर्देश दिया जाये और सरकार भी उसको निर्देश दे कि वह कुछ रचनात्मक काम करें।

जो रिजर्वेशन का मुद्दा है, मंडल आयोग लागू हुआ, उस पर इतना ऊधम मचा, यह तो कुछ भी नहीं है, वह इन-टोटो लागू किया जाये। मंडल कमीशन में जो कुछ भी कहा गया है वह किसी के खिलाफ नहीं है। उत्तर प्रदेश का यादव अगर मंडल कमीशन में आता है तो हरियाणा का यादव उसमें नहीं आता है।

यदि उत्तर प्रदेश में ठाकुर इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो गुजरात में आते हैं। मंडल कमिशन ने बहुत ही गहन अध्ययन किया और जो कुछ उसमें लिखा पूरे राज्यों की आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति का अध्ययन करके जिक्र किया कि कौन सी जाति किस कैटेगरी में आती है, उसको किस कैटेगरी में किस स्थान पर रखना है जिसमें कोई भी पक्षपात नहीं किया गया। इसलिये मेरा आग्रह है कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट लागू करने में अधूरी रह गयी है, उसे इन टोटो लागू करने की व्यवस्था की जाये। मंडल कमिशन में पहली बात शिक्षा पर आती है। यदि मंडल कमिशन की सिफारिशों के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं होगा तो पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा प्राइमरी तक भी नहीं मिलेगी। वे ठीक प्रकार से पढ़ ही नहीं पायेंगे। यदि उनके पढ़ने के लिये प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल या इंडरमिडिएट स्कूल नहीं होंगे तो उनको पढ़ने में परेशानी होगी। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वह उन सब की मदद कर सके। उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पायेगी। इसलिये मेरा सुझाव है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर प्राइमरी स्कूल, न्याय पंचायत स्तर पर जूनियर स्कूल, विकास खंड स्तर पर इंटरमिजिएट कालेज और तहसील स्तर पर डिग्री कालेज खोला जाये। यदि इस प्रकार का शिक्षा का ढांचा बना दिया जायेगा तो ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े लोगों को पढ़ने का अवसर मिल सकेगा।

सभापति महोदय, हम जानते हैं कि देश में अनेकों प्रतिभायें छिपी पड़ी हैं जिनको ढूंढ निकालना है। वे प्रतिभायें पिछड़े वर्ग के लोगों में भी हो सकती हैं जो जबानी ही सारे आंकड़े दे सकते हैं। ऐसा तभी हो सकता है यदि उन लोगों को आगे आने का प्रोत्साहन दिया जाए।

इस संदर्भ में जो कमीशन बना है, उसको किस प्रकार की पावर्स दी जाए या जितनी मिली हुई है, वे पूर्ण से या नहीं, जो मिली हुई है, उनका इस्तेमाल हो रहा है या नहीं ? इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को उनको प्रेरित करना चाहिए तो मैं समझता हूं कि यह पिछड़ा वर्ग आयोग ठीक प्रकार से काम कर सकेगा और देश के 52 प्रतिशत पिछड़े लोगों को सारे साधन उपलब्ध हो सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सदस्य श्री अनबरासू जी ने जो संकल्प यहां रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं और समझता हूं कि सरकार उस पर कार्यवाही करेगी।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि मुझे इस संकल्प पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया है। मैं माननीय सदस्य श्री अनबरासू जी का धन्यवाद करता हूं कि वे यह संकल्प यहां लाये हैं।

सभापति महोदय, यह एक अच्छा मौका दिया है कि देश में रहने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने के लिये एक आयोग का गठन हो। आजादी के समय हमारे पूज्य बापू के नेतृत्व से यह लड़ाई लड़ी गयी कि चाहे कोई धर्म हो, जाति या भाषा हो, हर एक आदमी को आगे बढ़ने का मौका मिले। लेकिन आजादी के 47 वर्षों के बाद गरीब आदमी और गरीब होता गया और अमीर और अमीर होता चला गया।

5.00 म० प०

इन सब बातों के सामने आने पर मंडल कमीशन बनाया गया और ये सारी समस्याएं कि कौन बैकवर्ड है, कौन पिछड़ा है, कौन आदिवासी है, कौन हरिजन है, सामने आयी।

सभापति जी, हमारा जो सामाजिक ढांचा है, गांधी जी के नेतृत्व में हमने जिस समाज की व्यवस्था की है कि हम सभी धर्मों, जातियों, भाषा-भाषियों और गरीब से गरीब लोगों को साथ लेकर चलें, उसमें कहीं न कहीं कुछ खामियां रही। उन खामियों का ही परिणाम है कि जैसे सर्विसेज के मामले में अभी एक माननीय सदस्य यहां आंकड़े दे रहे थे, मैं उन आंकड़ों में जाना नहीं चाहता लेकिन शिक्षा के बारे में, हाउसिंग के बारे में, खेल के मैदान के बारे में यदि हम देखें और जब लोगों को यह लगा कि इस प्रजातंत्र में कुछ मुट्ठीभर लोग ही फायदा उठा रहे हैं, बैनिफिट ले रहे हैं तो अपने अधिकारों के लिये उन्हें उठना पड़ा और आज हम देश में जगह जगह जो जातियों के नाम पर लड़ाई, धर्म के नाम पर लड़ाई, अलगाववाद की लड़ाई, नक्सलवाद की लड़ाई, टैररिस्ट्स की लड़ाई देख रहे हैं, यह सब उसी का परिणाम है, इनकी जड़ में लोगों का गुस्सा ही हमें दिखाई देता है। यदि हम समाज में लोगों के साथ सामाजिक न्याय करते तो आज हमारा देश उस स्थिति में न होता जिस स्थिति में हमारा देश आज है।

इसलिये जो रिजौल्यूशन सदन में लाया गया है, उसके पीछे भावना सही है। मैं यहां कहना चाहता हूं कि जब हमारे देश में संविधान बनाया गया तो उस समय संविधान बनाने वालों ने सभी बातों पर गहराई में जाकर विचार किया था, चर्चा की थी और समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को शामिल करके संविधान बनाया गया था। आज फिर से हर आदमी संविधान में संशोधन की बात करता है, कानून में संशोधन की बात करता है और हमें यह शंका महसूस हो रही है कि आगे चलकर हमें अपने संविधान को रिव्यू करने की जरूरत पड़ सकती

है। हमारे सामने प्रश्न है कि किसी सोसायटी को कहां से, कैसे उठाया जाये। कोई भी समाज या सोसायटी कानून से नहीं उठती है बल्कि विचारधारा से उठती है।

महात्मा गांधी ने जिस सोसायटी का नारा दिया था, जब हमारे देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसमें यह नहीं देखा गया था कि कौन किस जाति का है, कौन बैकवर्ड है मगर उस वक्त सारा समाज उठ खड़ा हुआ था। लेकिन आज दूसरी सोसायटी की बात सामने आ रही है क्योंकि जो आगे बढ़ गया, वह आगे बढ़ गया और जो पीछे रह गया, वह पीछे रह गया। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था में डिफैक्ट है। यदि हम इस गहराई से विचार करें कि क्या कानून के जरिये हम सबको न्याय दे सकते हैं, हम ट्राईबल की बात करते हैं लेकिन उनकी शिक्षा की तरफ यदि हम देखें तो वह मात्र 15-18 परसेंट ही है। सर्विसेज में हमने उन्हें जितना कोटा दिया है, फिक्स किया है, उसका 80 परसेंट भी नहीं भर पाये हैं। महिलाओं में शिक्षा का प्रतिशत 4 या 5 है। आज इंसान क्या चाहता है, चाहे वह कोई भी हो, पिछड़े वर्ग से संबंधित हो, पहाड़ पर रहने वाला हो, आदिवासी हो, बैकवर्ड हो, यदि आप किसी कन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से उसके बच्चे का कम्पैरीजन करने लग जायें जो ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहां कोई खेल का मैदान नहीं, कोई सुविधा नहीं तो वह बच्चा कन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के मुकाबले कैसे खड़ा हो सकता है ? यह सम्भव ही नहीं है। आज हम चाहते हैं कि चाहे कोई नगर हो, शहर हो या गांव हो, सबके लिये समान शिक्षा की व्यवस्था करा दी जाये तो वह कम्पटीशन में खड़ा हो सकता है फिर चाहे वह हिन्दी, अंग्रेजी या किसी भी भारतीय भाषा में पढ़ा हुआ क्यों न हो। आज यदि कोई बालक झाड़ के नीचे पढ़ा हो, उससे आप कहें कि किसी आई ए एस या आई पी एस के कम्पटीशन में बैठे तो वह कैसे उसमें सफल हो सकता है। क्या घोड़े और गधे का कम्पटीशन हो सकता है ? ऐसा कभी संभव नहीं है।

इसलिये ये जो चीजें हैं, इन लोगों में कैसे विश्वास हो कि हम लोग उन्हें समान अवसर देना चाहते हैं, यह संसद आप लोगों के संसद है, यह देश आप लोगों का देश है, सब लोगों का देश है, यहां सबको बराबर का अधिकार है, शिक्षा के मामले में, सर्विसेज के मामले में सबको समान अधिकार हैं अब तक ऐसा नहीं होगा, उस समय तक समाज में डिस्पैरिटी और असमानता बनी रहेगी। आज सबके दिल में यही है कि हम सत्ता में आयें, हुकूमत में आयें, जब तक हमारे पास सत्ता न हो, हम सत्ता का केन्द्र न बनें तब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। हर इंसान आज इसी कम्पटीशन में लगा है। इसलिए सारी की सारी राजनीतिक चीजें उसमें आ रही हैं।

सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि अब हमारे देश में यह समय आ गया है कि हम इन तमाम बातों पर विचार करें और जो वास्तव में हकदार है, चाहे वह आदिवासी समाज हो, चाहे हरिजन समाज हो, चाहे हमारे पिछड़े भाई हों, आज उस कम्पटीशन में जहां उन्हें पहुंचना चाहिए, वे नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए इस प्रजातंत्र के अंदर उसे सत्ता का केन्द्र बनाने और उसे उसका हक देने की जरूरत है।

सभापति महोदया, आज चाहे बोड़ो लैंड की बात उठ रही है। चाहे वह संविधान की छठी अनुसूची के अनुसार ट्राइबल एरिया की बात आ रही है, चाहे वह शराब माफिया हो, चाहे भूमि माफिया हो और चाहे वह

फारेस्ट माफिया हो, कोई भी हो, जितना विकास गरीब और आदिवासियों का होना चाहिए उतना विकास उनका नहीं हो रहा है और उनके विकास पर खर्च किया जाने वाला सारा का सारा पैसा दूसरों की जेब में जा रहा है। इसलिए आज हमारे सामने यह समस्या खड़ी है।

सभापति महोदया, आज हम गरीब को, आदिवासी को, हरिजन को रहने के लिए मकान बनाकर देना चाहते हैं, उसको रोजगार देना चाहते हैं, उसको अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन आज हमारी 47 साल की आजादी के बाद भी उसकी बड़ी दीन और हीन दशा है। वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया है। हमें इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए और आदिवासियों के लिए बने कमीशन को मजबूत बनाना चाहिए। यही कारण है कि आज फिर यह बात आई है कि आदिवासी समाज को ऊपर उठाने के लिए संसद की एक कमेटी बनानी चाहिए, जो उनके विकास के बारे में विस्तार से विचार करे।

सभापति महोदया, हमारे देश में जब रिजर्वेशन हुआ था, तो वह केवल 10 साल के लिए हुआ था और हमारी अवधारणा यह थी कि 10 वर्ष में वे पर्याप्त प्रगति कर लेंगे, लेकिन हमारी आशा पूरी नहीं हुई और वह रिजर्वेशन बढ़ाना पड़ा। जब आज हम दिल्ली और देश के गांवों में जाकर देखते हैं, तो वह जमीन आसमान के बराबर है। हमें अभी गांवों को दिल्ली के बराबर लाने और आदिवासियों के विकास पर कितना और समय लगेगा? समानता लाने में अभी पता नहीं कितना और समय लगेगा। हम आरक्षण नहीं चाहते हैं। हम तो समानता चाहते हैं। जैसे किसी को अगर साधारण बुखार हो, तो उसे साधारण दवाई दी जाती है, लेकिन यदि ज्यादा तेज बुखार हो, तो कुनैन की गोली का हैवी डोज दिया जाता है। उसी प्रकार से आदिवासी समाज को हैवी डोज की आवश्यकता है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब देश में अलगावगाद की बातें चलती रहेंगी।

सभापति महोदया, सदन में चाहे इधर के सदस्य हों और चाहे उधर के सदस्य हों, देश के अंदर रह रहे गरीब और आदिवासियों को जब हम झोपड़ों में देखते हैं, तो हमें बड़ा तरस आता है। आज उनके लिए बाथरूम की भी व्यवस्था हम नहीं कर पाए हैं। जो दैनिक आवश्यकता की चीज है, जो मूलभूत आवश्यकता है, मल निस्सरण की भी व्यवस्था हम नहीं कर सके हैं। चाहे वह स्वास्थ्य की समस्या है। हम इन समस्याओं का समाधान आज तक नहीं कर पाए हैं अगर आज उसकी इन समस्याओं का समाधान हो गया होता तो ये सागी की सारी चीजें समाप्त हो गई होती और जाति पांति का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता।

सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि इनको ऊपर उठाने के लिए हमें राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र के बारे में सोचना पड़ेगा। आज हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या में विकास के फोल्ड में हम कैसे उन्हें ऊपर उठाएं, यदि इस बारे में हम राजनीति से ऊपर उठकर सोचें तो हमारे देश की यह समस्या हल हो सकती है अन्यथा हमारे देश की गरीबी और बढ़ती जाएगी, बैकवर्डनैस और बढ़ती जाएगी। आज यहां बाहर से लोग आ रहे हैं। आज प्राइवेट लोगों के हाथों में देश का व्यापार उद्योग जा रहा है, वे हमारे इस रिजर्वेशन को नहीं मान रहे हैं। हमें इस पर विचार करना है कि देश के गरीब, आदिवासी और हरिजन भाइयों को हमें कैसे ऊपर उठाना है और उनके फोल्ड में लाना है, ताकि हम अपने हिन्दुस्तान के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ा सकें जिससे उनके भी मन में आ जाए कि यह देश हमारा है। देश में रहने वाला चाहे कोई हरिजन हो,

आदिवासी हो या मुसलमान हो उसके अंदर ऐसी भावना पैदा हो कि वह इस देश को अपना देश समझे। तब यह देश ताकत के साथ आगे बढ़ेगा।

सभापति महोदया, हमने महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश का एक नक्शा बनाया था। हम उस पर चलेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामेश्वर पाटीदार (खारगोन) : सभापति महोदया, इरा अन्बारासु साहब ने जो यह संकल्प रखा है, इसका मैं समर्थन करता हूं।

यदि मैं प्रारंभ करूं कि पिछड़ा वर्ग बना कैसे और पिछड़ा वर्ग अभी तक पिछड़ा क्यों रहा तो 1953 में सबसे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का निर्माण किया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दे दी। 2233 जातियां पिछड़ा वर्ग आयोग के अन्तर्गत रखी गई। उसक बीच में अन्य कई पिछड़ा वर्ग आयोग बने परन्तु उन आयोगों की रिपोर्टों का कभी पालन नहीं किया गया। अन्त में 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो 1978 में मंडल कमीशन बनाया गया। मंडल कमीशन बनने के बाद 1980 में उसकी रिपोर्ट आ गई। परन्तु

5.10 म० प०

(श्री पी० सी० चाक्को . . . पीठासीन हुए)

वह रिपोर्ट 1980 से 1990 तक लागू नहीं की गई, जैसा मेरे मित्र ने पहले कहा कि किनका राज रहा, किन लोगों ने, किन सरकारों ने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। अभी भी 1993 में उस रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की गई तो क्यों की गई ? इसलिए की गई कि अब राजनैतिक वातावरण ऐसा सशक्त बन गया है और माहौल ऐसा बन गया है कि उसमें अधिक समय तक पिछड़े वर्ग को दबाया नहीं जा सकता था। कुछ लोग ऐसे माहिर होते हैं, कुछ सरकारें ऐसी माहिर होती हैं कि राजनैतिक फसल जब पक जाती है, उसको काटने में वह इतनी कलाकार होती है कि वह समय पर उसको भुना लेती हैं। इसलिए आज सारे मामले को जिस तरह से राजनीति में लाया जा रहा है, यह राजनैतिक जागृति यदि नहीं होती तो यह राजनैतिक लाभ मिल ही नहीं पाता।

यह जो पिछड़ा वर्ग पिछड़ा रहा, इसका कारण भी यही रहा। आखिर पिछड़े वर्ग के अधिकतर लोग गांवों में रहते हैं। आज आधुनिक शिक्षा का माध्यम से जिस तरह से पब्लिक स्कूलों में विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनको जिस तरह की फसर्ट क्लास पढ़ाई की सुविधाऐं उपलब्ध होती हैं, उनके मुकाबले गांवों में जो स्कूल होते हैं, उनमें बच्चे बेचारे अपनी टाट पट्टी खुद साथ ले जाकर पढ़ते हैं। वह अपने घर की टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ते हैं और जीवन भर वह नीचे ही बैठे रहते हैं और कभी उनको ऊपर आने का मौका ही नहीं मिलता। आज शहरों में बच्चे किस तरह से आधुनिक स्कूलों में पढ़ कर आगे बढ़ते हैं, इसलिए आज कलैक्टर का बेटा कलैक्टर बन जाता है। सचिव का बेटा ही कलैक्टर बनकर फिर सचिव हो जाता है तो यह क्यों होता है ? हमारी शिक्षा प्रणाली और शिक्षा प्रणाली में हमारी जो मूल्यांकन प्रणाली है, उस पर भी हमको विचार करना पड़ेगा, कहीं यह जो बड़े-बड़े अफसर और मूल्यांकन करने वाले लोग हैं, वह ऐसा मूल्यांकन तो नहीं करते कि उन्हीं के बच्चे आगे आयें।

आज ज्ञान, शिक्षा और टेलैंट किसी का समाज, किसी एक जाति और किसी एक वर्ग की बपौती नहीं हो सकते। फिर कुछ लोगों ने यह बपौती क्यों बना ली। कलैक्टर का बेटा ही कलैक्टर क्यों बने, इस बात की भी अब जांच की जानी चाहिए। आज 46 वर्षों में पिछड़े वर्गों को अपना अधिकार नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, इस बात की खोज करने के लिए अलग से एक कमीशन बनाना पड़ेगा, अब तो ऐसा लगता है।

आज गांव में स्थिति क्या है। दवाखाना बन जाता है तो भवन नहीं होता, भवन बन जाता है तो डाक्टर नहीं होता, डाक्टर होता है तो दाई नहीं होती, दाई होती है तो दवा नहीं होती। गांव में स्कूल होता है तो भवन नहीं होता। भवन बन जाता है और अध्यापक आ जाते हैं तो ब्लैक बोर्ड नहीं होता। सरकार को अभी दो वर्ष पहले अखिल भारतीय स्तर पर आपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाना पड़ा। वहां शिक्षक आ जायेंगे तो विद्यार्थियों को बैठने की जगह नहीं होगी। ऐसा लगता है कि 40-50 वर्षों में अंधी पीसती रही और कुतिया खाती रही। यहां से जो सारा बजट का पैसा भी गया तो कहां गया ? क्यों पिछड़ा वर्ग पिछड़ा बना रहा और 47 वर्षों में कौन इसके लिए जवाबदेह रहा ? 47 वर्षों में पिछड़ा वर्ग पिछड़ा बना रहा, उसको अपना बेसिक अधिकार नहीं मिला, उसको अपना नैतिक अधिकार नहीं मिला, उसको अपना सामाजिक अधिकार नहीं मिला, उसको अपना शैक्षणिक अधिकार नहीं मिला, न उसको अपना आर्थिक अधिकार मिल पाया। यह जो आज परिस्थिति बनी है, इसके लिए कोई न कोई दोषी जरूर है और जो दोषी है, उसको अपना दोष स्वयं स्वीकार करके उन दोषों को दूर करते हुए पिछड़े वर्गों की सहायता करनी चाहिए तभी कुछ लाभ हो पाएगा, अन्यथा कभी लाभ नहीं हो पाएगा।

अलग-अलग समय में सुप्रीम कोर्ट के अलग फैसले आते रहे। 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि एस० सी०; एस० टी० की आरक्षण के हिसाब से पदोन्नतियां ठीक हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। परन्तु अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें उन्होंने एस० सी०; एस० टी० के बारे में पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया। इसके बारे में तरह-तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी आलोचना का शिकार होना पड़ता है। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि हम यदि संविधान में संशोधन कर लें या इससे सम्बन्धित जो कानून हैं, उनमें संशोधन कर लें तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को आलोचना का शिकार नहीं होना पड़े। हमारी राजनैतिक जागृति और हमारी सरकार की राजनैतिक सूझ-बूझ इसी पर निर्भर करती है। इसी में लाभ है कि वह संविधान में संशोधन करे या इससे सम्बन्धित जो कानून हैं, उनमें संशोधन करे तो न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट उसी के अनुसार फैसला दे। इसलिए हमारे न्यायालयों को आलोचना के शिकार से बचाने के लिए जरूरी है कि कानून में संशोधन और संविधान में भी संशोधन करें। इसके साथ ही बैकवर्ड क्लासेस के बारे में कानून में संशोधन होना चाहिए।

अभी सुप्रीम कोर्ट ने बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन के बारे में क्रिमी-लेयर का सिद्धान्त रख दिया। बैकवर्ड क्लासेस तो बैकवर्ड है ही, इसलिए उसको बैकवर्ड क्लास का नाम दिया गया है और इस पर भी क्रिमी लेयर और जोड़ दिया गया है। ऐसी स्थिति में उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। यदि करना ही है, तो मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए क्रिमी लेयर न लागू किया जाए। सामाजिक और शैक्षणिक ही उनका आधार बना दिया जाए। सामाजिक और शैक्षणिक ही उनका आधार बना दिया जाए, उसमें आर्थिक सम्पन्नता का आधार न हो, तो ही बैकवर्ड क्लासेस को लाभ मिल सकता है। कृषि की जो आय है, इसको भी क्रिमी लेयर के आधार

पर न जोड़ा जाए, तभी उनको लाभ मिल सकता है। कम से कम बीस लाख की आय वालों को भी इसमें छूट दी जाए, तो ही बैकवर्ड क्लासेस को लाभ मिल सकता है, अन्यथा क्रिमी लेयर के नाम पर 46 सालों के बाद जो राजनीतिक लाभ मिला है, वह उनसे छिन जाएगा।

महोदय, इसमें एक सवाल और उठता है। अलग-अलग राज्य क्रिमी लेयर की परिभाषा अलग-अलग करेंगे। अभी बिहार ने अपनी तरफ से क्रिमीलेयर की परिभाषा की है और उसका मापदंड तय किया है। इससे पहले की अलग-अलग राज्य अलग-अलग परिभाषा तय करें, उससे पहले ही केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और केन्द्रीय सरकार को ही सारे राज्यों की सहमति लेकर, जो सारे देश पर लागू हो सके, मापदंड तय करना चाहिए। अगर यह हो जाता है, तो जो झगड़े खड़े होते हैं, उन झगड़ों के खड़े होने से बचा जा सकता है।

मध्य प्रदेश में बैकवर्ड क्लास को 14 परसेंट आरक्षण दिया गया, जबकि बैकवर्ड क्लास की आबादी 52 परसेंट है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार ने 27 परसेंट का आरक्षण का अधिकार दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में भी 27 परसेंट आरक्षण बैकवर्ड क्लास को दिया जाए।

जहां तक सूची का सवाल है, मंडल कमीशन ने भी अपनी सूची तैयार की है। हर राज्य ने अपने-अपने अलग-अलग पिछड़ा आयोग बनाए हैं और उन्होंने अपनी अलग-अलग सूचियां दी हैं। मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार उन सूचियों को मान ले, जिससे भिन्न-भिन्न राज्यों में जो अलग जातियां हैं, उनको बैकवर्ड क्लास में माना जाए, तभी उनको लाभ हो सकता है। मेरे अन्य मित्रों ने सुझाव दिया है कि बेकवर्ड क्लास की सूची नए सिरे से तैयार की जानी चाहिए, क्योंकि देश के भिन्न-भिन्न हिस्सों में कई जातियां ऐसी हैं, जो सूची में नहीं हैं, उनको जोड़ा जा सके। इसलिए फिर से इसका मूल्यांकन होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए और नए सिरे से उसमें नामों को जोड़ा जाना चाहिए। इस बारे में मैं आपको मध्य प्रदेश का एक उदाहरण देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में कुनबी जाति है, जो कि सूची में है। मेरा जिला खरगौन जिला है, वहां इस जाति के लोग मठा लिखते हैं। वही जाति, उन्हीं के रिश्तेदार और खानदान के लोग हैं, जो खंडवा जिले में रहते हैं। इनको आरक्षण मिल गया, लेकिन खरगौन की इसी जाति को इसका लाभ नहीं मिला। लाभ इसलिए नहीं मिला, क्योंकि वे लोग यहां मठा लिखते हैं। इसलिए अलग-अलग क्षेत्र से, अलग-अलग भाषा के स्वरूप से स्थिति बदल जाती है। दूरी और स्थान की वजह से जो नाम हो गए हैं, उपनाम हो गए हैं, उनको भी इसमें शामिल कर लेना चाहिए, ताकि उनको ठीक समय पर लाभ मिल सके। चूंकि उनका प्रचलित नाम दूसरा है, स्थान बदल गया है, इसलिए उनको लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए समझदारी इसी में है कि ठीक समय पर ठीक लाभ उनको मिले और केन्द्रीय सरकार उनके नाम इसमें जोड़ने की कोशिश करे। पर उपदेश कुशल बहुतेरे और दान तो घर से प्रारम्भ होना चाहिए। नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव में बैकवर्ड क्लास के लिए 14 परसेंट के स्थान पर 27 परसेंट आरक्षण रख दिया गया है।

परन्तु क्या राजनीतिक दल अपनी विधान सभाओं के लिए और संसद के लिए बैकवर्ड क्लास के लिए उतने ही प्रतिशत का आरक्षण करके इसी तरह से अपने सदस्यों को 52 परसेंट टिकट देगी ? राजनीतिक दलों को आगे आ कर पहल करनी चाहिए और बैकवर्ड क्लास को आगे लाने की कोशिश करनी चाहिये। जब तक उसको सामाजिक मान्यता या सामाजिक गौरव नहीं मिलेगा, और वह तभी मिलता है जब उसको राजनीतिक अधिकार

मिलें। इसलिए राजनीतिक दल आगे आकर अपने सदस्यों के बीच टिकटों का उसी तरह से बंटवारा करे। हम तो और आगे बढ़ कर कहना चाहते हैं कि पुरुषों के बराबर महिलाओं की संख्या है। समाज में 50 प्रतिशत महिलाएं हैं इसलिए राजनीतिक दलों को विधान सभा और संसद में महिलाओं को 50 प्रतिशत टिकट देना चाहिए। ऐसा न होने के कारण द्वेश पैदा हो रहा है।

महोदय, आज हम पिछड़े वर्गों की बात करते हैं। हम राजनीतिज्ञ, व्यावहारिक रूप से देख रहे हैं मेरा कहना यह है कि आज पिछड़े वर्ग के नाम पर जातिवाद न फैल जाए। सभी राजनीतिक दलों को पूरे मन और ईमानदारी से इसके लिए काम करना पड़ेगा तभी देश को जातिवाद की बीमारी से बचाया जा सकता है। यह जहर यदि फैल गया तो मुश्किल हो जाएगी। यदि देश को बचाना है तो राजनैतिक समझदारी इसी में है कि जिस समाज की जितनी आबादी है उसी मान से उसको आरक्षण दे दिया जाए। आरक्षण के नाम से पिछड़े वर्ग या दूसरी जातियों को अपना राजनीतिक हिस्सा मिल जाए तो यह झगड़ा नहीं होगा। इस अधिकार को छीनने के नाम पर यदि संघर्ष जारी हो गया तो यह देश के लिए खतरनाक स्थिति होगी। इसलिए हम आबादी के हिसाब से आरक्षण करें तो उसमें कोई झगड़ा नहीं होगा।

महोदय, मैं यह बताना चाह रहा था कि यदि आयोग का अधिकार और कार्य-क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं तो आयोग को चाहिए कि केवल सरकारी नौकरियों में ही आरक्षण न हो बल्कि सरकारी उपक्रम और प्राइवेट सैक्टर के उद्योगों में भी आरक्षण हो।

महोदय, पेट्रोलियम एवं रासायनिक गैस विभाग ने पैरलल मार्केटिंग के अंतर्गत पैट्रोल और एलपीजी गैस तथा कैरोसिन आयात करने का अधिकर प्राइवेट सैक्टर को दे दिया है उसका सारा लाभ करोड़पति और अरबपति लोग उठा रहे हैं। वहीं लोग धन लगा कर जो अधिक धन देता है उसी को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डीलरशिप देते हैं। यह आर्थिक क्षेत्र का इतना बड़ा उपक्रम हमने कुछ करोड़पतियों के हाथों में छोड़ दिया है, इसलिए इसमें भी बैकवर्ड क्लासिस को रिजर्वेशन देना चाहिए अन्यथा उनको लाभ नहीं मिल पाएगा।

जहां तक और दूसरी बातों का सवाल है, इन सब को देखते हुए समाज से समन्वय बनाए रखने की कोशिश की जानी चाहिए। हमारी राजनीति और हमारे नेतृत्व की कुशलता का द्योतक होगा कि दलितों को उनके अधिकार भी मिल जाएं और समाज में कटुता पैदा न हो, अलगाव का भावना पैदा न हो, समन्वय बना रहे। इस दृष्टि से आयोग को अपने कार्यक्षेत्र में विस्तार करना होगा, तभी ज्यादा लाभ होगा।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

5.27 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री एम० कृष्ण स्वामी (वन्डिवाशी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र श्री अन्बारासु द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं। सभा में इस प्रकार का महत्वपूर्ण संकल्प लाने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। संकल्प बिल्कुल साधारण-सा है। सभा का यह मत है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को पिछड़े वर्गों के सम्पूर्ण विकास

के लिए उपायों का सुझाव देने तथा केन्द्रीय सरकार की इन वर्गों से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर निगरानी रखने हेतु शक्ति प्रदान की जाए। आयोग की रिपोर्टों पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति गठित की जाए। इस संकल्प में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को और अधिक शक्तियां प्रदान करने की बात कही गई है।

पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर लिया गया है, किन्तु विभिन्न प्रारंभिक दिक्कतों के कारण इसने अभी तक सही ढंग से कार्य करना आरंभ नहीं किया है। इसके लिए आवश्यक कर्मचारी अभी तक प्रदान नहीं किए गए हैं। आयोग को आरक्षण, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश, नियुक्ति पदोन्नति इत्यादि के मामले में पिछड़े वर्ग के लोगों से संबंधित अत्याचारों शिकायतों और समस्याओं के सभी मामलों की जांच करने का अधिकार होना चाहिए।

इस संकल्प में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम को पुनर्गठित करने तथा इसके कार्यकरण को प्रभावी बनाने की बात कहीं गई है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि सरकार ने 500 करोड़ रुपए की धन-राशि से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त तथा विकास निगम स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम के परिव्यय में भी वृद्धि की जाए क्योंकि हमने जिस महान कार्य को पूरा करने का बीड़ा उठाया है, उसकी तुलना में पिछले दो वर्षों के दौरान बहुत ही कम धन-राशि प्रदान की गई है।

महोदय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछड़ा वर्ग निगम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यक आयोग के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अत:, पिछड़े वर्गों की जनसंख्या की तुलनात्मक दृष्टि से, इसे बढ़ाकर कम-से-कम 2000 करोड़ रुपए किया जाना चाहिए। 125 करोड़ रुपए की धन-राशि अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजाति निगम के लिए आरक्षित रखी गई है। इसे भी बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग 22 1/2 प्रतिशत है। अल्पसंख्यकों की जनसंख्या लगभग 7 प्रतिशत है। हालांकि अल्पसंख्यक आयोग के लिए 500 करोड़ रुपए आरक्षित किये गये हैं। 52 प्रतिशत लोग पिछड़े वर्गों के हैं। अत:, आरक्षित धन-राशि 2000 करोड़ रुपए की जानी चाहिए। पिछड़े वर्ग के करोड़ों लोग ऐसे हैं जो निर्धनता, भुखमरी, बीमारी के शिकार हैं और आश्रय विहीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन्हें तत्काल सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।

महोदय, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम का एक उद्देश्य पिछड़े वर्ग के उन लोगों में तकनीकी तथा उद्यम-संबंधी कुशलता को प्रोत्साहन देना है जो अधिकांशत: खेतिहर मजदूर, हथकरघा बुनकर, राज, निर्माण कामगार, दस्तकार, कारीगर तथा शिल्पकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि निगम ने इस दिशा में क्या कार्य किया है ? करोड़ों हथकरघा बुनकरों को उचित मूल्य पर सूत नहीं मिल रहा है। अत: वे बेराजगार हो गए हैं उदारीकरण के इस दौरे में हथकरघा बुनकरों को विभिन्न प्रकार के ऐसे कलात्मक वस्त्र निर्माण का नूतन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिसको निर्माण मिलों द्वारा नहीं किया जा सकता हो। इस प्रकार, उनके हथकरघा उत्पादों के मूल्य में भी वृद्धि हो सकती है। निगम जिला तथा राज्य स्तर पर सहकारी समितियां स्थापित करने

में सहायता प्रदान कर सकता है जिससे बिचौलिए को समाप्त करके उचित मूल्य पर सूत की सप्लाई की जा सकती है। इसी प्रकार, ऐसे कुछ अन्य व्यवसाय भी हैं जहां निगम कुछ कार्य कर सकता है। निगम को आवंटित की गई धन-राशि सही लोगों के पास नहीं पहुंच रही है। बिचौलिए, आवंटित की गई धन-राशि का बड़ा भाग हड़प कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के पास कुछ शक्ति होनी चाहिए, अन्यथा हमारी खर्च की गई धन-राशि बेकार चली जाएगी।

अब, मैं वर्ष 1992-93 में निगम द्वारा मंजूर किए गए ऋणों के राज्यवार वितरण का उल्लेख करना चाहूंगा। तमिलनाडु उन अग्रगामी राज्यों में से एक है जहां पहले ही पिछड़े वर्गों की पहचान की जा चुकी है तथा जहां मंडल आयोग की रिपोर्ट आने से पहले ही आरक्षण की व्यवस्था थी। आरक्षण तो कांग्रेस के शासन में ही प्रभावी रूप से शुरू किया गया है। इस राज्य में भी, पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम स्थापित किया गया है। किन्तु, दुर्भाग्य की बात है कि 3440 लाख रुपए की कुल धनराशि में से तमिलनाडु को मात्र 154 लाख रुपए का ऋण मंजूर किया गया है जबकि कर्नाटक को 458 लाख रुपए और महाराष्ट्र को 415 लाख रुपए का ऋण दिया गया है। इसी प्रकार, जब हम निगम से सहायता पाने वाले एककों पर ध्यान देते हैं, तो हम पाते हैं कि कुल 25,821 एककों में से केवल 1449 एककों को तमिलनाडु में सहायता प्रदान की गई है। मैं जानता हूं कि हमारे माननीय मंत्री श्री के० वी० तंग्काबालू एक निष्पक्ष व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें अपने राज्य की ओर भी ध्यान देना चाहिए।

पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा सुविधाओं में उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि शिक्षित होने के बाद ही रोजगार में आरक्षण का प्रश्न आता है। इस आयोग में, शिक्षा सुविधाओं को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। मेरा सरकार से यह अनुरोध भी है कि उसे संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में भाग लेने के मामले में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा पिछड़े वर्ग के लोगों को आयु-सीमा में छूट दिए जाने संबंधी मांग पर ध्यान देना चाहिए। सभी स्तरों पर पदोन्नति के कोटे में आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। नवोदय विद्यालयों की भांति विशेष विद्यालय खोले जाने चाहिएं जहां पिछड़े वर्ग के लोगों के बच्चों के लिए भोजन-आवास की नि:शुल्क व्यवस्था हो।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम को पिछड़े वर्ग तथा स्वत: नियोजित लोगों, व्यावसायिक उद्यमियों को अपने छोटे-छोटे उद्यम चलाने हेतु ऋण तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी अपने कार्य-क्षेत्र को व्यापक बनाना चाहिए। अपना निजी मकान बनाने के लिए भूमि देने तथा कोई कुटीर अथवा लघु उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से, भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों के कारण उपलब्ध अतिरिक्त भूमि का कुछ भाग पिछड़े वर्ग के लोगों को दिया जाना चाहिए।

मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी मंडल आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख किया है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि किन-किन न्यायाधीशों ने यह निर्णय दिया है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। किन्तु, हम नहीं जानते कि इस न्यायपीठ में पिछड़ा वर्ग के कितने न्यायधीश शामिल हैं। फिर भी, निर्णय तो उच्चतम न्यायालय का है। लेकिन संसद सर्वोच्च है और इस मामले पर विचार एवं तदनुकूल संशोधन कर सकती है। कभी-कभी सामाजिक न्याय के लिए कुछ विधान बनाने पड़ते

हैं। लेकिन, इस विधान के विरुद्ध कुछ लोग उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे रहे हैं। इस प्रकार के सामाजिक न्याय संबंधी विधान के विरुद्ध लोगों को उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में जाने से रोकने के लिए कोई कानून बनाया जाना चाहिए। यदि सामाजिक न्याय के लिए कोई विधान बनाया जाता है, तो उसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। इस संबंध में कोई कानून होना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय द्वारा बताई गई कमियों के समाधान के लिए, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि शिक्षण संस्थाओं और सरकारी विभागों, सरकारी उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित सभी विधानों को न्याय्येतर बनाने के लिए इन्हें संविधान की नौवीं अनुसूची के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए।

तमिलनाडु में भी पिछड़े वर्ग हैं। इस राज्य में पिछड़े वर्गों में एक समुदाय है जिसे जिप्सी कहा जाता है तथा जो बंजारों की तरह होते हैं। जिन्हें नवीकुरावास कहा जाता है। वे सड़कों और गलियों में फेंके हुए जूठे भोजन खाते हैं। उन्हें कहीं भी कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। उन्हें पिछड़ा वर्ग के लोग माना जाता है। उन्हें कुछ भी कहा जा सकता है। उनकी स्थिति तो अनुसूचित जनजातियों के लोगों से भी गई गुजरी है। ऐसे लोगों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। उनकी भाषा की कोई लिपि नहीं है। वे मिली-जुली हिन्दी बोलते हैं। इन लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता। तमिलनाडु में ऐसी स्थिति विद्यमान है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस समुदाय के लोगों को भी कुछ श्रेणियों में शामिल किया जाए ताकि उन्हें भी संरक्षण मिल सके। यह मामला काफी समय से लम्बित पड़ा है। वे इधर-उधर एक गांव से दूसरे गांव, भटकते रहते हैं। उनका कोई आवास नहीं है। आयोग को इन लोगों को वर्गीकृत करने तथा संरक्षण प्रदान करने की शक्ति दी जानी चाहिए।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की जाति को किसी एक राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़ा वर्ग अभिहित किया गा है, तो उसे किसी दूसरे राज्य में ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह तो बड़ी विचित्र बात है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, निःसन्हेह, हम पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बहुत पैसा आवंटित कर रहे हैं किन्तु, यह उन लोगों पर खर्च नहीं किया जा रहा है। इसलिए कोई निगरानी तंत्र होना चाहिए। तभी वे लोग इससे लाभान्वित हो पाएंगे। पिछड़े वर्ग के लोगों में जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दिया जाना चाहिए।

पिछड़े वर्गों के विकास एवं उन्नति के लिए यह एक महत्वपूर्ण विधान है। अतः, इस पर अधिकतम-सीमा कानूनों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इसी सत्र में एक संविधान संशोधन लाए ताकि इसे सभा के सभी दलों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया जा सके।

अतः महोदय, मैं पेश किए गए इस संकल्प का पूरी तरह समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा है, मैं उसको धन्यवाद देता हूं। हमारी पार्टी की ओर से वे धन्यवाद के पात्र हैं।

हमारे देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गयी लेकिन हमारे देश के दलितों, पिछड़ों, शोषितों की उपेक्षा हजारों सालों से होती रही है। हमारे देश के पंडितों और पुजारियों ने कभी धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर लोगों को

बांटे रखा और उन दलितों के अधिकारों को छीनने का काम करते रहे। यह आबादी 80 प्रतिशत है जिनको अपने अधिकारों से वंचित किया गया। लेकिन अब समय बदल गया है। वे अब उपेक्षित नहीं रह पायेंगे क्योंकि वे जाग चुके हैं। उन्होंने अंगड़ाई ली है और आन्दोलन किये हैं। मंडल कमिशन की रिपोर्ट आयी और हमें और हमारी पार्टी को उसे मानने में कोई झिझक नहीं है। हम लोगों ने खुले आम कहा कि मंडल कमिशन की सिफारिशों को टोटल मानते हैं लेकिन मात्र आरक्षण देकर इतिश्री कर दी जाये, हम नहीं मानते हैं हमने कहा कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुझावों को समग्र रूप दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी केवल भारत ही में नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में शोषण-विहीन समाज की स्थापना के लिये लड़ती रही है और आज भी लड़ रहे हैं। यह ठीक है कि इसमें उतार-चढ़ाव हुये हैं लेकिन हमारा जीवन दर्शन यही है कि शोषित और पीड़ित वर्ग के अधिकारों की रक्षा की जाये। इसलिये इस वर्ष आपने कमिशन को बहाल कर दिया और कमिशन को कुछ रुपया भी दे दिया।

हमें 50 वर्षों का अनुभव है गृह मंत्री जी कि बहुत से कमीशन यहां बने, बहुत सी योजनाएं बनी, जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना बनीं, उनकी हालत क्या है। इंदिरा आवास योजना की हालत मैं अभी बिहार में अपने क्षेत्र में देख कर आया हूं। ये सारे कमीशन और योजनायें कागजी शेर बनकर रह जाती हैं और अमल में नहीं आती हैं। असल में भारत सरकार की नियत उन्हें अमल में लाने की नहीं है। उसका कारण है कि भारत सरकार की नई आर्थिक नीति के चलते, जिस तरह हमारे देश में विदेशी कम्पनियों को बुलावा दिया जा रहा है, तमाम को तो न बुलाया जाये, हमारी पार्टी इस बात को नहीं मानती है और आवश्यकता पड़ने पर विदेशी टैक्नोलौजी का आमंत्रित किया जाये लेकिन उसके साथ साथ स्वदेशी टैक्नोलौजी के विकास की संभावनाओं को भी विकसित किया जाये।

आज हो क्या रहा है और होगा क्या, हम लोग कितनी ही लड़ाई लड़ते रहें, कि नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान इन प्राईवेट कम्पनियों में भी लागू किया जाये तो भी आप लागू करने वाले नहीं है। अभी हाल ही में अमेरिकन कम्पनियों से बिजली के मामले में जो समझौता हुआ है, उसमें आपने डबल गारंटी सिस्टम को मान लिया है जिसका मतलब है कि करोड़ों रुपये भारत के खजाने से उन विदेशी बिजली के क्षेत्र में आने वाली कम्पनियों को देने पड़ेंगे और साथ में उनके मुनाफे को भी गारंटी करना पड़ेगा। उनके नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। फिर उनमें आरक्षण का कानून कहां लागू होगा और पिछड़े वर्ग के लोगों को उनमें कैसे राहत मिलेगी ? इसलिये इस तमाम विदेशी कम्पनियों के मामले में हमें शंका है और यहां राम विलास जी ठीक कह रहे थे, हम चाहते हैं कि सरकार हमारी शंका को दूर करे और अपनी बात पर अमल करके कानूनों में दृढ़ता लाकर दिखाये।

वैसे ही इसमें मांग की गयी है कि यह कमीशन कुछ कारगर कदम उठाने में सक्षम हो, आर्थिक मामलों में सक्षम हो, कानूनों पर अमल हो रहा है या नहीं, इसे देखने में सक्षम हो, शिक्षण संस्थाओं में पिछड़ी जातियों को जो सुविधाएं देने का प्रावधान है, उनको लागू कराने में सक्षम हो, आर्थिक आधार पर दिये गये प्रावधानों को लागू कराने में भी सक्षम हो और भूमि सुधार के कानूनों को भी ठीक तरह से लागू किया जाये। शायद प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं है लेकिन उन्होंने कहा है कि भूमि सुधार कानूनों में कोई परिवर्तन नहीं

किया जायेगा, लेकिन उसका क्या परिणाम होगा ? हमारे बिहार में बटाईदार, खेत-मजदूर जमींदारों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हजारों एकड़ जमीन पर उन्होंने कब्जा किया है, उन लोगों ने स्वयं जाकर लड़ाई की है, कोई जबानी जमाखर्च नहीं किया है लेकिन वह जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसे अगर अमल में नहीं लाया जायेगा तो जो लोग भूमिहीन हैं, अशिक्षित हैं, सामाजिक तौर पर दलित हैं, वर्णव्यवस्था वाला समाज जिन्हें घृणा की दृष्टि से देखता है, उस समाज में रहने वाली विशाल जनता से क्या आप आशा रखते हैं कि वह घुड़दौड़ में दूसरों के बराबर आ जाये। यहां एक माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि एक लंगड़े और एक पहलवान को यदि दौड़ने के लिये कह दिया जाये और कहा जाये कि दौड़ो, तो लंगड़ा आदमी नहीं दौड़ सकता। इसलिये राम विलास जी ने यहां ठीक कहा, मैं उनका समर्थन करता हूं कि समय का तकाजा ऐसा आ गया है कि आप जनता की आवाज को पहचानें। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने आरक्षण के विषय पर जो प्रस्ताव नाइन्थ शैड्यूल में शामिल करने के लिये आपके पास भेजा है, उसमें विलम्ब क्यों हो रहा है और उसे मानने में आपको क्या हर्ज है ? विलम्ब के क्या कारण हैं ? कर्नाटक से जो सुझाव आपके पास आया है, उसमें भी क्यों विलम्ब हो रहा है ? बिहार में लालू जी ने कहा है कि हम 80 परसेंट रिजर्वेशन लागू करेंगे तो उसमें हर्ज क्या है ? आपकी नाक-भौं क्यों सिकुड़ रही है। क्यों उसके प्रति घृणा आपके मन में है। आप कहते हैं कि यह एक राजनैतिक नारा है, फिर हम लोग यहां पार्लियामेंट में किस काम के लिये आये हैं, यदि राजनीति के लिये नहीं आये हैं तो किस काम के लिये आये हैं ?

हम यहां राजनीति करने आए हैं। यहां दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति सत्ता की है, शासन करने वालों की है और दूसरी राजनीति उनकी है जो पीड़ित हैं, शोषित हैं। हम इस दूसरी राजनीति के पक्षधर हैं और शोषित तथा पीड़ितों की राजनीति कर रहे हैं। उनके हकों पर जो कुठाराघात हो रहा है वह न हो बल्कि उनके हकों के लिए हम लड़ें। जनता दल और वामपथ के लोग हैं और ऐसे अन्य दल हैं वे सब इस सवाल पर एक हैं। आपसे उनके लिए लड़ते हैं और आपके द्वारा किए गए कामों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हाल में जो स्कैम की बात चल रही है उसको सब जानते हैं। इसलिए आज जो प्रस्ताव लाया गया है कि इस बैकवर्ड कमीशन को और कारगर बनाया जाए उसके लिए विभिन्न पहलुओं पर सोचकर, जहां-जहां आवश्यकता हो उनको सुधारने के लिए अवश्य कदम उठाए जाएं। इसलिए इस बिल का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस कमीशन को बलशाली और प्रभावशाली बनाने के लिए उसकी मानिटरिंग करने के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं। जिस प्रकार से मंडल कमीशन को लागू किया गया है उस पर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं होगा, मैं इससे सहमत नहीं हूं। सुप्रीमकोर्ट का फैसला कोई ब्रह्म वाक्य नहीं है। पार्लियामेंट सुप्रीम है। संविधान में संशोधन कर के ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे इनको बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का पूर्ण लाभ मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, आज देश के 80 से 90 प्रतिशत लोग शोषित और पीड़ित हैं। ये लोग सदियों से उपेक्षित रहे हैं। उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दो ही बातें हैं। राम विलास जी के साथ मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि इन दोनों को अपने अधिकार देने के लिए गैर-कानूनी ढंग से आज आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होना

पड़ रहा है। हम लोग समझते हैं और हमारी कम्युनिस्ट पार्टी समझती है कि उसकी आवश्यकता नहीं है। हिन्दुस्तान का समाज, हिन्दुस्तान का शोषित वर्ग इतना जागृत है कि हम कानून के माध्यम से भी इसमें सुधार ला सकते हैं। इसलिए इसमें सुधार लाने के लिए मेरा सरकार से आग्रह है कि वह ऐलान करे और हम भी इस प्रस्ताव के समर्थन में हैं। इसलिए जो आवश्यक कदम हैं उनको उठाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय इन्हीं शब्दों के साथ, आपने जो मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं और इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करते हुए सरकार से आग्रह करता हूं कि इसको अमल में लाने के लिए कारगर कदम उठाए।

[अनुवाद]

श्री पी॰ सी॰ चाक्को (त्रिचुर) : महोदय, गत शुक्रवार को जब इस संकल्प पर चर्चा हुई थी और मैं इस मामले पर अन्तिम वक्ता था, मैंने अपना समर्थन व्यक्त कर दिया था। मुझे इस बात का अत्यन्त खेद है कि जब आपने मेरा नाम पुकारा उस समय मैं यहां उपस्थित नहीं था। आपने मुझे जो पुन: अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस संकल्प के संबंध में मैं अपना पूर्ण समर्थन पहले ही व्यक्त कर चुका हूं। यह संकल्प अत्यन्त सीधा-सादा और नितांत अविवादास्पद है एवं मान्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय श्री चाक्को खड़े हैं। जब उनका नाम पुकारा गया वह उपस्थिति नहीं थे। एक विशेष मामले के रूप में उन्हें अब बोलने का अवसर दिया गया है। वे पीठासीन अधिकारियों में से एक हैं।

श्री पी॰ सी॰ चाक्को : यह संकल्प सत्तारुढ़ पक्ष की ओर से आया है। .....**(व्यवधान)**..... वास्तव में गत वादविवाद में मैंने भाग लिया था .....**(व्यवधान)**..... मैं एक बहुत अनुभवी सांसद नहीं हूं। फिर भी जहां तक मुझे जानकारी है सामान्यतया; सरकार सदस्य से संकल्प वापस लेने के लिए कहती है। .....**(व्यवधान)**..... माननीय मंत्री श्री के॰ वी॰ तंग्काबालू भी यहां उपस्थित हैं। मेरा श्री तंग्काबालू जी से विशेष अनुरोध है कि सरकार सदस्य से संकल्प वापस लेने के लिए न कहे।

श्री आर अन्बाससु (मद्रास मध्य) : महोदय, इसमें मैं हस्तक्षेप करना चाहूंगा। मैं अन्तिम दिन इसे वापस नहीं लूंगा। .....**(व्यवधान)**..... मैं अब मंत्री महोदय को सचेत कर रहा हूं कि मैं इस सवाल को वापस लेने वाला नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका अपना तर्क है।

श्री पी॰ सी॰ चाक्को : मेरा आशय यही नहीं था। श्री अन्बारासु को माननीय मंत्री जी का वक्तव्य स्वीकार करना पड़ेगा। फिर भी मंत्री जी से मेरी यही दलील है कि इस संकल्प को स्वीकार करें। सभा में इस तरह का एकमत बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए हममें से अधिकांश सदस्यों ने श्री अन्बारासु को इस संकल्प को लाने के लिए धन्यवाद किया है। मैं समझता हूं कि तथ्यों को देखते हुए यही उचित होगा कि सरकार इस संकल्प को स्वीकार कर ले।

हमने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए एक आयोग का गठन किया है। लेकिन इस आयोग के पास कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है कहने का मेरा आशय पर्याप्त अधिकारों से है। इस समय हमारे पास दो आयोग हैं–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग और अल्पसंख्यक आयोग। लेकिन इन समुदायों की समस्याओं का समाधान आयोगों के गठन में नहीं है और पिछड़े वर्ग के लोगों के मामले में यह बात विशेषकर सही साबित होती है।

इसके साथ ही सरकार के दरादे की भी प्रशंसा की जानी चाहिए। इस प्रकार का निर्णय लेने हेतु आगे आने के लिए मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं। लेकिन इसके तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मैं समझता हूं श्री अन्बारासु द्वारा पुरःस्थापित इस संकल्प को स्वीकार करना आवश्यक है क्योंकि इस देश में पिछड़े वर्ग के लोगों की अनेक समस्याएं हैं। यहां मैं आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूं। कई माननीय सदस्यों ने अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण और सरकार की आरक्षण नीति का सवाल उठाया है। कई माननीय सदस्यों ने इस अवसर का प्रयोग आरक्षण का मुद्दा उठाने के लिए किया है। मेरा कहना यह नहीं है कि यह सन्दर्भ से एकदम बाहर की बात है। लेकिन उनमें अभी तक इस संकल्प का मामला नहीं है। इस संकल्प का आशय तो पिछड़े वर्गों से संबंधित आयोग के अधिकारों और कार्यकरण को बढ़ाने या इसमें विस्तार करने तक सीमित है। ऐसा किया जाय या न किया जाए हमारे समक्ष यही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके लिए हमें संकल्प का विश्लेषण करना होगा। इसके विस्तार में जाना होगा और यह देखना होगा कि पहले इस आयोग को कितने अधिकार दिए गए हैं। मुझे याद है कि जिस दिन यह संकल्प पुरःस्थापित किया गया था तब संकल्प के प्रस्तावक श्री अन्बारासु ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अधिनियम के अनुसार आयोग को केवल इतना ही अधिकार दिया गया है कि अन्य पिछड़े वर्ग की सूचियों से किन-किन समुदायों को हटाया जाए और इसमें किन-किन को शामिल किया जाए। श्री चित्त बसु ने ठीक ही इसका नाम 'प्रवेश-निकाशी आयोग' रखा था। इससे सीमित प्रयोजन के लिए आयोग गठित करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त अनुभव है। अभी श्री कृष्ण स्वामी ने एक समुदाय के नाम का उल्लेख किया है जिसे वह इसमें शामिल कराना चाहते हैं। विगत तीन वर्षों से, जब से मैं इस सभा का सदस्य हूं मैं अपने केरल राज्य में 'कुडुम्बी' नामक पिछड़े वर्ग को अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करने के लिए लगातार अनुरोध करता आ रहा हूं। सभी मानदण्डों को देखते हुए इस विशेष समुदाय का पिछड़ापन स्वीकार किया जा रहा है। लेकिन अभी भी वास्तविकता यह है कि इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहां मेरा मुद्दा यह है कि सरकार स्वयं ही इस तरह के निर्णय ले सकती है। इस सीमित पहलू पर निर्णय लेने के लिए सभापति और सदस्यों के रूप में विख्यात व्यक्तियों से एक आयोग का गठन करना आवश्यक है।

इसलिए इस आयोग को और अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए। इस आयोग के अधिकार और इसके कार्यकरण में इस तरह से विस्तार किया जाना चाहिए कि यह वास्तव में इस देश में पिछड़े वर्गों के लिए सहायक सिद्ध हो सके। इस आयोग का गठन संसद के अधिनियम के अन्तर्गत आता है। और यह अधिनियम केवल एक कृत्य का उल्लेख करता है जिस पर मैंने अभी प्रकाश डाला है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि सरकार का ऐसा

आशय नहीं है। मुझे तो विश्वास है कि मानीय मंत्री जी इस वाद विवाद में हस्तक्षेप करते हुए निश्चित हुए निश्चित रूप से सरकार के इरादे को स्पष्ट करेंगे।

इस देश में पिछले 47 वर्षों से जब से देश स्वाधीन हुआ है अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण चलता आ रहा है तथा यह कांग्रेस पार्टी की घोषित नीति भी है और भी अन्य कई मसीहा हैं जो यह दावा करते हैं कि पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के संरक्षक केवल वे ही हैं। इसमें सच्चाई नहीं है। यदि हम ऐतिहासिक तथ्यों पर गौर करें, तो यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाएगा कि इस देश में 100 साल पहले स्वाधीनता संघर्ष की शुरूवात से ही। उन दिनों से ही जब कांग्रेस स्वाधीनता के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन चला रही थी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों का उत्थान करना हमारे नेताओं का सर्वोपरि लक्ष्य था। इन समुदायों को किस तरह लिया गया ? इस देश में कांग्रेस सरकार द्वारा स्वाधीनता से पहले और स्वाधीनता के पश्चात राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए नीति गत निर्णय लेने में इन्हें क्या महत्व दिया गया–यह प्रत्येक जानता है। अत: इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता। अत: इस के लिए आयोग का गठन किया जाना प्रशंसनीय है और सरकार ने सही दिशा में कदम उठाया है।

महोदय, मैं समझता हूं कि आयोग को कुछ और दायित्व और कुछ और अधिकार दिए जाने चाहिए। इसके लिए प्रावधान किए बिना यह आयोग केवल नाममात्र का ही होगा। मैं समझता हूं कि काफी वरिष्ठ और जानेमाने न्यायाधीश इस आयोग के चेयरमेंन हैं। इस आयोग का एक सदस्य मेरे राज्य से भी है। सार्वजनिक जीवन में उनका भी अपना योगदान रहा है। उनका भी जानामाना व्यक्तित्व है। चेयरमेंन और सदस्य के रूप में ये सभी व्यक्ति इन सीमित अधिकारों से क्या कर सकते हैं ? इसलिए, सीमित मुद्दे पर निर्णय लेने और सरकार को सलाह देने के अलावा उन्हें यह निर्णय लेने के लिए कुछ और अधिकार दिए जाने चाहिए कि वे नई योजनाएं क्या हैं जिन्हें अन्य पिछड़े वर्गों के लाभार्थ केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाना चाहिए। संकल्प में इसका भी उल्लेख किया गया है।

महोदय, यदि आयोग अधिकार प्राप्त हो तो सामान्य रूप से इसकी सिफारिशें और निर्णयों से सरकार भी सहमत हो। अन्यथा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। हमने ऐसे आयोगों द्वारा दी गई मोटी-मोटी रिपोर्टें देखी हैं जो धूल खा रही हैं। इससे कोई लाभदायक काम नहीं हो रहा है। इसलिए आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी होनी चाहिए। जो भी कानूनी पहलू हो मंत्री महोदय को स्पष्ट करना चाहिए। सामान्य रूप से यह सरकार पर बाध्यकारी होनी चाहिए। अन्यथा इन सब मुद्दों का और इस सब मामलों पर आयोग का गठन करने का कोई औचित्य पूर्ण नहीं होगा।

महोदय आए दिन ऐसे असंख्य मामले उठते जा रहे हैं कि कौन पिछड़े वर्ग में आते हैं और कौन नहीं। निश्चित रूप से आयोग के समक्ष यह मुद्दा है और मुझे विश्वास है, आयोग इस मुद्दे का समाधान करेगा। लेकिन इसके साथ ही इससे भी अधिक आयोग को यह सुनिश्चित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए कि नई योजनाओं को किन-किन क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है देश में अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में अपनाई जाने वाली नीति के बारे में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और अन्य सरकारी संगठनों को किस प्रकार

की सलाह दी जाए। पिछड़ा वर्ग आयोग का यह प्रथम कार्य होना चाहिए। अन्यथा इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाएगा।

महोदय, मैं अपना भाषण कुछ ही मिनटों में समाप्त कर दूंगा। सदस्यों ने इस विचार से अपनी सहमति व्यक्त की है कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मौजूदा कार्यक्रम बिल्कुल अपर्याप्त हैं।

श्री कृष्ण स्वामी ने पिछड़ा वर्ग निगम के बारे में विचार व्यक्त किए थे। निगम आयोग से भिन्न है। आयोग और निगम के कार्य भी अलग-अलग हैं। निगम अधिक धन जुटा सकता है और उसे कार्य करने का बड़ा क्षेत्र दिया जा सकता है। यह सब कार्य सरकार द्वारा ही किए जा सकते हैं। लेकिन यह आयोग संसद के अधिनियम द्वारा गठित किया गया है और संसद को इस पर निर्णय करना है। इस संकल्प को स्वीकार करने से आयोग को अधिक शक्तियां देने में सरकार को सहायता मिलेगी।

महोदय, कम से कम आयोग के सभापति का दर्जा केबिनेट मंत्री के बराबर होना चाहिए। यह मेरा एक सुझात्र है। मैं इसे मंत्री तथा सरकार के समक्ष रखता हूं। अन्यथा इस प्रकार के आयोग से कोई लाभ नहीं होगा। एक वरिष्ठ न्यायाधीश जो इस आयोग के सभापति हैं उन्हें केबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाना चाहिए और इस आयोग के सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा देना चाहिए। इस देश में पिछड़े वर्गों की संख्या अधिक है तथा उनकी समस्याएं भी काफी अधिक हैं इसलिए यह आयोग कुछ शक्तियां प्राप्त करके ही उनका समाधान कर सकता है।

मैं उसके बजट प्रावधानों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। इसे भी बजट का एक भाग होना चाहिए अन्यथा इस आयोग का वैसा पृथक, अस्तित्व नहीं रहेगा जैसा सरकार उसे देना चाहती है। इस आयोग के लिए बजट प्रावधान होने चाहिए जिसके लिए संसद मतदान कर रहा है। यदि इस आयोग के लिए बजट प्रावधान किया जाता है तो वह अधिक प्रभावी होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि श्री नरसिंह राव जी की सरकार अन्य पिछड़े वर्गों को ऐसी शक्तियां देना चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको और कितना समय चाहिए ?

श्री पी॰ सी॰ चाक्को : महोदय, मैं एक-दो और बातें कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए समय बढ़ाया जाता है।

श्री पी॰ सी॰ चाक्को : महोदय, यह बात व्यक्त करने के बाद यदि मैं उसे स्पष्ट नहीं करूंगा तो मेरी बात को गलत भी समझा जा सकता है। मैं सत्ता पक्ष से हूं और मैं अधिक शक्तियों की मांग कर रहा हूं तथा यह कह रहा हूं कि संकल्प को वापस नहीं लिया जाना चाहिए। यदि मैं अपनी बात पूर्णत: स्पष्ट नहीं करूंगा तो मंत्री महोदय नाराज़ हो जायेंगे। इसलिए मुझे कृपया बोलने की अनुमति दी जाए . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं वे हमेशा मुस्कराते रहते हैं वह कभी नाराज नहीं होते हैं।

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के॰ वी॰ तंग्काबालू) : महोदय, यह बिल्कुल गलत बात है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, यह मतदान के लिए ज़ोर दे रहे हैं।

श्री पी॰ सी॰ चाक्को : नहीं महोदय, मतदान की आवश्यकता नहीं है। इसे एकमत से पारित किया जाएगा।

महोदय, देश में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए एक निकाय तथा एक तंत्र होना चाहिए जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को परामर्श दे सकें। आज देश में इसकी कमी अनुभव की जा रही है। तदर्थ निर्णय लिए जा रहे हैं। यहां यह बताना आवश्यक है कि कुछ राज्यों में जो कुछ हुआ है यह अन्य राज्यों से अलग है। महोदय, कोई एकरूप नीति नहीं है। संख्या या प्रतिशत के अनुसार यह एकरूप नहीं हो सकती है। लेकिन साथ ही अन्य पिछड़ा वर्गों और समुदायों के उत्थान तथा कल्याण के लिए स्वरूप नीति होनी चाहिए। इस समय हम इग्मी कमी का अनुभव कर रहे हैं।

महोदय, विभिन्न राज्य सरकारों विभिन्न परिस्थितियों तथा राजनीतिक दबाबों के अंतर्गत कार्य कर रही है। महोदय, आप वर्तमान आरक्षण नीति, आरक्षण की प्रतिशतता तथा विभिन्न राज्यों में इस संबंध में विवादों के बारे में जानते हैं। ये मामले न्यायालयों में यहां तक की उच्चतम न्यायालय में ले जाए गए हैं। इसलिए इस आयोग को अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित मामलों, उनके कल्याण तथा आरक्षण बढ़ाने के लिए सरकार को परामर्श देने का अधिकार होना चाहिए और ऐसा परामर्श केंन्द्र सरकार पर बाध्यकारी होना चाहिए।

महोदय, हर रोज़ जो समस्याएं पैदा हो रही हैं और जो सभा के समक्ष लाई जा रही हैं तथा उन पर तर्क वितर्क किया जा रहा है, उससे बचा जा सकता है। जो कुछ उन्हें दिया जाना चाहिए वह उन्हें देने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें यह दिया भी जाना चाहिए। यदि उन्हें यह सब नहीं दिया जाएगा तो एक दिन स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। कोई भी दल यह नहीं कहेगा यह उन्हें नहीं दिया जा सकता है या इसे कम किया जाना चाहिए। इस प्रकार के तर्क का कोई औचित्य नहीं है। यदि कोई चुनावी उद्देश्यों के अल्पसंख्यकों अथवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का मसीहा बनना चाहता है तो वह केवल अस्थायी आभास है। सत्तारूढ़ दल का सदस्य होने के कारण मैं जानता हूं कि यह हमारे लिए मूल विश्वास की बात है। महोदय, यह अस्थायी मुद्दा नहीं है और न ही यह केवल आज या कल के लिए है। महोदय, मैं महसूस करता हूं कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नीति बनाने के लिए इस पिछड़ा वर्ग आयोग को परामर्शदायी तंत्र होना चाहिए तथा इसके परामर्श को देश में माना जाना चाहिए, राष्ट्रीय, राज्य, केन्द्र शासित प्रदेशों में संबंधित सरकारी अभिकरणों द्वारा इसे लागू किया जाना चाहिए। यदि आयोग को वह शक्तियां दी जाती हैं तो इस आयोग का उद्देश्य औचित्यपूर्ण होगा। महोदय, यही महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि यदि यह आयोग कोई सिफारिश करता है और वह केवल कागज़ों पर ही रहती है, सरकार उसे स्वीकार नहीं करती है तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए आयोग की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी होनी चाहिए; सरकार इस आयोग की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर ले।

महोदय, इस समय आयोग को अपने कर्तव्य निभाने के लिए पद सृजित करने का भी कोई अधिकार नहीं है। उनके विशाल कार्य-क्षेत्र तथा इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए भी उनके पास ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। इसलिए इस आयोग के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करने हेतु उसे पर्याप्त शक्तियां दी जानी चाहिए ताकि वे अपने दायित्वों को ठीक से निभा सके। सरकार को यह निर्णय लेना होगा कि उन्हें उस प्रकार की शक्तियां दी जाएं ताकि वे मूलभूत सुविधाएं स्थापित कर सकें। अन्यथा पिछड़ा वर्ग

आयोग स्थापित करने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इस पृष्ठभूमि में यदि सरकार इसके कर्त्तव्य, शक्तियां, दायित्व बढ़ाने के लिए सावधानीपूर्वक निर्णय लेती है तो माननीय मंत्री, सरकार तथा श्री आर० अन्बारासु के मध्य कोई असहमति नहीं रहेगी। पूरी सभा ने एकमत से यह विचार व्यक्त किया है कि इस आयोग को पर्याप्त शक्तियां दी जानी चाहिए।

महोदय, मैंने कुछ मुद्दों का उल्लेख किया है। चूंकि आप चाहते हैं कि मैं अपनी बात समाप्त करूं इसलिए मैं अन्य पहलुओं के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मुझे विश्वास है कि अन्य सदस्य वाद-विवाद के दौरान उन्हें उठाएंगे। इसलिए सामाजिक परिवर्तन, विशेषरूप से पिछड़ा वर्गों के उत्पादन के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को एक शक्तिशाली निकाय बनाना चाहिए। सरकार का यह इरादा होना चाहिए कि वह इस आयोग को सही गायनों में एक आयोग बनाए। इस आयोग को वित्तीय शक्तियों सहित अधिक शक्तियां दी जानी चाहिएं और इसका दायित्व अधिक होना चाहिए। इसके पास वित्त का अभाव नहीं होना चाहिए।

जहां तक अनुदानों का संबंध है यह अनुदानें संसद द्वारा पारित की जानी चाहिएं। यदि इस आयोग को वित्तीय और अन्य शक्तियां दी जाती हैं तो यह आयोग अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगा।

मैं एक महत्वपूर्ण पहलू के बारे में विचार व्यक्त करना चाहता हूं जो इसके सभापति तथा सदस्यों के दर्जे के बारे में है। इस संबंध में मैंने सरकार के विचारार्थ एक सुझाव दिया है। यह सुझाव मैंने इस आयोग को सुदृढ़ करने के लिए दिया है। मुझे विश्वास है कि सरकार मेरे और माननीय सदस्यों द्वारा इस संकल्प के संबंध में दिए गए सुझावों पर विचार करेगी। यदि सरकार इस आयोग को अधिक प्रभावी बनाना चाहती है तो उसे इस संकल्प को स्वीकार करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस चर्चा के लिए नियत समय पहले ही पूरा हो चुका है। अनेक माननीय सदस्य इस संकल्प पर विचार व्यक्त करना चाहते हैं। क्या सभा इस संकल्प पर चर्चा का समय एक घंटा बढ़ाने के लिए सहमत है ?

अनेक माननीय सदस्य : हम इसे दो घंटे के लिए बढ़ा दें।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) महोदय, आज नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, अभी हम इसे एक घंटे के लिए बढ़ाते हैं और बाद में और समय बढ़ाने के लिए देख लेंगे। अनेक माननीय सदस्य इस संकल्प पर बोलना चाहते हैं।

अब सभा सोमवार 22 अगस्त, 1994 को 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.08 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 22 अगस्त, 1994/श्रावण 31, 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।